अष्टम माला, खंड 43, अंक 6 Thursday, 17th November, 1988

लोक सभा वाद-

का

हिन्दी संस्करण

बारहवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

(खण्ड 43 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 43, बारहवां सत्र, 1988/1910 (शक)

अंक 6, गुरुवार, 17 नवम्बर, 1988/26 कार्तिक, 1910 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—30
*तारांकित प्रश्न संख्या : 103 से 107	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	30—247
तारांकित प्रश्न संख्या : 102, 108 से 115 और 117 से 121 ...	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 908 से 921, 923 से 932 और 934 से 1107 ...	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	247—250 तथा 251—252
[illegible] समिति	252
विवरण	
समिति के लिए निर्वाचन	252
प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद्	
कार्य मंत्रणा समिति	253
61वां प्रतिवेदन	

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ

नियम 377 के अधीन मामले ... ... 253—257

(एक) उड़ीसा में खल्लीकोट, खुर्दा रोड पर एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को रुकवाए जाने की आवश्यकता

श्री सोमनाथ रथ ... ... 253—254

(दो) "कमानी ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड संबंधी मामले" में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक नीति में परिवर्तन किया जाना

श्री मदन पांडे ... ... 254—255

(तीन) महानगरों में गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों को प्राथमिक सुविधाएं प्रदान की जाना तथा वहां पर्यावरण सम्बन्धी सुधार के लिए कदम उठाए जाना

डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी 255

(चार) पंजाब में आई बाढ़ से प्रभावित हुए राजस्थान के गंगानगर जिले के लोगों को प्रतिपूर्ति राशि दिये जाने की आवश्यकता

श्री बीरबल ... ... 255—256

(पांच) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दिए गए ऋणों की वसूली स्थगित किए जाने की आवश्यकता

श्री हरीश रावत 256

(छः) बिहार के एक तीर्थस्थल "हरिहर क्षेत्र" का विकास किये जाने की आवश्यकता

श्री राम बहादुर सिंह ... ...

(सात) औरंय्या से आगरा तक बरास्ता फिरोजाबाद पाइप लाइन बिछायी जाना

श्री गंगा राम ... ...

नियम 193 के अधीन चर्चा ... ... 257—317

किसानों और खेतिहर मजदूरों की मांगें

श्री सोमनाथ रथ ... ... 527—260

श्री मनोज पांडे ... ... 260—263

विषय	पृष्ठ
श्री जायनल अबेदिन	263—265
श्री राम सिंह यादव	265—268
श्रीमती गीता मुखर्जी	268—271
श्री जनक राज गुप्त	271—273
श्री एम० रघुमा रेड्डी	273—275
श्रीमती ऊषा चौधरी	275—277
डा० ए० कलानिधि	277—279
डा० गौरी शंकर राजहंस	279—281
प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत	281—283
श्री वी० तुलसीराम	283—284
श्री राम नारायण सिंह	284—286
श्री विजय एन० पाटिल	286—289
श्री राम प्यारे पनिका	289—292
श्री चरनजीत सिंह वालिया	292—293
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	293—294
प्रो० सैफुद्दीन सोज	294—300
श्री के० एस० राव	301—303
श्री केयूर भूषण	303—305
श्री अमर राय प्रधान	305—307
श्री राम भगत पासवान	307—308
डा० दत्ता सामंत	308—310
श्री धर्मपाल सिंह मलिक	310—312
श्री महाबीर प्रसाद यादव	312—313
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	313—314
चौधरी खुर्शीद अहमद	314—316

लोक सभा

गुरुवार, 17 नवम्बर, 1988/ 26 कार्तिक, 1910 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ऋण

[अनुवाद]

***103. श्री सतीश चन्द्र सिन्हा :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ऋणों के मंजूर किये जाने मे भेदभाव की शिकायतों की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 4800 रुपये वार्षिक से कम आय वाले पता लगाए गए परिवारों को ऋण तथा सबसिडी की सहायता दी जाती है ताकि वे स्वरोजगार के साधन जुटा सकें। पता लगाये गये परिवारों की सूची को अनुमोदन के लिये ग्राम सभा में प्रस्तुत किया जाता है।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों की मार्फत चलाया जाता है और केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा धनराशि जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को रिलीज की जाती है।

जब कभी किसी भी प्रकार की कोई शिकायत केन्द्र सरकार के ध्यान में लाई जाती है तो उस पर उचित कार्यवाही करने के लिए उसे सम्बन्धित राज्य सरकार को भेज दिया जाता है।

कार्यक्रम में ग्राम पंचायतों को ऋण देने की कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री सतीश चन्द्र सिन्हा : महोदय, मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि पश्चिमी बंगाल में ग्राम

पंचायत की स्वीकृति अथवा सिफारिश के बिना कोई आई० आर० डी० पी० ऋण नहीं दिये जाते हैं। वास्तव में इस शर्त का उपयोग वामपंथी सरकार के प्रमुख भागीदार सी० पी० एम० द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। वे ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस समर्थकों को ऋण नहीं दे रहे हैं। वास्तव में वे लोगों के पास जाकर उनसे यह कह रहे हैं कि जब तक वे कांग्रेस के समर्थक रहेंगे तब तक उन्हें किसी आई० आर० डी० पी० ऋण की स्वीकृति नहीं दी जायेगी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से यह अनुरोध करूँगा कि पश्चिमी बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों के उन गरीब लोगों के लिये, जिनमें अधिकतर कांग्रेस समर्थक हैं क्या उपचारात्मक उपाय है। क्या इसका कोई हल है? भारतीय साम्यवादी दल द्वारा नियन्त्रित ग्राम पंचायत की सिफारिश के बिना उन गरीब लोगों को ऋण कैसे प्राप्त हो, जो ऋण प्राप्त करने के पात्र हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं? इसका क्या उपचार है?

श्री जनार्दन पुजारी : सुपात्र लाभभोगियों को ऋण दिया जाना चाहिए और उन्हें इसका लाभ भी मिलना चाहिए। महोदय, अब माननीय सदस्य ने मुझे लिखा है और पश्चिमी बंगाल के कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने सदन में भी इस मुद्दे को उठाया है। माननीय सदस्य की शिकायत प्राप्त होने के बाद हमने राज्य सरकारों को लिखा है और उनके ध्यान में कुछ लाभभोगियों के साथ किये जा रहे भेदभाव को ला दिया है जैसा कि माननीय सदस्य ने आरोप लगाया है। अभी तक हमें कोई उत्तर नहीं मिला है···(व्यवधान)···परन्तु माननीय सदस्य इस वास्तविकता को जानते हैं कि इसका कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। केन्द्र की ओर से हम सीधे ही डी० आर० डी० एस० को राज सहायता दे रहे हैं। राजसहायता सीधे ही राज्य सरकार के डी० आर० डी० एस० को दी जाती है। परन्तु जहां तक कार्यान्वयन का सम्बन्ध है इसे कार्यान्वित करना राज्य सरकार का काम है। यह एक राज्य का विषय है। यह संघीय प्रणाली है। हम प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हमें केवल राज्य सरकारों को लिख सकते हैं और उसके बाद भी यदि वे कार्यक्रम को उचित ढंग से कार्यान्वित नहीं करते हैं और यह सिद्ध हो जाता है कि भेदभाव किया जा रहा है और राजसहायता का उचित उपयोग नहीं किया जा रहा है तो अधिक से अधिक सहायता को बन्द किया जा सकता है।

श्री सतोष चन्द्र सिन्हा : यह उत्तर बिल्कुल असन्तोषजनक है। यह एक केन्द्रीय कार्यक्रम है और समझा जाता है कि इससे उन लोगों को सहायता दी जा रही है जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। इस मामले में संघीय प्रणाली का उदाहरण देते हुए माननीय मंत्री ने अपनी बेबसी व्यक्त की है। मैं जानता हूं कि पश्चिम बंगाल में ऐसे हजारों मामले हैं जिनमें गरीब लोगों को इस केन्द्रीय योजना से मिलने वाली सहायता से वंचित किया जा रहा है। अतः महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक बात जानना चाहूंगा। उन गरीब लोगों की सहायता करने का कोई उपाय ढूंढा जाना चाहिए जिन्हें ग्राम पंचायत की सिफारिशें न देकर ऋण नहीं दिया जा रहा है। माननीय मंत्री बैंक अधिकारियों अथवा डी० आर० डी० एस० को कुछ स्वतन्त्रता दे सकते हैं जो ग्राम पंचायत की सिफारिश के बिना भी ऋण स्वीकृत कर सकते हैं। वे ऐसा कर सकते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री ऐसा करेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : वे आपको यह आश्वासन दे चुके हैं कि सहायता को बन्द कर दिया जायेगा। (व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है कि यदि ऐसा किया जा रहा है तो इससे गरीब लोगों को कष्ट हो रहा है। परन्तु साथ ही मैं माननीय सदस्य को यह बता सकता हूं कि

यहां से इसमें सुधार करना बिल्कुल भी सम्भव नहीं है। सुधार के लिए हम इसे राज्य सरकार के ध्यान में ला सकते हैं। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो अन्तत: चुनावों के समय राज्य सरकार को नुकसान होगा।

श्री के० राममूर्ति : अध्यक्ष महोदय, यह एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम गरीबी को दूर करने वाले उन कार्यक्रमों में से एक है जिनकी परिकल्पना स्वर्गीय इंदिरा जी ने की थी। इस कार्यक्रम का आशय गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना है, उनके जीबन-स्तर में सुधार लाना है। यह सच है कि इन एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम योजनाओं का उपयोग राजनैतिक कार्यों के लिए किया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार लाभभोगियों की पहचान करने और पंचायत-स्तर पर वरीयता बनाये रखने के लिये सभी राज्यों को मार्ग निर्देश क्यों नहीं देती? अन्यथा यदि मैं वहां पंचायत संघ सभापति अथवा अध्यक्ष के पद पर होता तो मैं निश्चित रूप से अपने राजनैतिक स्वार्थ के लिए उसका उपयोग करता। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या लाभभोगियों अथवा उन जरूरतमंद लोगों की वरीयता सूची रखने के लिये, जो इस आई० आर० डी० पी० लाभ को प्राप्त करने जा रहे हैं, सभी राज्यों को ऐसे मार्ग निर्देश जारी किये जायेंगे। आगे, माननीय मंत्री ने यह कहा है कि उन्होंने सभी राज्यों को ब्लाक अनुदान दे दिया है और उसका उपयोग करना राज्यों का कार्य है। परन्तु मुझे पता चला है कि कुछ राज्य समझदारी से उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। वे केवल सभी पंचायत यूनियनों में इस राशि को बराबर-बराबर बांट रहे हैं। यह उचित नहीं है। उन्हें यह पता लगाना चाहिए कि किस पंचायत यूनियन को अधिक राशि की आवश्यकता है और किस पंचायत यूनियन को कम राशि की आवश्यकता है। अत: यह पता लगाना चाहिए और यह देखना चाहिए कि किस ब्लाक को अधिकतम लाभ दिया जाना है और लाभभोगियों को कितना लाभ दिया जाना है। मैं इन दो मुद्दों के बारे में स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहूंगा।

श्री जनार्दन पुजारी : जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है और हमने उसे ध्यान में ले लिया है।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है माननीय सदस्य ने यह सुझाव दिया है कि ब्लाक स्तर पर आवश्यकता के अनुसार आबंटन किया जाना चाहिए। इस बारे में मार्ग निर्देश जारी किये जा चुके हैं। वास्तव में तदनुसार ही ऐसा किया गया है।

अब जहां तक वर्ष 1988-89 का सम्बन्ध है आई० आर० डी० पी० के अन्तर्गत राशि के आबंटन का मानदण्ड यह है कि 25 प्रतिशत राशि ब्लाक आधार पर दी जाती है और 75 प्रतिशत राशि गरीबी के आधार पर दी जाती है। यह मानदण्ड है। यह ब्लाक की आवश्यकताओं के अनुसार है।

श्री पी० एम० सईद : अध्यक्ष महोदय, लाभभोगी की पहचान के बारे में प्रक्रिया यह है कि ग्राम स्तर पर एजेंसी उसकी पहचान करती है और यदि वे योजना को व्यवहार्य पाती हैं तो वे उसे बैंकों के पास भेज देती हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से यह जानता हूं कि मेरे क्षेत्र में बैंक इस बारे में अन्तिम निर्णय करते हैं कि क्या योजना आर्थिक दृष्टि से लाभकारी है अथवा नहीं। क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या इस बारे में अन्तिम निर्णय करना बैंक के स्वविवेक पर निर्भर है अथवा गांव की चयन समिति पर निर्भर करता है? अन्तिम निर्णय का अधिकार किसे प्राप्त है? यह एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में अभी तक निर्णय नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

कृषि मन्त्री (श्री भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, दो प्रान्तों में सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में ऐसी रिपोर्ट आई है कि वहां सिलेक्शन ठीक तरीके से नहीं हो रहे हैं। उसमें एक वैस्ट बंगाल है और दूसरा आन्ध्र प्रदेश है।… **(व्यवधान)**…

आप सुनने की कृपा करें।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : वह किसने रिपोर्ट दी है ?

श्री भजन लाल : आम आदमी यह कहता है। आप मेरे साथ चलिए मैं आपको बता दूंगा। मैं आन्ध्र प्रदेश गया था। वहां के लोगों ने मुझसे ऐसी शिकायत की। आन्ध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एन०आर० ई०पी० स्कीम का नाम तेलगु देशम ग्रामीण विकासोन्मुख, कार्यक्रम और दूसरे पता नहीं क्या-क्या नाम रख दिये हैं। वह सारा पैसा उस साइड में इस्तेमाल करते हैं।

जो गरीबो की रेखा से नीचे लोग बस रहे है उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाये इसका खास तौर से ध्यान रखा जाता है। आप तो जानते हैं कि पंचायत में हरिजन मैम्बर भी होते हैं और महिला पंच भी होती है। अक्सर देखने में यह आया है कि वह लोग सारी पंचायत को नही बुलाते हैं। उन्होंने इसको सार्वजनिक सभा का नाम दे दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि वह कहीं भी अपनी पार्टी के आदमियों को इकट्ठा कर सकते है और सार्वजनिक सभा की संज्ञा दे देते हैं। वैस्ट बंगाल की हालत तो यह है कि वह सारा सरकारी पैसा पार्टी के हिसाब से खर्च करने की कोशिश करते हैं और उन्होंने उप-समिति बना ली है। वह उप-समिति बनाकर उसमे इस प्रकार से सिलेक्शन करते हैं कि कितने आदमी इस पार्टी के हो और कितने दूसरी पार्टी के। वह इस हिसाब से लोगों को उसमें रखने की कोशिश करते हैं। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सत्यगोपाल मिश्र : यह सच नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री एम० रघुमा रेड्डी : यह वास्तविकता नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन चौधरी : उन्हें इसे यहां सिद्ध करना चाहिए। आप इसे यहां सिद्ध कीजिए। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री भजन लाल : आप सुनने की कृपा करें। जो सही बात है वही मैं आपको बता रहा हूं। इसी वजह से हमने यह फैसला किया है कि अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट को जिस प्रोग्राम के लिए पैसा दिया जाता है उस प्रोग्राम से हट कर किसी दूसरे प्रोग्राम पर वह उसे खर्च करेगी तो उसको आगे के लिए पैसा नहीं मिलेगा और उस पैसे को वसूल करने की भी कोशिश की जायेगी। भारत सरकार की तरफ से ऐसी डायरेक्शन गई हुई हैं और उनको यह डायरेक्शन भी दी गई है कि सिलेक्शन करते समय गरीब लोगों और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का खास तौर से ध्यान रखा जाये और उन तक पैसा पहुंचना चाहिए। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

प्रो० एन० जी० रंगा : क्या हमें इस प्रकार की चर्चा को जारी रखना है ? आप चुप हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री भजन लाल : पंचायत के ऊपर ब्लाक है, ब्लाक के ऊपर बैंक है, बैंक से इनको पैसा मिलता है। (व्यवधान)

आपको क्या तकलीफ हो गई ?

श्री राम प्यारे पनिका : यह बात सही है कि सरकार ने समय-समय पर आई०आर०डी०पी० के कार्यान्वयन के लिये आदेश दिये हैं लेकिन यह बात भी सही है कि बैनीफिशियरीज की लिस्ट बनाने का इन्होंने जो संकेत दिया है, कुछ राज्य इसका पालन नहीं कर रहे हैं परिणामस्वरूप जो पार्टी सर्वहारा व्यक्तियों के कल्याण की बात करती है, उनके यहां यह हो रहा है कि गरीब लोगों को जो सहायता मिलनी चाहिए वह नहीं मिल रही है। क्या माननीय कृषि मंत्री जी कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि कोई सेण्ट्रल टीम वहां जाकर इसको मोनिटर करे कि जो हमारी गाइड लाइन्स हैं उनके अनुसार इसका फायदा मिल रहा है या नहीं ? यह बात ठीक है कि इन्होंने 40 हजार बैंक शाखाओं को किसी न किसी गांव में खोल दिया है लेकिन इण्टीरियर ब्लाकों में, हिली एरियाज में, डैजर्ट में और साइक्लोनिक एरियाज में यह हो रहा है कि बैंक के लोग दूर जाकर कर्ज नहीं दे रहे हैं। जैसा हमारे साथी ने कहा है कि…

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल करिये न।

श्री राम प्यारे पनिका : मैं सवाल कर रहा हूं। क्या आप कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि हर पंचायत स्तर तक यह सहायता गरीबी की रेखा के नीचे के लोगों को पहुंच जाये और दूसरे जो राज्य इसका इम्पलीमेंटेशन नहीं कर रहे हैं वहां सेन्टर से कोई मोनेटरिंग कमेटी जाय ?

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, जहां से भी ऐसी शिकायत आयेगी वहां पर हम जरूर मोनिटर करेंगे, उसकी जांच करेंगे। जिस प्रोग्राम के लिये पैसा दिया, जो सरकार पैसे का इस्तेमाल उसके लिए नहीं करेगी, उसको आगे पैसा नहीं दिया जायेगा। पहले उस पैसे को एडजस्ट करके उसमें खर्च करना होगा। अन्दर 24 मिलियन परिवार ऐसे हैं, जिनकी वार्षिक आमदनी 4800 रुपये से कम है, हमारा यह लक्ष्य है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 20 मिलियन परिवारों को हम ऐसी सहायता जरूर दें ताकि लोगों का जीवन-स्तर ऊंचा हो सके। उसमें कोई प्रदेश अगर ठीक से काम नहीं करेगा तो उस प्रदेश के खिलाफ हम जरूर कार्यवाही करेंगे।

श्री सी० माधव रेड्डी : माननीय मंत्री जी ने अभी बताया, मि० सैफ का एक बहुत अच्छा सवाल था, उन्होंने यह पूछा कि आइडैण्टीफिकेशन फाइनली किनके हाथ में हैं, क्या विलेज लेविल की कोई एजेंसी है, उसके साथ हैं जो आइडैंटीफाई करती है या बकों के साथ है जो फाइनली सैंक्शन करते हैं। उन्होंने कहा कि बैंक तो यह कहते हैं कि कोई भी फाइनल सलैक्शन करो, हम फाइनल करेंगे, यह बताने के लिए माननीय मंत्री जी ने सवाल का जवाब ठीक से देने के बजाय उल्टा दे दिया…

श्री भजन लाल : आपको उल्टा लगता है ?

श्री सी० माधव रेड्डी : जी हां। आपकी**…है। आप क्या जवाब देते हैं, आप हर चीज में सियासत देखते हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय :…असंसदीय है। यह कार्यवाही वृत्तान्त का अंग नहीं बनेगा।

[हिन्दी]

श्री सी० माधव रेड्डी : मैंने कहा कि जवाब उल्टा है।

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : जवाब उल्टा है आप यह बोलिए।

[अनुवाद]

आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। आपको इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : कल जब श्री बूटा सिंह ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था तो क्या आपने उन्हें ऐसा कहा था ?

श्री एम० एल० फोतेदार : आपको श्री वी० पी० सिंह को ये बातें बतानी चाहिए थी… (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सी० माधव रेड्डी : मेरा सवाल यह है कि ऐसी कोई इंक्वायरी हुई है, कोई ऐसी रिपोर्ट है कि जिसमें आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट और वैस्ट बंगाल गवर्नमेंट में कायदे के हिसाब से चुनाव नहीं हो रहा हो या आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रहा हो—ऐसी कोई रिपोर्ट है क्या आपके डिपार्टमेंट की तरफ से ? अगर ऐसी कोई रिपोर्ट है तो क्या उसको आप टेबल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने दो बातें कही हैं। एक बात तो शुरू में कह दी कि इन्होंने सवाल का जवाब ठीक नहीं दिया और साथ में यह भी कह दिया कि मेरी**… है। मैं थोड़ा सा इसका जवाब दूं कि मेरी**…है कि नहीं है पर जिसको ये लीडर मानते हैं…**…। अध्यक्ष महोदय, इसका सैलेक्शन बाकायदा ग्राम सभा करती है…

अध्यक्ष महोदय : रिकार्ड में मैंने वह भी नहीं जाने दिया और आपकी बात भी नहीं जाने दी।

श्री भजन लाल : वह तो आपकी मर्जी है, काटो चाहे न काटो। (व्यवधान) वैसे ये पुराने मेम्बर हैं, कुछ कहना अच्छा नहीं लगता। हमारे पुराने साथी भी रहे हैं। मैं इतना ही कहता हूं कि इसका सैलेक्शन ग्राम सभा करती है। ग्राम सभा रेकमेंड करके भेजती है बाकायदा, फिर ऊपर जाता है और बैंक वाले पैसा देते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि आपके पास क्या शिकायत है तो मैं अभी आन्ध्र प्रदेश गया था और पश्चिम बंगाल भी गया था … (व्यवधान) आप सुनने की कृपा करिये, मैं उसी बात पर आ रहा हूं। वहां पर लोगों ने यह शिकायत की—दोनों स्टेट्स के लोगों ने—जितने भी

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

लोग मुझे मिले उन्होंने बताया कि जो पैसा भारत सरकार देती है उसका इस्तेमाल यहां की प्रान्तीय सरकार ठीक नहीं करती। (व्यवधान)...

श्री वी० तुलसीराम : मिलने वाले लोग कौन थे ?

श्री भजन लाल : मिलने वालों में तो आपमें से भी कोई हो सकता है। नाम लेना तो अच्छा नहीं लगता है मेरे लिये। और फिर वे क्या बताएंगे अगर मैं नाम ले दूंगा। (व्यवधान)

श्री एम० रघुमा रेड्डी : आप गांवों में जाकर लोगों से बात करिए। (व्यवधान)

श्री भजन लाल : आंध्र वालों ने तो स्कीम का नाम तक ही बदल दिया। तुमुलदेशम् ग्रामीण विकासम—पता नहीं क्या नाम रख दिया मुझे तो वह नाम भी नहीं आता। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, हम बाकायदा इसकी देखेंगे और गरीब आदमी तक पैसा पहुंचाने की हम पूरी कोशिश करेंगे।

इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण

[हिन्दी]

*104. श्री मदन पांडे† :

श्री एच० एन० नन्जे गौड़ा :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के अधीन इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) प्रत्येक संयंत्र के आधुनिकीकरण का कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है तथा इस पर कितनी धन-राशि व्यय होने का अनुमान है; और

(ग) इन संयंत्रों के आधुनिकीकरण के परिणामस्वरूप उत्पादन तथा उत्पादकता में अनुमानतः कितनी वृद्धि होगी ?

[अनुवाद]

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एस० फोतेदार) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण सरकार द्वारा सितम्बर, 1987 में वर्ष 1986 की तीसरी तिमाही के अनुमानों के आधार पर 1357 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर अनुमोदित किया गया था। एक बार बोलियों को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद इन अनुमानों को संशोधित किया जायेगा। मुख्य निर्माण कार्यकलापों के शुरू किये जाने से पहले स्थल पर सहायक निर्माण कार्य लगभग

पूरे हो चुके हैं। टेंडर आमंत्रित करने की कार्रवाई चल रही है और आर्डर देने के लिये प्रस्ताव तैयार करने सम्बन्धी कार्रवाई की जा रही है। आधुनिकीकरण की परियोजना के सितम्बर, 1992 तक पूरा होने की संभावना है और प्रति वर्ष 8,94,000 टन द्रव इस्पात की वृद्धि करने की योजना है।

राउरकेला इस्पात संयंत्र

1600 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर (वर्ष 1986 की चौथी तिमाही के अनुमानों के आधार पर) राउरकेला इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण सरकार के विचाराधीन है। इस अनुमान के संशोधित होने की संभावना है। आधुनिकीकरण के कार्य को दो चरणों में विभक्त किया गया है जिसमें से प्रथम चरण पर 415 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।

सरकार का अनुमोदन मिलने तक इस परियोजना के सहायक निर्माण कार्य किये जा रहे हैं। इस योजना के अक्तूबर, 1994 तक पूरा हो जाने की संभावना है। आधुनिकीकरण की परियोजना के परिणामतः द्रव इस्पात का उत्पादन प्रति वर्ष 5 लाख टन तक करने की योजना है।

इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड

जनवरी, 1988 में सरकार ने "इस्को" की आधुनिकीकरण की योजना को "सिद्धान्त रूप में" स्वीकृति प्रदान कर दी थी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और अन्य प्रारम्भिक निर्माण काय करने के लिये 30 करोड़ रुपये की राशि भी स्वीकृत की गई थी। प्रारम्भिक कार्य जिसमें स्थल की सफाई, भूमि उद्धार सम्मिलित हैं, हाथ में लिये गये हैं और इन पर कार्य चल रहा है। इसके साथ-साथ वित्तीय व्यवस्थाओं और परियोजना की कार्यान्वियन-रीतियों को अन्तिम रूप देने के लिये जापानी प्राधिकारियों के साथ बातचीत शुरू कर दी गई है। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 2930 करोड़ रुपये है। यह परियोजना पूंजी निवेश सम्बन्धी स्वीकृति मिलने की तारीख से लगभग $6\frac{1}{2}$ वर्ष में पूरी हो जाएगी।

प्रस्तावित आधुनिकीकरण के परिणामतः "इस्को" की अपरिष्कृत इस्पात की स्थापित क्षमता 10 लाख टन से बढ़कर 21.5 लाख टन प्रति वर्ष तक हो जाएगी।

बोकारो इस्पात संयंत्र

सरकार ने 5 अक्तूबर, 1988 को बोकारो इस्पात संयंत्र की कन्वर्टर शॉप तथा हॉट स्ट्रीप मिल के आधुनिकीकरण को "सिद्धान्त रूप में" स्वीकृति दे दी है। "सेल" को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना शुरू करने तथा अन्य सम्बद्ध प्रारम्भिक निर्माण कार्यों को करने के लिये 5 करोड़ रुपये का व्यय करने के लिये प्राधिकृत किया गया है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में लगभग 9 मास का समय लगने की संभावना है। पूरी योजना पर 1100 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है और इसे अंशतः सोवियत ऋण द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। आधुनिकीकरण के परिणामतः बेकारो इस्पात संयंत्र में द्रव इस्पात का उत्पादन लगभग 4 लाख टन और तैयार इस्पात का उत्पादन 8,39,000 टन तक होने की संभावना है।

[हिन्दी]

श्री मदन पांडे : अध्यक्ष महोदय, बड़ा अच्छा स्टेटमैंट तैयार करके दिया गया है। इसमें चार कम्पनियों का जिक्र किया गया है। ये योजनाएं अगर जोड़ी जायें तो एक 3000 करोड़ रुपये की है, दूसरी

1100 करोड़ की है, तीसरी 1600 करोड़ की है लेकिन इनमें से किसी योजना पर भी अभी कार्य नहीं हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि विचाराधीन रहने में ही इसमें कई वर्ष लग जाएंगे। तो यह कोई प्रगति का सूचक जवाब हमको नहीं दिया गया है। मैंने प्रश्न यह किया था कि इस समय हमारे देश में इस्पात की जो मांग है उसको पूरा करने के लिए इन संयंत्रों में, जिस प्रकार के प्रावधान इनके लिये हैं संशोधन और सुधार करने के उनके सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है, तो वह प्रगति अभी तक मुझे मालूम नहीं पड़ी है। इस बात को देखते हुए क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस समय जो हमारी इस्पात की आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिये क्या क्या कदम किस वक्त तक उठा रहे हैं, यदि बाहर से आयात कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं और अगर हमारे पास सरप्लस है तो यह कहां जा रहा है और यह जो आयात हम कर रहे हैं उसकी पूर्ति करने के लिए प्रगति को तेज करने के लिये आप कोई कदम उठा रहे हैं ?

श्री एम० एल० फोतेदार : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने पूछा है कि प्लान्ट्स के माड्नाइजेशन पर कितना खर्च आ जायेगा और कब तक यह मुकम्मिल किये जाएंगे ? मैंने संक्षेप में ही नहीं बहुत ही विस्तार से उत्तर दिया है कि फलां-फलां प्लान्ट पर इतना-इतना खर्च आ जाएगा और इतने समय में इनको पूरा किया जाएगा। जहां तक किस प्लांट के बारे में क्या कार्यवाही हो रही है, का सवाल है, वह भी मैंने संक्षेप में बताया है। जैसे मैंने दुर्गापुर प्लांट के बारे में बताया है कि काम कब शुरू होगा और कब यह मुकम्मिल होगा। इसके लिए जो टैंडर्स किये गये हैं, उन पर बहुत ही तेजी से हम फैसला ले रहे हैं और मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इस साल के अंत तक उन पर फैसला किया जाएगा और उसके बाद ही उस पर काम किया जायेगा। जहां तक इस बात का सवाल है कि हम कितना आयात कर रहे है और कब तक हम आत्म-निर्भर बनेंगे, मैं माननीय सदस्य जी को बताना चाहता हूं कि हमारी पहल आत्म-निर्भरता की तरफ है और माडर्नाइजेशन का कार्यक्रम इसकी कड़ी है। मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहता हू कि हम आयात ही नहीं करते हैं, बल्कि थोड़ा बहुत स्टील निर्यात भी करते हैं। हमारा संकल्प है कि कम दाम पर उमदा स्टील देशवासियों को मुहैया करायें और इसके लिये जो भी कदम उठाने की बात है, वह हम उठा रहे हैं।

श्री मदन पांडे : अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का जो उत्तर दिया गया है, उससे थोडा अफसोस होता है। मुझे अभी तक यह नहीं पता चला है कि हम जो आयात कर रहे है, वह कितना है। आपने जो अपनी प्रगति की रिपोर्ट दी है, यदि मान लिया जाये कि इस सदी के अन्त तक पूरी हो जाये और उस पर अमल होने लगे तो उसके बाद क्या सरकार ने अनुमान लगाया है कि उसके बाद हमारी आवश्यकता पूरी हो जाएगी या इससे और आगे बढ़ेगी ? यदि और आगे बढ़ेगी तो उसको पूरा करने के लिये क्या कोई और दूसरा संयंत्र लगाने की व्यवस्था सरकार के विचाराधीन है ?

श्री एम० एल० फोतेदार : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने पूछा कि हमारा उत्पादन कितना है और हमारी आवश्यकता कितनी है और हम कितना आयात कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि हमारी आवश्यकता कोई 13.8 मिलियन टन के करीब है और हमारा उत्पादन 12.3 मिलियन टन है। हम जो आयात कर रहे हैं, वह कोई 1.5 मिलियन टन के करीब है। इसीलिये मैं आपसे कह रहा हूं कि हम आयात को कम करने के लिये अपना उत्पादन बढ़ा रहे हैं और उत्पादन बढ़ाने के बाद हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे।

[अनुवाद]

श्री बीरेन्द्र पाटिल : मेरी जानकारी के अनुसार देश में विशेष किस्म के इस्पात की कमी है

और सरकार विशेष किस्म के इस्पात के उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने के लिये गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही है। कर्नाटक में एक कारखाना है, अर्थात् विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड, जो आज देश में विशेष किस्म के इस्पात का उत्पादन कर रहा है। विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड का भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहण किये जाने सम्बन्धी राज्य सरकार का प्रस्ताव काफी अर्से से भारत सरकार के पास लम्बित है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण या भारत सरकार द्वारा जो भी शर्तें रखी गई हैं, राज्य सरकार द्वारा सभी शर्तें स्वीकार कर ली गई हैं। मंत्रिमण्डल ने हाल ही में 150 करोड़ रुपये से अधिक की बकाया राशि को माफ करने संबंधी निर्णय लिया है।

जब राज्य सरकार, भारतीय इस्पात प्राधिकरण की सभी शर्तों पर सहमत हो गई है तो मैं जानना चाहता हूं कि विलम्ब क्यों हो रहा है और भारत सरकार को विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड का अधिग्रहण करने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने में और कितना समय लगेगा।

श्री एम० एल० फोतेदार : माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि विशेष प्रकार के इस्पात की कमी है। पहले नीति यह थी कि इस्पात का उत्पादन टनों में होता था अब हमने नीति बदल दी है और यह निर्णय किया है कि विशेष प्रकार के इस्पात का, जो मूल्य वर्धित होता है, उत्पादन भी देश के भीतर किया जाना चाहिए। जहां तक विश्वेश्वरैया आयरन और स्टील लिमिटेड का सम्बन्ध है, हो सकता है राज्य सरकार ने निर्णय लिया हो। हमने कुछ शर्तें बताई हैं। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने वे शर्तें स्वीकार की हैं या नहीं, यद्यपि भूतपूर्व मुख्य मंत्री और वर्तमान मुख्य मंत्री ने मुझे आश्वासन दिया है कि वह ऐसा करेंगे। किंतु मेरी जानकारी के अनुसार, मुझे राज्य सरकार से अब तक औपचारिक रूप से कोई सन्देश प्राप्त नहीं हुआ है। ज्यों ही राज्य सरकार से औपचारिक सकारात्मक उत्तर प्राप्त होता है हम इस मामले में उपयुक्त कार्यवाही करेंगे।

हम श्री विश्वेशरैया की याद केवल कर्नाटक में ही नहीं देश भर में जिन्दा रखना चाहते हैं। हम श्री विश्वेश्वरैया का जन्म दिन देश में इंजीनियर्स दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे प्रधान मंत्री को इस बारे में कर्नाटक राज्य से अधिक चिंता है।

[हिन्दी]

श्री दामोदर पांडे : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि आधुनिकीकरण से जो प्रगति होगी, जो इस्पात का उत्पादन बढ़ेगा, क्या उससे कुछ और मजदूरों की छंटनी तो नहीं होगी या उससे अधिक मजदूर काम करेंगे? हमें यह तो देखने को नहीं मिलेगा कि आधुनिकीकरण होगा, उससे प्रोडक्शन होगा लेकिन थोड़ा सा अधिक मजदूर छंटनी होगा। पीछे दुर्गापुर, बोकारो, भिलाई में जहां जहां आधुनिकीकरण का प्रोग्राम रहा वहां ऐसा हुआ है। अगर यह नौबत होगी तो देश तो ज्यादा खुशहाल होगा और दूसरी तरफ स्टील पैदा करने वाले लोग फटेहाल बनेंगे, बर्बाद होंगे।

[अनुवाद]

श्री एम० एल० फोतेदार : महोदय, मुझे अंग्रेजी में जवाब देने की अनुमति दी जाए क्योंकि शायद मेरी बात का गलत अर्थ लगाया जाए।

जहां तक छंटनी का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि आधुनिकीकरण योजना लागू होने से भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के अन्तर्गत किसी भी इस्पात संयंत्र में कोई छंटनी नहीं होगी। हम सभी कर्मियों को पुनः प्रशिक्षण देंगे और पुनः प्रशिक्षण देने के पश्चात उन्हें पुनः

रोजगार पर लगाएंगे। किन्तु हमारी एक योजना है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होना चाहता है तो मैं उसे रोकूंगा नहीं। किन्तु जहां तक छंटनी का संबंध है, किसी भी इस्पात संयंत्र में कोई छंटनी नहीं होगी।

श्री दामोदर पांडे : मेरा प्रश्न छंटनी के बारे में नहीं था, मैंने यह पूछा था कि क्या श्रम शक्ति में कोई कमी की जाएगी, या अधिक श्रम शक्ति नियोजित की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : यह एक अलग बात है। उन्होंने पहले ही बताया है कि किसी की भी छंटनी नहीं की जाएगी।

श्री एम० एल० फोतेदार : जहां तक मौजूदा श्रम शक्ति का सम्बन्ध है उसमें कोई छंटनी नहीं की जाएगी, किन्तु जहां तक नए रोजगार का सम्बन्ध है, हम इस बारे में उपयुक्त समय पर विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : आप की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि स्क्रेप की कमी है। उत्पादन गिर रहा है। उन्होंने मुझे याचिका दी है।

हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन का हल्दिया एकक पुनः चालू किया जाना

*105. कुमारी ममता बनर्जी† :

श्री वसुदेव आचार्य :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन का हल्दिया एकक पुनः चालू करने के बारे में परामर्शदाताओं की रिपोर्ट के आधार पर पूंजी निवेश करने सम्बन्धी कोई निर्णय ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० प्रभु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, मैंने मन्त्री जी से केवल एक प्रश्न पूछा है किन्तु उसका संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कम्पलैक्स का हल्दिया एकक पूर्वी क्षेत्र के महत्वपूर्ण एकको में है। महोदय, हम मंत्री जी से कई बार मिले हैं और उन्होंने कहा है कि उन्होंने पश्चिम जर्मनी के मैसर्स टोयो इंजीनियरी कार्पोरेशन और मैसर्स उधे कन्सल्टेन्ट्स को सम्पूर्ण सर्वेक्षण के लिए नियुक्त किया है। वह इस बात का पता लगाएंगे कि इस संयंत्र में सुधार आदि पर कितनी लागत आएगी। किन्तु उनका जवाब है कि प्रश्न ही नहीं उठता।

मैं नहीं जानती कि पहला जवाब मन्त्री महोदय ने दिया था या बिन तुगलक ने। महोदय, मुझे आपकी मदद चाहिए। महोदय, मेरे राज्य के लिए यह एक महत्वपूर्ण और नाजुक विषय है। मैं आपसे जानना चाहती हूं चूंकि आपने हमें कई बार आश्वासन दिया, कि आप यह सर्वेक्षण पूरा होने पर ही

कोई निर्णय लेंगे फिर आप यह उत्तर कैसे दे सकते हैं। मैं आपसे स्पष्ट उत्तर चाहती हूं। मैं जानना चाहती हूं कि क्या सरकार को पश्चिम जर्मनी के टोयो इंजीनियरिंग कार्पोरेशन और मैसर्स उधे कन्सलटेन्ट्स से पश्चिम बंगाल में एच० एफ० सी० संयत्र के पुनर्वास के लिए 988 करोड़ रुपए देने के बारे में कोई सिफारिश प्राप्त हुई है।

श्री आर० प्रभु : महोदय, मैं माननीय सदस्या को यह बता दूं कि हमारा उत्तर विशेष प्रश्न से संबंधित है। प्रश्न यह था कि क्या अब तक कोई निवेश किया गया है। जवाब था "जी, नहीं"। इसका अर्थ यह हुआ कि अब तक कोई निवेश नहीं किया गया।

मै माननीय सदस्य से सहमत हूं कि हल्दिया पूर्वोत्तर क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण संयंत्र है और इसी वजह से इसके दो भागो के लिए हमने दो परामर्शदाता नियुक्त किये थे, जापान के टोयो इंजीनियरिंग कारपोरेशन को अमोनिया, यूरिया तथा मेथेनोल के प्रारम्भ से अन्त तक सर्वेक्षण के लिए नियुक्त किया गया था। तथा पश्चिम जर्मनी के मैसर्स उधे को फास्फेटिक के लिए नियुक्त किया गया था जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड, फासफोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अमोनियम सल्फेट तथा अमोनियम नाइट्रो फोसफेट शामिल है।

इन दोनो अध्ययनों के निष्कर्ष सरकार के पास हैं। प्रारम्भ से अन्त तक का सर्वेक्षण कर लिया गया है। उन्होंने अपनी सिफारिशें दे दी है। संयत्र मे कुल पूजी निवेश 1046 करोड़ रुपये है अमोनिया, यूरिया तथा मेथेनोल के लिए निवेश 299.18 करोड़ रुपये होगा जिसमे 84.04 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा भी शामिल है। फास्फेरिक श्रेणी मे प्रथम चरण में 123.88 करोड़ रुपये का निवेश होगा तथा दूसरे चरण मे 75.29 करोड़ रुपये का इस तरह कुल पूंजी निवेश 501.91 करोड़ रुपये होगा। 1046 करोड़ रुपये मे 543.93 करोड़ रुपये की वह राशि भी शामिल है जो आज तक की तारीख मे हल्दिया को दी गई है।

अतः सरकार प्रारम्भ से अन्त तक के सर्वेक्षण के निष्कर्ष को देख रही है। आर्थिक रूप से यह निर्णय लेना अत्यन्त कठिन है क्योंकि इस कीमत पर हल्दिया को पुनः चालू करने के लिए यूरिया तथा अमोनिया के लिए सरकार को जो निर्धारित मूल्य देना होगा वह बहुत ज्यादा है। सच तो यह है कि अमोनिया का निर्धारित मूल्य 12139 रुपये प्रति टन और यूरिया का 741 रुपये प्रति टन होगा। यह अनोला मे हाल ही मे स्थापित किये गये गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र के विपरीत है जिसका निर्धारित मूल्य लगभग 3600 रुपये है। इसलिए इसमें बहुत ज्यादा अन्तर है।

अतः आर्थिक रूप से यह निर्णय लेना बहुत अधिक कठिन होगा। और सरकार अभी भी इस पर विचार कर रही है। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि हम सभी पहलुओं पर उचित रूप से विचार करेंगे तथा व्यापक निर्णय लेंगे।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय हम जानते हैं कि निर्णय में देरी करना निर्णय न देना है। 1986 से उत्पादन कार्य बन्द पड़ा है। सलाहकार फर्मों ने प्रस्ताव किया है कि दिसम्बर तक सरकार को पूंजी निवेश करना चाहिए ताकि इस संयंत्र को पुनः चालू किया जा सके। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हू कि अन्तिम निर्णय लेने में वह कितना समय लगायेंगे। क्या वे 20वीं सदी में ही पैसा लगायेंगे या 21वीं सदी मे निवेश करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : अब हम सदियों में बात करने लगे हैं।

श्री आर० प्रभु : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि हल्दिया संयंत्र अक्तूबर, 1986 से बन्द पड़ा है। परन्तु 1900 के लगभग कार्यरत कर्मचारियों को सरकार प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ रुपये के लगभग पगार दे रही है। हल्दिया की स्थिति के बारे में मैं माननीय सदस्य तथा सदन को जानकारी देना चाहूंगा। हल्दिया संगंत्र लगाने के बारे में 1971 में सोचा गया था। यान्त्रिक रूप से यह 1979 यानि कि पूर्ण होने की तारीख से साढ़े तीन वर्ष पश्चात् तैयार हुआ था। 1979 में पश्चिम बंगाल ने अपने वायदे के मुताबिक बिजली नहीं दी। अत: सरकार द्वारा केपटिव विद्युत संयंत्र लगाने के लिए और तीन वर्ष का समय लगा। उसके बाद इसने काम करना शुरू किया। परिक्षण के तौर पर चला कर देखा गया, मशीनरी में कुछ खराबी पाई गयी क्योंकि जैसा कि ममता जी कह रही थी कि न्याय करने में देर करने का अर्थ है न्याय न देना है। जब संयंत्र चालू करने के लिए तैयार है और चालू नहीं किया जा रहा है, तथा इसे तीन वर्षों बाद चलाया जाता है तो इसमें खराबी तो अवश्य ही आयेगी क्योंकि श्रमिकों में एक प्रकार की लापरवाही आ जाती है।

सिर्फ इतना ही नहीं। वहां पर श्रमिक स्थिति कुछ उग्र है। मैं नहीं कह रहा कि वे हड़ताल पर जा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि वह ऐसा कुछ कर रहे हैं। परन्तु मैं वहां पर हुई एक घटना का उल्लेख करूंगा। ऑपरेटस संयंत्र को छोड़ कर चले गये काम वहीं छोड़ कर चले गये। इसकी वजह से आक्सीजन गैस का टांका टूट गया तथा एक आक्सीजन कम्प्रेसर जल गया। स्थिति यह है। बहुत सी आलोचनाएं की गई कि प्रौद्योगिकी अच्छी नहीं है तथा मशीनरी अच्छी नहीं है। मैं सदन को बताऊंगा कि मशीनरी ठीक हैं तथा प्रोद्योगिकी भी बिल्कुल ठीक है। हो सकता है यह नवीनतम प्रौद्योगिकी न हो; लेकिन वहां पर ऐसी स्थिति इसलिए है क्योंकि रख-रखाव ठीक नहीं है, तथा मरम्मत समय पर नहीं की जाती, तथा वहां पर ठोक से काम नहीं कराया जाता।

श्री सत्यगोपाल मिश्र : हल्दिया की स्थिति के बारे में माननीय मंत्री ने जो कुछ कहा वह सही नहीं है। दो आक्सीजन कम्प्रेशर फुंक गये ऐसा श्रमिक समस्या के कारण नहीं हुआ। कारणों का पता लगाने के लिए कुछ विशेषज्ञों को लगाया गया था, लेकिन कोई कारण नहीं पाया गया। अब वे सारा का सारा दोष श्रमिकों पर लगा रहे हैं। यहां मैं आपको याद दिला दूं कि हिन्दुस्तान उर्वरक कार्पोरेशन (हल्दिया) में मजदूर संघ आपका है।

मेरा प्रश्न है कि इन दो परामर्शदाताओं ने विशेष रूप में सिफारिश की थी कि इस संयंत्र को चालू करने के लिए 502 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। यदि आप पूंजी निवेश के बारे में निर्णय अभी नहीं करते तो एक अप्रैल, 1989 से काम कैसे शुरू होगा, क्योंकि इस बीच कुछ औपचारिकतायें भी पूरी करनी हैं। निविदायें आमंत्रित करनी हैं और कुछ और भी तकनीकी बातें हैं? इसलिए मेरा मुद्दा यह है कि पूंजी निवेश के बारे में निर्णय अविलम्ब लिया जाना चाहिए। आपने इन परामर्शदाताओं को नियुक्त नहीं किया। वे आपको यह रिपोर्ट दे रहे हैं। अब आप सो रहे हैं। यह समय चुप बैठने का नहीं है। आपको पूंजी निवेश के बारे में निर्णय अभी लेना होगा। इस बारे में आप क्या कर रहे हैं। मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

श्री आर० प्रभु : विदेशी परामर्शदाता प्रारम्भ से अन्त तक की सर्वेक्षण रिपोर्ट देते हैं इसका अर्थ यह नहीं कि निवेश के बारे में निर्णय सरकार स्वत: ही ले ले। जैसा कि महोदय, मैंने कहा कि यह निर्णय लेना आर्थिक दृष्टि से कठिन है क्योंकि निर्धारित मूल्य जो हम यूरिया या अन्य उत्पादों के लिए देते हैं वह आधुनिक, गैस पर आधारित संयंत्रों से तीन या चार गुना ज्यादा हैं। परन्तु मैं यह नहीं कह रहा कि हम संयंत्र को पुनः चालू नहीं कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूं कि हम व्यापक

निर्णय लेने जा रहे हैं, हमें कुछ और समय दीजिए, क्योंकि हमें सभी पहलुओं को देखना है और फिर निर्णय लेंगे। क्योंकि हम देशवासियों से हस्तिया स्विस संघ की आर्थिक सहायता के लिए नहीं कह सकते।

बीज उत्पादन और वितरण हेतु विशेषज्ञ दल का गठन

*106. श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बीज उत्पादन और वितरण के विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो दल की रचना क्या है; और

(ग) वह दल सरकार को अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर देगा ?

[हिन्दी]

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) बीज सम्बन्धी विशेषज्ञ दल के गठन की एक प्रति विवरण के रूप में सभा पटल पर रख दी गयी है।

(ग) ऐसी आशा है कि बीज सम्बन्धी विशेषज्ञ दल जून, 1989 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा।

विवरण

बीज संबंधी विशेषज्ञ दल का गठन

1. श्री के० राममूर्ति 3, फोरेस्ट पार्क, भुवनेश्वर (उड़ीसा)	—	अध्यक्ष
2. डा० एम० वी० राव, विशेष महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि भवन, नई दिल्ली।	—	सदस्य
3. डा० एस० एस० खन्ना सलाहकार (कृषि) योजना आयोग योजना भवन, नई दिल्ली।	—	सदस्य

4. श्रीमती ऊषा वोहरा — सदस्य
अपर सचिव,
कृषि और सहकारिता विभाग,
कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली।

5. श्री टी० सी० ए० श्रीनिवासरामानुजन — सदस्य
वित्तीय सलाहकार,
कृषि और सहकारिता विभाग,
कृषि मंत्रालय,
नई दिल्ली।

6. श्री के० राजन, — सदस्य
सचिव (कृषि),
महाराष्ट्र सरकार
बम्बई।

7. श्री जे० के० अरोरा, — सदस्य
संयुक्त सचिव,
भारत सरकार,
कृषि और सहकारिता विभाग,
कृषि मन्त्रालय,
नई दिल्ली।

8. डा० टी० वी० सम्पत, — सदस्य
कृषि आयुक्त,
कृषि और सहकारिता विभाग,
कृषि मन्त्रालय, नई दिल्ली।

9. डा० आर० एस० परोडा, — सदस्य
उप-महानिदेशक (सी० एस०)
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद,
कृषि भवन, नई दिल्ली।

10. डा० डी० एस० सिद्धू, — सदस्य
प्रोफेसर मार्केटिंग,
कृषि विभाग,
अर्थ शास्त्र, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय
लुधियाना (पंजाब)

11. प्रोफेसर सुशील के० मुखोपाध्याय — सदस्य
अर्थ शास्त्र के प्रोफेसर और
मानव संसाधन विकास केन्द्र के निदेशक,

अर्थशास्त्र विभाग, कल्याणी विश्वविद्यालय,
कल्याणी-741235 (पश्चिम बंगाल)।

12. प्रबन्ध निदेशक, — सदस्य
राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड,
बीज भवन, पूसा कम्पलेक्स,
नई दिल्ली-110012

13. डा० वाई० योगेश्वर राव — सदस्य
प्रबन्ध निदेशक
आन्ध्र प्रदेश राज्य बीज विकास निगम लि०
11-5-471/1, रेड हिल्स,
हैदराबाद-500014

14. डा० जी० एस० कालरा, — सदस्य
उप महा-प्रबन्धक (तकनीकी),
तकनीकी सेवा विभाग.
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक,
पी० बा० संख्या 6552,
डा० ऐनी बेसेंट रोड,
वर्ली, बम्बई-400018

15. श्री जी० रंगाराव — सदस्य-सचिव
संयुक्त सचिव,
भारत सरकार
कृषि और सहकारिता विभाग,
कृषि मन्त्रालय, नई दिल्ली।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : माननीय अध्यक्ष जी, बीज का वितरण और उत्पादन दोनों ही पूरे देश में असन्तोषकारक हैं और यह एक ज्वलन्त प्रश्न है। प्रमाणित बीज के नाम पर किसानों को जो बीज दिये गये हैं वह नकली थे और उगे नहीं इससे किसानों की हालत खराब हो गई और उन्हें ऐसी विषम परिस्थितियों का मुकाबला करना पड़ा। इसके अलावा बीज के भाव बहुत ज्यादा हैं। जो स्टडी ग्रुप है यह बीज के भावों की दिशा में प्रयत्न कर रहा है या नहीं ? आप बीज किस भाव से खरीदते हैं और किस भाव से बेचते हैं विशेषकर कपास का बीज किस भाव में खरीदकर किस भाव पर बेचते हैं ? इसमें कम से कम दस गुना का फर्क है।

श्री श्याम लाल यादव : यह विशेषज्ञ दल पांच जिन्स के बीजों के लिए नियुक्त किया गया था गेहूं, धान, मक्का, चना और अरहर। इनके उत्पादन और वितरण के सम्बन्ध में उसे सुझाव देने थे। इसके लिए जो विषय निर्धारित किया गया था जिन पर अपनी राय देनी थी उनमें अनुसन्धान की पर्याप्तता और अभिवृद्धि की जांच करना, समूचे देश में इनके उत्पादन और प्रमाणित बीज कार्यक्रमों का कौन सा कार्यक्रम है और राष्ट्रीय बीज निगम तथा राज्यों के बीज निगमों को प्रभावी ढंग से वितरण पद्धति की जांच करना और उत्पादन तथा वितरण में समन्वय स्थापित करना, उन्नत बीजों की

उचित कीमत के तरीके सुझाना। इस सम्बन्ध में उन्होंने अन्तरिम रिपोर्ट दी है इस जून में, जिस पर कुछ निर्णय विचाराधीन है और बाकी अगले जून तक रिपोर्ट देने की उम्मीद है। इसलिए अन्तरिम रिपोर्ट पर अन्तिम रूप से कोई फैसला नहीं हुआ है।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : मैंने प्रश्न पूछा था महंगे बीज देने के सम्बन्ध में यह खरीदते हैं पांच रुपये किलो और बेचते हैं पचास रुपये किलो। यह जो इतने ज्यादा भाव है इन पर स्टडी ग्रुप द्वारा क्यों नहीं अध्ययन करवाया। आप स्वयं प्रोग्रेसिव फारमर हैं। जो विशेषज्ञों का ग्रुप बनाया और वह इतना समय ले रहा है, 15 सदस्यों का यह दल है लेकिन इसमें डाक्टर और नौरकशाह ही हैं, किसानों का कोई प्रतिनिधि नहीं है। जबकि बीज क्यों नहीं उगा, उसमें क्या कमी है यह बेहतर रूप से किसान ही बता सकता है। आप 1989 में रिपोर्ट दे रहे हैं, इसमें कम से कम पांच किसानों के प्रतिनिधि तो लें।

अध्यक्ष महोदय : आप कम से कम क्यों कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा कहिए।

कृषि मन्त्री (श्री भजन लाल) : राष्ट्रीय बीज निगम जो बीज पैदा करता है वह नो प्रोफिट और नो लास में किसानों को बीज देता है और ओवर आल हिसाब लगायें तो राष्ट्रीय बीज निगम घाटे में रहता है, फायदे में नहीं। इसके बीज पैदा करने का मतलब यही है कि किसानों को अच्छे क़िस्म का बीज दिया जाए। दूसरा इन्होंने कहा कि इसमें किसानों के नुमाइन्दे नहीं हैं। इसमें जो सदस्य हैं वह बड़े साइंसदां और एक्सपर्ट लोग हैं जो किसानो से ताल्लुक रखने वाले हैं। इसके चेयरमैन श्री के० राममूर्ति हैं जो उड़ीसा के रिटायर्ड मुख्य सचिव हैं···मेरे कहने का मतलब यह है कि···**(व्यवधान)**··· आप सुन तो लीजिए···**(व्यवधान)**···सुनने की कृपा कीजिए एक मिनट···**(व्यवधान)**··· अध्यक्ष महोदय, कोई भी आई० ए० एस० या सियासी आदमी कहीं आसमान से तो नहीं गिरता सीधा, वह किसी न किसी के घर पैदा हुआ होगा, किसी किसान के घर पैदा हुआ होगा। जब कोई आदमी किसी किसान के घर पैदा हुआ हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वह भी किसान की श्रेणी में आ जाता है, फिर जिसके पास बी० एस० सी० एग्रीकल्चर की उपाधि हो वह तो वैसे ही किसान है। हमारे बहुत से अधिकारी ऐसे हैं, जो किसानों के घरों में पैदा हुए हैं, बहुत से सियासी आदमी भी किसानों के घरों में पैदा हुए हैं। मैं अध्यक्ष महोदय, सदन को यह भी बता देना चाहता हूं कि इस विशेषज्ञ दल में बहुत से कृषि वैज्ञानिक हैं, बहुत से कृषि के साइंसदान हैं···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, एक मेरी बात भी सुनिये। जहां तक मैं समझा हूं माननीय सदस्य के कहने का तात्पर्य यह है कि जिस आदमी ने अपने हाथ से खेती न की हो उसे उतना ज्ञान नहीं हो सकता जितना एक किसान को हो सकता है। आप इस बात को भी दृष्टि में रखिये और थोड़ा सा उसका पता करिये। जैसा आप कहते हैं, वह भी ठीक है, लेकिन दोनों का यदि सामन्जस्य हो जाए तो बेहतर होगा।

श्री भजन लाल : मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि जो व्यक्ति अपने हाथ से खेती नहीं करता उसे उतना ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता क्योंकि उसे शायद पूरी जानकारी नहीं हो पायेगी, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं मान सकता कि जैसे बहुत से आई० ए० एस० डायरैक्टर एग्रीकल्चर लग जाते हैं, सैक्रेटरी एग्रीकल्चर लग जाते हैं, किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर लग जाते हैं तो रिटायर होने के बाद, उस उम्र तक पहुंचते-पहुंचते उन्हें इतना ज्ञान हो जाता है कि एक नये बी०एस०सी० एग्रीकल्चर से भी अच्छी बात आपको बता सकते हैं, इसे मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। इतनी ऐज तक उन्हें इतना अनुभव हो जाता है, ज्ञान हो जाता है कि वह आपको बेहतर सलाह दे सकते हैं। इस विशेषज्ञ

दल में बाकी मैम्बर्स भी कृषि वैज्ञानिक, कृषि साइंसदान हैं जो एक-एक बात देखेंगे कि किस तरह विभिन्न गतिविधियों में तालमेल किया जाये, एन० एस० सी०, सीड कार्पोरेशन, सीड बनाने वालों के साथ मिलकर, मुल्क में कौन से सीड की आवश्यकता है, उसे ज्यादा पैदा किया जाये और सब-कुछ देखकर जून तक अपनी रिपोर्ट देंगे।

[अनुवाद]

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : हमारे देश में कृषि उत्पादन में कम वृद्धि होने का एक मुख्य कारण उच्च किस्म के बीजों की अपर्याप्त आपूर्ति है। चीन में किसानों को उनकी बीजों की आवश्यकता का अधिकांश भाग आधार बीज से पूरा किया जाता है न कि प्रमाणित बीज से। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सरकार किसानों को उपलब्ध कराये जाने के लिये आधार बीजों का उत्पादन बढ़ाने या उसमें अत्यधिक वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठा रही है। मैं सरकार से यह भी स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि विकसित देशों में सरकारें अथवा निजी संस्थान बायोतकनालोजी में अनुसंधान और विकास पर इतना धन लगा रहे हैं, जिससे देश में बहुत से परिवर्तन हो सकते हैं। जब तक हम भी इस दिशा में अधिक मात्रा में धन नहीं लगाते, हमें बहुत हानि हो सकती है और हमारे किसानों को गम्भीर स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि सरकार उस स्थिति से निपटने के लिए बायोतकनालोजी सम्बन्धी अनुसंधान और विकास पर अधिक धन खर्च करके कौन से उपाय कर रही है ?

श्री श्याम लाल यादव : सरकार आधार बीजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए और उन्हें किसानों को सप्लाई करने के लिए सभी कदम उठा रही है। हमारे तकनीकी संस्थान, विश्वविद्यालय, इस काम में संलग्न हैं। मेरे विचार में इस कार्य के लिए धन की कोई कमी नहीं है। निजी कम्पनियां भी ये काम कर सकती है। उन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। इसीलिए नई बीज नीति घोषित की गई है। उसमें निजी कम्पनियों को कुछ शर्तों पर बीजों की आवश्यक मात्रा का आयात करने की सुविधा भी है। समिति इस सम्बन्ध में सुझाव दे रही है। आधार बीजों की सप्लाई सभी किसानों को नहीं की जा सकती। ऐसे बीज केवल प्रगतिशील किसानों को ही दिये जा सकते है जो उनकी मात्रा में वृद्धि करके उन्हें अन्य साधारण किसानों को दे सकें। अतः आधार बीज की मात्रा सदैव सीमित रहती है। बाद में इन्हें विकसित करके इनकी मात्रा बढ़ाई जा सकती है। केवल तभी हमें यह बड़े पैमाने पर उपलब्ध हो सकते हैं। राष्ट्रीय बीज निगम, राज्य बीज निगम तथा राज्य फार्म निगम भी बीजों का उत्पादन करके किसानों को सप्लाई कर रहे हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बीजों की कीमत बहुत अधिक है, सरकार तथा किसानों की सहायता के लिए भारत के किसी भाग में से दो उपयुक्त किसानों को इस समिति के अतिरिक्त सदस्य के तौर पर नियुक्त करने में काफी विलम्ब हो चुका है ? उदाहरण के तौर पर मूंगफली को लें। इसकी कीमत कम की जानी चाहिए।

श्री श्याम लाल यादव : माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त की गई भावना को ध्यान में रखते हुए सरकार इस सुझाव पर विचार करेगी।

भारतीय छात्रों को ब्रिटेन द्वारा छात्रवृत्तियां

*107. श्री पी० एम० सईद :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटेन द्वारा कितने भारतीय छात्रों को इस समय कितनी-कितनी छात्रवृत्ति मिल रही है और ये छात्रवृत्तियां किन विषयों के लिए दी जा रही हैं;

(ख) क्या ब्रिटिश सरकार द्वारा इन छात्रवृत्तियों की संख्या में वृद्धि की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल०पी० शाही) : (क) ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय छात्रों को प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्तियों की संख्या निर्धारित नहीं है। प्रत्येक वर्ष में विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत भारतीय छात्रों को 40 से 50 तक के बीच छात्रवृत्तियां प्रदान करते हैं। छात्रवृत्ति की भुगतान की राशि और जिन विभिन्न विषयों के लिए ये उपलब्ध हैं, उन्हें दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) जी, हां। एक योजना अर्थात विदेश और राष्ट्रमंडल छात्रवृत्ति योजना, जिसे भारत सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है, के लिए छात्रवृत्तियों की संख्या, "नेहरू शताब्दी वर्ष" में ब्रिटिश सरकार के अंशदान के रूप में 1989-90 से 4 से बढ़ाकर 24 कर दी गई है।

विवरण

क्र० सं०	योजना का नाम	प्रस्तावित छात्रवृत्तियों की संख्या	दी गई राशि	विषय	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	राष्ट्र मंडल छात्र-वृत्ति और शिक्षा-वृत्ति योजना	अनिर्धारित (प्रति वर्ष लगभग 30-40 छात्रवृत्तियां)	1 सितम्बर, 1988 से ब्रिटिश सरकार द्वारा राष्ट्र मंडल के अध्येताओं के लिये निम्नलिखित वजीफा दरें और अन्य भत्ते दिये जा रहे हैं।	(क) **औषधि** कैंसर अनुसंधान (कैंसर मरक-विज्ञान सहित)	
			(क) प्रति माह 367 पौंड की दर से व्यक्तिगत अनुरक्षण भत्ता।	कार्डियोलाजी, गायतैकलाजी और न्यूरोसर्जरी	
			(ख) ब्रिटेन जाने के लिए और छात्रवृत्ति की समाप्ति पर वापसी के लिए अनुमोदित हवाई किराये या विद्यार्थी	(ख) **इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी** सूचना प्रौद्योगिकी, शब्द प्रक्रिया, आंकड़ा प्रक्रिया	

1	2	3	4	5	6
			रियायतें। (सामान्यतया छात्रवृत्ति मिलने से पहले की गई यात्राओं के खर्चे की प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी और न ही छात्र के आश्रितों के लिए शुल्क का भुगतान किया जायेगा)। (ग) अनुमोदित शिक्षा और परीक्षा शुल्क। (घ) अध्ययन के प्रथम वर्ष के दौरान 204 पौंड उपकरणों और पुस्तकों का अनुदान और द्वितीय वर्ष के लिए 125 पौंड और सामान्यतया जहां अनुमत्य हो शोध प्रबन्ध के टंकण और जिल्दबन्धन के खर्चे के लिए सामान्यत: 200 पौंड से अधिक अनुदान नहीं दिया जायेगा। (ङ) ब्रिटेन में अनुमोदित अध्ययन यात्रा के खर्चों के लिए	और सूक्ष्म इलेक्ट्रोनिक्स उपयोग इलेक्ट्रानिक्स पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग, समुद्र इंजीनियरिंग, कागज प्रौद्योगिकी, दूरस्थ चेतना प्रौद्योगिकी सहित संगणक अध्ययन संचार इंजीनियरिंग संचार उपग्रह, दृष्टि तन्तु संचार और आंगुलिक संप्रेषण जीव प्रौद्योगिकी विज्ञान (आतुणशिक इंजीनियरिंग, आनुवंशिक परिचालन) यन्त्रीकरण/पेट्रोरसायन से सम्बन्धित प्रक्रिया नियन्त्रण, सूक्ष्म प्रोसेसर प्रौद्योगिकी सहित, शेबोटिक्स, बहुत बड़े पैमाने पर समेकन, कृत्रिम बुद्धि और कोटि/	

1	2	3	4	5	6
			एक अनुदान ।	विश्वसनीयता इंजीनियरिंग ।	
			(झ) उष्ण कटिबन्धीय देशों से आने वाले उन छात्रों के लिए 160 पौंड का प्रारंभिक वस्त्र अनुदान जिनको इसे पाने के लिए सिफारिश की गई है।		
			(ञ) विवाहित छात्रों के लिए 184 पौंड प्रति माह का विवाह भत्ता बशर्ते पति-पत्नी ब्रिटेन में एक ही समय पर एक साथ रह रहे हों।	(ग) विज्ञान (शुद्ध और प्रयुक्त) जीव-रसायन, संगणक विज्ञान, गणित, आणविक जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान और भौतिकी (सालिड स्टेट/क्वांटम)।	
			(ट) यदि छात्र के पति या पत्नी को भी कोई छात्रवृत्ति मिल रही हो या फिर वो ऐसे रोजगार में हो जिसमें भुगतान किया जाता है तो ये भत्ता नहीं दिया जाएगा। जहां दम्पति अपने बच्चों के साथ हों वहां 16 वर्ष से कम आयु के पहले दूसरे और तीसरे बच्चों के लिए क्रमशः भत्ता	(घ) कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र पशुपालन, कृषि शास्त्र, खाद्य प्रौद्योगिकी, वन अर्थशास्त्र और बागवानी।	
				(ङ) मानविकी और सामाजिक विज्ञान मानव शास्त्र (शारीरिक और सामाजिक) पुरातत्व, अर्थशास्त्र, विकास/	

1	2	3	4	5	6
			क्रमश: 24 पौंड 20.5 पौंड और 13 पौंड प्रति मास की दर से देय होगा, बशर्ते वे अपने माता-पिता के साथ रह रहे हों। उस अध्येता के लिए जो विधुर/विधवा अथवा परित्यक्ता है और विवाह के बाद जन्मे बच्चों के लिए उत्तरदायी है, बाल भत्ता देय होगा बशर्ते वे उनके साथ रहते हैं। उन अध्येताओं के लिये चाहे वह विवाहित हो अथवा अकेला जिनकी छात्रवृत्तियां अध्ययन के तीसरे वर्ष के लिए बढ़ाई गई है। और जिन्हें विवाह अथवा बाल भत्ता नहीं मिला है अथवा मिल नहीं रहा है उन्हें उनकी छात्रवृत्ति की अवधि के दौरान एक बार ब्रिटेन से अपने गृह देश तक वापसी यात्रा भत्ता दिया	शिक्षा शास्त्र अंग्रेजी भाषा और साहित्य, ललित कलाएं (पश्चिमी पेंटिंग्स, कला इतिहास, आलेखी डिजाइन एवं मूर्ति कला) इतिहास, पुस्तकालय विज्ञान, संग्रहालय, दर्शन शास्त्र, वैज्ञानिक संरक्षण समाज शास्त्र [और मनोविज्ञान।	

1	2	3	4	5	6
			जाएगा। इस यात्रा की अवधि 4 सप्ताह से अधिक नहीं होगी। इन परिलब्धियों पर ब्रिटेन में आयकर नहीं लगेगा।		
2.	विदेशी एवं राष्ट्र मंडल छात्रवृत्तियां	(वर्ष 1989-90 से छात्रवृत्तियां बढ़ाकर 24 कर दी गईं)	—वही—	1. भारतीय अध्ययन दल विश्वविद्यालय में विशेष रूप से 2. अन्तर्राष्ट्रीय सम्बद्ध 3. जन माध्यम/पत्रकारिता/संचार अध्ययन 4. कानून 5. अंग्रेजी साहित्य 6. तत्कालीन इतिहास 7. राजनीति विज्ञान 8. अर्थ शास्त्र 9. संगणक विज्ञान 10. इलेक्ट्रोनिक्स 11. गणित 12. शारीरिक विज्ञान	ब्रिटिश सरकार "नेहरू एक शताब्दी वर्ष" के प्रति योगदान के रूप में नेहरू शताब्दी ब्रिटिश शिक्षा वृत्ति नामक 20 अतिरिक्त शिक्षावृत्तियां शुरू करेगी। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश सरकार कुछ विश्वविद्यालयों को बराबर के आधार पर निधि प्रदान करेगी जिनका भारत के साथ सम्पर्क है ताकि उन विश्वविद्यालयों में अधिक भारतीय छात्रों की सहायता की जा सके। इस सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विश्वविद्या-

1	2	3	4	5	6
					लयों में से ओक्सफोर्ड विश्वविद्यालय एक है इन छात्रवृत्तियों को "राधाकृष्ण छात्रवृत्तियों" के नाम से आमंत्रित की जायेगी जो सर्वाधिक विशिष्ट भारतीय विभूतियों में से एक थे। इन छात्रवृत्तियों के लिये चयन भारत में रहोड्स छात्रवृत्ति चयन समिति के द्वारा किया जायेगा। ब्रिटिश सरकार ने छात्रवृत्तियों की ठीक संख्या नहीं बताई है जिनके लिये बराबर की राशि प्रदान की जायेगी।
3.	जवाहर लाल नेहरू स्मारक न्यास (यू० के०) छात्रवृत्ति		2 (i) जीविका और व्यक्तिगत खर्चों के लिए मासिक वजीफा (वर्तमान 402 पौंड) दैनिक यात्रा को मिलाकर	1. धातु विज्ञान 2. लेजर भौतिकी 3. अपटो इलेक्ट्रानिक्स 4. इलेक्ट्रानिक्स उपकरण 5. माइक्रो इलेक्ट्रानिक्स	

1	2	3	4	5	6
			(ii) पुस्तकों के लिए अतिरिक्त भत्ते (130 पौंड) कपड़े (141 पौंड) आगमन (130 पौंड) और प्रस्थान व्यय (145 पौंड) (iii) अनुमोदित अध्ययन, यात्रा और परियोजना लागत की प्रतिपूर्ति। (इसका भुगतान सीधे प्रशिक्षण संस्था को किया जायेगा) (iv) आश्रितों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। पुरस्कार की राशि प्रति-वर्ष मुद्रास्फीति से समायोजित की जाती है। यात्रा लागत भारत से यू० के० तथा	6. संगणक विज्ञान 7. जीव-प्रौद्योगिकी 8. इकनोमेट्रिक्स 9. प्रबन्ध 10. जन संचार	

1	2	3	4	5	6
			वापिस तक की यात्रा की लागत भारत सरकार द्वारा वहन की जायेगी।		
4.	ब्रिटिश तकनीकी सहयोग प्रशिक्षण कार्यक्रम	आवंटित स्लौटस 15 वास्तविक प्रदान की गई छात्रवृत्तियां 5 से 7	1. भारत से यू० के० और वापसी दोनों तरफ की हवाई यात्रा लागत। 2. प्रति मास 367 पौंड की दर से अनुरक्षण भत्ता (श्रेणी-ख) परन्तु आवासीय पाठ्यक्रमों के लिए विशेष दैनिक भत्ता 3.40 पौंड की दर से दिया जायेगा।	प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय और ब्रिटिश परिषद के बीच परामर्श के बाद विषय निर्धारित किए जाते हैं। वर्ष 1987-88 के लिए विषय निम्नलिखित थे :— 1. तकनीकी अध्यापक (शिक्षक) 2. व्यवसायिक अध्यापक (शिक्षक) 3. शिक्षण आयोजन	

1	2	3	4	5	6
5.	ब्रिटिश औद्योगिक समुन्द्रपार छात्र-वृत्ति संघ	2	1. अनुरक्षण भत्ता प्रति वर्ष 5,100 पौंड (42 पौंड प्रति मास) 2. भारत से यू० के० और वापसी तक की यात्रा लागत स्वयं छात्रों द्वारा और/अथवा उनके नियोक्ताओं द्वारा वहन की जायेगी। निधियां उपलब्ध होने की स्थिति में भारत सरकार यात्रा लागत भी वहन करेगी बशर्ते उम्मीदवार नियमों के अन्तर्गत इसके लिए पात्र हों।	5. स्कूल परीक्षा विकास 1. इलेक्ट्रिकल्स इंजीनियरिंग 2. मकेनिकल इंजीनियरिंग	

श्री पी० एम० सईद : अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी माननीय मंत्री जी ने भाग (ख) और (ग का जवाब देते हुए भारत सरकार द्वारा संचालित विदेश और राष्ट्र मण्डल छात्रवृत्ति योजना उल्लेख किया और बताया कि उनकी संख्या बढ़ाकर 4 से 24 कर दी गई है। पृष्ठ 4 पर उन्हों कहा है कि ब्रिटिश सरकार ने उन छात्रवृत्तियों की ठीक-ठीक संख्या नहीं बताई है, जिनके लिए वे बरा की राशि प्रदान करेंगे। क्या माननीय मंत्री महोदय स्थिति को स्पष्ट करेंगे? अब मेरा पहला प्र यह है कि उन भारतीय छात्रों के चयन के लिये क्या पद्धति अपनाई जाती है जिन्हें ब्रिटेन में पढ़ने लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा छात्रवृत्ति दी जाती है।

श्री एल० पी० शाही : महोदय, मैं आपकी अनुमति से इसे विस्तार से बताता हूं। भारती छात्रों को ब्रिटेन में पढ़ने के लिये विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। इनमें से एक राष्ट्रमंड छात्रवृत्ति और फेलोशिप योजना है; दूसरी विदेश और राष्ट्रमंडल छात्रवृत्ति है, तीसरी जवाहर ला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट (ब्रिटेन) छात्रवृत्ति है चौथी ब्रिटिश टेक्नीकल को-आपरेशन टेक्नीकल प्रोग्रा है और पांचवीं कनफेडरेशन आॅफ ब्रिटिश इण्डस्ट्री ओवरसीज छात्रवृत्ति है। जहां तक दूसरी छात्रवृ का सम्बन्ध है, जिसके बारे में माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है, वह है, विदेश और राष्ट्रमंडल छात्र वृत्ति। ब्रिटिश सरकार ने अपने कुछ विश्वविद्यालयों को ऐसी छात्रवृत्तियों के लिये धन दिया है। इस सम्बन्ध में हमें यह मालूम नहीं कि बराबर की अनुदान राशि कितनी है। किंतु जहां तक हमें उपलब्ध अन्य छात्रवृत्तियों का सम्बन्ध है, हमें तथ्यों की पूरी जानकारी है।

श्री पी० एम० सईद : महोदय, क्या मैं मंत्री महोदय को बता सकता हूं कि प्रतिभा पलायन हमारी समस्याओं में से एक है। जब ऐसे पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों का चयन किया जाता है तो पाठ्यक्रम समाप्त होने पर वे विदेश में ही रह जाते हैं। क्या सरकार इस बात पर बल देगी कि पाठ्यक्रम पूरा करने के पश्चात् उन्हें कुछ वर्षों के लिये भारत में ही काम करना होगा?

श्री एल० पी० शाही : महोदय, ऐसी व्यवस्था पहले से ही है। वे जब छात्रवृत्ति पर पढ़ने जाते हैं तो उसके बाद उन्हें यहां वापिस आना पड़ता है।

श्री ई० अय्यपू० रेड्डी : उत्तर से यह स्पष्ट नहीं है कि ये छात्रवृत्तियां विशेषतया भारतीयों के लिए हैं अथवा पूरे राष्ट्रमंडल के लिए निर्धारित छात्रवृत्तियों में भारतीय स्थान प्राप्त करते हैं। यह स्पष्ट करना है।

दूसरी बात यह है कि इन छात्रवृत्तियों को मंजूर करने का काम कौन कर रहा है। क्या यह कार्य भारत सरकार कर रही है अथवा विभिन्न विश्वविद्यालय स्वयं इसे कर रहे हैं?

श्री एल० पी० शाही : इस प्रश्न में दो बातें हैं। एक है छात्रवृत्ति मंजूर करने की पद्धति। जहां तक सरकारी छात्रवृतियों का सम्बन्ध है, उनकी मंजूरी भारत सरकार द्वारा की जाती है। वे समाचार-पत्रों के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करने के पश्चात् छात्रों का चयन करने के लिए समिति गठित करते हैं।

जहां तक विषय और विश्वविद्यालय का सम्बन्ध है, ब्रिटिश सरकार प्रति वर्ष प्रत्येक विषय में उपलब्ध छात्रवृत्तियों के संबंध में विज्ञापन देती है। विषयों के सम्बन्ध में रिपोर्ट से कुछ पता नहीं चलता। उसके बारे में विज्ञापन के समय पर ही पता चलता है।

सरकारी छात्रवृत्तियों की मंजूरी भारत सरकार द्वारा की जाती है। चयन भी भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

जहां तक अन्य भिजो न्यासों की छात्रवृत्तियों के लिए चयन का सम्बन्ध है, वह उनकी अपनी चयन समितियों द्वारा किया जाता है। उनकी संख्या बहुत कम है—1, 2 या 3

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा संकर बीजों का आयात

[अनुवाद]

*102. श्री नित्यानन्द मिश्र :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बीज निगम का विदेशों से संकर बीजों का आयात करके बाद में इन्हें प्रौद्योगिकी सहयोग से अपने ही देश में विकसित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन बीजों का आयात किया जायेगा और प्रयोग की जाने वाली विदेशी प्रौद्योगिकी का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन संकर बीजों को स्वदेशी तकनीक से विकसित नहीं किया जा सकता; और

(घ) इस प्रकार कब तक संकर बीजों का आयात किया जाता रहेगा और इसका भूमि की उत्पादकता तथा कृषि निवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता है।

(ग) देशी तकनीकी जानकारी से भी संकर बीजों का विकास किया गया है और किया जा रहा है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर्गत साक्षरता

*108. श्रीमती प्रभावती गुप्त :

श्री शांति लाल पटेल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में निरक्षर व्यक्तियों की संख्या का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी, राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर्गत साक्षरता की गति बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर): (क) और (ख) देश में साक्षरता आंकड़े दस-वर्षीय जनगणना कार्यक्रमों के माध्यम से एकत्र किये जाते हैं। 1981 की जनगणना के अनुसार प्रत्येक राज्य/संघ- शासित क्षेत्र में निरक्षर व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का उद्देश्य 15—35 आयु-वर्ग के 800 लाख प्रौढ़ निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना है। 1990 तक 300 लाख और 1995 तक अतिरिक्त 500 लाख। इस मिशन के कार्यान्वियन के लिये अपनाई जा रही नीतियों और अब तक किए गये उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(I) सभी स्तरों पर विशेष रूप से शिशुओं के स्तर पर प्रोत्साहित करने के लिए संपूर्ण प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की समीक्षा की गई है।

(II) प्रधान मंत्री द्वारा 5-5-88 को विज्ञान भवन में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को व्यापक रूप से गतिशील बनाने के लिये एक राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ किया गया था।

(III) जन कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत शैक्षिक संस्थाओं, शिक्षकों, छात्रों, युवकों, सैनिक तथा अर्ध-सैनिक कार्मिकों, भूतपूर्व सैनिकों, गृहणियों, नियोक्ताओं, मजदूर संघों, रेलवे और जेल प्रबन्ध कर्मचारियों को स्वैच्छिक आधार पर साक्षरता कार्य शुरू करने के लिए शामिल किया जा रहा है।

(IV) स्वैच्छिक एजेंसियों के लिये केन्द्रीय सहायता अनुदान योजना को संशोधित किया गया है, पर्याप्त रूप से सरल और उदार बनाया गया है। 1988-89 वर्ष के दौरान विभिन्न साक्षरता परियोजनाएं शुरू करने के लिये स्वैच्छिक एजेंसियों को 6.60 करोड़ रुपये की राशि संस्वीकृत की गई है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर्गत कार्यक्रम शुरू करने के लिये लगभग 500 स्वैच्छिक एजेंसियों को स्वीकृति प्रदान की गई है।

(V) नवसाक्षर फिर से निरक्षर न बन जाएं इसके लिये जन शिक्षण निलायम की एक नई योजना तैयार की गई है और विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को 10,065 जन शिक्षण निलायम संस्वीकृत किए गये हैं। उन्हें स्थापित किया जा रहा है।

(VI) प्रौद्योगिक शैक्षिक निवेशों के प्रयोग के लिये 40 जिलों का पता लगाया गया है ताकि साक्षरता कार्यक्रमों की कोटि में सुधार किया जा सके। अनेक सहयोगी एजेंसियों का पता लगाया गया है और वे सौर ऊर्जा पैकों, संशोधित ब्लैक बोर्डों, रोलर बोर्डों, स्लेटों, धूलरहित चाक तथा इलेक्ट्रानिक गैजेटों आदि जैसे अनेक प्रौद्योगिक-शैक्षिक निवेश तैयार करने संबंधी कार्य कर रहे हैं।

(VII) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण का गठन किया गया है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण स्थापित करें।

राज्यों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे राज्य तथा जिला मिशन प्रमुख नियुक्त करें।

(VIII) आवश्यक संसाधन सहयोग प्रदान करने के लिए राज्य संसाधन केन्द्रों को सुदृढ़ किया गया है और जिला संसाधन इकाइयां स्थापित की जा रही हैं।

(IX) राज्य सरकारों और विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, 30 सितम्बर, 1988 को 2,64,375 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चलाये जा रहे थे जिनमें 79.26 लाख लोगों का नामांकन था।

विवरण

क्रम सं०	भारत राज्य/संघ शासित क्षेत्र	निरक्षरों की संख्या व्यक्ति	पुरुष	महिलाएं
1	2	3	4	5
राज्य				
1.	आन्ध्र प्रदेश	37,514,855	16,466,545	21,048,310
2.	बिहार	51,593,730	22,239,088	29,354,642
3.	गुजरात	19,189,955	7,997,371	11,192,584
4.	हरियाणा	8,252,720	3,579,280	4,673,440
5.	हिमाचल प्रदेश	2,462,531	1,015,650	1,446,881
6.	जम्मू और काश्मीर	4,390,613	2,016,091	2,374,522
7.	कर्नाटक	22,852,997	9,686,351	13,166,646
8.	केरल	7,528,948	3,099,675	4,429,273
9.	मध्य प्रदेश	37,634,276	16,269,003	21,365,273
10.	महाराष्ट्र	33,163,365	13,358,623	19,804,742
11.	मणिपुर	833,335	336,775	496,560
12.	मेघालय	880,628	424,686	855,942
13.	नागालैंड	445,052	207,715	237,377
14.	उड़ीसा	17,343,066	7,041,143	10,301,923
15.	पंजाब	9,928,566	4,722,332	5,206,234

1	2	3	4	5
16.	राजस्थान	25,907,745	11,372,998	14,534,747
17.	सिक्किम	208,647	96,661	111,986
18.	तमिलनाडु	25,770,418	10,220,293	15,550,125
19.	त्रिपुरा	1,188,259	509,445	678,814
20.	उत्तर प्रदेश	80,756,753	36,020,825	44,735,928
21.	पश्चिम बंगाल	32,236,494	14,087,856	18,148,638
संघ शासित क्षेत्र				
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	91,420	44,278	47,142
2.	अरुणाचल प्रदेश	500,506	241,111	259,395
3.	चण्डीगढ़	159,030	79,148	79,882
4.	दादरा और नगर हवेली	76,021	33,443	42,578
5.	दिल्ली	2,392,080	1,087,198	1,304,882
6.	गोवा, दमन और दीव	470,978	188,719	282,259
7.	लक्षद्वीप	18,084	7,084	11,000
8.	मिजोरम	198,072	91,427	106,645
9.	पांडिचेरी	266,856	104,041	162,815
	भारत*	424,256,000	182,644,855	241,611,145

*असम की जनसंख्या को छोड़कर जहां उस समय स्थिति अशान्त होने के कारण जनगणना नहीं की जा सकी।

दिल्ली के स्कूलों में कर्मचारियों की कमी

[हिन्दी]

*109. श्री [illegible] :

श्री कमला प्रसाद सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के अनेक सरकारी स्कूलों में अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो अध्यापक और छात्रों के बीच उपयुक्त अनुपात को ध्यान में रखते हुए इन स्कूलों में अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने यह सूचित किया है कि सरकारी स्कूलों में 28126 अध्यापन पदों की संस्वीकृत संख्या में से 2050 रिक्त हैं और 6234 लिपिक वर्गीय पदों में से इस समय 417 रिक्त हैं। इनमें से, 1135 अध्यापन पद न्यायालय मामलों के कारण रिक्त हैं। इन रिक्तियों के लिए जो न्यायालय में निर्णयाधीन नहीं है, दिल्ली प्रशासन ने भर्ती के लिए कार्रवाई आरंभ कर दी है।

विशाखापत्तनम बन्दरगाह पर आयातित कोककर कोयले के भंडारण की व्यवस्था

[अनुवाद]

***110. श्री भट्टम श्रीराममूर्ति** :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के लिए वर्ष भर के आयातित कोककर कोयले के भण्डारण हेतु विशाखापत्तनम पोत न्यास की बाह्य बन्दरगाह तथा पूर्वी यार्ड स्थित सामान्य-एवं-बल्क माल घाट उपलब्ध करने का निर्णय किया गया है;

(ख) क्या इन सुविधाओं में बन्द स्थानों पर एवं खुले में भण्डारण की व्यवस्था भी शामिल है; और

(ग) प्रदूषण की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) जनरल कार्गो बर्थ का मात्र कोकिंग कोल हैंडल करने के लिये उपयोग करने अथवा सुविधाओं की प्रकृति तथा प्रदूषण नियंत्रण सम्बन्धी उपायों के बारे में अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों को पेंशन

***111. श्री अनादि चरण दास** :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भूमिहीन श्रमिकों, लघु और सीमान्त किसानों, ग्रामीण दस्तकारों, निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों और गरीबी रेखा से नीचे रह रहे अन्य गरीब लोगों को पेंशन देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए पुरुषों तथा महिलाओं की पात्रता की प्रस्तावित आयु तथा

पेंशन की धनराशि आदि का ब्यौरा क्या है और यह प्रस्ताव कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) देश में भूमिहीन श्रमिकों, लघु और सीमान्त किसानों, ग्रामीण दस्तकारों, निर्माण कार्य में लगे मजदूरों और गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे अन्य गरीब लोगों को पेंशन देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, राज्य सरकारों और संघशासित क्षेत्र की सरकारों की राज्य क्षेत्र में वृद्ध लोगों को पेंशन देने की योजनायें हैं।

उर्दू ब्यूरो सम्बन्धी सर्वेक्षण समिति

***112. श्री जी० एम० बनातवाला :**

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्दू प्रोत्साहन ब्यूरो के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम तथा इसके विचारार्थ विषयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने कोई रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

उड़ीसा में कच्चे लोहे के एक बड़े संयंत्र की स्थापना करना

***113. डा० कृपा सिंधु भोई :**

श्री हरिहर सोरन :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में कच्चे लोहे का एक बड़ा संयंत्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसे किस जगह स्थापित किया जाना है, इस पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी और इसमें कितने व्यक्तियों को रोजगार मिल सकेगा ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

गन्ने की खेती में खोज के लिए खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा भारतीय कृषक का सम्मान

***114. श्री वी० कृष्ण राव :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तथा कृषि संगठन ने एशियाई देशों में से किसी भारतीय कृषक को गन्ने की खेती के सम्बन्ध में उसकी खोज के लिये अपने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार हेतु चुना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गन्ने की खेती के क्षेत्र में यह खोज देश में गन्ने की खेती को बढ़ावा देने में कहां तक सहायक सिद्ध होगी ?

कृषि मन्त्री (श्री भजन लाल) : (क) और (ख) एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र से सम्बन्धित खाद्य और कृषि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय, बैंकाक ने भारतीय सरकार से सर्वश्रेष्ठ गन्ना उत्पादक किसान का नाम भेजने का अनुरोध किया, ताकि खाद्य और कृषि संगठन द्वारा 14 अक्तूबर, 1988 को बैंकाक में आयोजित आठवें विश्व खाद्य दिवस समारोह के एक भाग के रूप में किसान का सम्मान किया जा सके। भारत सरकार ने गन्ना उत्पादक मुख्य राज्यों से नामांकन प्राप्त करने के पश्चात तथा उनकी उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के बाद खाद्य और कृषि संगठन (एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र से सम्बन्धित खाद्य और कृषि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय) बैंकाक द्वारा किए जाने के लिए जिला शिमोगा (कर्नाटक) के एक प्रगतिशील किसान श्री डी० आर० प्रफुल्ल चन्द्र के नाम का प्रस्ताव किया।

(ग) पेड़ी (रंतून) गन्ना फसल प्रबंध में श्री डी० आर० प्रफुल्ल चन्द्र द्वारा अपनाई गई तकनीक विशेषकर देश के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में बोई जाने वाली किस्मों के लिए एक नई तकनीक है। इससे अन्य किसानों को श्री प्रफुल्ल चन्द्र की तकनीक अपनाने के प्रति प्रेरणा मिलेगी तथा अधिक उत्पादकता प्राप्त होगी, जिसके परिणामस्वरूप गन्ने का क्षेत्र बढ़ाए बगैर देश में गन्ने का उत्पादन बढ़ेगा।

राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के सम्बन्ध में गैर-सरकारी क्षेत्र का योगदान

*115. श्री अरविन्द नेताम :

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों और उन पर पुलों के विकास में गैर-सरकारी क्षेत्र का सहयोग लेने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों से सम्बन्धित मार्ग-कर आधारित स्कीमें हाथ में लेने के लिए प्राइवेट सेक्टर से प्रस्ताव आमंत्रित किये थे। पूना बाई पास (लम्बाई 34.25 कि०मी०) के निर्माण और कानपुर—लखनऊ मार्ग (लम्बाई 60 कि०मी०) को चार लेन का बनाने के लिए केवल दो विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। पूना—बाई पास राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा पहले ही निर्माणाधीन था और कानपुर—लखनऊ मार्ग को चार लेन का बनाना व्यवहार्य नहीं पाया गया, अत: प्रस्तावों को रद्द कर दिया गया।

भारत—श्रीलंका समझौता कार्यान्वित करना

*117. श्री तम्पन थामस :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत—श्रीलंका समझौते के सभी खण्ड कार्यान्वित कर दिए गये हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो कार्यान्वित न किये गये खंडों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) भारत—श्रीलंका समझौते के जिन खण्डों का व्यापक रूप में क्रियान्वयन किया गया है, वे इस प्रकार हैं :

1. श्रीलंका के सैनिकों को हटाकर 25 मई, 1987 से पूर्व की स्थिति पर लाना।
2. पूर्वी प्रान्त से श्रीलंका विशेष कार्य बल के मुख्य घटकों को हटाना।
3. प्रान्तीय परिषदों की स्थापना और उन्हें अधिकार सौंपने के लिए श्रीलंका की संसद द्वारा आवश्यक कानून बनाना। इस कानून के अन्तर्गत 7 प्रान्तों में चुनाव हुए।
4. तमिल राजनैतिक कैदियों में से अधिकांश की रिहाई।
5. हथियार डालने वाले उग्रवादियों को श्रीलंका सरकार द्वारा माफी प्रदान करना।
6. तमिल को राजभाषा बनाने के लिये संवैधानिक प्रावधान।
7. भारत से श्रीलंका के तमिल शरणार्थियों की श्रीलंका वापसी और श्रीलंका में विस्थापित लोगों को बसाये जाने की प्रक्रिया जारी है।
8. उत्तरी और पूर्वी प्रान्तों का विलय अधिसूचित कर दिया गया है। उक्त विलय के परिणामस्वरूप उत्तर-पूर्वी प्रान्त चुनाव की तारीख से अस्तित्व में आ जाएगी।

जिन खण्डों को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है उनमें निम्नलिखित शामिल हैं—सभी तमिल उग्रवादियों को निशस्त्र करना और उत्तर-पूर्वी प्रान्त में प्रान्तीय परिषद के चुनाव कराना; इनके संबंध में प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा चुकी है और उत्तर-पूर्वी प्रान्त के चुनाव 19-11-88 तक पूरे होने की आशा है। इस सम्बन्ध में भरसक प्रयास किया जाता रहा है कि तमिल उग्रवादी ग्रुप स्वेच्छा से हिंसा का त्याग करें तथा अपने हथियार डाल दें। लिट्टे द्वारा लगातार अख्तियार कठोर रवैये और उसके द्वारा की गई हिंसा के कारण भारतीय शांति सेना द्वारा उन्हें निशस्त्र करने के लिए कार्रवाई करनी पड़ी। हालांकि भारतीय सेना ने लिट्टे बाहुल शहरी क्षेत्रों में लिट्टे के गढ़ों को तोड़ दिया है लेकिन वार करो और भाग जाओ रूप में हिंसा की छुट-पुट घटनाएं जारी हैं। इस प्रकार की गौरिल्ला स्वरूप की कार्रवाई के कारण शांति सेना की कारंवाई काफी समय तक चल सकती है। ऐसी स्थिति में प्राय: नाटकीय परिणाम मुमकिन ही नहीं होते।

जहां तक अनुबंधों, पत्रों, जो इस समझौते के अभिन्न अंग हैं, के आदान-प्रदान का सम्बन्ध है, भारत सरकार श्रीलंका की सरकार से बराबर सम्पर्क बनाए हुए है।

पश्चिम दिल्ली के लिए दिल्ली परिवहन निगम की बस सेवा

*118. श्री जय प्रकाश अग्रवाल :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम दिल्ली में दिल्ली परिवहन निगम की बस सेवा वहां की जनसंख्या की आवश्यकताओं के अनुरूप है; और

(ख) यदि नहीं, तो दिल्ली के भिन्न-भिन्न स्थानों से तथा विशेष रूप से केन्द्रीय सचिवालय से पश्चिम दिल्ली के लिए तथा पश्चिम दिल्ली से उन स्थानों के लिये बसों की संख्या बढ़ाने हेतु कौन से कदम उठाये जा रहे हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) फील्ड स्तरों पर किए गए ट्रैफिक सर्वेक्षणों के आधार पर दिल्ली परिवहन निगम द्वारा विभिन्न रूटों पर बसें लगाई जाती हैं। संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर बेड़े में भी बढ़ोतरी की जाती है। पश्चिम दिल्ली में सेवाओं का मौजूदा स्तर व्यापक तौर पर समुचित समझा गया है।

बम्बई और गोवा के बीच यात्री स्टीमर सेवा

*119. श्री शांताराम नायक :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई और गोवा के बीच यात्री स्टीमर सेवा को, जो कई दशकों से चल रही थी तथा हाल ही में जिसे बन्द कर दिया गया है, पुनः शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो यह सेवा कब तक पुन: शुरू हो जायेगी;

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए किराये पर अथवा नये जलपोत प्राप्त किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र और गोवा सरकार को यह सूचित किया है कि भारतीय नौवहन निगम द्वारा सेवाएं बहाल की जा सकती हैं यदि वे सम्पूर्ण प्रचालन घाटा तथा वार्षिक यात्री सर्वेक्षण का खर्च वहन करने को सहमत हों। अभी तक वे इसके लिए सहमत नहीं हुए हैं।

(ख) सेवा को पुन: शुरू किये जाने के सम्बन्ध में कोई निश्चित समय बताना सम्भव नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान को सूखा राहत योजना पूरी करने के लिए सहायता

[हिन्दी]

*120. श्री शंकरलाल :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में सूखा राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रारम्भ किये गये अनेक निर्माण कार्य धन की कमी के कारण अधूरे पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन निर्माण कार्यों को पूरा कराने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी सहायता देने का विचार है ?

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) और (ख) राजस्थान सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, सूखे की अवधि के अन्त तक राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू किये गये कई निर्माण कार्य अधूरे थे। राज्य सरकार इन निर्माण कार्यों को पूरा करने के प्रयास कर रही है और उन्होंने अनुदेश जारी किये हैं कि छोटे निर्माण कार्यों जैसे अनिकटों, खदिनों, लघु सिंचाई निर्माण कार्यों आदि को विभागीय तौर पर उपलब्ध बचतों में से पूरा कराया जाये। सूखे से प्रभावित राज्यों को केवल सूखे की अवधि के दौरान रोजगार सृजन राहत निर्माण कार्य शुरू करने के लिये केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

स्पंज लोहे के उत्पादन में वृद्धि

[अनुवाद]

*121. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :

क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस्पात उत्पादन में सुधार लाने के लिए स्पंज लोहे के उत्पादन की क्षमता में वृद्धि करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या बिहार में स्पंज लोहे के इस प्रकार के और अधिक संयंत्र स्थापित किये जायेंगे; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) बिहार राज्य में स्पंज लोहे का निर्माण करने के लिए 8 इकाइयों ने पंजीकरण कराया है। इनमें से केवल एक निर्माणाधीन है जिसकी स्थापित क्षमता 1.2 लाख टन प्रति वर्ष होगी।

राष्ट्रीय तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन

908. श्री आर० एस० मोघे :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन ने खाद्य तेलों की खपत कम करने के उद्देश्य से एक सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान प्रारम्भ करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) और (ख) राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद और प्रोफेसर गोपालन जैसे ख्याति प्राप्त विशेषज्ञों द्वारा किये गये पोषण सम्बन्धी सर्वेक्षणों से पता चलता है कि हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग तेल और वसा का बहुत बड़ी मात्रा में उपभोग करता है जिससे रोग होने की सम्भावना रहती है। मिशन ने स्वास्थ्य और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ मिलकर एक ऐसा अभियान चलाने का प्रस्ताव रखा है जिससे कि खाद्य तेलों का अधिकतम मात्रा में उपभोग करने से होने वाले खतरों के प्रति लोगों में जागरूकता लाई जा सके।

ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों का निर्माण

909. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों के निर्माण के लिए कुछ राज्य सरकारों की सहायता कर रहा है;

(ख) क्या उड़ीसा को कोई वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उड़ीसा में ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक ऐसे कितने गोदामों का निर्माण किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन० सी० डी० सी०) को विभिन्न राज्यों में सहकारी समितियों द्वारा गोदामों के निर्माण में सहायता देने के लिए, भारत सरकार की मार्फत विश्व बैंक से सहायता मिल रही है। विश्व बैंक (आई० डी० ए०) द्वारा सहायतार्थ एन० सी० डी० सी०-I तथा एन०सी०डी०सी०-III सहकारी भण्डारण परियोजनाओं के अन्तर्गत एन० सी० डी० सी० ने उड़ीसा में 3.028 लाख मीटरी टन की क्षमता वाले 1585 गोदामों के निर्माण के लिए सहकारी समितियों को सहायता स्वीकृत की है। परियोजनाओं की लागत 22.90 करोड़ रुपये है और एन० सी० डी० सी० ने अपनी सहायता के रूप में लागत का 75 प्रतिशत स्वीकृत किया है (50 प्रतिशत विश्व बैंक ऋण और 25 प्रतिशत एन० सी० डी० सी० सहायता)। राज्य सरकार और लाभार्थियों की सहकारी समितियां परियोजना लागत का क्रमशः 20 प्रतिशत और 5 प्रतिशत जुटाती हैं।

अभी तक 2.0475 लाख मीटरी टन क्षमता वाले 1313 गोदाम बनाए जा चुके हैं। 98,500 मीटरी टन क्षमता वाले शेष 272 गोदाम निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।

जहाज तोड़ने वाले यार्ड

910. **श्री अमर सिंह राठवा :**

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जहाजों के तोड़ने से प्रत्येक वर्ष कितना कतरन (स्क्रैप) प्राप्त होती है और उसका किस प्रकार उपयोग किया जाता है;

(ख) क्या जहाज तोड़ने वाले कुछ यार्डों में कार्य बन्द कर दिया गया है और काफी संख्या में जहाज तोड़ने हेतु पड़े हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो जहाज तोड़ने का कार्य बन्द किये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या जहाजों के तोड़ने से प्राप्त कतरन आयातित कतरन से सस्ती है; और

(ङ) यदि हां, तो जहाज तोड़ने वाले यार्डों को पुनः शीघ्र प्रारम्भ करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ताकि कतरन पर आधारित उद्योगों को कतरन सरलता से उपलब्ध हो सके ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) अनुमान लगाया गया है कि जहाजों को तोड़ने से प्राप्त स्क्रैप का लगभग 67% पुनर्बेलन के लिए तथा लगभग 7% गलन के लिये उपयुक्त है। वर्ष 1987-88 के दौरान मध्यम अभिकरण मैसर्स मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन (एम०एस० टी० सी०) द्वारा जहाज तोड़ने के लिए विदेशी ध्वज लगे 1,49,000 एल० डी० टी० पोतों का आयात किया गया।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) जहाजों से प्राप्त स्क्रैप का इस्तेमाल मुख्यतः पुनर्बेलन योग्य स्क्रैप के रूप में किया जाता है। इस मत का हाल ही में आयात नहीं किया गया है। अतः इस प्रकार की तुलना सम्भव नहीं है।

(ङ) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता।

लौह अयस्क का उत्पादन, निर्यात तथा आयात

911. **श्री मोहन भाई पटेल** :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कौन-कौन से राज्य लौह अयस्क का उत्पादन कर रहे हैं और उनका किस्मवार वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ख) क्या भारी मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है, यदि हां, तो प्रति वर्ष कितनी मात्रा में इसका निर्यात किया जाता है;

(ग) भारत में लौह अयस्क का आयात करने वाले देशों के नाम क्या हैं और वे किस किस्म के लौह अयस्क का आयात करते हैं;

(घ) क्या देश में लौह अयस्क के निर्यात में गिरावट आई है और उत्पादन स्थल पर भारी मात्रा में लौह अयस्क जमा हो गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और लौह अयस्क के निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एस० फोतेदार) : (क) लौह अयस्क का उत्पादन करने वाले मुख्य-मुख्य राज्य तथा उनका 3 वर्षों अर्थात 1985, 1986 तथा 1987 में हुआ उत्पादन नीचे दिया गया है :—

(मात्रा लाख टन में)

राज्य	1985	1986	1987
गोआ	142	159	129
मध्य प्रदेश	87	99	106
कर्नाटक	62	92	97
उड़ीसा	68	78	85
बिहार	70	73	81

अयस्क की क्वालिटी का निर्धारण उसमें पाये जाने वाले लोहे की मात्रा से किया जाता है। निम्न श्रेणी के अयस्क (लोहा 60-62%) का उत्पादन मुख्यतया गोआ में तथा बिहार और उड़ीसा में भी किया जाता है। मूल श्रेणी और उच्च श्रेणी (62% से अधिक लोहा) के अयस्क का उत्पादन मुख्यतया मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा और बिहार में किया जाता है।

(ख) जी, हां।

विगत तीन वर्षों में अयस्क का निर्यात निम्नानुसार किया गया :—

1985-86	300.2 लाख टन
1986-87	325.2 लाख टन
1987-88	283.0 लाख टन

(ग) लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतया तीन श्रेणियों में किया जाता है, मुख्य आयातक देश निम्नानुसार हैं :—

उच्च श्रेणी	(65% से अधिक)	—	जापान और दक्षिण कोरिया
मूल श्रेणी	(62-65% लोहा)	—	जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मन लोकतंत्रात्मक राज्य, रूमानिया, चीन, हंगरी और पाकिस्तान
निम्न श्रेणी	(60-62% लोहा)	—	रूमानिया और उत्तरी कोरिया

(घ) और (ङ) वर्ष 1987-88 के दौरान लौह अयस्क के निर्यात में कुछ गिरावट आई थी लेकिन चालू वर्ष के दौरान निर्यात में वृद्धि का रुख नजर आता है। लौह अयस्क के निर्यात में वृद्धि करने के लिए विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं जिनमें निम्नलिखित हैं :—

बाजार का बदलाव, अपेक्षाकृत अधिक बड़े जहाजों के लिये बन्दरगाहों का विकास और दीर्घावधि ठेकों के जरिये मुख्य क्रेताओं को बिक्री के लिये अनुबंधित करना।

भारतीय विश्वविद्यालयों, चिकित्सा और इंजीनियरी कालेजों में भूटानी छात्र

912. श्री पीयूष तिरकी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों, चिकित्सा व इंजीनियरी कालेजों में भूटान के कितने छात्र अवर-स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं;

(ख) भूटान के छात्रों की गत तीन वर्षों के दौरान दी गई छात्रवृत्तियों तथा उनके लिए किये गये सीटों के आरक्षण का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का भूटान के छात्रों को दी जा रही सुविधाओं में वृद्धि करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) सरकार द्वारा 163 अवर-स्नातक छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं। सरकार के पास इस बात का कोई ब्यौरा नहीं है कि भूटान के कितने छात्र अपने खर्चे पर भारत में अध्ययन कर रहे हैं।

(ख) 1985-86 में 41, 1986-87 में 35 और 1987-88 में 33।

(ग) और (घ) भारत में भूटानी छात्रों को प्राप्त सुविधाओं की हर वर्ष समीक्षा की जाती है। यथा सम्भव अधिक से अधिक छात्रवृत्ति देने के प्रयास किये जाते हैं।

"रो ओवर डायवर्जन आफ सेन्ट्रल फंड्स" शीर्षक से समाचार

913. श्री अशोक शंकरराव चव्हाण :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 अक्तूबर, 1988 को नेशनल हैरल्ड में "रो ओवर डायवर्जन आफ सेन्ट्रल फंड्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद जिसने इस मामले की छानबीन की थी, की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद की रिपोर्ट राष्ट्रीय स्तर पर किये जा रहे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के समवर्ती मूल्यांकन के एक भाग के रूप में आन्ध्र प्रदेश में उनके द्वारा किये गये समवर्ती मूल्यांकन के बारे में है। यह नेशनल हैरल्ड में उठाये गये केन्द्रीय निधियों के अपवर्तन के प्रश्न के ऊपर छानबीन नहीं थी। हालांकि, उनके द्वारा किये अध्ययन से इस बात की पुष्टि होती है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन

रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार को सप्लाई किये गये चावल सरकारी वितरण प्रणाली के लिए उपयोग में लाये गये थे और उन्हें एन० आर० ई० पी०/आर० एल० ई० जी० पी० के श्रमिकों को वितरित नहीं किया गया क्योंकि उन्हें जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से हरे कार्ड पर चावल की रियायती मूल्यों पर सप्लाई की जा रही थी। मामले को राज्य सरकार के साथ उठाया गया है।

दिल्ली के स्कूल अध्यापकों के सामान्य भविष्य निधि अंशदायी भविष्य निधि खाते

914. **श्री प्रकाश चन्द्र :**

क्या **मानव संसाधन विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली नगर निगम के सभी माध्यमिक और हाई स्कूलों का प्रबन्ध किस वर्ष अपने हाथ में लिया था;

(ख) क्या दिल्ली शिक्षा विभाग द्वारा उक्त अध्यापकों के सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि खाते सही प्रकार से नहीं रखे गये हैं; और

(ग) क्या दिल्ली प्रशासन का उन सभी अध्यापकों को सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि की अद्यतन विवरणी जारी करने का विचार है जिसमें दिल्ली प्रशासन द्वारा स्कूलों के अधिग्रहण के समय उनके खातों में जमा धनराशि दर्शाई गई हो ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल०पी० शाही) : (क) दिल्ली प्रशासन ने 1970 में दिल्ली नगर निगम से मिडिल स्कूलों और सीनियर सैकण्डरी स्कूलों को अपने अधिकार में ले लिया था।

(ख) जी, नहीं। तथापि, वर्ष 1970 से पूर्व इस प्रकार से अधिकार में लिए गए ऐसे स्कूलों के अध्यापकों के सी० पी० एफ० लेखे दिल्ली नगर निगम से कुछ विशेष रिकार्डों के अभाव में लम्बित हैं।

(ग) जी, हां।

शहरों से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग

915. **श्री प्रकाश बी० पाटिल :**

क्या **जल-भूतल परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरों से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना प्रवण में हैं और प्रति वर्ष अनेक लोगों की मृत्यु हो जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ऐसे शहरों के चारों ओर उप-मार्गों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में नीचे उल्लिखित 87 बाई पासों के निर्माण का प्रावधान शामिल किया गया है :—

राज्य का नाम	बाई पासों की संख्या
आंध्र प्रदेश	4
असम	5
बिहार	4
गोवा	7
गुजरात	3
हरियाणा	2
हिमाचल प्रदेश	8
कर्नाटक	7
केरल	5
मध्य प्रदेश	8
महाराष्ट्र	4
मेघालय	2
नागालैंड	1
उड़ीसा	3
पांडिचेरी	2
पंजाब	2
राजस्थान	5
तमिलनाडु	5
उत्तर प्रदेश	11
पश्चिम बंगाल	4

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्वायत्तता

916. प्रो० नारायण चन्द पराशर :

क्या कृषि मन्त्री भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्वायत्तता के बारे में 25 अप्रैल, 1988 के तारांकित प्रश्न संख्या 806 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से सम्बन्धित रिपोर्ट की जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट में क्या मुख्य सिफारिशें की गई और इन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो जांच कार्य तथा आवश्यक कार्यवाही करने का कार्य किस सम्भावित तिथि तक पूरा कर लिया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) से (ग) महोदय, भारतीय कृषि अनुसधान परिषद की समीक्षा समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/भारत सरकार सक्रियता से विचार कर रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की समीक्षा समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए कोई निश्चित समय तय नहीं किया गया है।

केमिकल एगार को लोकप्रिय बनाना

917. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने समुद्री वनस्पति कार्यक्रम समाप्त कर दिया है क्योंकि मछेरे मछली पकड़ने में अधिक रुचि रखते हैं जिससे उन्हें समुद्री वनस्पति से प्राप्त केमिकल एगार की तुलना में अधिक आय होती है; और

(ख) यदि हां, तो केमिकल एगार को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) जी नहीं।

(ख) केन्द्रीय समुद्री मछलीपालन अनुसंधान संस्थान द्वारा विस्तार कार्यों के माध्यम से अगरागर सहित अनेक रसायनों को तैयार करने के लिए समुद्री खरपतवार के कल्चर की टेक्नोलाजी उद्यमियों को उपलब्ध कराई जाती है।

आन्ध्र प्रदेश के मछुआरों का उत्थान

918. **श्री एस० पलाकोंड्रायुडू :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में मछुआरों के उत्थान के लिए शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) आन्ध्र प्रदेश के कितने मछुआरों को इन योजनाओं से लाभ पहुंचा है; और

(ग) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश स्थित राष्ट्रीयकृत बैंकों को इस आशय के कोई अनुदेश जारी किये हैं कि वे हाल ही में प्रदेश में आई बाढ़ और उनसे मछुआरों को मकानों और अन्य सम्पत्ति की हुई क्षति को देखते हुए उन्हें अधिक धनराशि के ऋण दें ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) आंध्र प्रदेश में मछुआरों के उत्थान के लिए कार्यान्वित की गई कुछ मुख्य केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं हैं :—सक्रिय मछुआरों के लिए समूह दुर्घटना बीमा योजना, राष्ट्राय मछुआरा कल्याण निधि, पारम्परिक जलाशयों का मोटरीकरण, तट पर लगने वाले उन्नत जलयान आरम्भ करना, मछली पालक विकास एजेंसियां और समेकित खारा-पानी, मछली फार्म विकास।

(ख) आंध्र प्रदेश में इन योजनाओं के अन्तर्गत अनुमानत: लाभ प्राप्त करने वाले मछुआरों की संख्या इस प्रकार है :—

(1) समूह दुर्घटना बीमा योजना	2,20,000 मछुआरे
(2) राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण निधि	2(0 मछुआरा परिवार
(3) पारम्परिक जलयानों का मोटरीकरण	›000 मछुआरे
(4) तट पर लगने वाले उन्नत जलयानों का आरम्भ करना	7000 मछुआरे
(5) मछली पालक विकास एजेंसियां	3000 मछली पालक
(6) समेकित खारा पानी मछली फार्म विकास	300 मछली पालक

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये हैं कि वे बाढ़, सूखा आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों, जिनमें मछुआरे शामिल हैं, को राहत तथा पुनर्वास की सुविधाएं प्रदान करें।

विशाखापत्तनम बन्दरगाह के लिए वृहद् योजना

919. **श्री श्रीहरि राव :**

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन पोर्ट एसोसिएशन ने विशाखापत्तनम बन्दरगाह के लिये 2001 ईस्वी तक की वृहद् योजना प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर कितनी धनराशि खर्च होगी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) भारतीय पत्तन संघ ने विशाखापत्तनम पोर्ट को मास्टर प्लान पेश कर दिया है।

(ख) मास्टर प्लान में सात खण्ड हैं और उसमें ट्रैफिक प्रक्षेपण, अतिरिक्त पत्तन सुविधाओं की व्यवस्था करना आदि शामिल है। मास्टर प्लान के प्रस्तावों पर 1,445 करोड़ रुपये वित्तीय खर्च होने का अनुमान है।

ग्वार के बीजों का विकास

[हिन्दी]

920. श्री वृद्धि चन्द्र जैन :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन अनुसंधान संस्थानों के नाम क्या हैं जिन्होंने ग्वार के बीजों की विभिन्न किस्मों का विकास किया है;

(ख) उनके द्वारा विकसित की गई ग्वार बीज की उन्नत किस्मों की संख्या और उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) बीजों की इस उन्नत किस्मों के क्या लाभ हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर ने भी इस क्षेत्र में कोई अनुसंधान किया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) देश के जिन संस्थानों में ग्वार के बीजों की विभिन्न किस्में विकसित की गई हैं, उनके नाम नीचे दिये गये हैं : —

(क) हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, हरियाणा।

(ख) पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, पंजाब।

(ग) गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, सरदार कृषि नगर।

(घ) राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, दुर्गापुर, जयपुर।

(ङ) केन्द्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर, राजस्थान।

(च) राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली।

(ख) कुल 17 किस्में विकसित की गई हैं जिनमें से 3 हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, 4 पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना, 2 गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, सरदार कृषि नगर, 3 राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, दुर्गापुर, 1 केन्द्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर और 4 राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो में विकसित की गई हैं। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) इन उन्नत किस्मों के लाभ इस प्रकार हैं :—

(i) इन किस्मों से अधिक दाने उपजते हैं।

(ii) ये किस्में ग्वार की मुख्य बीमारियों जैसे जीवाणु वाली अंगमारी और आल्टरनेरिया के पत्ती वाले चित्ती रोग की प्रतिरोधी हैं।

(iii) इन किस्मों में गोंद (गम) का अंश भी काफी होता है।

(iv) फसल क्रम के लिए बहुत उपयुक्त हैं।

(v) इस किस्मों में अपने को विभिन्न परिस्थितियों के अनुकूल ढालने की काफी क्षमता है और ये मिलवां खेती के लिए उपयुक्त हैं।

(घ) और (ङ) जी, हां। पश्चिमी राजस्थान के लिए ग्वार की उन्नत किस्मों के विकास का काम वर्ष 1977 के दौरान जोधपुर स्थित केन्द्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान द्वारा समन्वित कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वैच्छिक आधार पर शुरू किया गया था। प्रजनन और सस्य विज्ञानी पहलुओं को ध्यान में रखकर किये गये परीक्षणों के परिणामस्वरूप ग्वार की एक नई किस्म का विकास हुआ है जिसका नाम "मरु ग्वार" है। इसी प्रकार ग्वार की खेती सबंधी उन्नत तकनीकों का भी विकास हुआ है।

इस समय केन्द्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का अखिल भारतीय समन्वय ग्वार सुधार प्रायोजना के अन्तर्गत एक अनुसंधान केन्द्र है जिसकी शुरूआत परिषद ने 1986-87 में की थी। ग्वार सुधार संबंधी विभिन्न पहलुओं जैसे प्रजनन, सस्य-विज्ञान व पादप रोग विज्ञान पर अनुसंधान कार्य अभी प्रगति पर है।

विवरण

ग्वार की उन्नत किस्मों की संख्या और उसका ब्योरा

क्र० सं०	किस्म	अवधि (दिनों में)	मुख्य विशेषताएं	उगाये जाने का उद्देश्य
1	2	3	4	5
(क) हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, हरियाणा				
1.	एच० जी० 75	100-130	स्थानीय सामग्री का चयन। केन्द्रीय किस्म रिलीज उप-समिति द्वारा 1981 में जारी की गई। अल्टरनेरिया पत्ती के झिल्ली व जीवाणु वाली अंगमारी की प्रतिरोधी। लगभग 15.45 क्वि०/है० उपज।	दानों के लिए
2.	एच० जी० 110	110-125	एक्सेशन एच० एफ० जी० 182 से प्राप्त एक चयन। हरियाणा में 1981 में जारी की गई। अधिकांश बीमारियों व कीड़ों-मकोड़ों की प्रतिरोधी। इससे 5-6 क्वि०/है० गोंद मिलता है।	दानों के लिए
3.	एच०एफ०जी० 119	130-135	केन्द्रीय किस्म रिलीज उपसमिति द्वारा 1981 में जारी। अल्टरनेरिया पत्ती	दानों के लिए

1	2	3	4	5
			वाले चित्ती रोग और जीवाणु वाली अंगमारी की हल्की प्रतिरोधी।	
(ख) पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना, पंजाब				
1.	ए०जी०-112	110-111	(3 6 × एफ० एस० 277) × 315 के संकरण द्वारा विकसित। अगेती पकने वाली किस्म। **क्सेंथोमोनास सियामोपोइडिस** की प्रतिरोधी।	दानों के लिए
2.	ए०जी०-111	110-111	जी० 325 × एफ० एस० 277 के संकरण से प्राप्त। पंजाब में 1980 में जारी की गई। दाना उपज लगभग 16 क्विं० प्रति है०।	दानों के लिए
3.	ग्वार 80	115-127	एफ० एस० 277 × नं० 119 के संकरण द्वारा विकसित। पंजाब में 1982 में जारी की गई। प्रति है० 15 क्विं० दाना तथा 300 क्विं० चारा मिलता है।	दानों तथा चारे के लिए
4.	एफ० एस० 277	115-125	पंजाब व हरियाणा में अपनाई गई। सूखे की प्रतिरोधी। उपज लगभग 17.4 क्विं० प्रति है०।	दानों तथा चारे के लिए
(ग) गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, सरदार कृषि नगर, गुजरात				
1.	मालोसन 39	115-125	शाखादार, अधिक दाना देने वाली, लम्बी उगने वाली, उपज लगभग 6 क्विं० प्रति है०।	दानों के लिए
2.	मालोसन 40	118-129	शाखादार, उच्च बीज उपज वाली, लम्बी और जीवाणु वाली अंगमारी की प्रतिरोधी।	दानों के लिए
(घ) राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, दुर्गापुर, जयपुर, राजस्थान				
1.	दुर्गापुर सफेद	110-115	देसी सामग्री से प्राप्त चयन, राज-	दानों के लिए

1	2	3	4	5
			स्थान राज्य में अपनाई गई, गोंद की मात्रा 28.47%।	
2.	दुर्गाजय,	110-115	नागपुर की स्थानीय सामग्री से प्राप्त चयन। राजस्थान में 1978 को जारी की गई। इससे प्रति है० लगभग 12-15 क्वि० दाना उपज मिली है।	दानों के लिए
3.	आर०जी०सी०	115-125	पौधे रोएंदार होते हैं जिनकी शाखाएं नीचे की ओर फैलती हैं। उपज लगभग 14-18 क्वि० प्रति है०।	दानों के लिए
(ङ) केन्द्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर, राजस्थान				
1.	मरु ग्वार	97-100	पश्चिमी राजस्थान के लिए उपयुक्त। गोंद व प्रोटीन की मात्रा क्रमश: 32.14 और 31.5 प्रतिशत।	दानों के लिए
(च) राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली-110012				
1.	सोना	112-125	अच्छी बीज उपज देने वाली, शाखादार पौधा, गोंद की काफी मात्रा। रा० पा० आ० सं० ब्यू० द्वारा 1977 में जारी की गई।	दानों के लिए
2.	सुविधा	110-126	शाखादार पौधा, अगेती पकने वाली गेहूं के फसल चक्र के लिए उपयुक्त किस्म। रा० पा० आ० सं० ब्यू० द्वारा 1977 में जारी की गई।	दानों के लिए
3.	जी० ई० बी० ए०-I	118-128	शाखादार, मुख्य मौसम वाली किस्म, उच्च उपज क्षमता वाली व जीवाणु वाली अंगमारी की रोधी। 1984 में जारी की गई।	दानों के लिए
4.	नवीन	110-112	शाखादार, अगेती पकने वाली, अच्छी बीज उपज देने वाली। गोंद का अंश काफी अधिक है।	दानों के लिए

मत्स्य प्रसंस्करण एकक

[अनुवाद]

921. श्री सनत कुमार मंडल :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगठित मत्स्यन और मत्स्य प्रसंस्करण परियोजनाओं हेतु संयुक्त उद्यमों की स्थापना के लिए कोई प्रोत्साहन योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेशों ने इस क्षेत्र में सहायता करने का प्रस्ताव किया है;

(घ) यदि हां, तो इन देशों के नाम क्या हैं;

(ङ) मत्स्यन परियोजनाओं के विकास हेतु कौन से प्रभावी उपाय किये गये हैं; और

(च) क्या इन परियोजनाओं को पश्चिम बंगाल में स्थापित किया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय मे कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) से (ङ) नार्वे सरकार ने समेकित मात्स्यकी परियोजना, कोचीन को सुदृढ़ बनाने में सहायता देने में अपनी दिलचस्पी जाहिर की है। विशाखापत्तनम में समेकित मात्स्यकी परियोजना की एक यूनिट भी स्थापित की गई है।

(च) सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

खारी भूमि

923. डा० बी० एल० शैलेश :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में अनुमानतः कितने एकड़ भूमि खारी है;

(ख) क्या खारी भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु कोई केन्द्रीय योजना तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या-क्या हैं और इस पर कितनी पूंजी व्यय की जायेगी; और

(घ) इस योजना को लागू करने हेतु केन्द्रीय सरकार का इन राज्यों को किस प्रकार की तकनीकी और वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) :(क) विभिन्न अनुमानों, जिनमें राष्ट्रीय कृषि आयोग (1976), राष्ट्रीय पिछड़ा क्षेत्र विकास समिति (1981), राष्ट्रीय बाढ़ आयोग (1988) तथा भूमि उपयोग सांख्यिकी (1981-82) द्वारा लगाये

गये अनुमान भी शामिल हैं, से यह पता चलता है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश में क्रमश: 0.76 लाख हैक्टेयर तथा 1.95 लाख हैक्टेयर भूमि लवणीय भूमि है। राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार पंजाब में कोई लवणीय भूमि नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव के लिये प्रति किलो मीटर निर्धारण

924. **श्री के० प्रधानी :**

क्या जल-भूतल-परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव के लिए इस समय प्रति किलो मीटर कितनी धन राशि नियत की जाती है;

(ख) यह दर कब निर्धारित की गई थी;

(ग) क्या इस दर को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ) राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव के लिए अपेक्षित धनराशि 1968 में एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा निर्धारित मानदण्डों पर आधारित होती है। ये मानदण्ड अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न बातों जैसे सामग्री और श्रमिकों की जरूरत, सड़क की सतह की मोटाई, यातायात सघनता, भौतिक और जल-वायु सम्बन्धी स्थितियों आदि पर आधारित हैं। निधियों की जरूरत का आकलन प्रत्येक वर्ष चालू लागू दरों पर किया जाता है लेकिन आबंटन संसाधनों की उपलब्धता पर किया जाता है। वर्ष 1988-89 में राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव, जिसमें विशेष और बाढ़ से क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत शामिल है, के लिए 117.50 करोड़ रु० का आबंटन निर्धारित किया गया है।

केरल में मत्स्य पालन परियोजना के लिए विदेशी वित्त सहायता

925. **श्री टी० बशीर :**

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने विदेशी एजेंसियों से वित्त सहायता प्राप्त करने के लिये "ब्रेकिश वाटर प्रान फार्म एण्ड हैचरी" परियोजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां। केरल सरकार ने तीन परियोजनाएं प्रस्तुत की हैं।

(ख) प्रस्तुत की गई परियोजनाएं इस प्रकार हैं :

(1) कुवैत फंड की सहायता से 135 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की प्रान तथा फिश कल्चर के लिए केरल मात्स्यकी विकास परियोजना;

(2) जापानी सहायता से 15.97 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की केरल में खारे पानी में प्रान हेचरी तथा फार्म के लिए मार्गदर्शी परियोजना; तथा

(3) जापानी सहायता से 58.98 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की केरल में खारे पानी में प्रान कल्चर का समेकित विकास।

(ग) प्रान तथा फिश कल्चर के लिए केरल मात्स्यकी विकास परियोजना के मूल्यांकन के लिए कुवैत फंद दल अस्थाई रूप से नवम्बर, 1988 में भारत के दौरे पर आने वाला है।

अन्य दो परियोजनाओं के बारे में जापान सरकार ने सूचित किया है कि ये परियोजनाएं उनके पास भारत सरकार द्वारा तकनीकी तथा वित्तीय सहायता के लिए पहले से प्रस्तुत समुद्र तटीय राज्यों में कई शिम्प हैचरियां स्थापित करने की अखिल भारतीय परियोजना पर निर्णय लेने के पश्चात ही प्रस्तुत की जाएं।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार के अवसर

926. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यवार और वर्षवार रोजगार के कितने अवसर पैदा करने के लक्ष्य रखे गये हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में 31 मार्च, 1988 तक की उपलब्धियां क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सातवीं योजना में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष 290 मिलियन श्रम दिनों के रोजगार के लक्ष्य की परिकल्पना की गई है। योजना के पहले 3 वर्षों के लिए संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर 31 मार्च, 1988 तक राज्यवार और वर्ष-वार निर्धारित लक्ष्य और साथ ही उनकी तुलना में उपलब्धियों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के दौरान निर्धारित किए गए लक्ष्य और वास्तव में प्राप्त किये गये रोजगार

(लाख श्रमदिन)

क्रम सं०	राज्य/संघशासित क्षेत्र	1985-86		1986-87		1987-88	
		लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	183.00	214.48	258.70	264.22	347.56	288.34
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.60	2.17	1.60	1.95	2.44	2.16
3.	असम	40.00	25.77	35.00	51.35	54.03	33.82
4.	बिहार	316.00	416.27	290.00	370.52	406.41	467.58
5.	गोवा, दमन दीव	2.35	3.79	1.60	2.33	2.48	2.56
6.	गुजरात	57.00	69.71	60.00	132.83	112.23	172.21
7.	हरियाणा	11.00	14.77	15.00	16.74	21.34	22.15
8.	हिमाचल प्रदेश	13.00	15.98	13.50	20.47	21.77	23.38

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	जम्मू व कश्मीर	16.00	19.11	22.50	42.77	25.11	38.16
10.	कर्नाटक	157.00	201.45	120.00	138.55	245.84	223.23
11.	केरल	67.00	84.03	74.00	105.32	147.97	98.75
12.	मध्य प्रदेश	176.00	212.82	264.00	383.91	387.44	507.36
13.	महाराष्ट्र	211.00	250.03	229.00	237.62	246.90	262.23
14.	मणिपुर	2.30	2.65	3.10	6.87	3.89	5.96
15.	मेघालय	2.60	3.89	3.50	4.03	6.36	2.66
16.	मिजोरम	0.50	1.58	1.50	1.32	2.25	1.32
17.	नागालैंड	1.50	2.56	1.00	3.20	3.97	4.31
18.	उड़ीसा	130.00	147.83	190.00	181.77	201.75	224.99
19.	पंजाब	19.00	27.34	12.00	19.04	17.65	18.60
20.	राजस्थान	45.00	497.86	352.00	929.63	162.68	239.98
21.	सिक्किम	1.90	2.36	2.00	2.82	3.16	3.70
22.	तमिलनाडु	245.00	298.07	263.00	333.99	352.53	322.40
23.	त्रिपुरा	7.00	7.12	8.00	11.04	12.23	14.98
24.	उत्तर प्रदेश	427.00	501.90	382.00	465.23	642.63	553.51

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	पश्चिमी बंगाल	141.00	130.95	180.00	217.61	225.66	161.60
26.	अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह	1.65	2.82	2.50	3.64	2.35	2.90
27.	चण्डीगढ़	0.35	0.35	0.35	0.35	0.40	0.49
28.	दादरा व नगर हवेली	1.00	1.94	0.70	0.65	2.30	2.51
29.	दिल्ली	0,60	0.28	0.28	0.33	1.24	1.00
30.	लक्षद्वीप	0.50	1.66	1.20	1.32	1.66	1.70
31.	पांडिचेरी	1.75	2·40	1.80	2.48	4.35	3.22
	अखिल भारत	2280.00	3164.14	2750.83	3753.92	3635.58	3707.74

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 पर गुंटूर और नेल्लोर के बीच पुलों का पुनर्निर्माण

927. **श्री सी० सम्बु :**

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 पर गुंटूर और नेल्लोर के बीच पुराने सड़क पुलों का पुनर्निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन पुलों का कब तक पुनर्निर्माण किए जाने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 पर गुंटूर और नेल्लोर के बीच पड़ने वाले 20 पुलों के पुनर्निर्माण की जरूरत है, उनमें से 3 पुलों के प्राक्कलनों को अब संस्वीकृत कर दिया गया है। 1988-89 की वार्षिक योजना में 10 पुलों के पुनर्निर्माण के प्रस्तावों को शामिल किया गया है। इन पुलों का पुनर्निर्माण सातवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि और बाद की योजना के दौरान चरणबद्ध ढंग से किया जाना है बशर्ते कि निधियां उपलब्ध हों।

श्रीलंका में नागरिकता विहीन व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करना

928. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यक्तियों की संख्या में स्वाभाविक वृद्धि सहित उन व्यक्तियों की कुल संख्या का नवीनतम अनुमान क्या है जो शास्त्री भण्डारनायके समझौते के विचारण क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं;

(ख) भारतीय नागरिकता के लिए कितने व्यक्तियों ने आवेदन किया था; कितने व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई और इनमें से अब तक कितने व्यक्ति भारत लौट चुके हैं;

(ग) श्रीलंका की नागरिकता के लिए कितने व्यक्तियों ने आवेदन किया था और अब तक कितने व्यक्तियों को श्रीलंका की नागरिकता प्रदान की गई है;

(घ) उन व्यक्तियों की स्थिति क्या है जिन्होंने न तो भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया था और न ही श्रीलंका की नागरिकता के लिए आवेदन किया था;

(ङ) उन व्यक्तियों की स्थिति क्या है जिनके भारत को अथवा श्रीलंका की नागरिकता के आवेदन संबंधित प्राधिकारियों के पास निर्णय लम्बित पड़े हैं;

(च) क्या श्रीलंका सरकार का यह प्रस्ताव है कि जिन व्यक्तियों ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन नहीं किया था उन सभी को श्रीलंका की नागरिकता प्रदान कर दी जाए; और

(छ) क्या सरकार का उन सभी व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करने का विचार है जिन्होंने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया है और उन्हें भारत वापिस बुला लिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) 1964 में यह अनुमान लगाया गया था कि श्रीलंका में "भारतीय मूल के राज्यविहीन लोगों" की कुल संख्या 9,75,000 है। तदनुसार,

इस विषय पर 1964 और 1974 के भारत-श्रीलंका समझौतों के अनुसार भारतीय मूल के 600,000 लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जानी थी और 3,75,000 लोगों को श्रीलंका की नागरिकता। तथापि, अक्तूबर 1981 में दोनों में से किसी भी देश की नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की बढ़ाई गई अवधि के अन्त में, केवल, 5,06,000 लोगों ने ही भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया था जिससे भारतीय कोटे के अनुसार 94,000 व्यक्ति कम थे। भारत और श्रीलंका की सरकारों के बीच 15 जनवरी, 1986 की व्यवस्था के अनुसार श्रीलंका सरकार ने इन 94,000 व्यक्तियों को लेने का फैसला किया और इस प्रकार कुल संख्या 4,69,000 हो गयी। इन संख्याओं में "प्राकृतिक वृद्धि" का कोई विश्वसनीय अनुमान उपलब्ध नहीं है।

(ख) भारतीय नागरिकता के लिए जिन लोगों ने आवेदन किया था उनकी कुल संख्या 5,06,000 है। अनुमान है कि उनकी प्राकृतिक संतति वृद्धि 2,22,268 है जिससे उनकी संख्या 7,28,268 हो गई है। इसमें से जिनको भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है उनकी संख्या 5,92,204 है। जिन लोगों को पहले ही प्रत्यावर्तित किया जा चुका है उनकी संख्या 4,61,374 है।

(ग) और (घ) जिन लोगों ने, इनमें प्राकृतिक संतति वृद्धि भी शामिल है, श्रीलंका की नागरिकता के लिए आवेदन किया है उनकी संख्या 7,45,019 है। 31 दिसम्बर 1987 की स्थिति के अनुसार जिन लोगों को श्रीलंका की नागरिकता प्रदान की गई उनकी संख्या 3,18,315 थी।

जिन लोगों ने न तो भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया और न ही श्रीलंका की नागरिकता के लिए, उनका दर्जा "राज्यविहीन" बना हुआ है। तथापि श्रीलंका द्वारा हाल ही में बनाये गये कानूनों के अनुसार उन सभी "भारतीय तमिलों" को श्रीलंका की नागरिकता प्रदान की जाएगी जो कानूनन श्रीलंका के निवासी हैं और वे न तो श्रीलंका और न भारत के नागरिक हैं तथा न ही उन्होंने कभी इसके लिए अनुरोध किया अथवा उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान करने के आवेदन में शामिल किया गया।

(ङ) जिन व्यक्तियों के आवेदन पत्र भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए विचाराधीन पड़े हैं उनका दर्जा "राज्यविहीन" बना हुआ है। जिन लोगों ने श्रीलंका की नागरिकता के लिए आवेदन किया है वे श्रीलंका के नागरिक बन जाएंगे।

(च) जी, हां। जैसा कि ऊपर (ग) और (घ) में बताया गया है, आवश्यक कानून पहले ही बनाया जा चुका है।

(छ) सरकार उन लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने तथा उन्हें भारत प्रत्यावर्तित करने के लिए वचनबद्ध है जिन्होंने इसके लिए आवेदन किया था बशर्ते कि वे अपने आवेदन पत्रों पर कारंवाई करने और आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करने के लिए आगे आएं।

मध्य प्रदेश में पानी का अभाव

929. **श्री के० एन० प्रधान :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल, 1987 से 30 जून 1988 की अवधि में कितने गांवों और शहरों में पानी का अभाव था;

(ख) इस प्रयोजन हेतु राज्य सरकार को कितनी धनराशि की केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई;

(ग) क्या राज्य सरकार ने अतिरिक्त वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो स्वीकृत की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1987 के सूखे के दौरान मध्य प्रदेश में 19,780 गांव और 315 शहर पानी की कमी से प्रभावित हुए थे।

(ख) भारत सरकार ने राज्य के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण तथा शहरी पेयजल सप्लाई प्रबन्धों के लिए खर्च की निम्नलिखित सीमाएं अनुमोदित की थीं :

(करोड़ रुपये में)

	खर्च की अनुमोदित सीमाएं	
	1987-88	1988-89 (अप्रैल-जून, 1988)
ग्रामीण क्षेत्र	7.54	3.54
शहरी क्षेत्र	3.66	1.62

राज्य सरकार को रिगों आदि की खरीद के लिए 2.17 करोड़ रुपये की राशि भी स्वीकृत की गई थी।

1987-88 के दौरान 26.81 करोड़ रुपये के सामान्य आबंटन की रिलीज के अतिरिक्त, राज्य सरकार को केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत 6.00 करोड़ रुपये की और राशि भी रिलीज की गई थी। अप्रैल, 1988 के दौरान, त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत 1988-89 के लिए केन्द्रीय सहायता की पहली किश्त के रूप में राज्य सरकार को 13.855 करोड़ रुपये की राशि रिलीज की गई थी।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) राज्य सरकार को और वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई थी क्योंकि अप्रैल, 1988 से जून, 1988 तक की अवधि के लिए खर्च की अधिकतम सीमा पहले ही अनुमोदित कर दी गई थी।

केरल में मत्स्य उद्योग परियोजना की स्वीकृति

930. श्री पी० ए० एन्टनी :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुथियप्पा मत्स्य बंदरगाह के विकास के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) भारत सरकार ने पुथियपा में मत्स्यन बन्दरगाह के विकास के लिए प्रशासनिक अनुमोदन जनवरी, 1988 में जारी किया है। भूमि अधिग्रहण तथा विस्तृत मृदा जांच जैसे प्रारम्भिक कार्य प्रगति पर हैं।

(ख) चालू वर्ष अर्थात् 1988-89 के दौरान केरल सरकार के लिए 30.00 लाख रुपये की राशि निर्मुक्त की गई है।

दिल्ली परिवहन निगम द्वारा स्पेशल बस ट्रिपों को लिमिटेड सर्विस में बदलना

931. श्री लालाराम केन :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय और अन्य सरकारी कार्यालय काम्पलेक्सों को अपने सम्बन्धित इलाकों से आने-जाने वाले दैनिक यात्रियों, कार्यालय-कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कराई गई डी०टी० सी० बस सेवा के अनेक स्पेशल ट्रिपों को "लिमिटेड स्टाप सर्विस" में बदल दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप इसका किराया बढ़कर दो रुपये हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए दिल्ली परिवहन निगम के प्राधिकारियों को विभिन्न कल्याण संघों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं क्योंकि इस प्रकार के परिवर्तन से कम आय वाले कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ) व्यस्त समय के दौरान यात्रा समय में कमी लाने और यात्रियों को बेहतर सेवा सुलभ कराने की दृष्टि से दिल्ली परिवहन निगम ने कुछ विशेष ट्रिपों को, जो सामान्य प्रचालनों के अलावा हैं, प्रत्येक यात्रा 2/- रु० के फ्लैट रेट पर "लिमिटेड स्टाप" सेवाओं में बदल दिया है। यद्यपि कुछ वेलफेयर एसोसिएशनों ने इस निर्णय की समीक्षा करने के लिये अभ्यावेदन दिए हैं, लेकिन यात्रियों से मिली अच्छी प्रतिक्रिया को देखते हुए और इस तथ्य को भी देखते हुए कि ये लिमिटेड स्टाप सेवाएं व्यस्त समय की सेवाएं हैं और ये सामान्य सेवाओं के अतिरिक्त सुलभ कराई गई हैं। दिल्ली परिवहन निगम का इन सेवाओं को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

ग्रेन्यूलेटिड-स्लैग

932. श्री दिनेश गोस्वामी :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक इस्पात संयंत्र में प्रति वर्ष कितना ग्रेन्यूलेटिड-स्लैग उत्पन्न होता है तथा इसके स्टाक की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) ग्रैन्युलेटिड-स्लैग की किस प्रकार बिक्री की जाती है और इसकी संयंत्र कीमत क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सीमेंट उत्पादन हेतु ग्रैन्यूलेटिड-स्लैग की अनुमानतः कितनी मात्रा जारी की गई; और

(घ) सीमेंट मे इसके उपयोग को बढ़ाने हेतु कोई योजना तैयार की गई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) दानेदार स्लैग का अनुमानित वार्षिक उत्पादन तथा स्टाक नीचे दिया गया है :

संयंत्र	उत्पादन		स्टाक
	1987-88	1-4-1988 को	1-10-198० को
भिलाई इस्पात संयंत्र	938	11	7
राउरकेला इस्पात संयंत्र	172	नगण्य	नगण्य
बोकारो इस्पात संयंत्र	363	18	16
इंडियन आयरन एंड स्टील कं०	71	शून्य	शून्य

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के पास स्लैग ग्रेन्यूलेशन संयंत्र नहीं है मैसर्स दुर्गापुर सीमेंट लि० दुर्गापुर को द्रव स्लैग बेचा जा रहा है।

(ख) दानेदार स्लैग सरकार के साथ परामर्श करके निर्णीत किए गये लिंकेजों के आधार पर दीर्घकालिक ठेके पर सीमेंट संयंत्रों को बेचा जाता है। कोई भी अतिरिक्त उपलब्धता, जो सामान्यतः बहुत कम होती है, इच्छुक सीमेंट उत्पादकों को तदर्थ आधार पर बेची जाती है। दानेदार स्लैग का संयंत्र के बाहर भाव तथा ठेके की अवधि तथा मियाद प्रत्येक संयंत्र में भिन्न-भिन्न होती है। "सेल" के इस्पात संयंत्रों से बेचे गये दानेदार स्लैग के संयंत्र से बाहर भाव की रेंज 130 रुपये से 265 रुपये प्रति टन के बीच होती है।

(ग) विगत तीन वर्षों में सीमेंट उत्पादकों को दानेदार स्लैग के प्रेषण की मात्रा नीचे दी गई है :

(हजार टन)

संयंत्र	वर्ष		
	1985-86	1986-87	1987-88
1	2	3	4
भिलाई इस्पात संयंत्र	812	848	931
राउरकेला इस्पात संयंत्र	232	222	172

1	2	3	4
बोकारो इस्पात संयंत्र	283	323	373
इंडियन आयरन एण्ड स्टील कं०	8	75	95

(घ) यद्यपि इस समय भी दानेदार सीमेंट के वर्तमान उत्पादन को सीमेंट संयंत्रों द्वारा सीमेंट के निर्माण के लिए इस्तेमाल में लाया जा रहा है। तथापि, "सेल" ने सीमेंट का उत्पादन करने के लिए बिहार इन्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कारपोरेशन और मैसर्स उड़ीसा पेपर के सहयोग से संयुक्त उद्यम स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त "सेल" दानेदार स्लैग की क्वालिटी में सुधार लाने के लिए सभी इस्पात संयंत्रों में कास्टहाउस ग्रेन्युलेशन लागू करने की योजना बना रहा है ताकि सीमेंट निर्माण में अधिक उपयुक्त सिद्ध हो सके।

उर्वरकों पर राज सहायता

934. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार उर्वरकों पर राजसहायता कम करने का है;

(ख) उर्वरकों की किन मदों पर राज सहायता कम किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस कटौती के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु) : (क) से (ग) यह मामला लगातार सरकार के विचाराधीन है। अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं

935. **श्री एस० बी० सिदनाल :**

श्री जी० एस० बसवराजू :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने सहकारी विकास के लिए पन्द्रह नई परियोजनाओं को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो स्वीकृत की गई परियोजनाओं के क्या नाम हैं और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा इसके लिए कुल कितनी सहायता प्रदान की गई है; और

(ग) उक्त प्रयोजन के लिए चुने गये स्थानों के क्या नाम हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्यामलाल यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के प्रबन्ध मंडल ने 27 सितम्बर, 1988 को हुई अपनी बैठक में स्वीकृत की गई परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया है।

विवरण

(लाख रुपये में)

क्रम सं०	परियोजना का नाम	स्थान	राज्य	वित्तीय सहायता: परियोजना की अनुमानित लागत	वित्तीय सहायता: राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की सहायता का शेयर (लाख रु० में)
1	2	3	4	5	6
		नारियल विकास			
1.	नारियल विकास परियोजना	त्रिवेन्द्रम कालीकट और अर्नाकुलम जिले	केरल	850.00	850.00
		नई चीनी मिलों में शेयर पूंजी सहभागिता			
2.	अमृतसर सहकारी चीनी मिल लि०	अजनाला जिला अमृतसर	पंजाब	2200.00	357.50
3.	बुधलाडा सहकारी चीनी मिल लिमिटेड	बुधलाडा जिला भटिंडा	पंजाब	2200.00	464.75
4.	जगराओं सहकारी चीनी मिल लिमिटेड	जगराओं, जिला लुधियाना	पंजाब	2200.00	357.50
5.	फरीदकोट सहकारी चीनी मिल लि०	फरीदकोट, जिला फरीदकोट	पंजाब	2200.00	357.50
		नई चीनी मिलों/अन्य सहकारी समितियों को अतिरिक्त सहायता			
6.	दोराहा सहकारी चीनी मिल लि०	बढ़ावल जिला लुधियाना	पंजाब	10.625	10.625
7.	मझा सहकारी चीनी मिल लि०	तरन तारन जिला अमृतसर	पंजाब	7.250	7.250
8.	फाजिल्का सहकारी चीनी मिल लि०	फाजिल्का जिला फाजिल्का	पंजाब	16.250	16.250

1	2	3	4	5	6
9.	चुनिन्दा जिलों में समेकित सहकारी विकास परियोजना	जिला नोगांव	असम	346.670	346.670
10.	चुनिन्दा जिलों में समेकित जिला विकास परियोजना	जिला पश्चिमी त्रिपुरा	त्रिपुरा	310.775	310 775
11.	चुनिन्दा जिलों में समेकित सहकारी विकास परियोजना	जिला चिकमंगलूर	कर्नाटक	438.763	377.487
12.	श्री वैंकटेश सहकारी कपड़ा मिल लि० में शेयर पूंजी की सहभागिता	अन्नीगेरी	कर्नाटक	19[illegible]0.000	1440.000
13.	समेकित डेरी विकास परियोजना	जिले-खमाम, करीमनगर, वारंगल	आंध्रप्रदेश	1750.00	1225.00
14.	सोयाबीन विकास परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त मार्जिन धनराशि	सिओनी-मालवा, जिला होशंगाबाद और पचनामा, जिला सेहोर	मध्य प्रदेश	1074.00	828.00
15.	तमिलनाडु औद्योगिक सहकारी सोसायटी लि० द्वारा विनिर्मित किए जा रहे रबेराइज्ड कायर	ओरेथंडु तालुका, जिला थंजावुर	तमिलनाडु	131.00	85.15

अन्तर्देशीय जलमार्ग सम्बन्धी राष्ट्रीय कार्यशाला

936. श्री एस० एम० गुरड्डी :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त, 1988 के दौरान नई दिल्ली में अन्तर्देशीय जलमार्ग के सम्बन्ध में एक दो-दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यशाला में क्या मुख्य सुझाव दिए गए; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मुख्य सुझाव निम्न प्रकार हैं :

(I) रात्रि नौचालन सुविधाओं के साथ-साथ नौचालन चैनलों की सही गहराई और चौड़ाई तथा उचित आधारभूत सुविधाओं से सुसज्जित टर्मिनलों को सभी राष्ट्रीय जलमार्गों पर परिवहन के अन्य साधनों से जोड़ते हुए, व्यवस्था की जाए।

(II) नौचालन की सुरक्षा के लिए नियम और विनियम शीघ्र बनाए जाएं।

(III) नदी की दशाओं के लिए उपयुक्त अंतर्देशीय जहाजों तथा अंतर्देशीय-व-तटीय जहाजों के डिजाइन और ऐसे जहाजों के प्रचालन के लिए नियम और विनियम बनाए जाएं।

(IV) अंतर्देशीय नौचालन की विभिन्न विधाओं में सभी कार्मिकों के लिए प्राथमिकता के आधार पर प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान की जाएं।

(V) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय जलमार्गों पर प्रचालन के लिए अंतर्देशीय जहाजों की विशिष्टियां तैयार की जाएं तथा सभी उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाएं।

(VI) नदी के किनारे-किनारे विशेष रूप से अधिसूचित क्षेत्रों में उद्योग लगाकर अंतर्देशीय जल परिवहन के उन्नयन के उपाय किये जाने चाहिए और सरकार द्वारा उपयुक्त प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए।

(VII) अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए पर्याप्त कार्गो की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार नियंत्रित कार्गो में परिवहन के अन्य साधनों के साथ सहभागिता पर विचार किया जाए।

भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण से उपरोक्त सुझावों के सम्बन्ध में आवश्यक प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा गया है।

विदेशी तकनीकी जानकारी से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना

937. श्री के० कुन्जम्बु :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजाब एग्रो पेप्सीको परियोजना के अतिरिक्त विदेशी तकनीकी जान-

कारी का इस्तेमाल कर देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना करने के लिये एक योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन उद्योगों की किन-किन राज्यों में स्थापना किये जाने का प्रस्ताव है ?

खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) सरकार ने उपायों का एक पैकेज तैयार किया है जो साथ-साथ प्रमुख उपकरणों और प्रसंस्करण टैक्नोलाजी के लिए स्टेट-आफ-दि-आर्ट टैक्नोलाजी का आयात करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर को अनुमति प्रदान करेगा।

जब कभी प्रस्ताव आएंगे, उनकी जांच की जायेगी और उनका गुण-दोष के आधार पर तथा ऐसे प्रस्तावों से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार निपटान किया जायेगा।

कपास उत्पादन

[हिन्दी]

938. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** :

श्री तेजा सिंह दर्दी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नार्दन इंडिया काटन ट्रेडर्स एसोसिएशन की इस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है कि इस वर्ष पंजाब में कपास का उत्पादन 2.5 बिलियन गांठ होने की सम्भावना है;

(ख) क्या पंजाब में कपास की खपत कम है और अधिकांशतः कपास अन्य राज्यों को भेज दी जाती है;

(ग) क्या सरकार द्वारा छोटे किसानों से पर्याप्त समर्थन मूल्य पर कपास खरीदने हेतु कोई प्रबन्ध किये गये हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां। भारतीय कपास निगम को निदेश दिया गया है कि वह न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर कपास उत्पादकों से कपास अधिप्राप्त करे।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

शीतागार (कोल्ड स्टोरेज) क्षमता

[अनुवाद]

939. श्री चिन्तामणि जेना :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य को प्रशीतन क्षमता कितनी है;

(ख) क्या शीतागारों/भांडागारों के अभाव में कृषि उत्पादों की भारी मात्रा में क्षति होती है;

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अधिक संख्या में शीतागारों/भांडागारों के निर्माण के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है;

(घ) क्या कृषि उत्पादों के परिरक्षण के लिए अपेक्षित शीतागारों/भांडागारों के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) दिनांक 1-1-1988 के अनुसार देश के प्रत्येक राज्य में प्रशीतन क्षमता दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) यह पता लगाने के लिए कि क्या शीतागारों/भांडागारों के अभाव में कृषि उत्पादों की भारी मात्रा में क्षति होती है, अभी तक कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, सहकारी क्षेत्र में 7.28 लाख मीटरी टन क्षमता वाले 250 शीतागारों के स्थापित करने का एक प्रगतिशील लक्ष्य है। भण्डार किये जाने के लिये अधिशेष को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक एजेंसी की जरूरतों के आधार पर, निजी उद्यमियों, सरकारी क्षेत्र के निगम और सहकारी समितियों सहित विभिन्न एजेंसियों/संस्थाओं के द्वारा, शीतागारों की स्थापना की जा रही है। जहां तक सहकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है, अतिरिक्त शीतागार सुविधाएं विशेष सहकारी समिति की वास्तविक जरूरतों के आधार पर मुहैया कराई जा रही है। और सहायता सामान्यतः राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा उपलब्ध कराई गई मुख्य पूरक सहायता के साथ, राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। आलुओं के विपणन में मदद करने के लिए सहकारी क्षेत्र में शीतागारों के विकास में एन० सी० डी० सी०-II परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार की मार्फत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम विश्व बैंक से ऋण प्राप्त कर रहा है। देश में शीतागारों के नेटवर्क का विकास करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने 31 मार्च, 1988 तक 59.52 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की है।

(घ) ऐसा कोई सर्वेक्षण अभी तक नहीं किया गया है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

क्र० सं०	राज्य का नाम	शीतागारों की संख्या	क्षमता (क्यूबिक मीटर में)	(क्षमता (मीटरी टनों में)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	55	40521	12967
2.	असम	3	5191	1661
3.	बिहार	210	1142406	65570
4.	गुजरात	112	398419	27494
5.	हिमाचल प्रदेश	13	30211	9668
6.	जम्मू व कश्मीर	12	31594	10110
7.	कर्नाटक	79	53434	17099
8.	केरल	111	37213	11908
9.	मध्य प्रदेश	100	564720	180710
10.	महाराष्ट्र	206	341211	109188
11.	उड़ीसा	41	176112	56356
12.	राजस्थान	49	160325	51304
13.	तमिलनाडु	86	55361	17716
14.	त्रिपुरा	2	10072	3223
15.	अंडमान	1	100	32
16.	चंडीगढ़	12	54672	17495
17.	दिल्ली	87	342043	109454
18.	गोवा	21	5232	1674
19.	लक्षद्वीप	1	111	36
20.	पांडिचेरी	6	850	272
21.	नागालैंड	1	3504	1121
	योग :	1208	3453302	1105058

1	2	3	4	5
22.	हरियाणा	139	556590	178109
23.	पंजाब	303	1587500	508000
24.	उत्तर प्रदेश*	739	7218750	2310000
25.	पश्चिम बंगाल	270	4616484	1477275
	कुल योग :	2659	17432626	5578442

*उत्तर प्रदेश के आंकड़े दिनांक 31-12-1986 तक हैं।

हैदराबाद हाऊस की खरीद

940. **डा० जी० विजय रामा राव :**

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हैदराबाद हाऊस को आंध्र प्रदेश सरकार से खरीदने का अन्तिम रूप से निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को भूमि के मुआवजे और किराये की बकाया राशि के रूप में कितनी धनराशि दी जायेगी ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) भारत सरकार आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार से हैदराबाद हाऊस खरीदने की इच्छुक है।

(ख) और (ग) ब्यौरा विचाराधीन है।

महाराष्ट्र में कपास का उत्पादन

941. **श्री प्रताप राव बी० भोसले :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र देश में कपास का उत्पादन करने वाला एक प्रमुख राज्य है;

(ख) यदि हां, तो 30 जून, 1988 की स्थिति के अनुसार उक्त राज्य में कुल कितने क्षेत्र में कपास की खेती होती है; और

(ग) सरकार का, वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान कपास की खेती के अन्तर्गत क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां।

(ख) 30 जून, 1988 को महाराष्ट्र राज्य में कपास के अन्तर्गत कवर किया गया क्षेत्र 3.45 लाख हैक्टेयर था।

(ग) इस समय कपास वाले क्षेत्र में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

धान को संसाधित करने हेतु हल्लरों को हतोत्साहित करना

942. प्रो० मधु दण्डवते :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को धान संसाधित करने हेतु रोलरों को वरीयता देने हेतु हल्लरों को हतोत्साहित करने की सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र के पिछड़े कोंकण क्षेत्र के कमजोर वर्गों की समस्याओं, जैसे संसाधित करने हेतु आवश्यक न्यूनतम मात्रा और रोलरों में चावल पोलिश करने की सुविधा न होने तथा रोलरों के लिए 15 हजार रुपये के न्यूनतम पूंजी निवेश की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र के पिछड़े कोंकण क्षेत्र में कमजोर वर्गों को विशेष छूट दी जायेगी ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि वे धान के भूसी उतारने के लिए रबड़ रोल शैलर्स के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करें जबकि बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए भूसी रहित चावल को पालिश करने के लिए हल्लरों का इस्तेमाल करने की इजाजत है।

(ख) पिछड़े इलाकों और कमजोर वर्गों के लिए निम्नलिखित रियायतें दी जाती हैं :—

(1) पहाड़ी और आदिवासी इलाकों में स्थापित हल्लरों को आधुनिकीकरण से छूट दी गई है।

(2) 26-7-1984 से पूर्व स्थापित किये गये हल्लरों को आधुनिकीकरण से छूट दी गई है।

(3) इसके अलावा, 15 अश्वशक्ति और उससे कम शक्ति की मोटर द्वारा चलित उन हल्लर यूनिटों, सेलीकरण करने के लिए जिनके पास स्वयं अपने उपकरण नहीं हों और जो ग्रामीण इलाकों में स्थित हों और जो पारबायलिंग धान की केवल कस्टम मिलिंग करते हों, को 26-7-1984 के बाद स्थापित करने की इजाजत दी जाती है बशर्ते कि वे लाइसेंस जारी करने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के अन्दर आधुनिक उपकरण लगा लिये जाएं।

(ग) ऊपर (ख) में उल्लिखित रियायतें महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के लिए भी लागू हैं। कोई विशिष्ट छूट अपेक्षित नहीं है।

सेंसर बोर्ड की कार्य-प्रणाली

[हिन्दी]

943. श्री शान्ति धारीवाल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में फिल्म निर्माताओं, हीरो तथा हीरोइनों ने सेंसर बोर्ड की कार्य-प्रणाली में पर्याप्त परिवर्तन करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार की मांग विगत में भी लगातार की गई थी;

(ग) क्या सरकार इस बात को मानती है कि इस समय सेंसर बोर्ड की कार्य-प्रणाली दोषपूर्ण है; और

(घ) यदि हां, तो सेंसर बोर्ड की कार्य-प्रणाली को कारगर बनाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल०पी० शाही) : (क) और (ख) सरकार को फिल्म उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों से सम्बद्ध लोगों से अभ्यावेदन, ज्ञापन-पत्र तथा सुझाव प्राप्त होते रहते हैं। जनवरी, 1988 में बम्बई में आयोजित राष्ट्रीय फिल्म प्रमाणन सम्मेलन में कई सुझाव भी प्रस्तुत किये गये थे, जिसमें फिल्म उद्योग के सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों सहित जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से विशेषज्ञों तथा विख्यात व्यक्तियों ने भाग लिया था।

(ग) और (घ) चलचित्र अधिनियम, 1952 के अधीन गठित केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों को कारगर तथा सार्थक ढंग से कार्यान्वित करने के सभी प्रयास करता रहा है। तथापि, फिल्म प्रमाणन के सिद्धांतों, कानूनो और प्रक्रिया से संबद्ध सभी प्रकार के मामलों की गहन समीक्षा के लिए जनवरी, 1988 में बम्बई में एक राष्ट्रीय फिल्म प्रमाणन सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में अनेक महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई थीं, जो विचाराधीन हैं।

अवैध रूप से वीडियो फिल्म तैयार करने को रोकने के लिए उपाय

[अनुवाद]

944. प्रो० के० वी० थामस :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अवैध रूप से वीडियो फिल्म तैयार करने को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) इन्हें कब तक कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) और (ख) वीडियो फिल्मों के निर्माण को नियमित करने तथा पहले से प्रमाणित

सेलूलायड फिल्मों की वीडियो कापियां बाहर ले जाने के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार ने चलचित्र (प्रमाणन) नियमावली, 1983 के नियम 21 और 30 के प्रावधानों में संशोधन करते हुए एक अधिसूचना जारी की थी। संशोधन का सम्बन्ध सेलूलायड फिल्मों के वीडियो रूपांतरों के नवीन प्रमाणन तथा कैसेट एवं प्रत्येक वीडियो कापी के डिब्बे पर सेंसर प्रमाणपत्र की अनुलिपि चिपकाने से है। संशोधन 1-3-1984 से लागू हुआ।

सरकार ने अवैध रूप से वीडियो फिल्म तैयार करने को अपने नियंत्रण में रखने के लिए कापीराइट अधिनियम में भी संशोधन किया है। कापीराइट अधिनियम एक स्वामित्व सम्बन्धी अधिनियम है और जो लोग यह महसूस करते हैं कि उनके अधिकारों का अतिक्रमण किया गया है, जिसमें अवैध रूप से वीडियो फिल्म तैयार करने के मामले भी शामिल हैं, वे ऐसे अतिक्रमणों के विरुद्ध संबंधित प्राधिकारियों के सम्मुख शिकायतें रख सकते हैं। अत: अवैध रूप से वीडियो फिल्म तैयार करने को रोकने में केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की कोई सीधी भूमिका नहीं है। उनकी भूमिका सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रस्तुत की गई फिल्मों को प्रमाणित करना है।

बाजरे का समर्थन मूल्य

945. **श्री राम सिंह यादव :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोटे अनाज बाजरा का समर्थन मूल्य 145/-रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या राजस्थान में मोटे अनाज बाजरे का प्रचलित बाजार मूल्य कम होकर 120/- रु० प्रति क्विंटल हो गया था; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने किसानों को उनकी बाजरे की फसल का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) 1988-89 विपणन मौसम के लिए बाजरे की सामान्य औसत क्वालिटी का खरीद मूल्य 145/- रुपये प्रति क्विंटल निश्चित किया गया है।

(ख) और (ग) मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत बाजरे की अधिप्राप्ति का कार्य करने के लिए भारत सरकार की केन्द्रीय मुख्य एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय भारतीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) ने राजस्थान राज्य के 81 अभिज्ञात केन्द्रों में अधिप्राप्ति के लिए सभी प्रबन्ध कर लिए है। जहां कहीं भी बाजरे की सामान्य औसत किस्म का मूल्य 145/- रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य से नीचे गिरता है, नेफेड या उसकी एजेंसी राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ (राजफेड) माल की खरीद कर लेती है। 3-11-1988 तक नेफेड/राजफेड ने राज्य में 31 मंडियों/खरीद केन्द्रों से राजस्थान में बाजरे की 5175 मीटरी टन मात्रा अधिप्राप्त कर ली थी।

कीटनाशकों का आयात

946. श्री पी० आर० कुमारमंगलम :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने और अधिक कीटनाशकों का आयात करने की अनुमति मांगी है;

(ख) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अखिल भारतीय समन्वित परियोजनाओं, जिसकी आन्ध्र प्रदेश में यूनिट स्थित है द्वारा कपास और कई अन्य फसलों के लिए कीट नियंत्रण हेतु प्रभावी विकल्प के रूप में जैव नियन्त्रण तरीकों का पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या अत्यधिक कमी होने के कारण जैव नियन्त्रण पदार्थ किसानों को सरलता से उपलब्ध नहीं होते हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आन्ध्र प्रदेश स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अखिल भारतीय समन्वित परियोजनाओं के अन्तर्गत फसलों और कीटों के बारे में जैव नियन्त्रण एजेंटों और उपायों की पहचान करने, इनका पालन करने और इन्हें निर्मुक्त करने सम्बन्धी अनुसंधान कार्य विभिन्न चरणों में हैं, जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

क्र० सं०	फसल	कीट
1.	कपास	हेलियोथिस
2.	तम्बाकू	व्हाइट फ्लाई
3.	चावल	प्लांट होपर
4.	गन्ना	स्केल इनसेक्ट

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

पंजाब में बाढ़ से राष्ट्रीय राजमार्गों का क्षतिग्रस्त होना

947. श्री कमल चौधरी :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1988 के दौरान वर्षा और बाढ़ से पंजाब में क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत की गई है अथवा तुरन्त मरम्मत किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्य हेतु कितनी धनराशि व्यय की गई है

अथवा आवंटित की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) सितम्बर, 1988 की वर्षा और बाढ़ से पंजाब में राष्ट्रीय राजमार्गों (1, 1 क, 10, 15, 21 और 22) को क्षति पहुंची। प्रमुख क्षतियां निम्न प्रकार हैं :—

(i) लाधोवाल के निकट लुधियाना-फिल्लौर खण्ड में दो दरार।

(ii) धिलवल में रेल ओवरब्रिज का ध्वस्त होना।

(iii) निर्माणाधीन 3 पुलों के लिए डायवर्सनों का बह जाना।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 10 से 3 कि० मी० को छोड़कर राष्ट्रीय राजमार्गों को यातायात के लिये खोलने के लिये तत्काल मरम्मत कार्य कर दिया गया है। आगे का मरम्मत कार्य चल रहा है। अनुरक्षण के लिए 287.88 लाख रुपये के प्रावधान के अलावा 35.00 लाख रुपये की धनराशि रिलीज की गई है।

मुजफ्फरपुर मीटियोराइट

948. **श्रीमती किशोरी सिंह :**

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 अक्तूबर, 1988 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "रेअर मीटियोराइट टर्न टू डस्ट इन म्यूजियम" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि पटना संग्रहालय में रखा गया, मुजफ्फरपुर से प्राप्त दुर्लभ उल्कापिंड, गलत रसायनिक उपचार के कारण नष्ट हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) और (ख) पटना संग्रहालय बिहार राज्य सरकार के अधीन है। अतः सूचना राज्य सरकार से प्राप्त की जा रही है। प्राप्त होते ही सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बच्चों के कल्याण की नई योजनाएं

949. **श्री प्रकाश वी० पाटिल :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बच्चों के कल्याण की तीन नई योजनाएं आरम्भ की हैं;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं में से प्रत्येक योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन योजनाओं में से प्रत्येक योजना के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता देने का विचार है; और

(घ) क्या पूरे देश में उनके कार्यान्वयन के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) और (ख) जी, नहीं। इस मंत्रालय ने कोई नई योजना शुरू नहीं की है। परन्तु श्रम मंत्रालय ने 3 नई परियोजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने जो ब्यौरा दिया है वह संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) तीनों परियोजनाओं के लिए चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृत परिव्यय क्रमश: 31.19 लाख रुपये, 6.90 लाख रुपये और 30.09 लाख रुपये है।

(घ) चूंकि परियोजनाएं क्षेत्र प्रधान हैं, अतः देश भर में उनके कार्यान्वयन का प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राष्ट्रीय बालश्रम नीति की परियोजना आधारित कार्य योजना के अन्तर्गत श्रम मंत्रालय ने निम्नलिखित 3 नई परियोजनाएं शुरू की हैं —

(1) जयपुर, राजस्थान में कीमती पत्थरों को पोलिश करने के उद्योग में कार्य कर रहे बच्चों के कल्याण की परियोजना।

(2) मंदसौर, मध्य प्रदेश में स्लेट पैंसिल बनाने वाले उद्योग में काम करने वाले बच्चों के कल्याण की परियोजना।

(3) मरकापुर, आंध्र प्रदेश में स्लेट उद्योग में काम करने वाले बच्चों के कल्याण की परियोजना।

सभी तीनों परियोजनाओं के अन्तर्गत बाल श्रमिकों के लिए विशेष स्कूल खोले गए हैं। इन स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा/प्रशिक्षण, पूरक पोषाहार और निषिद्ध रोजगारों से निकाले हुए बच्चों को छात्रवृत्तियां तथा स्वास्थ्य सुरक्षा दी जाएगी। सरकार के आय/रोजगार उत्पादक एवं गरीबी निवारण कार्यक्रमों में बाल श्रमिकों के परिवारों को शामिल किये जाने का भी प्रस्ताव है। परियोजना क्षेत्रों में बाल श्रमिकों सम्बन्धी कानूनी उपबन्धों के प्रवर्तन को तेज किया जाएगा।

कृषि अनुसंधान

950. **श्रीमती माधुरी सिंह :**

डा० गौरी शंकर राजहंस :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही के वर्षों में कृषि अनुसंधान क्षेत्र में क्या सफलताएं प्राप्त की गई हैं; और

(ख) सरकार का देश में कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कौन से कदम उठाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) महोदय, हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई आधुनिक कृषि टेक्नोलाजी से कृषि उत्पादन को पर्याप्त रूप में बढ़ाने में मदद मिली है। वर्ष 1980-81 से 1986-87 की अवधि के दौरान खाद्यान्नों का उत्पादन 1023 से 1142 किलो०/हैक्टेयर, तोरिया और सरसों का उत्पादन 560 से 707 किलो०-हैक्टेयर, कपास का उत्पादन 152 से 169 किलो०/हैक्टेयर, गन्ने का 57844 से 59732 किलो०/हैक्टेयर, आलू का 13258 से 15423 किलो०/हैक्टेयर, और तम्बाकू का उतपदन 1065 से 1199 किलो०/हैक्टेयर बढ़ा है। इसी तरह 1980-81 से 1987-88 वर्षों के दौरान अंडे और दूध का उत्पादन भी बढ़ा है। अंडे का उत्पादन 10 अरब से बढ़कर 16.9 अरब और दूध का उत्पादन 31.6 मि० टन से बढ़कर 45.9 मि० टन हो गया है।

(ख) फसल सुधार, तिलहनों और दालों, बागवानी और सब्जियों, बारानी कृषि, जल संभर प्रबन्ध, बायो-टेक्नोलाजी, बहुत कम संख्या में पाये जाने वाले पशुओं की प्रजातियों का उत्पादन बढ़ाने तथा जल कृषि के क्षेत्र में किये जाने वाले अनुसंधान को मजबूत बनाने के लिए पहले से ही उपाय किये जा रहे हैं। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रायोजना के दूसरे चरण के तहत राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की क्षेत्रीय अनुसधान क्षमताओं को मजबूत बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण प्रयास शुरू कर दिये गये हैं।

इनके अतिरिक्त, वैज्ञानिकों की अदला-बदली, वैज्ञानिक मानव-शक्ति के प्रशिक्षण तथा फसलों तथा पशुओं के जर्मप्लाज्म की अदला-बदली की भी व्यवस्था की गई है। इसकी व्यवस्था कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग द्वारा दूसरे देशों और अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ 25 प्रोटोकोलों पर किये गये हस्ताक्षर के माध्यम से की गई है।

कर्नाटक में अनन्नास अनुसंधान केन्द्र

951. **श्री जी० देवराय नायक :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कर्नाटक में एक अनन्नास अनुसंधान केन्द्र खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अनन्नास उत्पादकों को इसके निर्यात हेतु प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) अन्य देशों से अनन्नास के लिए प्राप्त मांग का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) और (ख) महोदय, सरकार का कर्नाटक में अनन्नास के लिए एक अनुसंधान केन्द्र खोलने का विचार नहीं है। फिर भी, कर्नाटक स्थित भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर में अनन्नास पर किये जाने वाले कार्य में प्रगति जारी है।

वाणिज्य मंत्रालय ताजे फलों के निर्यात के लिए निम्नलिखित रूप में सहायता देता है।

(i) नकदी प्रतिपूरक सहायता सी० आई० एफ०/सी० एण्ड एफ० आधार पर हवाई जहाज द्वारा 22 प्रतिशत, यदि निर्यात करना हो। यदि अन्य प्रकार से निर्यात करना हो तो 10 प्रतिशत।

(ii) दिल्ली/बम्बई से नियत दूरी वाले, खाड़ी देशों तथा पश्चिम यूरोप में ताजे फलों के निर्यात की स्थिति में उनके विक्रय मूल्य की दरों पर।

(iii) आयात आपूरण : 10 प्रतिशत।

(iv) कमी : पैंकिंग सामग्री पर निर्धारित दरों में।

(ग) संसाधित अनन्नास मुख्य रूप से रूस को निर्यात किया जाता है। वर्ष 1986-87 के दौरान 2.40 करोड़ रुपये मूल्य के 3337 मिट्रिक टन अनन्नास रूस को निर्यात किये गये थे।

दिल्ली परिवहन प्राधिकरण के पास मार्ग कर अदायगी रिकार्ड

952. **श्री मेवा सिंह गिल :**

श्रीमती ऊषा वर्मा :

क्या जल-भूतल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में वाहन मालिकों की पंजीकरण पुस्तिका गुम हो जाने पर दूसरी पंजीकरण पुस्तिका प्राप्त करने में दोबारा सम्पूर्ण मार्ग कर देना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली परिवहन निगम वाहन मालिकों द्वारा मार्ग कर अदायगी का उचित और अद्यतन रिकार्ड रख रही है;

(ग) यदि हां, तो दिल्ली परिवहन निगम में मार्ग कर अदायगी का रिकार्ड किस अवधि तक अद्यतन किया गया है; और

(घ) इन रिकार्डों को कब तक अद्यतन किया जायेगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि सड़क कर अभिलेखों को नियमित रूप से अद्यतन बनाया जाता है और वर्ष 1985-86, 1986-87, 1987-88 और 1988-89 के ऐसे अभिलेखों को कम्प्यूटराइज कर दिया गया है।

दालों की कीमतों में वृद्धि

[हिन्दी]

953. **श्री कालो प्रसाद पांडेय :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष दालों की कीमतें एक हजार रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंचने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो दालों की कीमतों में इतनी तीव्र वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ग) क्या तिलहन तथा दालों का अधिक मात्रा में आयात किया जा रहा है और यदि हां, तो

वर्ष 1985, 1986, 1987 के दौरान तथा 31 अक्तूबर, 1988 तक आयात की गई दालों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन वर्षों के दौरान दालों के आयात पर कितने आयात शुल्क लगाया गया और प्रति क्विंटल आयात शुल्क की वर्तमान दर क्या है तथा जनवरी, 1988 की तुलना में कितनी वृद्धि/कमी हुई है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) देश के कुछ भागों में अक्तूबर, 1988 के अन्त में कुछ दलहनों के मूल्य प्रति क्विंटल 1000 रुपये से अधिक थे।

(ख) 1987 में पड़े सूखे की वजह से कमी के मौसम की वजह से उत्पादन में कमी और कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आने और भारी वर्षा होने के कारण सप्लाई करने में बाधा उत्पन्न होने और कुछ उत्तरी क्षेत्रों में परिवहन प्रचालकों की हड़ताल होने के कारण दलहनों के मूल्य सामान्यतया अधिक हैं।

(ग) खाद्य तिलहनों का बड़े पैमाने पर आयात नहीं हो रहा है। खुले सामान्य लाइसेंस के तहत दलहनों का आयात करने की अनुमति है। 1984-85 से दलहनों का आयात इस प्रकार है :—

वित्तीय वर्ष	मात्रा (हजार मी० टन)
1984-85	235
1985-86	429
1986-87	675
1987-88	757
1988-89 (अक्तूबर 1988 तक)	770*

*भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि० के साथ करार किया गया है।

(घ) फरवरी, 1987 तक दलहनों पर आयात शुल्क शून्य था। फरवरी, 1987 में इनके यथा मूल्य पर 25 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया गया था और 24-9-1987 से इसे कम करके 10 प्रतिशत कर दिया गया। 3-10-1988 से इस शुल्क को बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दिया गया था।

प्रधान मंत्री की विदेश यात्राओं पर किया गया व्यय

[अनुवाद]

954. **श्री सी० जंगा रेड्डी :**

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्रधान मंत्री की विदेश यात्राओं पर विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत कुल कितना खर्च किया गया; और

(ख) खर्च के प्रत्येक मद में विदेशी मुद्रा का अंश कितना है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

केरल सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के लिये अनुरोध

955. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :**

श्री पी० ए० एन्टनी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से केरल के विश्वविद्यालयों में वेतनमानों में संशोधन के मसले को उठाया था और इसके लिए आर्थिक सहायता मांगी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल०पी० शाही) : (क) और (ख) केरल के विश्वविद्यालयों में संशोधित वेतनमानों के कार्यान्वियन के लिए केरल सरकार से कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। शिक्षा मंत्री, केरल सरकार ने हाल ही के एक पत्र में सुझाव दिया था कि केन्द्र को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वेतनमानों के कार्यान्वियन के लिए स्थायी आधार पर संपूर्ण अतिरिक्त व्यय को वहन करना चाहिए।

(ग) केन्द्रीय सरकार 1-1-1986 से 31-3-1990 तक केन्द्रीय सहायता के रूप में राज्य सरकारों को वेतनमानों के संशोधन के फलस्वरूप होने वाले अतिरिक्त व्यय का 80% प्रदान करने को सहमत हो गई है। केन्द्रीय सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है जिसके अन्तर्गत वह इस कारण होने वाले संपूर्ण अतिरिक्त व्यय को वहन करे अथवा मार्च, 1990 से आगे सहायता प्रदान करे।

इण्डियन आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड के कार्यचालन को सुचारू रूप से चलाना

956. **श्री उत्तम राठोड़ :**

श्रीमती बसवराजेश्वरी :

क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड के एककों के कार्यचालन को सुचारू बनाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसके फलस्वरूप इस्पात के उत्पादन पर असर पड़ेगा; और

(घ) यह निर्णय कब तक लागू किया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) और (ख) बेसमर कंवर्टर जैसी अप्रचलित और अलाभकर इकाइयों के सतत प्रचालन के कारण हुई भारी आर्थिक हानि को ध्यान में रखते हुए, "इस्को" अलाभकर इकाइयों को समाप्त करने पर विचार कर रही है ताकि घाटा कम किया जा सके।

(ग) और (घ) इस योजना के कार्यान्वियन के परिणामत: जिसमें लगभग छ: महीने का समय लग सकता है, इस्पात पिन्ड का उत्पादन लगभग 52,000 टन प्रति मास के मौजूदा औसत स्तर के मुकाबले घटकर 32,000 टन प्रति मास रह जाएगा।

बंगला देश के प्रसार-माध्यमों द्वारा बाढ़ के लिये भारत को दोषी ठहराना

957. **श्री बृज मोहन महन्ती** :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि बंगलादेश के रेडियो व सरकारी प्रसार-माध्यम बंगलादेश में आई बाढ़ के लिए भारत को दोषी ठहरा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) यह बता दिया गया है कि ये खबरें झूठी और शरारतपूर्ण हैं। ढाका स्थित भारतीय हाई कमीशन के अधिकारियों ने भी इन खबरों का स्थानीय रूप से प्रतिवाद करने की कोशिश की है।

उड़ीसा में विभिन्न विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध गैर-सरकारी कालेजों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदान दिया जाना

958. **श्री सोमनाथ रथ** :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में ऐसे कई कालेजों को जिन्हें विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की गई है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुदान नहीं देता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसे कालेजों को सहायता देने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) और (ख) जो कालेज 17 जून, 1972 के बाद स्थापित किए गये हैं, वे केवल तभी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से वित्तीय सहायता के लिए पात्र होते हैं, यदि वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के तहत धारा 12(ख) के प्रावधानों के अनुसार आयोग द्वारा ऐसी वित्तीय सहायता के लिए उपयुक्त घोषित किये जाते हैं। ऐसी घोषणा के लिए कालेजों द्वारा पूरी की जाने वाली मुख्य शर्त यह है कि सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा इसको स्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाए। उपलब्ध सूचना के अनुसार उड़ीसा में छ: कालेजों को उनके विश्वविद्यालयों द्वारा स्थायी सम्बद्धता

नहीं प्रदान की गई है, इसलिए इनको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सहायता के लिए उपयुक्त घोषित नहीं किया गया है। आयोग ने इस मामले को उड़ीसा सरकार और राज्य के विश्वविद्यालयों के ध्यान में ला दिया है और उनसे इस मामले की समीक्षा करने के लिए अनुरोध किया गया है।

चावल, गेहूं और चीनी का समर्थन मूल्य

959. **श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश :**

श्री राज कुमार राय :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसानों को बढ़िया और घटिया किस्म के चावल, गेहूं और गन्ने के लिए क्या मूल्य दिया जा रहा है;

(ख) क्या ये मूल्य कृषि सम्बन्धी आदानों की बढ़ती लागत को ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए लाभप्रद माने गए हैं;

(ग) क्या उपर्युक्त मूल्यों में वृद्धि करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के किसानों द्वारा अनुरोध किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) सरकार ने 1988-89 के विपणन मौसम के लिए निम्नलिखित स्तरों पर मूल्य निर्धारित किए हैं :—

जिंस	किस्म	क्वालिटी	मूल्य रुपये में प्रति क्विंटल
धान (अधिप्राप्ति मूल्य)	सामान्य	उचित औसत किस्म	160
	उत्तम	—तदैव—	170
गेहूं (अधिप्राप्ति मूल्य)	—	—तदैव—	173
गन्ना सांविधिक न्यूनतम मूल्य			19×

× 8.5 प्रतिशत की मूल वसूली से जुड़े हैं, उस स्तर से अधिक वृद्धि होने पर प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की वृद्धि के लिए आनुपातिक प्रीमियम दिया जाएगा।

(ख) अधिप्राप्ति/समर्थन मूल्य लाभकारी हैं और ये मूल्य सरकार द्वारा कृषि लागत तथा मूल्य आयोग की सिफारिशों, राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों और योजना आयोग के विचारों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए जाते हैं। कृषि लागत तथा मूल्य आयोग, इन मूल्यों की सिफारिश

करते समय, अन्य बातों के साथ-साथ कृषि आदान सम्बन्धी मूल्यों के परिवर्तनों को भी ध्यान में रखता है।

(ग) इन मूल्यों में वृद्धि करने के लिए किसानों ने कुछ मांगें की हैं।

(घ) किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना सरकार की घोषित नीति है। मूल्यों में समय-समय पर वृद्धि की गई है।

बाल केन्द्रित शिक्षा पर ध्यान

960. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा हाल ही में आयोजित की गई एक राष्ट्रीय विचार-गोष्ठी में सूचना केन्द्रित शिक्षा के बजाय बाल केन्द्रित शिक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया गया था;

(ख) क्या सरकार ने इस सुझाव की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल०पी० शाही) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) रा०शै०अ०प्र० परिषद द्वारा राष्ट्रीय संगोष्ठी की रिपोर्ट का संकलन किया जा रहा है।

देवलथल में भारत रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड

[हिन्दी]

961. **श्री हरीश रावत :**

क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने देवलथल में भारत रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड के लिए बिजली प्रभारों और स्थानीय करों में कुछ छूट देने के बारे में प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

असम को उर्वरक का आवंटन

[अनुवाद]

962. **श्री मक्षेश्वर तांती :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम को वर्ष 1988-89 के दौरान आवंटित रासायनिक उर्वरक की मात्रा राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त हैं; और

(ख) यदि हां, तो असम राज्य सरकार द्वारा कितनी मात्रा में रासायनिक उर्वरक की मांग की गई थी और केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी मात्रा में नियतन किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां।

(ख) असम सरकार द्वारा मांगी गयी उर्वरकों की मात्रा तथा भारत सरकार द्वारा किये गये आवंटन की मात्रा नीचे दी गयी है :

(हजार मी० टन)

एन० + पी० + के०

वर्ष/मौसम	असम सरकार द्वारा मांगी गयी मात्रा	भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी मांग
खरीफ, 88	22.24	22.24
रबी, 88-89	21.35	21.35
कुल	43.59	43.59

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध की सप्लाई

[हिन्दी]

963. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना की स्थापना दिल्ली महानगर की जनता को सस्ती दरों पर दूध उपलब्ध कराने की दृष्टि से की गई थी;

(ख) यह इस उद्देश्य को पूरा करने और लोगों की दूध की मांग को पूरा करने में कहां तक सफल हुआ है;

(ग) क्या सरकार दिल्ली के लोगों को सस्ती दरों पर एवं पर्याप्त मात्रा में दूध की सप्लाई के लिये कोई अन्य संस्था की स्थापना करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो यह कब तक ऐसा हो जायेगा और यदि नहीं, तो दिल्ली के लोगों को पर्याप्त मात्रा में और उचित दरों पर दूध की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये सरकार का क्या प्रस्ताव है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) दिल्ली दुग्ध योजना को अन्य बातों के साथ-साथ दिल्ली के उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर

तरल दूध की सप्लाई करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था।

(ख) इन उद्देश्यों को एक पर्याप्त सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है जैसा कि इस बात को इस तथ्य से देखा जा सकता है कि दिल्ली दुग्ध योजना इस समय प्रतिदिन लगभग 4 लाख लीटर टोन्ड दूध का विपणन कर रही है और यह अपनी प्रतिष्ठापित क्षमता का लगभग पूरा उपयोग कर रही है। बढ़ती हुई उपभोक्ता मांग को पूरा करने की दृष्टि से अधिष्ठापित क्षमता में प्रतिदिन 1 25 लाख लीटर दूध का उत्पादन करके इसमें और विस्तार किया जा रहा है।

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा विपणित टोन्ड दूध का मूल्य प्रतिलीटर 3.30 रुपये है जो दिल्ली में प्रचलित खुले बाजार मूल्यों से काफी कम है।

(ग) और (घ) एक तीसरी डेयरी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है ताकि प्रतिदिन 4 लाख लीटर अतिरिक्त दूध मुहैया करके दिल्ली दुग्ध आपूर्ति में वृद्धि की जा सके।

राष्ट्रीय राजमार्गों का सुधार

[अनुवाद]

964. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार हेतु 21 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है;

(ख) यदि हां, तो उन राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा क्या है जिन पर यह धनराशि खर्च की जायेगी; और

(ग) यह सुधार-कार्य, जिसके लिये यह धनराशि स्वीकृत की गई है, कब तक पूरा किया जायेगा ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) वर्ष 1988-89 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 74.50 करोड़ रुपये की लागत से 167 स्कीमों की मंजूरी दी गई है। इनमें 24 राज्यों/संघ क्षेत्रों के राष्ट्रीय राजमार्ग आते हैं और प्रत्येक स्कीम के पूर्ण होने की अवधि भिन्न-भिन्न है।

इस समय इन स्कीमों के पूर्ण होने का समय बता पाना संभव नहीं है।

सरकार द्वारा सहायता प्राप्त इंजीनियरिंग कालेज

965. श्री के० राममूर्ति :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता प्राप्त इंजीनियरिंग कालेजों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इन इंजीनियरिंग कालेजों को क्रमशः कितना-कितना वार्षिक अनुदान दिया जाता है;

(ख) क्या इन कालेजों द्वारा उक्त सहायता राशि के मामले में निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किये जाने पर क्या नियंत्रण रखा जा रहा है; और

(ग) ऐसे प्रत्येक इंजीनियरिंग कालेज को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल०पी० शाही) : (क) से (ग) सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा उनकी सहायक-अनुदान संहिता के अन्तर्गत इंजीनियरी कालेजों को वार्षिक अनुदान दिये जाते हैं तथा राज्य सरकारों द्वारा इन कालेजों पर इस प्रयोजनार्थ निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुसार नियंत्रण किया जाता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्य सहायक अनुदान संहिता के अन्तर्गत स्थापित इंजीनियरी कालेज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से कोई सहायता प्राप्त नहीं करते हैं।

इस्पात एककों में भर्ती

966. **श्री राम स्वरूप राम** :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के इस्पात एककों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों के कोटे को भर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इस कोटे के कितने प्रतिशत पदों को भरा जाना बाकी है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) आरक्षित पदों को भरने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) और (ख) दिनांक 1-1-1988 की स्थिति के अनुसार स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० की सरकारी क्षेत्र की इस्पात इकाइयों और राष्ट्रीय इस्पात निगम लि० में कार्यरत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी से सम्बन्धित कर्मचारियों की प्रतिशतता नीचे दिए अनुसार थी :—

इकाई	अनुसूचित जाति का प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत
"सेल"	12.77	8.39
आर०आई०एन०एल०	13.30	2.05

'सेल" के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों के लिये तथा आर०आई०एन०एल० के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिये आरक्षित पदों का कोटा भरने में कमी होने का मुख्य कारण इन समूहों में उपयुक्त उम्मीदवारों का नहीं मिल पाना है।

(ग) आरक्षित पदों को भरने के लिए सरकारी क्षेत्र की इस्पात की इकाइयों द्वारा किये गये उपायों में निम्नलिखित उपाय सम्मिलित हैं :

(1) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की आयु, योग्यता, अनुभव,

अर्हक स्तर, आवेदन-पत्र के शुल्क आदि में ढील/रियायत देना।

(2) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की विशेष भर्ती करना।

(3) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(4) "सेल" द्वारा ऐसे अ० जातियों/ अ० जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए पूर्व रोजगार प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, जिनका प्रबन्धन प्रशिक्षणार्थी (तकनीकी) के रूप में चयन नहीं हो पाता है।

(5) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के इंजीनियरी के अंडरग्रेजुएट छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था करना और "सेल" में प्रबन्धन प्रशिक्षणार्थी (तकनीकी) के रूप में उनको रोजगार देने पर विचार करना।

विश्वविद्यालय परीक्षा प्रणाली के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशें

967. **डा० दत्ता सामन्त :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय परीक्षा प्रणाली के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशें क्या हैं;

(ख) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इन सिफारिशों को कब लागू किया जायेगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल०पी० शाही) : (क) से (ग) 1974 से, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विभिन्न विश्वविद्यालयों को उनके द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में मूल्यांकन की विश्वसनीयता, वैधता तथा वस्तु परकता में सुधार लाने के उपायों की सिफारिश करता रहा है। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(I) आन्तरिक मूल्यांकन (41 विश्वविद्यालयों ने आन्तरिक मूल्यांकन की पद्धति शुरू की है)।

(II) ग्रेड पद्धति शुरू करना (45 विश्वविद्यालयों ने ग्रेड पद्धति शुरू की है)।

(III) सेमेस्टर पद्धति शुरू करना (71 विश्वविद्यालयों ने सेमेस्टर पद्धति शुरू की है)।

(IV) प्रश्न बैंक तैयार करना (25 विश्वविद्यालयों ने प्रश्न बैंक शुरू किये हैं)। 1986 में आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अन्तर्गत विनियम तैयार किये थे जिनमें कुछ न्यूनतम परीक्षा सुधार निर्धारित किये गये हैं। इनमें ये शामिल हैं :—

(I) इकाइयों/क्षेत्रों में पाठ्यक्रम का विभाजन (51 विश्वविद्यालयों ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया है)।

(II) पिछली परीक्षाओं में दिये गये प्रश्न दोहराने के लिये परीक्षकों को स्वतन्त्रता (53 विश्वविद्यालयो ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया है)।

(III) पाठ्यक्रम की प्रत्येक इकाई के लिये प्रश्नों का उत्तर देने के विकल्प को सीमित करना (50 विश्वविद्यालयों ने यह सुझाव स्वीकार कर लिया है)।

(IV) व्याख्यानों/ट्युटोरियल/प्रयोगशाला सत्रों की न्यूनतम संख्या की आवश्यकता को पूरा किये बिना कोई परीक्षा आयोजित नहीं की जानी चाहिए। (52 विश्व-विद्यालयों ने यह सुझाव स्वीकार कर लिया है।

(V) सुरक्षा, पर्यवेक्षण, निरीक्षण आदि जैसे विभिन्न उपाय ताकि परीक्षा सही ढंग से आयोजित की जा सके (45 विश्वविद्यालयों ने पुष्टि की है कि वे उपर्युक्त उपाय कर रहे हैं)।

बड़ाद्वार इस्पात और डोलोमाइट खानें

[हिन्दी]

968. **डा० प्रभात मिश्र :**

क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किस तारीख तक राउरकेला इस्पात संयंत्र की बड़ाद्वार इस्पात और डोलोमाइट खान के खोले जाने की संभावना है; और

(ख) कितने व्यक्तियों को विभागीय और ठेके के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराये जाने की संभावना है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) और (ख) यद्यपि इस्पाप डोलो-माइट खदान बड़ाद्वार को पुनः खोलने की तारीख अभी निश्चित नहीं की गई है, तथापि दिसम्बर, 88 के अन्त तक कार्य के पुनः आरम्भ होने की सम्भावना है। फिलहाल श्रमशक्ति की आवश्यकता का अध्ययन किया जा रहा है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन की संयुक्त सलाहकार तन्त्र योजना के अन्तर्गत परिषद् की बैठक

[अनुवाद]

969. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन की संयुक्त सलाहकार तन्त्र योजना के अन्तर्गत परिषद् की दूसरी बैठक अगस्त, 1988 में आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बैठक में लिये गये निर्णयों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल०पी० शाही) : (क) से (ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन की संयुक्त परामर्श दात्री मशीनरी के अन्तर्गत 19-8-88 को हुई स्टाफ परिषद की बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये थे :—

(1) इस परिषद ने, इस संशोधन के साथ की परिषद कि साधारण बैठकें प्रत्येक वर्ष जनवरी, मई तथा सितम्बर के बजाय फरवरी, जून तथा अक्तूबर में आयोजित की जानी चाहिए, शासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित इस प्रयोजनार्थ नियमों के अनुसार परिषद के कार्य संचालन हेतु प्रक्रिया अपनाई।

(2) यह सहमति व्यक्त की गयी थी कि परिषद के कार्य संचालन हेतु सुनिश्चित नियमों को सदस्यों में परिचालित किया जाए तथा अक्तूबर, 1988 के अन्त तक परिषद की प्रथम बैठक बुलाई जाये।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को उनकी शिशु आहार उत्पादन क्षमता का पुनः विस्तार करने के लिए रियायत

970. **श्री महेन्द्र सिंह** :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने दुग्ध उत्पादों के लिए लाइसेंस क्षमता में लगभग 5 प्रतिशत वृद्धि की शर्त लगाकर और शिशु आहार का उत्पादन करने के लिए क्षमता का पुनः विस्तार करने पर प्रतिबन्ध लगाकर दुग्ध उत्पाद फैक्टरियों को लाइसेंस जारी करने के लिए मार्गनिर्देश निर्धारित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी बहुराष्ट्रीय कम्पनी को मार्गनिर्देशों में छूट देकर, वर्ष 1983 में उसकी स्वीकृत की गई 10,000 मीट्रिक टन की मौजूदा लाइसेंस क्षमता में 5300 मीट्रिक टन वृद्धि करके, उसके शिशु आहार उत्पादन में वृद्धि की अनुमति दी गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या अन्य मामलों में भी ऐसी रियायतें दी गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) संघ सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों में यह शर्त है कि निजी क्षेत्र में मौजूदा यूनिट की क्षमता के विस्तार के आवेदन-पत्र पर विचार किया जाये लेकिन यह क्षमता विस्तार मौजूदा लाइसेंस शुदा क्षमता से प्रति-वर्ष अधिक से अधिक 5 प्रतिशत तक होगा। तथापि, ब्रांड बांडिंग के बारे में लाइसेंसी को कुल लाइसेंसशुदा क्षमता के अन्दर विभिन्न दुग्ध उत्पादों का उत्पादन करने के लिए अनुमति दी जा सकती है लेकिन यह शर्त होगी कि बेबी फूड का उत्पादन उस यूनिट के लिए विहित लाइसेंसशुदा क्षमता से अधिक नहीं होगा।

(ख) संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार करने के बाद बेबी फूड के उत्पादन में पर्याप्त विस्तार करने के लिए किसी बहुराष्ट्रीय कम्पनी को कोई औद्योगिक लाइसेंस नहीं दिया गया है।

(ग) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

बालिका छात्रावासों की कमी

[हिन्दी]

971. प्रो० चन्द्र भानु देवी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्याप्त संख्या में बालिका छात्रावास उपलब्ध न होने के कारण अनेक बालिकाएं कालेज शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल०पी० शाही) : (क) देश के विश्वविद्यालयों और कालेजों में छात्रावास आवास की काफी कमी है। तथापि, विश्वविद्यालय और कालेजों में महिलाओं के दाखिले में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है। यह 1975-76 में 5.95 लाख (कुल दाखिले का 24.51%) से बढ़कर 1986-87 में 11.25 लाख (कुल दाखिले का 30.61%) हो गया है।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, लड़कों के छात्रावासों की अपेक्षा लड़कियों के छात्रावासों के निर्माण की अधिक उदारता से सहायता कर रहा है। लड़कियों के छात्रावासों के मामले में अनुमोदित लागत का 75% आयोग द्वारा वहन किया जाता है जबकि लड़कों के छात्रावासों के मामले में 50% ही प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सहायता के लिये दाखिले की न्यूनतम अपेक्षा लड़कियों के कालेजों के मामले में घटाकर 150 कर दी गई है जबकि लड़कों के मामले में यह 250 है।

प्रधान मन्त्री की भूटान यात्रा

[अनुवाद]

972. श्री बी० तुलसी राम :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने सितम्बर, 1988 में भूटान की यात्रा की थी; और

(ख) यदि हां, तो यात्रा के दौरान भूटान नरेश से हुई चर्चा के निष्कर्ष क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न द्विपक्षीय मामलों पर विचारों का आदान-प्रदान।

मत्स्ययन पत्तनों पर मत्स्ययन नौकाओं का लंगर डालना

973. श्री दौलत सिंह जी जदेजा :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गहरे समुद्र में मत्स्ययन नौका के किसी मत्स्ययन पत्तन पर लंगर डालने

के बारे में औसतन दिनों की संख्या संबंधी कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पत्तनों और मत्स्ययन नौकाओं के लम्बी अवधि तक लंगर डाले रहने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) कोई विशेष सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, सामान्य परिस्थितियों में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयान एक माह में 2 से 3 दिन के लिये लंगर डालते हैं।

(ग) पत्तनों पर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों की लम्बी अवधि तक लंगर डालने के कारण हैं—मछली पकड़ने का मौसम न होना, बड़ी मरम्मत आदि का होना है।

समेकित जल विभाजन विकास परियोजना

974. **डा० ए० के० पटेल :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों के लिये विश्व बैंक से सहायता प्राप्त समेकित जल विभाजन विकास परियोजना की रूपरेखा और उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में वर्ष 1984 से इसकी प्रायोगिक परियोजनाएं पहले से ही कार्य कर रही हैं, यदि हां, तो प्रायोगिक परियोजनाओं संबंधी प्रौद्योगिकी के कार्य-निष्पादन संबंधी निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) क्या कुछ अन्य राज्यों से भी उनके क्षेत्रों में इस प्रौद्योगिकी के विस्तार के लिए परामर्श किया गया था, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) दो समेकित जल विभाजक विकास परियोजनाएं पाइपलाईन में हैं जिनके लिए विश्व बैंक द्वारा मदद की जानी है। एक जम्मू व कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों से संबंधित है तथा दूसरी उड़ीसा, राजस्थान और तमिलनाडु के मैदानों से सम्बन्धित है। इन परियोजनाओं की मुख्य बातें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) जी हां। इस परियोजना ने स्वस्थाने मृदा संरक्षण तथा अपवाह के लिये वानस्पतिक कन्टूर बेरियर पर आधारित साधारण, दोहरी तथा सम्भव प्रौद्योगिकी के माध्यम से उत्पादन पर अच्छा असर दिखाया है।

(ग) समेकित जलविभाजक विकास परियोजना (पहाड़ियां) के लिए जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के राज्यों से सलाह की गई। उत्तर-प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों ने भाग लेना स्वीकार कर लिया है। आंध्र-प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के राज्यों के अतिरिक्त जहां यह योजना पहले से शुरू है मैदानों के लिए उड़ीसा, राजस्थान तथा तमिलनाडु के राज्यों को इस योजना में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। गुजरात, बिहार तथा उत्तर प्रदेश के राज्यों से भी सलाह की गई थी। गुजरात तथा बिहार राज्यों ने परियोजना में शामिल होने के लिए सहमति दे दी है।

विवरण

समेकित पनधारा विकास परियोजना—मुख्य बातें

समेकित पनधारा विकास परियोजना की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

1. वानस्पतिक मृदा और आर्द्रता संरक्षण;
2. फसल उत्पादन विकास (चारा, ईंधन की लकड़ी और बागवानी सहित);
3. वन उत्पादन (ईंधन की लकड़ी, चारा, इमारती लकड़ी ;
4. ग्रामीण सड़कों का अवसंरचनात्मक विकास, प्राकृतिक ड्रेनेज लाइनों और गांवों की जल सप्लाई का स्थिरीकरण;
5. भू-उपयोग नियोजन को सुदृढ़ करना;
6. प्रशिक्षण;
7. पनधाराओं में प्रभावी भू-उपयोग नियोजन को कार्यान्वित करने के लिए संस्थागत योग्यता को बढ़ाना।
8. पनधारा विकास में अन्तःअभिकरण समन्वय हेतु प्रभावी संस्थागत प्रबन्धों को शुरू करना;
9. निजी फार्म-भूमि पर मृदा और जल संरक्षण तथा फसल उत्पादन केन्द्रों के लिए नवीन और सरल कम लागत वाली दोहरी प्रौद्योगिकियों की निरन्तर शुरुआत;
10. पनधाराओं में सभी प्रकार की सार्वजनिक और सामुदायिक भूमि पर दोहरी और उत्पादक प्रौद्योगिकी तथा प्रबन्ध प्रणालियों की शुरुआत।

शिशु दुग्ध और दूध की प्रतिपूर्ति करने वाले आहार

975. **श्री कमला प्रसाद रावत :**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिशु दुग्ध और दूध की प्रतिपूर्ति करने वाले विभिन्न आहारों के जिनमें दूध के साथ दिये जाने वाले आहार, क्षुधा तुष्टि करने वाले आहार आदि भी शामिल हैं, उत्पादन में हाल ही में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न आहारों की वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त आहारों का प्रत्येक निर्माता द्वारा वर्ष 1982 के दौरान कितना उत्पादन किया गया और इस समय कितना उत्पादन किया जाता है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) शिशु दुग्ध आहार और विभिन्न शिशु आहार दोनों को मिलाकर उनके अनुमानित उत्पादन में 1985 और 1986

के वर्षों के दौरान दोनों को मिलाकर उनके उत्पादन की तुलना में वर्ष 1987 में गिरावट आई है। बच्चों को दूध के साथ दिए जाने वाले आहार और क्षुधा तुष्टि करने वाले आहार की श्रेणी में कोई विशिष्ट रूप से दूध पर आधारित आहार नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) 1982 और 1987 के वर्षों के दौरान यूनिटवार शिशु दुग्ध आहार और विभिन्न शिशु आहारों का अनुमानित वार्षिक उत्पादन संलग्न विवरण में दिया जाता है।

विवरण

1982 और 1987 के वर्षों के दौरान शिशु दुग्ध आहार और विभिन्न शिशु आहारों का यूनिटवार अनुमानित वार्षिक उत्पादन

(आंकड़े मीटरी टन)

क. शिशु दुग्ध आहार का उत्पादन

शिशु दुग्ध आहार का उत्पादन

क्र० सं०	यूनिट का नाम	स्थान	1982	1987
1	2	3	4	5
1.	**सरकारी/सहकारी/निजी क्षेत्र**			
1.	मै० आंध्र प्रदेश डेरी डेवलपमेंट कारपोरेशन (फेडरेशन)	प्रोड्डुटूर	—	66
2.	वही	विजयवाड़ा	2459	28
3.	मै० कैरा डिस्ट्रिक्ट कोआप० मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लि०	आनन्द	9130	9690
4.	मै० महसाना डिस्ट्रिक्ट कोआप० मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लि०	मेहसाना	11390	11185
5.	मै० साबरकंठा डिस्ट्रिक्ट कोआप० मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लि०	साबरकंठा	5220	6675
6.	मै० राजस्थान कोआप० डेरी फेडरेशन लि०	रानीवाड़ा	409	—
7.	मै० प्रादेशिक कोआप० डेरी फेडरेशन लिमिटेड	मुरादाबाद	912	—

1	2	3	4	5
8.	मै० होशियारपुर कोआप० मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड	होशियारपुर	—	136
9.	मै० पंजाब स्टेट डेरी डवलपमेंट कारपोरेशन (फेड०) लि०	लुधियाना	27	3
10.	मै० रापटाकोस ब्रेट एण्ड कं० लि०	बम्बई	2045	1936
11.	मै० ग्लिन्डिया लि०	अलीगढ़	2848	1490
12.	मै० लिप्टन (इंडिया) लि०	एटा	796	331
13.	मै० मिल्क फूड लि०	बहादुरगढ़ (पंजाब)	28	222
14.	मै० फूड स्पेसलिटिज लि०	मोगा	8806	11817
15.	मै० हरियाणा मिल्क फूड	पेहवा	977	814
16.	मै० डेम्पू डेरी इंडस्ट्रीज लि०	बीजापुर (कर्नाटक)	—	75
17.	मै० डालमिया डेरी इंडस्ट्रीज लि०	भरतपुर	1083	1935
18.	मै० फोरमोस्ट इंडस्ट्रीज (इंडिया) लि०	सहारनपुर	1295	162
	जोड़		47425	46565
	ख. शिशु आहार का उत्पादन			
	सहकारी/निजी क्षेत्र			
1.	कैरा डिस्ट्रिक्ट कोआप० मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लि०	आनन्द	74	—
2.	मै० ग्लिंडिया लि०	अलीगढ़	2001	2686
3.	मै० फूड स्पेसलिटिज लि०	मोगा	1 88	5686
4.	मै० रापटाकास ब्रेट०एण्ड कं० लि०	बम्ब	—	9
	जोड़		3463	8381
	कुल जोड़ (क+ख)		50888	54946

दिल्ली के बालिका विद्यालयों में अध्यापिकाओं के रिक्त पद

976. **श्री धर्म पाल सिंह मलिक :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन द्वारा दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में चलाये जा रहे बालिका विद्यालयों में अध्यापिकाओं के पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) क्या अनेक अध्यापिकाएं नगर के बाल विद्यालयों में पढ़ा रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो बालिका विद्यालयों में उनकी तैनाती न किये जाने के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल०पी० शाही) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) कुछ महिला अध्यापिकाओं को स्वास्थ्य तथा अन्य किन्हीं कठिनाइयों के आधार पर उनके अनुरोधों पर उन्हें लड़कों के स्कूलों में तैनात किया गया है।

अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह में मत्स्य उद्योग का विकास

977. **श्री ए० चार्ल्स :**

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में अन्तर्देशीय, तटीय तथा गहन समुद्र मत्स्य उद्योग के विकास के लिए किसी परियोजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) परियोजना को कार्यान्वित करने तथा निर्यात व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भी क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (ग) अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अन्तर्देशीय और तटीय मात्स्यकी के विकास के लिये 1988-89 के दौरान ग्यारह मात्स्यकी योजना स्कीम चल रही हैं। ये स्कीमें हैं :—अन्तर्देशीय मात्स्यकी विकास, अनिवार्य मात्स्यकी सामग्री की सप्लाई, यंत्रीकृत नौकाओं की सप्लाई, 10 टन के आइस प्लांट, 5 टन के प्रशीतन संयंत्र और 25 टन के हिमित भण्डार का संयोजन, मात्स्यकी के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण, मत्स्यन और सम्बद्ध कार्यकलापों के लिये उद्यमियों को सहायता, परिसंस्करण और भण्डारण की सुविधाएं प्रदान करना, मात्स्यकी संसाधनों का संरक्षण और मानिटरिंग, विपणन और संगठन, मछली उतारने और जहाज ठहराने की सुविधाएं और तटीय जल कृषि। 28-6-1988 को पंजीकृत की गई अण्डमान व निकोबार समेकित विकास निगम अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में तट से परे और गहरे समुद्र में मत्स्यन के संसाधनों के निर्यातोन्मुखी उपयोग पर ध्यान देता है।

पशु प्लेग के कारण वार्षिक हानि

978. श्री वी० शोमनाद्रीश्वर राव :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार पशु प्लेग के कारण कितने पशुओं की वार्षिक हानि होने का अनुमान है और धनराशि के रूप में यह कितनी हानि है; और

(ख) इस रोग पर नियन्त्रण पाने और इसका उन्मूलन करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) पिछले दिनों भारी पैमाने पर टीका लगाने का कार्य किया गया, साथ ही साथ बछड़ों को टीका लगाना, अन्त:राज्यीय और अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ असंक्राम्य क्षेत्रों का विकास तथा एक राज्य से दूसरे राज्यों को जाने वाले व्यापारिक पशुओं के संरक्षण का कार्य किया गया। भविष्य में ये कार्यकलाप निगरानी और नियन्त्रण उपायों द्वारा तेज किये जाएंगे। इस उद्देश्य के लिये, भारत सरकार ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उनके अपने चल रहे प्रचालनात्मक कार्यक्रमों के अतिरिक्त, सहायक अनुदान के रूप में लगभग 15 करोड़ रुपये निर्धारित किये हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत में पशु प्लेग के कारण पशुओं की राज्यवार मृत्यु

क्र०सं०	प्रजातियां राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पशु प्लेग के कारण हुई मौत 1985-86	 1986-87	 1987-88
1	2	3	4	5
	पशु एवं भैंस			
1.	आन्ध्र प्रदेश	357	179	174
2.	बिहार	1179	11	25
3.	गुजरात	—	1541	1540
4.	हरियाणा	135	335	178
5.	कर्नाटक	42	189	196
6.	केरल	20	97	10
7.	मध्य प्रदेश	537	176	6
8.	महाराष्ट्र	154	137	69

1	2	3	4	5
9.	नागालैंड	13	—	—
10.	उड़ीसा	85	1011	13
11.	पंजाब	20	—	7
12.	राजस्थान	—	—	70
13.	तमिलनाडु	138	72	279
14.	उत्तर प्रदेश	227	246	—
15.	पश्चिम बंगाल	764	25	13
16.	दिल्ली	140	47	—
17.	पाण्डिचेरी	29	—	—
	कुल :	3840	4066	2580
	भेड़ एवं बकरी			
1.	आन्ध्र प्रदेश	1165	553	435
2.	कर्नाटक	10	21	75
3.	महाराष्ट्र	—	669	12
4.	तमिलनाडु	127	44	186
	कुल :	1302	1287	708
	सुअर			
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	30	25
2.	कर्नाटक	—	3	12
3.	तमिलनाडु	40	—	—
	कुल :	40	33	37

पशु प्लेग रोग से पशुओं की हुई मौत के कारण आर्थिक हानि का कोई अनुमान नहीं लगाया गया है।

बायो-उर्वरक का विकास और उपयोग

979. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :

डा० बी० एल० शैलेश :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों में बायो-उर्वरकों के विकास और उपयोग के संबंध में एक राष्ट्रीय परियोजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में इस प्रकार की योजना प्रारम्भ की गई है;

(ग) इस योजना का प्रत्येक राज्य में क्या कार्यनिष्पादन रहा है; और

(घ) इस परियोजना पर सरकार द्वारा कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यह योजना 19 राज्यों में चल रही है। इस परियोजना के तहत गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में एक राष्ट्रीय केन्द्र और हिसार (हरियाणा), जबलपुर (मध्य प्रदेश) और बंगलौर (कर्नाटक) प्रत्येक में एक क्षेत्रीय केन्द्र स्थापति किया गया है। तीन और क्षेत्रीय केन्द्र अर्थात् पुणे (महाराष्ट्र), भुवनेश्वर (उड़ीसा) और शिलांग (मेघालय) प्रत्येक में एक स्थापित किये जा रहे हैं। इसके अलावा परियोजना के पास राजस्थान, गुजरात और उड़ीसा प्रत्येक में एक ऐसे ही तीन केन्द्रों को निर्मुक्त की गई धनराशि में से राइजोबियम उत्पादन करने वाले एककों की स्थापना करने के लिए 20 संस्थागत एजेंसियों को सहायता अनुदान देने का प्रावधान है। विभिन्न केन्द्रों पर नीले-हरे शैवालों का स्थान और उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण-1 और 2 है दिया गया है।

(घ) इस योजना पर 1983-84 से अक्तूबर, 1988-89 तक 88.73 लाख रुपये खर्च हुए।

विवरण-1

नीले-हरे शैवालों के उत्पादन और क्षेत्र संवर्धन के लिए स्थापित किए गए उप-केन्द्रों के राज्यवार स्थान

क्र०सं०	राज्य का नाम	स्वीकृत केन्द्रों की संख्या	स्वीकृत (वर्ष में)	संगठनों/स्थानों के नाम
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	10	1984-85	1. पी० डी० एण्ड डी० फार्म, जिला गारीकापेड, कृष्णा (आन्ध्र प्रदेश)।

1	2	3	4	5
				2. मृदा परीक्षण प्रयोगशाला जिला समलकोटा, पूर्वी गोदावरी आंध्र प्रदेश।
				3. कृषि फार्म, बोप्पास्पल्ली जिला, निजामाबाद।
				4. पी० डी० एंड डी० फार्म, अमरावती, जिला गुन्टूर।
			1987-88	5. राज्य बीज फार्म, पालमपेट (वारंलग)।
				6. राज्य बीज फार्म, दिन्डी (नालगोंडा)।
				7. राज्य बीज फार्म, बेलगल (करीमनगर)।
				8. राज्य बीज फार्म, कनकल (अनन्तपुर)।
				9. राज्य बीज फार्म, नन्दीपाड (नालगोंडा)।
				10. राज्य बीज फार्म, मत्युमेडा, निजामाबाद।
2.	असम	2	1983-84	1. असम कृषि उद्योग निगम, गोहाटी, असम।
				2. असम कृषि विश्वविद्यालय, परिसर, जोरहाट, असम।
3.	बिहार	2	1984-85	1. राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, चावल अनुसंधान संस्थान, मिथापुर, पटना, बिहार।
				2. राजेन्द्र कृषि अनुसंधान संस्थान साबोर, जिला भागलपुर, बिहार।
4.	गुजरात	1	1983-84	1. गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, चावल अनुसंधान केन्द्र, नोगांव।

1	2	3	4	5
5.	हिमाचल प्रदेश	1	1983-84	1. हिमचाल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, आलू अनुसंधान केन्द्र पेखुबाला जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
6.	जम्मू औ र कश्मीर	1	1984-85	1. अनुसंधान केन्द्र जम्मू।
7.	कर्नाटक	7	1983-84	1. सरकारी बीज फार्म, गंगावती।
			—तदैव—	2. कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, जी० के० बी० के० केम्पस बगलौर।
			1984-85	3. क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, मान्डया।
			—तदैव—	4. कृषि विकास केन्द्र, तायवान चेन्नाई तालुका, जिला शिमोगा कर्नाटक।
			1987-88	5. कृषि स्कूल फार्म, कम्पाली, हॉस्पेट तालुका, जिला, बल्लेरी कर्नाटक।
			1988-89	6. किसान प्रशिक्षण एवं शिक्षा केन्द्र, बब्बूर, हिररूर तालुका, जिला चित्रदुर्गा।
				7. बीज फार्म नुगू, एच०डी० कोटे, तालुका मैसूर जिला।
8.	केरल	1	1984-85	1. केरल कृषि विश्वविद्यालय, पट्टाम्बी केरल।
9.	महाराष्ट्र	4	1983-84	1. पंजाब राव कृषि विद्यापीठ, अकोला कृषि अनुसंधान केन्द्र, सिन्दवाही, महाराष्ट्र।
				2. महात्मा फूले कृषि विश्वविद्यालय, कालेज ऑफ एग्रीकल्चर, पुणे।
				3. तालुका बीज फार्म, खुतल तालुका, मुरबाद, जिला थाने।

1	2	3	4	5
				4. बीज फार्म सकाली, तालुका सकोली, जिला भण्डारा।
10.	मध्य प्रदेश	2	1983-84	1. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जबलपुर, विश्वविद्यालय केन्द्र, रायपुर, मध्य प्रदेश।
				2. कृषि फार्म, जगदलपुर, जिला बस्तर, मध्य प्रदेश।
11.	मणिपुर	1	1983-84	1. सरकारी चावल अनुसंधान केन्द्र, बंगावल, इम्फाल।
12.	मेघालय	1	1984-85	1. जिला चावल अनुसंधान केन्द्र एवं प्रयोगशाला संग-संगरी, जिला गारोहिल्स।
13.	उड़ीसा	8	1983-84	1. केन्द्रीय चावल अनुसंधान केन्द्र, भुवनेश्वर, जिला पुरी, उड़ीसा।
			—तदैव—	2. क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, चिप्लीमा।
			1984-85	3. क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, रानीताल, जिला बालासोर, उड़ीसा।
			1984-85	4. क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, कनिओनझर, जिला कनिओनझर, उड़ीसा।
			1988-89	5. चावल अनुसंधान केन्द्र, ब्रह्मपुर।
				6. क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, सेमीलिगुडा।
				7. पटसन अनुसंधान केन्द्र, केन्द्रपारा।
				8. क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, महीसापुर।
14.	पंजाब	1	1983-84	1. पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना।

1	2	3	4	5
15.	तमिलनाडु	8	1983-84	1. तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोइम्बटूर।
			—तदैव—	2. धान परीक्षण केन्द्र, अदुदुथुराई, थन्जावुर जिला।
			—तदैव—	3. धान परीक्षण केन्द्र, तिररूर।
			1984-85	4. क्षेत्रीय केन्द्र, अट्टीयान्डल।
			—तदैव—	5. क्षेत्रीय केन्द्र, वन्द्रायनपेर।
			1987-88	6. राज्य बीज फार्म, सक्कोट्टाई जिला, थन्जावुर।
				7. राज्य बीज फार्म, मत्तूर डेम, जिला सेलम।
				8. राज्य बीज फार्म, आइरन्गर, जिला तिरुची।
16.	पश्चिम बंगाल	7	1983-84	1. विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय नाडिया, विश्वविद्यालय फार्म, कल्याणी।
			1984-85	2. अडेप्टिव आर० एस० फार्म, सिंगूर।
			—तदैव—	3. कॉन्टाइ ए० आर० एफ०, मिदनापोर।
			1988-89	4. रायगंज एस० ए० आर० एफ०, पश्चिम दीनाजपुर।
				5. झारगम एस० ए० आर० एफ०- मिदनापुर (पश्चिम)।
				6. ब्रह्मपुर मॉडल फार्म, मुर्शीदाबाद
				7. ब्रह्मपुर एस० ए० आर० एफ०-24 परगना (साउथ)
17.	उत्तर प्रदेश	3	1983-84	1. एन० डी० यू० ए० टी०, वि व-विद्यालय केन्द्र, कुमारगंज, उत्तर प्रदेश।

1	2	3	4	5
				2. चन्द्रशेखर आजाद कृषि विश्व-विद्यालय चाकोरी फार्म, कानपुर, उत्तर प्रदेश।
				3. केन्द्रीय राज्य फार्म, भारतीय राज्य फार्म निगम, बहराइच, उत्तर प्रदेश।
		60		

विवरण-2

जैव-उर्वरकों के विकास और उपयोग संबंधी राष्ट्रीय परियोजना के तहत बी०जी०ए० उप-केन्द्रों पर उत्पादित बी०जी०ए०

(कि० ग्राम में)

क्र०सं०	राज्य/केन्द्र का नाम	वर्ष लक्ष्य	10000 कि० ग्राम प्रति वर्ष प्रति केन्द्र उत्पादित बी०जी०ए०			
		83-84	84-85	85-86	86-87	87-88
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश					
	1. पी०डी०एंड डी०फार्म गारीकापेड	—	—	6000	11000	16000
	2. मृदा परीक्षण प्रयोग-शाला संमलकोटा	—	—	शून्य	शून्य	.0740
	3. कृषि फार्म, बोप्पास्पल्ली	—	—	7800	10000	54000
	4. पी०डी०एंड डी०फार्म, अमरावती	—	शून्य	शून्य	195	658
	5. पोलमपेट (राज्य बीज फार्म)	—	—	—	—	—
	6. दिन्डी (राज्य बीज फार्म)	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7
	7. राज्य बीज फार्म, चेलगल (करीमनगर)	—	—	—	—	—
	8. राज्य बीज फार्म, कनकल (अनन्तपुर)	—	—	—	—	—
	9 राज्य बीज फार्म, नन्दीपाड (नालगोंडा)	—	—	—	—	—
	10. राज्य बीज फार्म, मल्थुमेडा निजामाबाद	—	—	—	—	—
2.	असम					
	1. असम कृषि उद्योग निगम	—	10	—	—	10
	2 असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट	—	10	54	20	—
3.	बिहार					
	1. राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय चावल अनुसंधान संस्थान, मिथापुर पटना।	—	5400	—	—	1204
	2· राजेन्द्र कृषि अनुसंधान संस्थान साबोर, जिला भागलपुर।	—	253	155	4000	900
4.	गुजरात					
	1. चावल अनुसंधान केन्द्र, भोगांव	—	शून्य	1710	शून्य	657
5.	हरियाणा					
	1. सरकारी फार्म, करनाल	—	शून्य	यह धनराशि मन्त्रालय को वापिस लौटा दी गई है।		
6.	हिमाचल प्रदेश					
	1. हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, आलू अनुसंधान केन्द्र, पेखुवाला, जिला ऊना।	—	450	750	शून्य	75

1	2	3	4	5	6	7
7.	जम्मू व कश्मीर					
	1. अनुसंधान केन्द्र जम्मू।	—	—	—	—	—
8.	कर्नाटक					
	1. सरकारी बीज फार्म, गंगावती	—	10900	11349	6020	7950
	2. कृषि विज्ञान विश्व-विद्यालय जी०के०वी०के० केम्पस, बंगलौर	—	70	—	—	—
	3. क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र मान्ड्या	—	शून्य	शून्य	शून्य	—
	4. कृषि स्कूल फार्म, कम्पाली, हॉस्पेट तालुक जिला बल्लेरी।	—	—	—	—	—
	5. कृषि विकास केन्द्र, तायबंगी चेन्नाई तालुका, शिमोगा।	—	10	6200	30000	8548
9.	केरल					
	1. केरल कृषि केन्द्र पट्टाम्बी	—	—	770	500	400
10.	महाराष्ट्र					
	1. पंजाब राव कृषि विद्यापीठ, अकोला कृषि अनुसंधान केन्द्र, सिंदवाही महाराष्ट्र	—	820	770	3020	2020
	2. महात्मा फूले कृषि विश्व-विद्यालय कालेज ऑफ एग्रीकल्चर, पुणे।	—	4550	5408	—	22705
11.	मध्य प्रदेश					
	1 इन्दिरा गांधी विश्व-विद्यालय केन्द्र, रायपुर	—	—	245	—	—
	2. कृषि फार्म, जगदलपुर, जिला बस्तर	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7
12.	मणिपुर					
	1. चावल अनुसंधान केन्द्र, बंगाबल	—	—	—	—	—
13.	मेघालय					
	1. जिला चावल अनुसंधान केन्द्र एवम् प्रयोगशाला संगसंगरी, जिला गारोहिल्स	—	20	66	—	—
14.	उड़ीसा					
	1. चावल अनुसंधान केन्द्र, भुवनेश्वर	—	701	851	225	1605
	2. क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र चिप्लीमा	—	50	377	498	—
	3. क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, रानीताल जिला बालासोर	—	110	732	237	—
	4. क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, कनिओनझर	—	50	230	150	—
15.	पंजाब					
	1. पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना।	—	—	—	—	—
16.	तमिलनाडु					
	1. तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोइम्बटूर	—	5500	5305	—	3765
	2. धान परीक्षण केन्द्र, अदुदुथुराई	—	10015	10285	10100	1138
	3. धान परीक्षण केन्द्र, तिररूर	—	1060	10063	10340	10100
	4. क्षेत्रीय केन्द्र, अट्टीयान्डल	—	—	10300	10100	11450
	5. क्षेत्रीय केन्द्र, बन्द्रायनपेट	—	—	10150	10500	10000
	6. राज्य बीज फार्म, सक्कोट्टाई थन्जावूर	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7
	7. राज्य बीज फार्म, मत्तूर डेम, सेलम	—	—	—	—	—
	8. राज्य बीज फार्म, आइरन्नार जिला तिरूची	—	—	—	—	—
17.	पश्चिम बंगाल					
	1. विधानचन्द्र कृषि विश्व॰ विद्यालय. कल्याणी	—	—	—	—	166
	2. ब्लाक सीड फार्म, सिंगूर	—	—	3600	3000	3000
	3. कॉन्टाई ए॰ आर॰एफ॰ मिदनापुर	—	—	1900	2700	4000
	4. ब्रह्मपुर मॉडल फार्म, मुर्शीदाबाद	—	—	1500	1100	1500
18.	उत्तर प्रदेश					
	1. एन॰डी॰ यूनीवर्सिटी सेन्टर, कुमारगंज	—	2500	2500	1250	950
	2. चन्द्रशेखर आजाद यूनीवर्सिटी सेन्टर, चाकेरी फार्म	—	10000	6500	6000	—
	3. केन्द्रीय राज्य फार्म निगम, बहराइच	—	—	1020	1512	1100
			52079	106590	122467	184888

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण

[हिन्दी]

980. श्री राजकुमार राय :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण की जाने वाली सड़कों का ब्योरा क्या है; और

(ख) इस पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) वर्तमान वर्ष के दौरान ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में कुल 1000 किलोमीटर पर मिट्टी का काम तथा 2700 किलोमीटर पर पक्की सड़क बनाने के काम का प्रस्ताव है । वर्तमान वर्ष के दौरान इन कार्यों पर 44 करोड़ रुपये खर्च होने की सम्भावना है जिसमें राज्य का अंशदान भी शामिल है ।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के उपाय

[अनुवाद]

981. **श्री राधाकांत डिगाल** :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए अनेक उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन उपायों को कार्यान्वित करते समय गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों तथा लघु क्षेत्र के उद्योगों के हितों को ध्यान में रखा जायगा; और

(ग) इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को क्या मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) राज्य सरकारों को अभी तक कोई मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं भेजे गए हैं । राज्य सरकारों से केवल यह अनुरोध किया गया है कि वे खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करने के लिए नोडल एजेंसियों का गठन करें ।

फलों तथा सब्जियों के उत्पादन में वृद्धि

982. **श्री अंकुशराव चौधरी** :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में फलों तथा सब्जियों के उत्पादन का विकास और उसमें वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव): (क) और (ख) भारत सरकार फल तथा सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए पहले ही विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रही है । इनमें निम्नलिखित योजनाएं शामिल हैं :—

(1) गुणवत्ता सेबों के उत्पादन के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी जिसके लिए जम्मू तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश राज्यों में रियायती दरों पर सूक्ष्म-

पोषक तत्व, स्प्रेयर्स तथा ओला रोधी जालों की सप्लाई की जाती है।

(2) गोवा में केला तथा अरुणाचल प्रदेश एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अन्नानास के लिए प्रदर्शन कार्यक्रम।

(3) भारतीय राज्य फार्म निगम के दस फार्मों में गुणवत्ता रोपण सामग्री के उत्पादन के लिए श्रेष्ठ संतति उद्यान योजना।

(4) गुणवत्ता फल पौधों के उत्पादन के लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के जरिए विभागीय नर्सरियों को मजबूत बनाना।

दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों के लिए आवास

983. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर/प्राध्यापकों को आवास आवंटन के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय ने क्या मानदंड निर्धारित किया है;

(ख) क्या विश्वविद्यालय के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रोफेसरों/प्राध्यापकों के लिए अलग पूल बनाया गया है;

(ग) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रोफेसरों/प्राध्यापकों को आबंटित आवास का ब्यौरा क्या है;

(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने प्रोफेसरों/प्राध्यापकों को अभी तक आवास आबंटित नहीं किया गया है; और

(ङ) जिन लोगों को अभी तक क्वार्टर आबंटित नहीं किए गए हैं उन्हें क्वार्टर आबंटित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल०पी० शाही) : (क) विश्वविद्यालय शिक्षकों को निवासीय स्थान, सम कुलपति/कुलपति द्वारा इस सम्बन्ध में कार्यकारिणी समिति द्वारा बनाये गए नियमों के प्रावधान के अनुसार आवंटित किए जाते हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) इन वर्गों के दो शिक्षकों को आवास प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त दो और शिक्षकों को आवास दिया गया था परन्तु उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया।

(घ) आवास के आवंटन के लिए ऐसे किसी शिक्षक का कोई आवेदन पत्र विश्वविद्यालय के पास लम्बित नहीं पड़ा।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दक्षेस देशों के अध्यापकों का सम्मेलन

984. **श्रीमती डी० के० भण्डारी :**

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1988 के दौरान देश में दक्षेस देशों के अध्यापकों का एक कन्वेन्शन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कन्वेन्शन का उद्देश्य क्या था;

(घ) इस कन्वेन्शन के लिए अध्यापकों के चयन हेतु क्या मानदण्ड अपनाया गया था;

(ङ) कन्वेन्शन में राज्यवार कितने अध्यापकों ने भाग लिया;

(च) क्या सरकार का विचार भविष्य में इस कन्वेन्शन में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए राज्यों के अध्यापकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए वर्तमान मानदण्डों में छूट देने का विचार है; और

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल०पी० शाही) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है।

यात्री बसों के लिए अखिल भारतीय परमिटों का आबंटन

985. **श्री अनूप चन्द शाह :**

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों को यात्री बसों के चलाने के लिए अखिल भारतीय परमिटों का कुछ कोटा आबंटित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त आबंटन के मानदंड क्या हैं;

(ग) वर्ष 1986-87 और 1988 के दौरान महाराष्ट्र सरकार को ऐसे कितने परमिट आबंटित किये गये थे; और

(घ) क्या अनूसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई कोटा आरक्षित किया गया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) मोटरयान अधिनियम, 1939 की धारा 63(7) के अनुसार राज्य परिवहन प्राधिकारियों द्वारा आबंटनार्थ परमिटों की संख्या केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट की जाती है। पिछली बार 1977 में ऐसे परमिटों की संख्या प्रति राज्य तथा संघ क्षेत्र दिल्ली के लिए 50 तथा, अन्य संघ क्षेत्रों में प्रत्येक के लिए 25 निर्दिष्ट की गई थी। पर्यटक ट्रैफिक की क्षमता को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया था।

(ग) इन वर्षों के दौरान कोई आबंटन नहीं किया गया।

(घ) जी, नहीं।

बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, मेसरा, रांची को अनुदान

986. **श्री महावीर प्रसाद यादव :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वित्तीय वर्ष 1985-86 में बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, मेसरा, रांची को नई प्रयोगशालाओं में उपकरणों और विद्यमान प्रयोगशालाओं आदि के आधुनिकीकरण के लिये 60 लाख रुपये का अनुदान दिया था;

(ख) क्या संस्थान ने उपर्युक्त प्रयोजन के लिये दिये गए अनुदान का उपयोग किया है;

(ग) क्या बिरला संस्थान को दिया गया अनुदान, वर्ष 1985-86 के दौरान बिहार में शेष इंजीनियरिंग कालेजों को दिए गए कुल अनुदान से अधिक था; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल०पी० शाही) : (क) इस मन्त्रालय के माध्यम से भारत सरकार ने मेसरा, रांची स्थित बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान को वित्त वर्ष 1985-86 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अर्थात् प्रचलित पुरानी प्रथाओं का आधुनिकीकरण और उन्हें समाप्त करना, तकनीकी शिक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बल देने और संस्थागत नेट वर्क योजना के अन्तर्गत 55.00 लाख रुपये का अनुदान मंजूर किया है।

(ख) जी, हां। इन अनुदानों का अधिकांश भाग उपयोग कर लिया गया है।

(ग) जी, नहीं। बिहार राज्य में स्थित अन्य इंजीनियरी कालेजों और तकनीकी संस्थाओं को वर्ष 1985-86 के दौरान 162.60 लाख रुपये का कुल अनुदान मंजूर किया गया था।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

भाखड़ा नहर पर दुर्घटना

987. **चौधरी खुर्शीद अहमद :**

श्री हेतराम :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में एक बस के भाखड़ा मुख्य नहर में गिर जाने के कारण अनेक यात्री मारे गये;

(ख) यदि हां, तो मारे गये यात्रियों की संख्या सहित, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) नहर पुलों पर पहले इस तरह की कितनी दुर्घटनाएं हुईं और उन दुर्घटनाओं में कितने व्यक्ति मारे गए; और

(घ) नहर पुलों पर ऐसी दुर्घटनाएं रोकने हेतु क्या उपाय करने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) जी, हां। 25-9-1988 को पेप्सु रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन की एक बस संगरूर जिले के सनौरी कलां गांव के निकट मुख्य भाखड़ा नहर में गिर गई जिसमें 78 व्यक्ति हताहत हुए थे।

बस चालक श्री चांद सिंह के खिलाफ संगरूर जिले के मुनक थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 302/279/427/304-क के तहत 25-9-88 को प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 130 दर्ज कराई गई थी और उसे 15-10-1988 को गिरफ्तार किया गया।

(ग) पंजाब राज्य सरकार ने सूचित किया है कि पहले इस प्रकार की तीन दुर्घटनाएं हुई थीं जिनके ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

वर्ष	हताहत व्यक्तियों की संख्या	
30-1-1984	40	बस रोपड़ जिले में नहर में गिर गई
15-10-1986	71	बस सरहिंद के निकट नहर में गिर गई
15-6-1987	65	बस पसियाना के निकट मुख्य भाखड़ा नहर में गिर गई

(घ) राज्य सरकार ने सिंचाई और बिजली विभाग तथा लोक निर्माण विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि नहर पुश्ते के आसपास की सड़कों की सतह ठीक हो, सड़कों के आसपास मुलायम मिट्टी की उचित कपैक्टिंग हो, रात्रि ट्रैफिक को सावधान करने के लिए सड़कों पर मार्किंग हो, वर्षा ऋतु में गड्ढों को भरा जाए और नहर के पुश्ते ऊंचे हों, आदि।

उर्वरकों की खपत और मांग

288. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 31-3-86, 31-3-87 और 31-3-88 की स्थिति के अनुसार रासायनिक उर्वरकों की राज्यवार प्रति हैक्टेयर खपत और मांग कितनी थी;

(ख) यह मांग किस प्रकार पूरी की गई थी;

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में उर्वरकों की प्रति हेक्टेयर खपत और मांग अनुमानतः कितनी होगी; और

(घ) घरेलू उत्पादन में वृद्धि करके अथवा आयात करके मांग पूरी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) दो विवरण संलग्न हैं। इनमें से विवरण-1 राज्यवार प्रति हैक्टेयर खपत और विवरण-2 रासायनिक उर्वरकों की राज्यवार मांग को दर्शाता है।

(ख) घरेलू उत्पादन और आयातित उर्वरकों से आबंटन करके उर्वरकों की इस मांग की पूर्ति की जाती है।

(ग) वर्ष 1989-90 अर्थात् सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष के लिये उर्वरकों की खपत का लक्ष्य 123—125 लाख मीटरी टन पोषक तत्व निर्धारित किया गया है। 1984-85 के क्षेत्र आंकड़ों के आधार पर सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में अनुमानित तौर पर अखिल भारत प्रति हैक्टेयर खपत लगभग 70 किलोग्राम पोषक तत्व होगी।

(घ) नाइट्रोजन और फास्फेटिक उर्वरकों के घरेलू उत्पादन को अधिकतम करने के लिए विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं। तथापि, इस समय, कुल मांग की पूर्ति करने के लिए फास्फेटिक उर्वरकों की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है और आयात के माध्यम से अंशतया इस अन्तर की पूर्ति की जाती है। देश में पोटाश का व्यापारिक तौर पर कोई सुसाध्य भण्डार नहीं है। अत: आयात के माध्यम से पोटाश की पूरी मांग की पूर्ति की जाती है।

विवरण-I

उर्वरकों की अनुमानित प्रति हैक्टेयर खपत

क्र० संख्या	राज्य	(प्रति हैक्टेयर एन०+पी०+के० का किलोग्राम) 1985-86	1986-87
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	72.73	73.82
2.	कर्नाटक	47.65	48.53
3.	केरल	49.18	52.67
4.	तमिलनाडु	94.28	95.15
5.	गुजरात	41 05	39.19
6.	मध्य प्रदेश	19.51	22.03
7.	महाराष्ट्र	32.70	33.10
8.	राजस्थान	12.78	14.29
9.	हरियाणा	67.52	75.26
10.	पंजाब	156.60	159.08
11.	उत्तर प्रदेश	78.51	70.53
12.	हिमाचल प्रदेश	23.95	26.43
13.	जम्मू और कश्मीर	35.06	29.47

1	2	3	4
14.	असम	4.50	4.52
15.	बिहार	48.88	51 42
16.	उड़ीसा	16.02	17.29
17.	पश्चिम बंगाल	53.90	65.83
	अखिल भारत	49.66	49.66

टिप्पणी : प्रति हैक्टेयर खपत को वर्ष 1984-85 के क्षेत्र आंकड़ों के आधार पर आंकलित किया जाता है।

विवरण-2

राज्यों द्वारा मांगे गये उर्वरकों की मात्रा

(लाख मी० टन एन०+पी०+के०)

क्र० संख्या	राज्य	1985-86	1986-87	1987-88
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	11.95	11.60	10.79
2.	कर्नाटक	7.20	6.95	6.88
3.	केरल	1.55	1.64	1.76
4.	तमिलनाडु	9.00	8.48	6 98
5.	गुजरात	6.18	5.60	4.36
6.	मध्य प्रदेश	5.10	5.75	5.95
7.	महाराष्ट्र	8.25	8.37	7.77
8.	राजस्थान	2.52	2.59	2.46
9.	हरियाणा	4.00	4.47	4.66
10.	पंजाब	11.50	11.85	11.90
11.	उत्तर प्रदेश	20.00	22.20	20.00
12.	हिमाचल प्रदेश	0.27	0.27	0.30

1	2	3	4	5
13.	जम्मू और कश्मीर	0.38	0.49	0.45
14.	असम	0.26	0.24	0.30
15.	बिहार	5.80	5.76	6.35
16.	उड़ीसा	1.55	1.62	1.46
17.	पश्चिम बंगाल	4.90	4.85	5.71
	अखिल भारत	102.64	104.41	99.34

उड़ीसा में चावल मिलें

989. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :**

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा राज्य में कुछ नई चावल मिलें खोलने की मंजूरी प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितनी मिलों के लिए मंजूरी दी गई है; और

(ग) अब तक इनमें से कितनी मिलें चालू हो गई हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय से गुम कलाकृतियां

990. **श्री अमर सिंह राठवा :**

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय से भारी संख्या में बहुमूल्य कलाकृतियां गुम हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान गुम हुई कलाकृतियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये कलाकृतियां बाद में प्राप्त हुई थीं;

(घ) यदि नहीं, तो इन कलाकृतियों के संरक्षण के लिए किसे उत्तरदायी पाया गया तथा उन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(ङ) राष्ट्रीय संपत्ति को बचाने के लिए इन कलाकृतियों की कड़ी सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाये गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल०पी० शाही) : (क) और (ख) जी, नहीं, राष्ट्रीय संग्रहालय के संग्रह से केवल एक वस्तु अर्थात् गोलकुंडा रूमाल ही गुम हुआ बताया गया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। पुलिस इस क्षति की अभी तक जांच कर रही है। इस कलावस्तु की सुरक्षा के प्रति उत्तरदायी कर्मचारी की जिम्मेदारी निर्धारित करने के सम्बन्ध में कार्रवाई की जा रही है।

(ङ) सशस्त्र पुलिस सिपाहियों की तैनाती और संग्रहालय की निजी सुरक्षा व्यवस्थाओं जैसे सुरक्षा उपाय किए गए हैं। कला निधि की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन और बर्गलर अलार्म सिस्टम भी लगाये गये है।

भूटान के साथ सम्बन्धों में सुधार

991. **श्री पीयूष तिरकी** :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूटान के साथ सम्बन्धों को सुधारने के लिए हाल में उठाये गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भूटान में कातीखोला को एक दोहरी पक्की सड़क द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-31 के साथ जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) सभी स्तरों पर द्विपक्षीय यात्राओं के आदान-प्रदान से भारत-भूटान सम्बन्ध बराबर समृद्ध हुए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) भूटान के साथ पहले ही विद्यमान सड़क सम्पर्कों को देखते हुए इसे आवश्यक नहीं समझा गया है।

असम में केन्द्रीय विश्वविद्यालय

992. **श्री पीयूष तिरकी** :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में प्रस्तावित केन्द्रीय विश्वविद्यालय कब तक स्थापित किये जाने की सम्भावना है; और

(ख) अन्य किन-किन स्थानों पर केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल०पी० शाही) : (क) इस विषय पर सरकार ने अन्तिम निर्णय नहीं लिया है।

(ख) सरकार नागालैंड में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए सहमत हो गई है। अन्य कोई प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है।

न्हावा शेवा पत्तन का निर्माण

993. श्री शांताराम नायक :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्हावा शेवा पत्तन के निर्माण कार्य के संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(ख) उस पर अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च हो चुकी है; और

(ग) यह परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी और इस पत्तन के कब तक चालू हो जाने की सम्भावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) 6 बर्थों में से 2 बल्क बर्थों और एक कन्टेनर बर्थ का निर्माण पूरा हो गया है। सर्विस बर्थ और 2 कन्टेनर बर्थों में काम चल रहा है। कैपिटल ड्रेजिंग कार्य पूरा हो गया है। स्ट्रक्चरल फैब्रीकेशन और शेडों को खड़ा करने तथा उपस्करों की खरीद का काम चल रहा है। इस बड़ी परियोजना में भारी संख्या में संघटक हैं और शेष मदों पर भी काम चल रहा है।

(ख) अक्तूबर, 1988 तक इस परियोजना पर 562.12 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है।

(ग) परियोजना के मार्च, 1989 तक पूरी तरह से पूर्ण हो जाने की सम्भावना है और उसके बाद इसे विभिन्न उपस्करों तथा प्रणालियों के परीक्षण के बाद वाणिज्यिक प्रचालन के लिए खोल दिया जाएगा।

बम्बई और गोवा के बीच हावर-क्राफ्ट विमान सेवा प्रारम्भ करने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्रों से प्रस्ताव

994. श्री शांताराम नायक :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई और गोवा के बीच हॉवर क्राफ्ट विमान सेवा प्रारम्भ करने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इन प्रस्तावों की जांच की गई है और इस संबंध में महाराष्ट्र और गोवा की सरकारों से परामर्श किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

(i) इस प्रयोजन के लिए विदेश से दो उच्च गति वाले यात्री बोट खरीदने के लिए मैसर्स सत्यगिरि नौवहन कंपनी के प्रस्ताव को सरकार द्वारा 22-6-1987 को स्वीकृति दी गई थी। चूंकि कम्पनी सौदे को अन्तिम रूप नहीं दे सकी, अत: 8-8-1988 को स्वीकृति रद्द कर दी गई थी। कम्नी ने 7-10-1988 को नौवहन महानिदेशक को देश में ही निर्मित किये जाने वाले दो उच्च गति वाले बोट खरीदने के लिये एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

(ii) होवर क्राफ्ट्स की खरीद के लिए मैसर्स वेस्ट कोस्ट होवर लाइन्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया गया था क्योंकि उनका आवेदन पत्र अपूर्ण था और कम्पनी ने सम्बन्धित राज्य सरकारों की अपेक्षित स्वीकृति नहीं प्राप्त की थी।

(घ) भारत सरकार ऐसे प्रस्तावों का स्वागत करेगी।

प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम

995. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम के अन्तर्गत क्या प्रगति हुई है;

(ख) इस कार्यक्रम के लिए देश में क्षेत्रवार कौन-कौन से 102 केन्द्र चुने गये हैं;

(ग) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश और अन्य पर्वतीय राज्यों में सब्जियों और नकदी फसलों सहित कृषि/बागवानी के लिए क्या सामग्री दी गई है;

(घ) क्या इस कार्यक्रम को पर्याप्त धनराशि नहीं दी गई है और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों को संस्थानों की बजट-बचतों के कार्यक्रम चलाने की सलाह दी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो धन की कमी को किस प्रकार पूरा किया जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) महोदय, पिछले तीन वर्षों के दौरान चरण-तीन (1984—86) में 84860 तथा चरण-चार (1986—88) में 24708 कृषक परिवारों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया गया था। इन किसान परिवारों को फसल उत्पादन, पशु उत्पादन, सब्जी उत्पादन तथा रेशम पालन सहित बागवानी, बकरी पालन, मुर्गी पालन, सूअर पालन, बत्तख पालन, मात्यिकी आदि से संबंधित कम कीमत वाली बिलकुल नई टेक्नोलोजी को अपनाकर काफी अच्छा उत्पादन प्राप्त हुआ है। उन्नत किस्मों के बीज, उर्वरकों, कीटनाशियों का उपयोग करके, उचित समय पर बुआई तथा उपचार आदि के द्वारा विभिन्न फसलों के उत्पादन में 50—130 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हिमाचल प्रदेश तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में सब्जी उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है, इनमें आलू (चन्द्रमुखी) की उपज 114 क्विंटल प्रति

हैक्टेयर, टमाटर की (पूसा रूबी) 109 क्विंटल प्रति हैक्टेयर, फूलगोभी (स्नो बाल) 218 क्विंटल प्रति हैक्टेयर तथा प्याज (पूसा लाल) 191 क्विंटल प्रति हैक्टेयर औसत उपज प्राप्त हुई थी।

भूमिहीन कृषि श्रमिकों द्वारा अपनाये गये पशु उत्पादन कार्यों से कृत्रिम गर्भाधान तकनीक, संतुलित आहार और स्वास्थ्य की देखभाल द्वारा पशु की नस्ल में सुधार किया जा सकता है। भूमिहीन किसानों को बारबरी बकरियां देने से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। देश भर के जिन किसानों को इस योजना के अन्तर्गत शामिल किया गया है उनमें डेरी, मछली पालन, बत्तख पालन और सूअर पालन उद्योग महत्वपूर्ण सहायक व्यवसाय सिद्ध हुए हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) हिमाचल प्रदेश और दूसरे पहाड़ी राज्यों में फलों और सब्जियों की फसलों के उत्पादन को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। आलू, मटर, बंदगोभी और फूलगोभी की खेती पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम के माध्यम से गांवों में खुम्मी की खेती और हिमाचल प्रदेश में तोरिया की खेती को पहली बार उन किसानों ने शुरू किया जिन्होंने प्रयोगशाल से खेत तक कार्मक्रम को अपनाया था। जम्मू और कश्मीर में रबी की परती भूमि में जई और तोरिया की फसलें उगाई गई।

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में धन की कमी के कारण प्रयोगशाला से खेत तक योजना के अन्तर्गत चलाए जाने वाले कार्यक्रमों को पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं हो सके।

(ङ) राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्रोतों से और अधिन धन प्राप्त करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

विवरण

प्रयोगशाला से खेत केन्द्रों की क्षेत्र तथा राज्यवार सूची (1988-89)

क्षेत्र-I

1. **हरियाणा राज्य**

    1. राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल, (हरियाणा)।
    2. केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल (हरियाणा)।
    3. हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार-125004 (हरियाणा)।
    4. कृषि विज्ञान केन्द्र, भगवत भक्ति आश्रम, रामपुरा, रेवाड़ी (हरियाणा)।

2. **हिमाचल प्रदेश**

    5. केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला (हिमाचल प्रदेश)।
    6. हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर-176092
    7. औद्योगिकी तथा वानकी विश्वविद्यालय, पो० आ० नौनी, सौलन (हिमाचल प्रदेश)-173230

3. दिल्ली और चण्डीगढ़

8. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली।

9. दीनदयाल अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली।

4. जम्मू-कश्मीर

10. शेरे कश्मीर कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर/गांधीनगर, जम्मू, (सर्दियों में) (जम्मू-कश्मीर)-190001/180001

5. पंजाब राज्य

11. पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना-140004, (पंजाब)।

12. खालसा कालेज, अमृतसर (पंजाब)।

क्षेत्र-II

6. पश्चिम बंगाल

13. जूट कृषि अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर (पश्चिम बंगाल)।

14. जूट प्रौद्योगिकीय अनुसंधान प्रयोगशालाएं, टोलीगंज, कलकत्ता (प० बं०)।

15. केन्द्रीय अन्तःस्थलीय मछली पालन अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर (प० बं०)।

16. विधानचन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, मोहनपुर, नाडिया-741246 (प० बं०)।

17. रामकृष्ण सेवा केन्द्र, 23, आर० एन० मुखर्जी रोड, कलकत्ता (प० बं०)।

18. सेवा भारती, कपगढ़ी, मिदनापुर (प० बं०)।

19. श्रीरामकृष्ण आश्रम, पो० आ० निम्पीठ आश्रम, 24-परगना (प० बं०)।

20. एल० एस० परिषद ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र, रामकृष्ण मिशन, मिदनापुर (प० बं०)।

21. विश्व भारती, पल्ली शिक्षा भवन, विश्व भारती, श्रीनिकेतन (प० बं०)-731236

22. पश्चिम बंगाल कम्प्रीहेंसिव एरिया डवलपमेंट कारपोरेशन, राइटर्स बिल्डिंग, कलकत्ता (प० बं०)।

7. उड़ीसा

23. केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक (उड़ीसा)।

24. केन्द्रीय ताजा जल जलजैविकी अनुसंधान संस्थान, भुवनेश्वर (उड़ीसा)।

25. उड़ीसा कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर (उड़ीसा)।

8. **अण्डमान और निकोबार**

26. केन्द्रीय कृषि संस्थान, पोर्टब्लेयर (अण्डमान द्वीप समूह)।

क्षेत्र-III

9. **मिजोरम**

27. कृषि निदेशालय, मिजोरम सरकार, आइजोल (मिजोरम)।

10. **मेघालय**

28. भा० कृ० अ० प० उत्तर-पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र अनुसंधान कैम्पलेक्स, शिलांग, (मेघालय)।

11. **आसाम**

29. आसाम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट (आसाम)-785013

क्षेत्र-IV

12. **बिहार राज्य**

30. भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान, रांची (बिहार)।

31. बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, रांची-834006 (बिहार)।

32. राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर-800014 (बिहार)।

33. रामकृष्ण मिशन आश्रम, मोराबाड़ी, रांची (बिहार)।

34. ग्राम निर्माण मंडल, सर्वोदय आश्रम, सोखोदेवरन्, नवादा (बिहार)।

35. होली क्रास पोलीटेक्नीक, हजारी बाग (बिहार)।

36. संथाल पहाड़िया सेवा मण्डल, फतेहपुर, देवगढ़, वैद्यनाथ देवगढ़ (बिहार)।

37. वनवासी सेवा केन्द्र अदौरा, रोहतास (बिहार)।

38. गदाधर मिश्र स्मारक निधि, गांधीग्राम, गोड्ड (बिहार)।

39. विकास भारती, बिशनपुर, गुम्ला (बिहार)।

40. ग्राम विकास केन्द्र, जमशेदपुर, (बिहार)।

13. **उत्तर प्रदेश**

41. भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी।

42. भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, बरेली।

43. केन्द्रीय मृदा तथा जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून।

44. भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ।

45. विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला, अल्मोड़ा।

46. उत्तरी मैदानों के लिए केन्द्रीय बागबानी संस्थान, लखनऊ।

47. दाल अनुसंधान निदेशालय, कल्याणपुर, कानपुर।

48. गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, नैनीताल-203145 (उ० प्र०)।

49. चन्द्रशेखर आजाद कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर-208002 (उ० प्र०)।

50. नरेन्द्र देव कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद (उ० प्र०)।

51. कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट, सुल्तानपुर (उ० प्र०)।

52. लिटरेसी हाऊस, आलमबाग, लखनऊ (उ० प्र०)।

53. भारतीय महिला विकास संस्थान, धनौरा, मुरादाबाद (उ० प्र०)।

54. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी (उ० प्र०)।

55. कुलभास्कर आश्रम डिग्री कालेज, इलाहाबाद (उ० प्र०)।

56. तिलकधारी कालेज, जौनपुर (उ० प्र०)।

57. इलाहाबाद कृषि संस्थान, नैनी, इलाहाबाद (उ० प्र०)।

क्षेत्र-V

14. आंध्र प्रदेश

58. केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान, राजमुन्द्री (आंध्र प्रदेश)।

59. केन्द्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)।

60. आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद-500030 (आं० प्र०)।

61. श्री अरविन्दो ग्रामीण विकास संस्थान, पुट्टीपल्ली, चायखेड़ा (आं० प्र०)।

क्षेत्र-VI

15. गुजरात राज्य

62. गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, एस० के० नगर, दांतीवाड़ा, (गुजरात)।

63. गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद (गुजरात)।

16. राजस्थान राज्य

64. केन्द्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर (राजस्थान)।

65. केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर (राजस्थान)।

66. सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर-313001 (राजस्थान)।

67. विद्या भवन ग्रामीण संस्थान, बड़गांव, उदयपुर (राजस्थान)।

68. सेवा मन्दिर, उदयपुर (राजस्थान)।

क्षेत्र-VII

17. मध्य प्रदेश

69. केन्द्रीय कृषि इंजीनियरी संस्थान, भोपाल (मध्य प्रदेश)।

70. जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (मध्य प्रदेश)-402001

71. इन्दिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर (म० प्र०)।

72. कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट, कस्तूरबा ग्राम, इन्दौर (म० प्र०)।

73. भारतीय ग्रामीण महिला संघ, इन्दौर (म० प्र०)।

18. महाराष्ट्र राज्य

74. राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग आयोजन ब्यूरो, नागपुर (महाराष्ट्र)।

75. केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर (महाराष्ट्र)।

76. कोंकण कृषि विद्यापीठ, डपोली-415712 (महाराष्ट्र)।

77. महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी-413722 (महाराष्ट्र)।

78. पंजाब राव कृषि विद्यापीठ, अकोला-444104 (महाराष्ट्र)।

79. मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, परभनी-413401 (महाराष्ट्र)।

80. गोखले शिक्षा सोसाइटी, कौसबाद हिल, थाने (महाराष्ट्र)।

81. सतपुड़ा विकास मण्डल, जलगांव (महाराष्ट्र)।

क्षेत्र-VIII

19. केरल राज्य

82. केन्द्रीय मछली पालन टेक्नोलाजी संस्थान, कोचीन (केरल)।

83. केन्द्रीय बागवानी फसल अनुसंधान संस्थान, कासरगोड (केरल)।

84. केन्द्रीय कन्द फसल अनुसंधान संस्थान, त्रिवेन्द्रम (केरल)।

85. केन्द्रीय समुद्री मछली पालन अनुसंधान संस्थान, कोचीन (केरल)।

86. केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिचूर-680651 (केरल)।

87. मित्रनिकेतन, वेल्लानाड, त्रिवेन्द्रम (केरल)।

20. तमिलनाडु राज्य

88. तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर-641003 (तमिलनाडु)।

89. अविनाशलिंगम ट्रस्ट, विवेकानन्दपुरम, कोयम्बटूर (तमिलनाडु)।

90. नागलपुरम विलेज रिवाइटेलाइजेशन एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन, नागलपुरम, विलाथिकुलम तालुक, तिरूनेलवेली (तमिलनाडु)।

91. विकास और संचार केन्द्र, वाया-थानी, मदुराई-626520 (तमिलनाडु)।

92. तामिलनाडु ग्रामीण विकास बोर्ड, मद्रास (तमिलनाडु)।

93. गांधी ग्राम ग्रामीण संस्थान, मदुरई (तमिलनाडु)।

94. दक्षिण भारतीय यूनाइटिड प्लांटर एसोसिएशन, कुन्नूर, नीलगिरी।

95. मानव संसाधन और एकता विकास ट्रस्ट, टी वेदागेपट्टी, थानीचिअम, मदुरई।

21. कर्नाटक राज्य

96. भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर (कर्नाटक)।

97. कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर-560024 (कर्नाटक)।

98. कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़ (कर्नाटक)।

99. कृषि विज्ञान फाउंडेशन, हुलकोटी, गडग (कर्नाटक)।

100. मिराडा, 49, रिचमोंड रोड, बंगलौर (कर्नाटक)।

101. वाणी मित्र केन्द्र, तवरेकेरा, मादीवाला, बंगलौर (कर्नाटक)।

102. एशियन ग्रामीण विकास संस्थान, 7-ए, रत्नविलास रोड, बासावन्नुडी, बंगलौर (कर्नाटक)।

समन्वित बाल विकास योजना की परियोजनाएं

996. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष में देश मे कोई समन्वित बाल विकास योजना की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार इन परियोजनाओं के नाम क्या हैं और इन परियोजनाओं के अन्तर्गत राज्यवार अब तक कुल कितने ब्लाक सम्मिलित किए गये हैं;

(ग) क्या सातवीं योजना के शेष वर्षों में कोई और परियोजनाएं आरम्भ की जाएंगी; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य के लिये इनकी संख्या क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) 1988-89 के लिये स्वीकृत 216 केन्द्रीय प्रायोजित समेकित बाल विकास सेवा (आई० सी० डी० एस०) परियोजनाओं के राज्यवार स्थान दर्शाने वाला **विवरण-1** संलग्न है। आई०सी०डी०एस० परियोजनाओं की राज्यवार कुल संख्या दर्शाने वाला विवरण-2 संलग्न है।

(ग) और (घ) 7वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष 1989-90 के लिये प्रस्तावों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। अत: इस समय 1989-90 के लिए आई० सी०डी० एस० परियोजनाओं के राज्यवार किसी वितरण का प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-1

1988-89 के लिए स्वीकृत 216 केन्द्रीय प्रायोजित समेकित बाल विकास सेवा (आई० सी० डी० एस०) परियोजनाओं की सूची

क्रम सं०	परियोजना/ब्लाक/स्थान का नाम	जिला	किस्म
1	2	3	4
	आंध्र प्रदेश		
1.	हैदराबाद-II	हैदराबाद	शहरी
2.	सिकन्दराबाद शहर	—तदैव—	—तदैव—
3.	काकीनाडा शहर	पूर्व गोदावरी	—तदैव—
4.	कल्लूर	खम्माम	आदिवासी
5.	सिगनानमाला	अनन्तपुर	ग्रामीण
6.	बगारूपलायम	चितूर	—तदैव—
7.	गंगाधारा	करीमनगर	—तदैव—
8.	अल्लाबाडा	करनूल	—तदैव—
9.	कालवाकुर्टी	महबूब नगर	—तदैव—
10.	शादनगर	—तदैव—	—तदैव—
11.	कामारेड्डी	निजामाबाद	—तदैव—
12.	ओनगोल	प्रकासम	—तदैव—

1	2	3	4
13.	चावेल्ला	रंगारेड्डी	ग्रामीण
	अरुणाचल प्रदेश		
1.	निरोमोबा	पश्चिम सियांग	आदिवासी
2.	खामाम	चांगलांग	तदैव
3.	वाक्रो	लोहित	तदैव
4.	पोंगचु वक्का	तिराप	तदैव
5.	चिगकोइंग	पूर्वी सियांग	तदैव
6.	पांगिन	तदैव	तदैव
	असम		
1.	लखीपुर	काशार	आदिवासी
	बिहार		
1.	झरिया-सह जोरा पोखर-सह सिद्री	धनबाद	शहरी
2.	धनबाद शहर	तदैव	तदैव
3.	बोकारो स्टील शहर	तदैव	तदैव
4.	दरभंगा	दरभंगा	ग्रामीण
5.	पटना सदर	पटना	तदैव
6.	गुलभुरी-सह जगसाई	सिंहभूम	आदिवासी
7.	लखीमपुर	मुंगेर	ग्रामीण
8.	अखेरपुर	नवादेश	तदैव
9.	लेसलिगंज	पलामू	तदैव
10.	हुसैनाबाद	तदैव	तदैव
11.	चांदवा	तदैव	आदिवासी
12.	चैनपुर	रोहतास	ग्रामीण
13.	सिमडागा	गुमला	आदिवासी
14.	काईस्को	लोहारडागा	तदैव

1	2	3	4
15.	बड़वाडीह	पलामू	आदिवासी
16.	बेरो	रांची	तदैव
17.	रातू	तदैव	तदैव
81.	समलझारी	साहेबगंज	तदैव
19.	शिकारीपुरा	संथालपरगना	तदैव
20.	जामा	तदैव	तदैव
21.	झिंकापणि	सिंहभूम	तदैव
22.	नोआमुंडी	तदैव	तदैव
23.	जगन्नाथपुर	तदैव	तदैव
24.	बरसोई	कटिहार	ग्रामीण
25.	बहादुरगंज	पूर्णिया	तदैव
26.	कोकीहाट	तदैव	तदैव
	गोवा		
1.	मोर्मुगोवा	गोवा	ग्रामीण
	हरियाणा		
1.	अम्बाला	अम्बाला	ग्रामीण
2.	गोहाना	सोनीपत	तदैव
	हिमाचल प्रदेश		
1.	बैजनाथ	कांगड़ा	ग्रामीण
2.	रेवालसर	मंडी	तदैव
	जम्मू और कश्मीर		
1.	खौर	जम्मू	ग्रामीण
2.	हाजवाडा	कुपवाडा	तदैव
	कर्नाटक		
1.	बंगलौर नार्थ	बंगलौर	ग्रामीण
2.	मुद्देबिहार	बीजापुर	तदैव

1	2	3	4
3.	सृंगेरी	चिकमगलूर	आदिवासी
4.	पुट्टूर	साऊथकन्नारा	तदैव
5.	शाहापुर	गुलबर्ग	ग्रामीण
6.	आलंद	तदैव	तदैव
7.	बिराजपेट	कोडागु	आदिवासी
8.	श्रीनिवासपुर	कोलार	ग्रामीण
9.	चिंतामणि	तदैव	तदैव
10.	करवाड	नार्थकन्नारा	तदैव
11.	जगलूर	चित्रदुर्ग	तदैव
12.	हाडागल्ली	बेसलेरी	तदैव
13.	चित्रदुर्ग	चित्रदुर्ग	तदैव
14.	चिक्कानयाकानाहाल्ली	तुम्कूर	तदैव
	केरल		
1.	कटापुना	इद्दुकी	ग्रामीण
2.	मानेरघाट	पालघाट	—तदैव—
3.	कोनी	पाटनानथोटा	—तदैव—
4.	पाथनापुरम	किलोन	—तदैव—
5.	मिलासेरी	त्रिचूर	—तदैव—
	मध्य प्रदेश		
1.	उज्जैन शहर	उज्जैन	शहरी
2.	रायपुर शहर	रायपुर	—तदैव—
3.	इन्दौर शहर	इन्दौर	—तदैव—
4.	जाबोट	झबुआ	आदिवासी
5.	उदयगढ़	—तदैव—	—तदैव—
6.	झबुआ	—तदैव—	—तदैव—
7.	थांडला	—तदैव—	—तदैव—

1	2	3	4
8.	झाबरा	झबुआ	आदिवासी
9.	पेटलाबाद	—तदैव—	—तदैव—
10.	सोन्दवा	—तदैव—	—तदैव—
11.	बाग	धार	—तदैव—
12.	उमरवां	—तदैव—	—तदैव—
13.	दाही	—तदैव—	—तदैव—
14.	कुक्षी	—तदैव—	—तदैव—
15.	सरदारपुर	—तदैव—	—तदैव—
16.	निसारपुर	—तदैव—	—तदैव—
17.	राजपुर	खरगोन	—तदैव—
18.	बारवानी	—तदैव—	—तदैव—
19.	ठीकरी	—तदैव—	—तदैव—
20.	भीखागांव	—तदैव—	—तदैव—
21.	बेतुल	बेतुल	—तदैव—
22.	खरासिआ	रायगढ़	—तदैव—
23.	मंगेली	बिलासपुर	ग्रामीण
24.	पायगढ़	—तदैव—	—तदैव—
25.	उज्जैन	उज्जैन	—तदैव—
26.	घाटिया	—तदैव—	—तदैव—
27.	महीदपुर	—तदैव—	—तदैव—
28.	खाचरेद	—तदैव—	—तदैव—
29.	आशता	सचोर	—तदैव—
30.	राहतगढ़	सागर	—तदैव—
31.	भिलिआगढ़	रायपुर	—तदैव—
	महाराष्ट्र		
1.	बम्बई शहर	ग्रेटर बम्बई	शहरी

1	2	3	4
2.	बम्बई-5	ग्रेटर बम्बई	शहरी
3.	पिम्परी-चिंचवाड	पुणे	—तदैव—
4.	अकोला शहर	अकोला	—तदैव—
5.	अहमदाबाद	अहमदनगर	—तदैव—
6.	चोपदा	जलगांव	आदिवासी
7.	शिओगांव	अहमदनगर	ग्रामीण
8.	कारजट	—तदैव—	—तदैव—
9.	पैथन	औरंगाबाद	—तदैव—
10.	कैज	बीड	—तदैव—
11.	अमलनेर	जलगांव	—तदैव—
12.	नन्दगांव	नासिक	—तदैव—
13.	घिओला	—तदैव—	—तदैव—
14.	बारामती	पुणे	—तदैव—
15.	मिराज	सांगली	—तदैव—
16.	नार्थ शोलापुर	शोलापुर	—तदैव—
17.	साउथ शोलापुर	—तदैव—	—तदैव—
	मणिपुर		
1.	बिशनपुर	बिशनपुर	ग्रामीण
2.	चूराचांदपुर	चूराचन्दपुर	आदिवासी
3.	उखरूल नार्थ (शिन्गाई)	उखरूल	—तदैव—
	मेघालय		
1.	नावफलांग	ईस्ट खासी हिल्स	आदिवासी
2.	लासकीन	जेंतिया हिल्स	—तदैव—
3.	रोगांरा	वेस्ट गोर हिल्स	—तदैव—
4.	मेरंग	ईस्ट खासी हिल्स	—तदैव—

1	2	3	4
	मिजोरम		
1.	लोकीचेरा	एजावल	आदिवासी
2.	तुइपांग	छिमतुईपुर	—तदैव—
3.	एबांक	एजाल	—तदैव—
	नागालैंड		
1.	लोगलेंग	तुएनसांग	आदिवासी
2.	कुबुबोटो	कोहिमा	—तदैव—
3.	आंगपागकोगं	मोकोकदगं	—तदैव—
	उड़ीसा		
1.	कटक शहर	कटक	शहरी
2.	टुमुडीबांध	फूलबानी	आदिवासी
3.	चाकापद	—तदैव—	—तदैव—
4.	टीकाबादी	—तदैव—	—तदैव—
5.	जी० उद्यानगिरि	—तदैव—	—तदैव—
6.	रायकिया	—तदैव—	—तदैव—
7.	बालीगुडा	—तदैव—	—तदैव—
8.	गुनापुर	कोरापुर	—तदैव—
9.	रामनगुडा	—तदैव—	—तदैव—
10.	बीशम कटक	—तदैव—	—तदैव—
11.	पदमपुर	—तदैव—	—तदैव—
12.	मुनीगुडा	—तदैव—	—तदैव—
13.	बिसोई	मयूरभांज	—तदैव—
14.	उदाला	—तदैव—	—तदैव—
15.	बारीपदा	—तदैव—	—तदैव—
16.	हाराभगां	फूलबानी	ग्रामीण
17.	तितलागढ़	बोलनगीर	—तदैव—

1	2	3	4
18.	मुरीबेहल	बोलनगीर	ग्रामीण
19.	बगामुण्डा	—तदैव—	—तदैव—
20.	नवापारा	कालाहांडी	—तदैव—
21.	सोहेला	सम्बलपुर	—तदैव—
	पंजाब		
1.	माहिलपुर	होशियारपुर	ग्रामीण
2.	चामकौर साहिब	रोपर	—तदैव—
3.	बाभिआल	गुरदासपुर	—तदैव—
4.	फिलौर	जालन्धर	ग्रामीण
5.	नरमहल	तदैव	तदैव
	तमिलनाडु		
1.	कोलीहिल्स	सालेम	आदिवासी
2.	पेडानाइकानपालायम	तदैव	तदैव
3.	वादामदुराई	अन्ना	ग्रामीण
4.	बालपसई	कोएम्बेटोर	तदैव
5.	मुधानूर	मार्थआरमोट	तदैव
6.	गंगावाली	सालेम	तदैव
7.	किवेलर	थांजावर	तदैव
8.	ओटापिवारम	चिदम्बरानार	तदैव
9.	मोरापुर	धर्मापुरी	तदैव
10.	होस्ट	तदैव	तदैव
11.	सातूर	कामराजर	तदैव
12.	देवाकोटाई	पोसमपोमाथुरामालिंगम	तदैव
13.	परसाकुडी	रामनाथपुरम	तदैव
	त्रिपुरा		
1.	अमरपुर	नार्थ जिला	आदिवासी

1	2	3	4
	उत्तर प्रदेश		
1.	आगरा शहर	आगरा	शहरी
2.	मेरठ शहर	मेरठ	तदैव
3.	देहरादून शहर	देहरादून	तदैव
4	कानपुर शहर-II	कानपुर	तदैव
5.	इलाहाबाद शहर-II	इलाहाबाद	तदैव
6.	पंचपुखा	गोण्डा	आदिवासी
7.	सुआर	रामपुर	ग्रामीण
8.	रामपुर	तदैव	तदैव
9.	नाकर	सहारनपुर	तदैव
10.	निजामाबाद	बिजनौर	तदैव
11.	पदरौना	दिओरिआ	तदैव
12.	द्वाराहाट	अल्मोडा	ग्रामीण
13.	धाराली	चमोली	तदैव
14.	पौरी	पोरीगढ़वाल	तदैव
15.	पिथौरगढ़	पिथौरागढ़	तदैव
16.	देवप्रयाग	तेहरीगढ़वाल	तदैव
17.	मछरेहेट	सीतापुर	तदैव
18.	मिसरीक	तदैव	तदैव
19.	सरकन	तदैव	तदैव
20.	बेहाटा	तदैव	तदैव
21.	मोरनीपुर	झांसी	तदैव
22.	बामोर	तदैव	तदैव
23.	बिरघा	ललितपुर	तदैव
24.	दाकोर	जालौन	तदैव
25.	नाखा	खैरी	तदैव

1	2	3	4
26.	चाका	इलाहाबाद	ग्रामीण
27.	बेहन्दर	हरदोई	तदैव
28.	सरसा	तदैव	तदैव
	पश्चिम बंगाल		
1.	बुर्दवान	पुरूलिया	आदिवासी
2.	इंदपुर	बांकुरा	ग्रामीण
3.	हल्दीबाडी	कूचबिहार	तदैव
4.	मठबंगा-I	तदैव	तदैव
5.	सिताई	तदैव	तदैव
6.	सीतलकुची	तदैव	तदैव
7.	ओल्डमाल्दाह	माल्दा	तदैव
8.	झारग्राम	मिदनापुर	तदैव
9.	लालगोला	मुर्शीदाबाद	तदैव
10.	हिंगलगंज	24 परगना (उत्तरी)	तदैव
11.	पारा	पुरूलिया	तदैव
12.	रघुनाथपुर-I	तदैव	तदैव
13.	काइकागंज	वेस्टदीनाजपुर	तदैव
14.	कुंशरूंडी	तदैव	तदैव
	दिल्ली		
1.	गोविंदपुरी/कटवाड़िया सराय	दिल्ली	शहरी

विवरण-2

देश में अब तक स्वीकृत समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं की राज्यवार संख्या

		आई० सी० डी० एस० परियोजनाओं की संख्या		
क्रम सं०	राज्य का नाम	केन्द्रीय प्रायोजित	राज्य क्षेत्र	कुल
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	103	9	112

1	2	3	4	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	25	—	25
3.	असम	52	—	52
4.	बिहार	168	—	168
5.	गोवा	11	—	11
6.	गुजरात	82	16	98
7.	हरियाणा	37	68	105
8.	हिमाचल प्रदेश	23	—	23
9.	जम्मू तथा कश्मीर	25	23	48
10.	कर्नाटक	78	30	108
11.	केरल	54	24	78
12.	मध्य प्रदेश	161	—	161
13.	महाराष्ट्र	122	—	122
14.	मणिपुर	19	—	19
15.	मेघालय	20	—	20
16.	मिजोरम	16	3	19
17.	नागालैंड	21	—	21
18.	उड़ीसा	105	—	105
19.	पंजाब	48	—	48
20.	राजस्थान	83	17	100
21.	सिक्किम	4	—	4
22.	तमिलनाडू	78	—	78
23.	त्रिपुरा	14	—	14
24.	उत्तर प्रदेश	222	8	230
25.	पश्चिम बंगाल	128	16	144
	कुल राज्यों के लिए	1699	214	1913

1	2	3	4	5
	केन्द्र शासित राज्य			
1.	अंडमान व निकोबार	4	—	4
2.	चंडीगढ़	2	—	2
3.	दादरा और नगर हवेली	1	—	1
4.	दमन और दीव	2	—	2
5.	दिल्ली	22	2	24
6.	लक्षद्वीप	1	—	1
7.	पांडिचेरी	5	—	5
कुल (केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए)		37	2	39
कुल योग :		1736	216	1952

समन्वित पेयजल आपूर्ति योजनाएं

997. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :**

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समन्वित पेयजल आपूर्ति योजनाओं के विकास के लिए पेयजल सम्बन्धी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मिशन ने 55 जिलों का चयन किया है;

(ख) यदि हां, तो इन जिलों के राज्यवार नाम क्या हैं;

(ग) क्या मिशन द्वारा इस उद्देश्य के लिए चयनित हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में यह कार्यक्रम वास्तव में आरम्भ किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) राज्यवार जिलों के नामों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी, हां।

(घ) कांगड़ा मिनी मिशन जिले के लिए 246.01 लाख रुपये की अनुमानित लागत वाली विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अनुमोदित हो चुकी है। मिनी मिशन गतिविधियों के लिए रिलीज किए गए 50.00 लाख रुपये में से राज्य सरकार ने अगस्त, 1988 तक 45.00 लाख रुपये का व्यय सूचित किया है।

विवरण

मिनी मिशन जिलों की सूची

	राज्य का नाम/संघ शासित क्षेत्र का नाम	जिलों का नाम
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1-3 कुरनूल, महसबूब नगर, पूर्वी गोदावरी
2.	अरुणाचल प्रदेश	4 ईस्ट सैंग
3.	असम	5 कछार (दारबंज-उपमिशन-अधिक लौह)
4.	बिहार	6-10 पलामू, रोहतास, गिरीडीह, सिंहभूमि सिरीबगंज
5.	गोवा	11 सम्पूर्ण राज्य
6.	गुजरात	12-14 कछार, जामनगर, डांग्स
7.	हरियाणा	15-16 गुड़गांव, अम्बाला
8.	हिमाचल प्रदेश	17 कांगड़ा
9.	जम्मू व कश्मीर	18-19 ऊधमपुर, अनन्तनाग
10.	कर्नाटक	20-22 गुलबर्गा, धारवाड़, रायचूर
11.	केरल	23 पालघाट
12.	मध्य प्रदेश	24-26 झबुआ, राजगढ़, शहडोल
13.	महाराष्ट्र	27-28 सतारा, लाटूर
14.	मणिपुर	29 दक्षिणी मणिपुर
15.	मेघालय	30 पश्चिमी खासी
16.	मिजोरम	31 आइजौल
17.	नागालैंड	32 कोहिमा
18.	उड़ीसा	33—35 कोरापुट, फुलबनी, गंजम ज़िले के 5 खंड, मयूरभंज
19.	पंजाब	36-37 फिरोजपुर, अमृतसर
20.	राजस्थान	38-40 बाड़मेर, चुरू, नागोर
21.	सिक्किम	41 दक्षिण/पूर्वी जिले

1	2	3
22.	तमिलनाडु	42-44 रामनाथपुरम (रामांड), दक्षिण एराकोट, सेलम
23.	त्रिपुरा	45 नार्थ
24.	उत्तर प्रदेश	46—49 मिर्जापुर, आगरा, उन्नाव, सुल्तानपुर
25.	पश्चिम बंगाल	50—52 बांकुरा, मिदनापुर, पुलिया
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	53 सम्पूर्ण संघ शासित क्षेत्र
27.	लक्षद्वीप	54 —उक्त—
28.	पांडिचेरी	55 —उक्त—

विदेशों से प्राप्त सहायता से चलने वाली कृषि योजनाओं को मंजूरी

998. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बागवानी, नकदी फसलों और पौध-रोपण के सम्बन्ध में कर्नाटक की ऐसी अनेक योजनाओं के प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं, जिनका वित्तपोषण विदेशों से प्राप्त धन से किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक मंजूर की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) कर्नाटक सरकार द्वारा विदेशी एजेंसियों से वित्तीय सहायता के लिये बागवानी से संबंधित तीन परियोजनाओं के प्रस्ताव भेजे गये हैं। इन परियोजनाओं का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

(1) विश्व बैंक की सहाय्ता से बागवानी का समेकित विकास।

(2) विदेशी सहायता से कर्नाटक में नारियल के बागानों के विकास की परियोजना।

(3) विदेशी सहायता से आम के विकास की परियोजना।

(ग) पहली दो परियोजनाओं को विदेशी सहायता प्राप्त करने हेतु अन्तिम रूप दिया जा चुका है। आम के विकास से सम्बन्धित परियोजना जो कि बहु-राज्य आम विकास परियोजना का एक भाग है, को राज्य के प्रस्तावों के साथ जोड़कर तैयार किया जाना है।

आन्ध्र प्रदेश को छोटे और सीमान्त किसानों के लिये धनराशि

999. **एस० पलाकोंड्रायुडू :**

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 के दौरान आन्ध्र प्रदेश को छोटे और सीमान्त किसानों को सहायता पहुंचाने के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) छोटे और सीमान्त किसानों की पहचान करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाया गया है;

(ग) क्या वर्ष 1988-89 में इस धनराशि में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए छोटे और सीमांत किसानों को सहायता देने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत 1987-88 के दौरान आन्ध्र प्रदेश को केन्द्रीय हिस्से के रूप में 488.40 लाख रुपये की धनराशि निर्मुक्त की गई थी।

(ख) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत नीचे दी गई परिभाषा के अनुसार छोटे और सीमांत किसानों की पहचान की गई है :—

छोटे किसान : एक काश्तकार जिसके पास 2 हैक्टेयर अथवा उससे कम भूमि है वह एक छोटा किसान है।

सीमांत किसान : एक काश्तकार जिसके पास 1 हैक्टेयर या उससे कम भूमि है वह योजना के तहत सहायता दिये जाने के लिये एक सीमांत किसान है।

(ग) और (घ) 1987-88 के दौरान निर्मुक्त की गई 488.40 लाख रुपये की धनराशि की तुलना में 1988-89 के दौरान कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिये छोटे और सीमांत किसानों को सहायता देने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत सामान्य कार्यक्रम के लिये 245.01 लाख रुपये और विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम के लिये उथले नलकूप/खुदे कुएं निर्मित करने के लिये 680.88 लाख रुपये का केन्द्रीय अंश (925.89 लाख रुपये का कुल केन्द्रीय अंश आवंटित करने का प्रस्ताव है।

बागवानी परियोजना के लिए हालैंड द्वारा सहायता

1000. **डा० बी० एल० शैलेश :**

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर के निकट हालैंड से सहायता प्राप्त बागवानी परियोजना में चुनींदा किस्म के फूल उगाकर इनका हालैंड को निर्यात करने की परियोजना को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस परियोजना को आरम्भ करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्यामलाल यादव) : (क) से (ग) हालैंड को निर्यात के लिये बंगलौर के निकट चुनिंदा किस्म के फूलों को उगाने की बागवानी परियोजना के लिये कोई हालैंड सहायता उपलब्ध नहीं है। तथापि, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति विकास सहकारी समिति लिमिटेड ने फूलों तथा सब्जियों के अवशिष्ट (रजेक्ट्स) की प्रतिशतता को 25 तक बढ़ाने का अनुरोध किया था। इसे निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप स्वीकार्य नहीं पाया गया था।

समन्वित बाल विकास सेवा को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करना

1001 **डा० बी० एल० शैलेश :**

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समन्वित बाल विकास सेवा कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिये पिछले महीने के दौरान राजधानी में समन्वित बाल विकास सेवा कार्यक्रम को दो-दिवसीय वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में इस कार्यक्रम की सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिये उपायों पर विचार विमर्श किया गया ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

नई दिल्ली में 25-26 अक्तूबर को हुए समेकित बाल विकास सेवा (आई०सी०डी०एस०) पर वार्षिक सम्मेलन में चर्चित मुद्दों की सूची

1. ग्राम, परियोजना, जिला और राज्य स्तरों पर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं तथा आई०सी०डी०एस० का कारगर समन्वय।
2. स्वास्थ्य और आई०सी०डी०एस० कार्यकर्ताओं का एक प्रभारी समेकित प्रशिक्षण।
3. स्वास्थ्य संदर्भ पद्धति को सुपरवाही बनाना।
4. मौजूदा प्रबन्ध सूचना पद्धति में सुधार और मासिक प्रगति रिपोर्ट और मासिक प्रबोधन रिपोर्टों का समेकन।
5. आई०सी०डी०एस० कार्मिकों की भर्ती और प्रशिक्षण सम्बन्धी सूचना।
6. आंगनबाड़ी स्तर पर आई०सी०डी०एस० सम्बन्धी सभी सेवाओं को प्रभावी बनाना।
7. आई०सी०डी०एस० के प्रारम्भिक बाल शिक्षा संघटक।
8. खिलौना बैंक स्कीम।
9. 8वीं पंचवर्षीय योजना के लिये नीतियां।

फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण केन्द्र

100?. श्री के० प्रधानी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी क्षेत्र में एक केन्द्रीय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान की स्थापना से सम्बन्धित प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा; और

(ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत और क्षमता क्या है और इसमें यदि कोई विदेशी मुद्रा व्यय होगी तो कितनी ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हाँ।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के भीतर निर्णय लिये जाने की आशा है।

(ग) संस्थान ने प्रति वर्ष 675 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देने और 25 कृषि मशीनों का परीक्षण करने की सुविधाएं होंगी। इसकी अनुमानित लागत 400 लाख रुपये है।

उड़ीसा में सुवर्ण रेखा परियोजना

1003. श्री के० प्रधानी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने बाढ़ से आने वाली सुवर्णरेखा नदी के समेकित जल विभाजक प्रबन्ध के लिये 75.50 लाख रुपये की अनुमानित लागत की एक योजना स्वीकृति के लिये भेजी है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां। उड़ीसा सरकार ने 1885 लाख रुपये के एक कुल अनुमान के साथ 1985 में सुवर्ण रेखा नदी के सुवर्ण क्षेत्र के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत किये थे और 1987-88 के लिए 75.74 लाख रुपये का वार्षिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

(ख) उड़ीसा सरकार के प्रस्ताव को बाढ़ उन्मुखी नदियों के स्रवर्ण क्षेत्रों में समेकित पनधारा प्रबन्ध की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए योजना आयोग के परामर्श से विचार किया गया था। तथापि, संसाधन सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण सुवर्ण रेखा नदी स्रवण क्षेत्र की सातवीं योजना में शामिल करना संभव नहीं हो पाया था।

मनाली (हिमाचल प्रदेश) माउन्टेनीयरिंग इन्स्टीट्यूट के लिए बचाव दल का गठन

1004. **कुमारी ममता बनर्जी :**

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनाली, हिमाचल प्रदेश में माउन्टेनीयरिंग इंस्टीट्यूट से सम्बद्ध कोई बचाव दल नहीं है; और

(ख) क्या सरकार का ऐसा एक दल गठित करने का विचार है ताकि यह दल किसी दुर्घटना अथवा किसी व्यक्ति के घायल होने की स्थिति में उपयोगी सेवा प्रदान कर सके ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) हिमाचल प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि पर्वतारोहण संस्थान, मनाली से संबद्ध कोई नियमित बचाव टीम नहीं है। तथापि, संस्थान द्वारा शरद महीनों के दौरान रोहतांग पास के कुछ मुख्य स्थानों पर बचाव सहायता प्रदान की जाती हैं।

(ख) वित्तीय कठिनाइयों के कारण इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव हिमाचल प्रदेश सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, सहायता कार्यों की देख-रेख और समन्वय के लिए मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय बचाव समिति मौजूद है।

अमरीका में भारतीय अप्रवासियों/भ्रमणकर्ताओं के ग्रीनकार्ड तथा पासपोर्ट गुम हो जाना

1005. **श्री शांति लाल पटेल :**

श्री काली प्रसाद पांडेय :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका में भारतीय मूल के अप्रवासियों/भ्रमणकर्ताओं से ग्रीन कार्ड तथा पासपोर्ट, लूटने को घटनाओं में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) वर्ष 1987 में तथा 1988 के दौरान अब तक ऐसे कितने मामले सरकार के ध्यान में लाये गये हैं तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या सरकार ने इस मामले को अमरीका की सरकार के साथ उठाया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) और (ख) सरकार ने इस सम्बन्ध में समाचार पत्रों में छपी कुछ खबरें देखी हैं परन्तु संयुक्त राज्य अमरीका में हमारे मिशन/केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार इस बात का कोई संकेत नहीं मिलता है कि भारतीय अप्रवासी यात्रियों से ग्रीन कार्ड तथा पासपोर्ट छीनने की घटनाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है।

(ग) गुम हुए अथवा छीन लिये गये पासपोर्टों की एवज में नये पासपोर्ट जारी करने के जो मामले संयुक्त राज्य अमरीका में भारतीय मिशन/केन्द्र के पास आए हैं, उनमें से पासपोर्ट छीन लिये जाने के मामले बहुत ही कम हैं। अधिकतर मामले लापरवाही के कारण पासपोर्ट गुम हो जाने अथवा पासपोर्ट क्षतिग्रस्त हो जाने अथवा पासपोर्ट खो जाने से सम्बद्ध हैं।

(घ) और (ङ) जी नहीं।

भारत में कोका-कोला उद्योग लगाने का प्रस्ताव

1006. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :**

चौधरी खुर्शीद अहमद :

श्री हेत राम :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के बड़े शीतल पेय उद्योग कोका-कोला द्वारा भारत में अपना उद्योग लगाने की इच्छा व्यक्त की गई है;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

हाम्पी में वास्तुशिल्प खजाने पर अध्ययन

1007. **श्री वी० कृष्ण राव :**

क्या **मानव संसाधन विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरातत्वविदों ने कर्नाटक में हाम्पी के वास्तुशिल्प खजाने पर गहन अध्ययन किया है;

(ख) क्या उन्होंने एक गुप्त जल कुन्ड, सोने के सिक्कों तथा अनेक अन्य वस्तु शिल्प वस्तुओं का पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा विजयनगर साम्राज्य के बारे में अधिक रहस्यों तथा हाम्पी की गुप्त मूल्यवान वस्तुशिल्प वस्तुओं का पता लगाने के लिए कौन से कदम उठाये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) खुदाईयों की प्रक्रिया के दौरान एक अलंकृत और एक साधारण जल-टंकी, सोने के सिक्के, सोने की जंजीर, काफी संख्या में वास्तुशिल्पीय टुकड़, पांच चूने-पत्थर की पटियां जिन पर बुद्ध की जीवनी से उपकथाएं उत्कीर्ण की गई हैं, कुछ पटियों पर ब्राह्मी लिपियां हैं, प्राक्-विजयनगर और बाद की शैली की मूतिया, तांबे के सिक्के और बर्तन, मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा लघु-मूर्तियां, मणके और अन्य पुरावस्तुएं मिली हैं ।

(घ) उत्खनन कार्य प्रगति पर है और यह भविष्य में जारी रहेगा जो कि प्राप्त वस्तुओं की प्रकृति पर निर्भर है ।

विदेश मन्त्री के नेपाल के दौरे के परिणाम

1008. **श्री एस० बी० सिदनाल :**

श्री एस० एम० गुरड्डी :

क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही मे नेपाल का दौरा किया था तथा नेपाल नरेश के साथ विभिन्न विषयों पर बातचीत की थी; और

(ख) यदि हां, तो इस बातचीत के क्या परिणाम निकले हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) आपसी हित के मामलों पर विचारों का आदान-प्रदान ।

"सुप्रीम कोर्ट ब्लेम्स फिल्म्स फौर मर्डर" शीर्षक से समाचार

1009. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :**

क्या **मानव संसाधन विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 मई, 1988 के इण्डियन एक्सप्रेस (बंगलौर संस्करण में "सुप्रीम कोर्ट ब्लेम्स फिल्म्स फौर मर्डर" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने फिल्म उद्योग के एक वर्ग द्वारा हिंसा को बड़े पैमाने पर दिखाये जाने और मानवीय कमजोरियों के लाभ उठाने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय के विचारों पर ध्यान दिया है;

(ग) यदि हां, तो फिल्मों और दूरदर्शन के धारावाहिक कार्यक्रमों में हिंसा के प्रदर्शन को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की हैं अथवा करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल०पी० शाही) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

ग्रामीण जल सप्लाई संबंधी सम्मेलन

10 0. **श्री शांति लाल पटेल :**

श्री जी० एस० बसवराजू :

श्री पी० ग्रार० कुमारमंगलम :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में आयोजित ग्रामीण जल सप्लाई सम्मेलन में ग्रामीण भारत में शुद्ध पेय जल उपलब्ध कराने सम्बन्धी समस्याओं पर चर्चा की गई थी;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में किन-किन मुख्य मुद्दों पर चर्चा की गई और क्या निर्णय लिया गया; और

(ग) सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) चर्चा के मुख्य मुद्दों को दर्शाने वाला विवरण-1 तथा की गई सिफारिशों को दर्शाने वाला विवरण-2 संलग्न है।

(ग) राज्यों/संघशासित सरकारों तथा अन्य सम्बन्धित संगठनों से अनुरोध किया गया है कि वे सिफारिशों पर आवश्यक अनुवर्ती कारंवाई करें तथा 31 दिसम्बर, 1988 तक अपनी पहली प्रगति रिपोर्ट भेज दें।

विवरण-I

ग्रामीण जल सप्लाई के सम्बन्ध में दिनांक 13-14 अक्तूबर, 1988 को हुए सम्मेलन में हुई चर्चा के मुख्य मुद्दे

1. ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम की समीक्षा तथा पुनरीक्षा जैसे :—

(I) समस्याग्रस्त गांवों की कवरेज

(II) 65 जिलों में स्थापित मिनी मिशनों की समीक्षा

(III) (क) फ्लोरोसिस पर नियन्त्रण (ख) लौह की अधिकता को दूर करने

(ग) गिनीकृमि उन्मूलन (घ) लवणता को दूर करने

(ङ) वैज्ञानिक तौर पर स्रोतों का पता लगाने और जल स्रोतों की सम्पूर्ति करने सम्बन्धी उप-मिशनों की समीक्षा।

2. ग्रामीण जल सप्लाई प्रणालियों का संचालन/रख-रखाव-सामुदायिक भागीदारी

3. जल एकत्रीकरण/भू-जल तथा सतही जल संयुक्त उपयोग/भू-जल कानून आवश्यकता

(i) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष घटक कार्यक्रम को लागू करना

(ii) आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रति दृष्टिकोण

(iii) प्रबन्ध सूचना प्रणाली तथा रिग मानिटरिंग।

विवरण-2

राज्यों के ग्रामीण जल सप्लाई के प्रभारी मंत्रियों, सचिवों और मुख्य अभियन्ताओं का 13, 14 अक्तूबर, 1988 को नई दिल्ली में हुए सम्मेलन में हुई आम राय

सामान्य :

सम्मेलन में सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था को सरकार के उच्च प्राथमिकता वाले कार्य के रूप में जारी रखा जाएगा। अच्छे मानसून के बावजूद यह आवश्यक है कि विशेषकर दूर-दराज के क्षेत्रों में जहां गरीब लोगों को पहले स्वच्छ पेयजल मुहैया नहीं कराया गया था, स्वच्छ पेयजल के स्रोतों को विकसित करने के कार्य पर ध्यान केन्द्रित किया जाए। राष्ट्रीय पेयजल मिशन के कार्यों को तेज किया जाये और लोगों को कार्यान्वियन तथा संचलन और रख-रखाव के कार्य में कार्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए।

समस्याग्रस्त गांवों की कवरेज :

1. प्रौद्योगिकी मिशन के दस्तावेज के अन्तर्गत बनाई गई कार्ययोजना के अनुसार शेष समस्याग्रस्त गांवों को कवर करने के लिए उच्चतम प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ऐसे गाँवों के नाम तत्काल प्रकाशित किए जाने चाहिये।

2. पूर्णरूप से स्वच्छ पेयजल की सप्लाई के लिए गांवों को कवर करने हेतु प्रयास किये जाएंगे। आठवीं योजना के लिए शेष रहे पता लगाये गए कुछेक अधिक समस्या वाले गांवों के मामले में पेयजल का कम से कम एक भरोसेमंद स्रोत उपलब्ध कराने हेतु तत्काल कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। ऐसे गांवों के नाम दिसम्बर, 1988 तक उपलब्ध हो जाने चाहिए।

3. समय अनुसूची के अनुसार राज्यों द्वारा ग्रामवार सूची उपलब्ध कराई जायेगी।

4. 1987-88 के दौरान कवर किये गये गांवों के नाम प्रकाशित किये जाएंगे।

मिनी मिशन और उप-मिशन :

5. राज्यों के ग्रामीण जल सप्लाई के प्रभारी सचिव व्यक्तिगत तौर पर योजना बनायेंगे, निगरानी करेंगे और नियमित अन्तराल पर निष्पादन का मूल्यांकन करेंगे।

6. सम्बन्धित राज्य सरकार विभिन्न उप-मिशन गतिविधियों के साथ प्रत्येक उप मिशन के लिये कागजात तैयार करेंगी और उन्हें भारत सरकार को प्रस्तुत करेंगी जिनमें गांवों के ब्यौरे और कम लागत वाली उपयुक्त प्रौद्योगिकी मुहैया कराने के लिये अपेक्षित धनराशि का उल्लेख किया जायेगा।

7. राज्य के मिशन निदेशक (सचिव) को मिशन समन्वय के रूप में एक मुख्य इंजीनियर (जहां एक से अधिक मौजूद हैं) को नामित करना चाहिये जो जल में खारेपन को दूर

करने, अधिक लौह को हटाने, फ्लोराइड को दूर करने, सौर-पम्प, केन्द्रीय भू-जल बोर्ड, राष्ट्रीय भू भौतकीय अनुसंधान संस्थान आदि द्वारा समस्या वाले गांवों के सर्वेक्षण के विशेष कार्यक्रमों और गिनी कृमि को नष्ट करने के कार्यक्रमों के सुगत तकनीकी और प्रशासनिक समन्वय को सुनिश्चित करेगा ।

संचालन और रख-रखाव :

8. सृजित परिसम्पत्तियों को दर्ज किया जाना चाहिये और इसके स्वामित्व, रखरखाव तथा संचलन के लिये एजेंसियों को नामित किया जाये ।

9. संचलन तथा प्रबन्ध में समुदाय को शामिल करने का लक्ष्य होना चाहिये और आदर्श स्थापित किये जाने चाहिये । राजस्थान, उड़ीसा आदि राज्यों में प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखा जाये ।

10. सभी मिनी मिशन जिलों में गैर-सरकारी संगठनों/स्वयंसेवी एजेंसियों को शामिल किया जाना चाहिये और समुदाय की भागीदारी विशेषकर महिलाओं को शामिल करने के लिये निश्चित समयबद्ध कार्यक्रम शुरू किये जाने चाहिये । सामुदायिक स्वास्थ्य शिक्षा और संचलन तथा प्रबन्ध हेतु भी समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किये जाएं । लागत वसूली की भी व्यवस्था की जानी चाहिये ।

11. नये आत्मविश्वास, दी गई बेहतर सेवा-सुविधाओं और लोगों को उपलब्ध कराई गई बेहतर संचार-व्यवस्था के जरिये समुदाय और इंजीनियरिंग प्रभागों के बीच आपसी अविश्वास की भावना को दूर किया जाना चाहिये । इसके लिए ग्राम-स्तर अथवा पंचायत स्तर पर जल समितियां गठित की जानी चाहिये । जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी अथवा पंचायतों के जरिये सरकार द्वारा अथवा मंत्रालयों द्वारा इन कार्यकर्ताओं को रखरखाव हेतु कोर फण्ड दिया जाना चाहिये ।

12. यदि सामाजिक-राजनैतिक कारण से लागत की वसूली नहीं की जाती है तो नान-प्लान के अन्तर्गत योजनाओं के रखरखाव के लिए राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त निधियां उपलब्ध की जानी चाहिये ।

13. भारत सरकार तत्काल दो समितियां गठित करेगी—एक समिति संचलन तथा प्रबन्ध की समस्याओं के ब्यौरों की जांच करेगी और दूसरी समिति पद्धतियों के रखरखाव और मूल्यांकन के लिए मानदण्ड निर्धारित करेगी ।

14. इण्डिया मार्ग-2 हैंडपम्प को वी० एल० ओ०एम० पम्प (ग्रामीण स्तर के संचलन और रखरखाव पम्प) के रूप में अल्पावधि में और अधिक विकसित करने की आवश्यकता है । लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यदि आवश्यक हो, तो देश और विदेश की संस्थाओं के साथ सही तकनीकी और वैज्ञानिक सहयोग स्थापित किया जाना चाहिये । संसार के अन्य भागों में विकसित किये जा रहे विभिन्न अन्य वी०एल०ओ०एम० पम्पों का अध्ययन किया जाना चाहिये । उथले हैंडपम्पों के विकास के महत्व को भी समझा गया है ।

जल संरक्षण और पहाड़ी क्षेत्रों की समस्या :

15. वर्षा जल के एकत्रीकरण, ग्रेविटी फीड योजनाओं आदि जैसे गैर-परम्परागत ढांचों और जल शुद्धिकरण के जरिये पहाड़ी क्षेत्रों की समस्या को हल किया जाना चाहिये ।

16. जन स्वास्थ्य तथा इन्जीनियरिंग विभाग को जल एकत्रीकरण ढांचों और विशेषकर दुर्गम क्षेत्रों में सैनेटरी कुंओं, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आर०एल०ई०जी०पी०), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन० आर० ई० पी०), त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम (ए०आर० डब्ल्यू०एस०पी०) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एम०एन०पी०) के अन्तर्गत ड्रिलिंग रिगों और मिनी मिशन परियोजनाओं को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिये राज्यों के ग्रामीण विकास विभागों के साथ घनिष्ठ रूप से समन्वय किया जाना चाहिये ।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष घटक कार्यक्रम :

17. पेयजल का पहला स्रोत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की बस्तियों में स्थापित किया जाना चाहिये। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये विशेष रूप से निधियों का निर्धारण प्रत्येक परियोजना में किया जाना चाहिये। सचिव द्वारा व्यक्तिगत मानिटरिंग और मूल्यांकन किये जाने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ग्रामीण जल सप्लाई परियोजनाओं से अनुसूचित जाति/जनजाति को लाभ प्राप्त हो रहे हैं। परियोजनाओं का सभी सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन किया जाना चाहिये ।

आठवीं योजना :

18. इस बात पर सहमति हुई कि पेयजल सप्लाई कार्यक्रम को ग्रामीण क्षेत्रों में योजना के मुख्य क्षेत्र रूप में जारी रखा जायेगा और इसे अन्य योजनाओं में उच्चतम प्राथमिकता दी जानी चाहिये। यह भी आवश्यक है कि इस क्षेत्र का बजट सम्बन्धी घट-बढ़ से बचाव किया जाना चाहिये।

विश्व बैंक और जल सप्लाई तथा स्वच्छता सम्बन्धी अन्य द्विपक्षीय परियोजनायें :

19. परियोजनाओ की रूपरेखा नवम्बर, 1988 के अन्त तक प्रस्तुत कर दी जानी चाहिये ताकि उनकी जांच करने, उन्हें भविष्य के लिये और विशेषकर आठवीं योजना हेतु आयोजना प्रक्रिया में शामिल करने के लिए समय मिल सके।

अनुभवों को दोहराना :

20. मिनी मिशन, विश्व बैंक, द्वि-पक्षीय परियोजनाओं आदि जैसे विशेष परियोजना क्षेत्रों में प्राप्त अनुभवों को यथा सम्भव अन्य जगह भी इस्तेमाल किया जाना चाहिये। वस्तुत: आठवीं योजना में सभी क्षेत्रों में संसाधनों का थोड़ा-थोड़ा संवितरण करने के सिवाय चयन किये गये समस्याग्रस्त क्षेत्रों में कार्य योजना तैयार करने के प्रयास किये जाने चाहिए।

प्रबन्ध सूचना प्रणाली और रिग मानिटरिंग :

21. बेहतर मानिटरिंग पद्धति विकसित करने के उद्देश्य से उचित प्रबन्ध सूचना पद्धति विकसित करने के कार्य को कम महत्व नहीं दिया जा सकता है। तथापि, तैयार किये गए आंकड़ों का नीति-निर्णय लेने हेतु प्रबन्धकीय ढंग से उपयोग किया जाना चाहिये। राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अन्तर्गत विकसित प्रबन्ध सूचना पद्धति विशेष रूप से तभी उपयोगी होगी जब राज्यों के साथ परस्पर विचार-विमर्श करके तथा उन्हें शामिल करके तैयार किया जाए। राज्यों के साथ और अधिक समेकन प्रबन्ध सूचना पद्धति सम्बन्धी सम्मेलन में किया जायेगा जिसे सभी राज्यों द्वारा दिसम्बर, 1988 तक अंतिम रूप दिया जायेगा और अपनाया जायेगा।

22. रिग मानिटरिंग पद्धति को तेजी से लागू किया जाना चाहिये और अपनाया जाना चाहिए। हार्डवेयर का अधिकतम उपयोग करने के लिए पूर्ण प्रयास किए जाने चाहिए।

जल निगरानी पद्धति :

23. उपयुक्त जल निगरानी पद्धति की आवश्यकता पर भी सहमति हुई है। राष्ट्रीय पेयजल मिशन के विशेषज्ञों की एक बैठक में एक विकेन्द्रीकृत मॉडल के बारे में भी सहमति हुई थी। राज्य सरकारें राष्ट्रीय पेयजल मिशन की सहायता से योजना को कार्यान्वित करेंगी। स्वच्छ पेयजल और सही जल-निकास तथा फालतू पानी के उपयोग के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए। स्वच्छ पेयजल सप्लाई और समग्र स्वच्छता दृष्टिकोण के बीच घनिष्ठ समन्वय अन्तिम लक्ष्य होना चाहिए।

पर्यावरण और पारिस्थितिक पद्धति :

24. जल का अधिक दोहन करने से प्राकृतिक सम्पदाओं का विनाश होता है। जल का समान वितरण करने के लिए कठिनाई वाले क्षेत्रों में भू-जल के उपयोग पर नियंत्रण करने के लिए विधान बनाए जाने की आवश्यकता है।

25. औद्योगिक, कृषि और अन्य बाहरी प्रदूषण के कारण पेयजल के संदूषण को रोका जाना चाहिए। अन्य संबंधित विभागों के साथ घनिष्ठ समन्वय स्थापित करना आवश्यक है।

26. समग्र स्वास्थ्य और स्वच्छता उद्देश्यों का प्रचार किया जाना चाहिए तथा रोग प्रतिरक्षण तथा साक्षरता मिशन के साथ घनिष्ठ समन्वय करके स्वास्थ्य शिक्षा का एक अभियान शुरू किया जाना चाहिये।

मानकीकरण :

27. ग्रामीण जल सप्लाई और स्वच्छता कार्यक्रमों के सभी पहलुओं का मानकीकरण होना चाहिये जिसके लिए भारतीय मान ब्यूरो (बी०आई०एस०) को शामिल किया जायेगा।

संगठनात्मक/संस्थागत विकास :

28. उपयुक्त संगठनों और संस्थाओं के विकास, मानव संसाधन विकास और जन-शक्ति विकास कार्यक्रमों पर बल दिया जाना चाहिये ताकि समस्या को हल करने हेतु संबंधित दृष्टिकोण अपनाने के लिए बहुमुखी दल तैयार किया जा सके। महाराष्ट्र की भू-जल सर्वेक्षण और विकास एजेंसी जैसे संगठन का अन्य राज्यों में गठन, ग्रामीण जल सप्लाई के लिए समन्वित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (एम० एस० सी०/एम० टेक), नियमित कार्यक्रमों के रूप में सुस्थापित संस्थाओं के जरिये वित्त तथा प्रबंध पहलुओं के बारे में और अधिक प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया जाना चाहिये।

केरल में काजू उद्योग का विकास

1011. प्रो० के० वी० थामस :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में काजू उद्योग के विकास के लिए कौन सी योजनाएं मंजूर की गई हैं; और

(ख) इस प्रयोजन के लिये कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) :
(क) केरल में काजू के विकास के लिये पैकेज कार्यक्रम की केन्द्रीय प्रायोजित योजना मंजूर की गई है।

(ख) सातवीं योजना में केन्द्रीय शेयर के रूप में 69.343 रुपये की राशि मंजूर की गई है।

दालों तथा तिलहनों के लिए बीजों का विकास

1012. श्री नित्यानन्द मिश्र :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बीज निगम को अच्छे किस्म के दालों तथा तिलहनों के अच्छे किस्म के बीज विकसित करने के लिये कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या निगम ने इस दिशा में कोई कार्यक्रम शुरू किया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा इस समय कितनी मात्रा में दालों तथा तिलहनों के बीजों की सप्लाई की जा रही है तथा शेष मांग को पूरा करने के लिए क्या योजनाएं तैयार की जा रही हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) :
(क) राष्ट्रीय बीज निगम उन दालों तथा तिलहनों की उन्नत किस्मों के बीजों का उत्पादन कर रहा है जो कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा विकसित की जाती हैं। नई किस्मों को विकसित करने का कार्य राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा नहीं किया जाता है।

(ख) राष्ट्रीय बीज निगम ने दालों तथा तिलहनों के प्रमाणित बीजों के उत्पादन का कार्यक्रम शुरू किया है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्पादित की गई मात्राएं इस प्रकार हैं:—

(क्विंटल)

	वर्ष	दालें	तिलहन
	1985-86	43,000	18,473
(अनन्तिम)	1986-87	48,418	14,469
(अनुमानित)	1987-88	30,622	23,210
(लक्ष्य)	1988-89	89,000	60,500

(ग) राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा बेची गई दालों तथा तिलहनों के बीजों की मात्रा इस प्रकार है :—

(क्विंटल)

	वर्ष	दालें	तिलहन
	1985-86	38022	21516
	1986-87	49462	29590
	1987-88	38537	15915
(अनन्तिम अक्तूबर, 88 तक)	1988-89	21079	13288

राष्ट्रीय बीज निगम के अतिरिक्त भारतीय राज्य फार्म निगम, राज्य कृषि विभाग, राज्य बीज निगमें, निजी बीज कम्पनियां तथा उन्नतशील किसान भी देश की बीज की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

साक्षरता को प्रोत्साहन देने हेतु नीतियां

1013. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने साक्षरता को प्रोत्साहन देने हेतु विभिन्न नीतियां बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में अब तक कोई कार्यवाही योजना तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और कार्यवाही योजना को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल०पी० शाही) : (क) से (ग) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का उद्देश्य 15 से 35 आयु वर्ग के 800 लाख प्रौढ़ निरक्षरों को 1990 तक 300 लाख और 1995 तक 500 लाख अतिरिक्त प्रौढ़ निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना है। निम्नलिखित कार्य नीतियां इस मिशन के कार्यान्वयन के लिए अपनाई जा रही हैं।

(i) प्रोत्साहन केन्द्रित कार्यक्रम तैयार किये जाएंगे, जिससे उनके स्वरूप एवं विषय निवेशों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। इस कार्यक्रम को कुशल विकास एवं आर्थिक कार्य-कलापों, स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों, मनोरंजनात्मक एवं सांस्कृतिक कार्यकलापों से सम्बद्ध किया जाएगा। आकर्षक अध्ययन/शिक्षण सामग्री प्रदान की जाएगी। समर्पित एवं सुप्रशिक्षित शिक्षक नियुक्त किये जाएंगे। सतत शिक्षा के लिए उन्नत अध्ययन वातावरण एवं व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जाएगा।

(ii) जन संचार माध्यमों के जरिये लोगों को सहभागिता प्राप्त करने, स्थानीय स्तर पर सहभागी ढांचों के सर्जन, जत्थों को निकलने, युवकों के संवर्गों को प्रशिक्षित करने इत्यादि के लिए क्रमबद्ध प्रयास किये जायेंगे।

(iii) प्रशिक्षण एवं तकनीकी संसाधन विकास, प्रयोग एवं नव परिवर्तन इत्यादि हेतु कार्यक्रम के प्रसार के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों को शामिल करने में उपयुक्त रूप से वृद्धि की जायेगी। उपयुक्त एजेंसियों का पता लगाने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जायेगा और वित्तीय सहायता की प्रक्रियाओं को सरल और कारगर बनाया जायेगा।

(iv) विद्यमान कार्यक्रमों को जारी रखा जाएगा लेकिन प्रमाणित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी निवेशों के अनुप्रयोग, बेहतर पर्यवेक्षण, उपयुक्त प्रशिक्षण, शैक्षणिक नव परिवर्तनों इत्यादि के जरिये इनकी कोटि में सुधार किया जायेगा।

(v) कार्यात्मक साक्षरता का जन कार्यक्रम, युवकों, अध्यापकों, विद्यार्थियों, अनुशासित सेनाओं के सदस्यों, भूतपूर्व सैनिकों, जेल स्टाफ, गृहणियों, नियोक्ताओं, ट्रेड यूनियनों इत्यादि की सहायता से शुरू किया जायेगा।

(vi) जन शिक्षण निलायम की स्थापना से उत्तर साक्षरता एवं सतत शिक्षा को संस्थागत बनाया गया है। प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र को विस्तृत करने के लिए विद्यमान संस्थागत सुविधाओं का बेहतर प्रयोग किया जायेगा।

(vii) राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तरों पर तकनीकी संसाधन विकास से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उच्चकोटि की सामग्री व्यापक रूप से उपलब्ध हो।

(viii) प्रौद्योगिकी शैक्षिक निवेशों के विकास, स्थानांतरण और अनुप्रयोग के लिए 40 जिलों में प्रौद्योगिकी प्रदर्शन किये जायेंगे। परिणामों का मूल्यांकन करके इनका 40 जिलों के बाहर अनुप्रयोग किया जाएगा।

(ix) एक प्रभावकारी मिशन प्रबन्ध व्यवस्था स्थापित की जाएगी, ताकि सभी स्तरों पर प्रबन्ध में सुधार के लिए अपेक्षित सूचना में विश्वसनीय और निरन्तर प्रसार को सुनिश्चित किया जा सके।

राज्यों को अतिरिक्त सहायता

1014. श्री पी० एम० सईद :

डा० जी० विजय रामाराव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार को प्राकृतिक विपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए सहायता राशि में वृद्धि करने हेतु अपने मामले प्रस्तुत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और उनके द्वारा किसी धनराशि की मांग की गई है; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (ग) 1988 के दक्षिण-पश्चिमी मानसून के दौरान बाढ़ से प्रभावित राज्यों द्वारा केन्द्रीय सहायता बढ़ाने के लिए प्रस्तुत किए गए ज्ञापन और भारत सरकार द्वारा इन पर की गई कारंवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(करोड़ रुपये)

क्र० सं०	राज्य का नाम	ज्ञापन में मांगी गई सहायता	स्वीकृत किए गए व्यय की अधितम सीमा	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	271.56	28.76	कारंवाई की जा रही है।
2.	अरुणाचल प्रदेश	67.56		
3.	असम	824.21	85.36	
4.	गुजरात	172.52	27.02	
5.	हरियाणा	190.08	31.14	
6.	हिमाचल प्रदेश	290.77		कारंवाई की जा रही है।
7.	जम्मू व कश्मीर	111.87	14.46	
		(बाढ़ का पहला प्रकोप और हिमस्खलन)		
		171.69		
		(बाढ़ का दूसरा प्रकोप)		कारंवाई की जा रही है।
8.	कर्नाटक	285.72		कारंवाई की जा रही है।
9.	केरल	92.86	10.55	

1	2	3	4	5
10.	पंजाब	857.94		कार्रवाई की जा रही है।
11.	महाराष्ट्र	174.96		कार्रधाई की जा रही है।
12.	मेघालय	7.09		कार्रवाई की जा रही है।
13.	मिजोरम	9.50		
14.	राजस्थान	29.32		कार्रवाई की जा रही है।
15.	सिक्किम (भूकम्प सहित)	32.78	8.49	
16.	त्रिपुरा	6.41		कार्रवाई की जा रही है।
17.	उत्तर प्रदेश	507.78		कार्रवाई की जा रही है।
18.	पश्चिम बंगाल	125.54	23.56	

उड़ीसा में राज्य सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव

1015. **डा० कृपासिन्धु भोई :**

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में कुछ राज्य सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित करने के लिए उड़ीसा सरकार से हाल ही में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) उड़ीसा सरकार ने गोपालपुर (उड़ीसा) से रायपुर (मध्य प्रदेश) तक, खारियार होते हुए, मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये जाने की जरूरत है।

चालू योजना में संसाधनों की कमी के कारण अभी इस मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना सम्भव नहीं है।

उड़ीसा में मिट्टी की अम्लता के कारण कम उत्पादन

1016. **डा० कृपासिन्धु भोई :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा राज्य में मिट्टी की अम्लता के कारण पांच लाख हैक्टेयर से अधिक भूमि में कम उत्पादन होता है;

(ख) क्षारीय मिट्टी को निम्न उत्पादकता से बचाने के लिए कोई केन्द्रीय प्रायोजित योजना आरम्भ की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 1976-77 से 1978-79 तक उड़ीसा में "सुसंहत क्षेत्रों में अम्लीय मृदा के सुधार" के बारे में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना चल रही थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की सिफारिशों के अनुसार 1979-80 से यह योजना राज्य क्षेत्र में अन्तरित कर दी गई। इन तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा को 16.37 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई थी। इसके अलावा, भारत सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान परिवहन राजसहायता के लिए 75 लाख रुपये का विशेष राहत अनुदान प्रदान किया।

कर्नाटक को कृषि आदानों की सप्लाई

1017. **श्री वी० कृष्ण राव :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य को इस समय बीजों, कीटनाशक दवाओं, उर्वरकों और अन्य कृषि आदानों की अपर्याप्त सप्लाई की समस्या का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार ने इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 पर एक उप मार्ग का निर्माण करने का प्रस्ताव

1018. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :**

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 पर कोलार से अम्बर तक एक उप मार्ग का निर्माण करने से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 पर भीड़ कम होगी तथा 30 किलोमीटर की दूरी भी कम हो जायेगी;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय राजमार्ग 46 पर वाया के० जी० एफ० से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 को जोड़ते हुए कोलार से अम्बूर तक एक उप-मार्ग के निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) बाई पासों के निर्माण से आमतौर पर साथ वाली सड़कों पर भीड़-भाड़ कम हो जाती है और दूरी में भी अंतर पड़ता

है। तथापि, इस मामले में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

बूचड़ खानों की स्थापना के लिए केन्द्रीय सहायता

1019. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :**

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार देश में बूचड़खानों की स्थापना के लिए सहायता देती है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सहायता से स्थापित किए गए इन बूचड़खानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बंगलौर नगर में एक बूचड़खाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए कितनी धनराशि की केन्द्रीय सहायता दी गई है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हाँ।

(ख) केन्द्रीय सहायता से पहले ही स्थापित किए गए बूचड़खानों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

स्थान	केन्द्रीय सहायता (लाख रुपए)
1. उसगांव पंजिम गोवा	23.96
2. दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल)	12.45

(ग) जी, हां।

(घ) 15.00 लाख रुपए।

केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन खाद्य प्रसंस्करण एककों का आधुनिकीकरण और विकास

1020. **श्री तम्पन थामस :**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या 1988 के दौरान इन एककों के आधुनिकीकरण और विकास का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) माडर्न फूड इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड (एम०एफ०आई०एल०) और उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निमम (नेरामाक), जो कि इस मंत्रालय के सरकारी क्षेत्र के दो उपक्रम हैं, खाद्य प्रसंस्करण के कार्य में कार्यरत हैं।

(ख) और (ग) माडर्न फूड इंडस्ट्रीज इंडिया लि० सिल्चर में एक पाइनएपल जूस कांसंट्रेट प्लांट को स्थापित करने की एक परियोजना का निष्पादन कर रही है। एक एनर्जी फूड प्लांट स्थापित करने के लिए इसने उदयपुर में जमीन भी ले ली है।

उड़ीसा में संरक्षण योजना

1021. **श्री के० प्रधानी** :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उड़ीसा सरकार से ऊपरी कोलाब के मुहाने में भू संरक्षण कार्य के लिए 32.03 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की और इन्द्रावली में 32.10 करोड़ रुपए अनुमानित लागत की एक व्यापक योजना प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां। उड़ीसा सरकार से उत्तरी कोलाब और इन्द्रावली के स्रवण क्षेत्रों के लिये प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) उड़ीसा सरकार द्वारा प्रस्तावित नये स्रवण क्षेत्रों को नदी घाटी परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्र में मृदा संरक्षण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए योजना आयोग के परामर्श से विचार किया गया। संसाधन सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण सातवीं पंचवर्षीय योजना के तहत नये स्रवण क्षेत्रों को हाथ में लेना संभव नहीं हो पाया है।

श्रीलंका में भारतीय मूल के नागरिकता-विहीन तमिलों को नागरिकता प्रदान करना

1022. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** :

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :

श्री सी० के० कुप्पूस्वामी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीलंका में भारतीय मूल के नागरिकता विहीन तमिलों की अनुमानित संख्या कितनी है; और

(ख) भारत और श्रीलंका के बीच हुए वर्तमान समझौते के अन्तर्गत इन लोगों को नागरिकता देने के मामले में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) 30-9-1988 की स्थिति के अनुसार, जिन परिकलनीय लोगों ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया था किन्तु जिन्हें अभी यह नागरिकता प्रदान की जानी है, उनकी संख्या 84,868 थी। करीब 2,33,000 परिकलनीय लोग श्रीलंका की नागरिकता प्रदान किए जाने की प्रतीक्षा में हैं। ये व्यक्ति और उनकी प्राकृतिक संतति "राज्यविहीन" थी।

श्रीलंका सरकार द्वारा हाल ही में बनाए गए कानून के अनुसार भारतीय मूल के उन सभी राज्य-विहीन तमिलों को श्रीलंका की नागरिकता प्रदान की जाएगी जो कानूनी रूप से श्रीलंका के निवासी हैं। और वे न तो श्रीलंका के नागरिक हैं और न ही भारत के और न ही उन्होंने कभी इसके लिए आवेदन किया है अथवा जिन्हें भारतीय नागरिकता देने के लिए आवेदन पत्र में शामिल किया गया है।

10-11-1988 की स्थिति के अनुसार, 4,21,132 परिकलनीय लोगों को तथा उनकी प्राकृतिक संतति को जिनकी कुल संख्या 5,92,204 है, भारतीय नागरिकता प्रदान की गई थी। हाल में कानून बन जाने से जिन लोगों ने श्रीलंका की नागरिकता के लिए आवेदन किया था, वे सभी श्रीलंका के नागरिक बन जाएंगे। भारतीय कोटे के तहत शेष आवेदकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने में विलम्ब इसलिए हुआ है क्योंकि आवेदक आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करने के लिए आगे नहीं आए।

तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि

1023. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :**

श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये कौन-कौन सी योजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) वर्ष 1987 के दौरान तिलहन उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और वर्ष 1988 में कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा निर्धारित लक्ष्य की तुलना में वर्ष 1987 में और 1988 की प्रथम तीन तिमाहियों के दौरान तिलहन का कितना उत्पादन हुआ है;

(ग) क्या मंत्रालय ने खाद्य तेलों के आयात में कमी करने का सुझाव दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तिलहन की कितनी मात्रा आयात करने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण तिलहन उत्पादक राज्यों में दो केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं अर्थात् राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना तथा तिलहन उत्पादन अभिवृद्धि परियोजना कार्यरत है।

(ख) वर्ष 1987-88 तथा 1988-89 के लिए तिलहन उत्पादन का लक्ष्य क्रमशः 145 तथा 156.5 लाख मी० टन निर्धारित किया गया था। वर्ष 1987-88 का संभावित उत्पादन

120.4 मी० टन का है। वर्ष 1988-89 के लिए तिलहन उत्पादन के अनुमान अभी राज्यों से देय नहीं हुए हैं। तथापि खरीफ के आसार अच्छे हैं।

(ग) वर्तमान वर्ष के दौरान तिलहन के अच्छे आसारों को ध्यान में रखकर तिलहन सम्बन्धी प्रौद्योगिकी मिशन ने खाद्य तेलों के आयात को अन्तिम रूप देने का सुझाव दिया है।

(घ) आयातित खाद्य तेलों की मात्रा समय-समय पर, खाद्य तेलों की अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों, खुले बाजार में देशी खाद्य तेलों की उपलब्धता, विदेशी मुद्रा की निर्मुक्ति राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से मांग तथा अन्य सम्बन्धित घटकों को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है।

दिल्ली प्रशासन के विद्यालयों द्वारा अभिभावक/शिक्षक संघ की निधि का दुरुपयोग

[हिन्दी]

1024. **श्री लाला राम केन :**

श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली प्रशासन के कुछ विद्यालयों में अभिभावक/शिक्षक संघ की निधियों के उचित अनुरक्षण में अनियमितताओं के बारे में कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल०पी० शाही) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन के अनुसार, उनके आधीन विभिन्न स्कूलों में पी०टी०ए० निधियों के दुरुपयोग के सम्बन्ध में 7 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उन्होंने दो शिकायतों को निराधार पाया है। दिल्ली प्रशासन बाकी की शिकायतों की जांच कर रहा है।

रेडी-रेवास राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रस्ताव

[अनुवाद]

1025. **प्रो० मधु दण्डवते :**

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम तट पर रेडी-रेवास राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस राष्ट्रीय राजमार्ग से महाराष्ट्र के पिछड़े कोंकण क्षेत्र के विकास के मार्ग को खोलने में मदद मिलेगी; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार पश्चिम तट पर इस राष्ट्रीय राजमार्ग की योजनाओं

को शीघ्र मंजूरी प्रदान करेगी तथा इसके लिए आवश्यक धन-राशि की व्यवस्था करेगी ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) संसाधनों की कमी और अन्य प्राथमिकताओं के कारण इस मार्ग को अभी राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना सम्भव नहीं है। तथापि यह क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 द्वारा सेवित है जो रेडी-रेवास रोड के बहुत नजदीक है।

खाद्य प्रसंस्करण महत्वपूर्ण उद्योग के रूप में

1026. **प्रो० मधु दण्डवते** :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को एक महत्वपूर्ण उद्योग घोषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे मंजूरी देने के लिए "सिंगल विन्डो" व्यवस्था अपनाई जाएगी; और

(ग) यदि हां, तो मंजूरी देने की इस व्यवस्था का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकारों से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए नोडल एजेंसियों का गठन करने के लिए अनुरोध किया गया है। राज्य सरकारें परियोजनाओं का निपटान करने के लिए उन्हें सुविधाजनक किसी प्रणाली को चुन सकती हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

साक्षरता बढ़ाने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता

1027. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा के प्रसार के लिए जिन स्वयंसेवी एजेंसियों को सरकारी सहायता दी जाती है, उनकी गतिविधियों की निगरानी करने के लिये कोई तंत्र बनाया गया है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार विभिन्न राज्यों के संगठनों को सहायता में की गई वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ग) स्वयंसेवी एजेंसियों के प्रयासों के परिणामस्वरूप साक्षरता में कितनी वृद्धि हुई है;

(घ) क्या स्वयंसेवी एजेंसियों को दी गई धनराशि के लेखाओं की हर वर्ष लेखा परीक्षा कराई जाती है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की जानकारी में क्या कोई विसंगतियां आई हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है ।

(घ) और (ङ) स्वैच्छिक एजेंसियों को अनुदानों की संस्वीकृति अधिशासित करने वाली शर्तों में से एक शर्त यह है कि किसी विशेष वर्ष में दूसरी किश्त तब तक जारी न की जाये जब तक कि पिछले वर्ष के परीक्षित लेखे भेज न दिये जायें और किसी परियोजना की अवधि समाप्त हो जाने पर स्वैच्छिक एजेंसी को अन्तिम परीक्षित लेखे प्रस्तुत करने होंगे । जब भी किसी त्रुटि का पता चलता है स्वैच्छिक एजेंसी को उसे ठीक करने के लिए कहा जाता है ।

विवरण

1985-86, 1986-87 और 1987-88 के दौरान जारी किया गया अनुदान

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	जारी किया गया अनुदान		
		1985-86	1986-87	1987-88
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	20,50,649/-	10,03,124/-	54,60,072/-
2.	असम	15,97,319/-	14,67,179/-	15,41,541/-
3.	बिहार	10,54,711/-	5,49,403/-	16,71,511/-
4.	गोवा	22,200/-	11,214/-	—
5.	गुजरात	75,99,654/-	1,00,27,449/-	99,31,867/-
6.	हरियाणा	4,08,500/-	21,45,890/-	27,68,800/-
7.	हिमाचल प्रदेश	1,80,000/-	83,000/-	45,730/-
8.	कर्नाटक	52,48,733/-	23,40,622/-	62,19,646/-
9.	केरल	5,01,275/-	9,000/-	7,00,000/-
10.	मध्य प्रदेश	5,58,000/-	17,48,927/-	21,71,450/-
11.	महाराष्ट्र	37,47,087/-	64,91,702/-	22,87,448/-
12.	मणिपुर	3,21,105/-	4,98,970/-	6,41,500/-
13.	नागालैंड	18,000/-	28,900/-	13,450/-
14.	उड़ीसा	14,88,834/-	10,88,127/-	28,68,691/-
15.	पंजाब	—	2,18,000/-	80,750/-
16.	राजस्थान	26,56,004/-	27,38,188/-	38,95,321/-

1	2	3	4	5
17.	तमिलनाडु	54,65,161/-	85,71,550/-	95,66,735/-
18.	उत्तर प्रदेश	66,95,318/-	86,99,078/-	1,55,60,051/-
19.	पश्चिम बंगाल	22,20,718/-	18,85,650/-	33,05,037/-
20.	दिल्ली	14,29,019/-	29,39,626/-	34,91,035/-
	कुल :	4,32,6?,287/-	5,25,41,599/-	7,?2,20,635/-

साक्षरता में वृद्धि

वर्ष	स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा स्थापित किये गये केन्द्रों की संख्या
1985-86	17,140/-
1986-87	19,915/-
1987-88	23,020/-

टिप्पणी : प्रत्येक केन्द्र से 30 शिक्षुओं के नामांकन की आशा की जाती है।

पेयजल समस्याग्रस्त गांव

1028. श्री कमल चौधरी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन समस्याग्रस्त गांवों की 30 सितम्बर, 1988 तक राज्यवार संख्या कितनी थी जिसमें पेयजल उपलब्ध नहीं है;

(ख) 30 सितम्बर, 1988 तक राज्यवार कितने ऐसे समस्याग्रस्त गांवों को पेलजल उपलब्ध कराया गया है; और

(ग) शेष गांवों को कब तक पेयजल उपलब्ध कराये जाने की सम्भावना है ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) पहली अक्तूबर, 1988 को सभी समस्याग्रस्त गांवों में से 3347 समस्याग्रस्त गांवों को छोड़कर जिन्हें 8वीं योजना में कवर किया जाना है, शेष सभी समस्याग्रस्त गांवों को 7वीं योजना के अन्त तक स्वच्छ पेयजल सुविधाएं उपलब्ध करा दिये जाने की सम्भावना है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	30 सितम्बर, 1988 को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराये गये गांवों की संख्या	उन गांवों की संख्या जहां स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं हैं
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	15834	0*
2.	अरुणाचल प्रदेश	391	0*
3.	असम	5173	4397
4.	बिहार	8433	766
5.	गोवा	36	2
6.	गुजरात	3610	1301
7.	हरियाणा	1630	684
8.	हिमाचल प्रदेश	1804	1735
9.	जम्मू व कश्मीर	1471	1488
10.	कर्नाटक	5374	36
11.	केरल	61	27
12.	मध्य प्रदेश	13441	1273
13.	महाराष्ट्र	3890	1284
14.	मणिपुर	461	401
15.	मेघालय	1321	2337
16.	मिजोरम	252	343
17.	नागालैंड	310	313
18.	उड़ीसा	9689	4754
19.	पंजाब	770	1484
20.	राजस्थान	4849	2461
21.	सिक्किम	73	48
22.	तमिलनाडु	2093	2789

1	2	3	4
23.	त्रिपुरा	1652	1241
24.	उत्तर प्रदेश	35518	8388
25.	पश्चिम बंगाल	5930	0*
26.	दादरा और नगर हवेली	0	0*
27.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	40	0*
28.	लक्षद्वीप	11	0*
29.	पांडिचेरी	52	0*
30.	दिल्ली	0	0*
31.	दमन और दीव	0	0**
	योग :	124170	37552

*इन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में सभी समस्याग्रस्त गांवों को पूरी तरह अथवा आंशिक रूप से कवर कर लिया गया है। इन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में आंशिक रूप से कवर किए गए समस्याग्रस्त गांवों को सातवीं योजना की शेष अवधि में पूरी तरह कवर करने का कार्य जारी रखा जाएगा।

**गोवा में शामिल।

दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले शैक्षिक कार्यक्रमों में सुधार

1029. **श्रीमती किशोरी सिंह :**

श्री जगन्नाथ पटनायक :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 अक्तूबर, 1988 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "चिल्ड्रन नाट ड्रान टू एज्यूकेशन प्रोग्राम्स" शीर्षक से प्रकाशित उस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें बताया गया है कि दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले शैक्षिक कार्यक्रमों में बच्चे रुचि नहीं लेते हैं और यहां तक कि इन कार्यक्रमों को देखने वाले छात्रों में नवीं तथा दसवीं कक्षा के छात्र सबसे कम संख्या में हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन कार्यक्रमों के प्रति बच्चों की रुचि जगाने के लिए इन शैक्षिक कार्यक्रमों को अधिक रुचिकर बनाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) और (ख) जी, हां। इस समय विभिन्न आयु वर्गों के बच्चों के लिए तीन प्रकार के शैक्षणिक दूरदर्शन कार्यक्रम प्रसारित किये जा रहे हैं। स्कूल छात्रों के लिए इन कार्यक्रमों का लक्ष्य 5 से 11 वर्ष के आयु वर्ग के लिए प्राथमिक स्तर तक हैं और इस प्रसारण में चार क्षेत्रीय भाषाएं अर्थात उड़िया, तेलुगु, मराठी, गुजराती तथा सभी हिन्दी भाषी राज्यों को स्कूल दिनों के दौरान सप्ताह में पांच दिनों के लिए प्रतिदिन 45 मिनट के प्रसारण में शामिल किया जाता है। दूसरा माध्यमिक स्तर के लिए स्कूल कार्यक्रमों पर आधारित पाठ्यचर्या दिल्ली, बम्बई, मद्रास और श्रीनगर स्थित भूगोलिक केन्द्रों से प्रसारित किए जाते हैं। तीसरा अवर-स्नातक छात्रों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के देशव्यापी कक्षा कक्ष कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं।

स्कूल स्तर पर यह राष्ट्रीय प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए उसके अनुरूप प्रारम्भिक स्तर पर केन्द्रित होता है। स्कूलों में दूरदर्शन सेटों के अभाव के कारण, स्कूलों में शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रयोग अब तक बहुत ही कम रहा है। साथ ही, यह प्रसारण चूंकि सुबह भी होता है जबकि बच्चे स्कूलों में होते हैं, वे इस कार्यक्रम को घरों में भी नहीं देख सकते। अत: इस आयु वर्ग के बच्चों द्वारा शैक्षणिक कार्यक्रमों को देखने की कम सम्भावना की आशा से इंकार नहीं किया जा सकता। फिर भी, वर्ष 1987-88 की अन्तिम तिमाही में आरम्भ की गई शैक्षणिक प्रौद्योगिकी की संशोधित केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत इनसैट शैक्षणिक प्रसारणों में शामिल राज्यों में स्थित बहुत बड़ी संख्या के स्कूलों में दूरदर्शन सैट मंजूर किए गए हैं। चालू वर्ष और अगले वर्ष में स्कूलों में और अधिक दूरदर्शन सैट दिए जाने का प्रस्ताव है। अब स्कूलों में पर्याप्त रूप से संबंधित इन कार्यक्रमों को देखने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, शैक्षणिक कार्यक्रमों को देखने वाले बच्चों के अनुपात में अब और अधिक वृद्धि होने की आशा है।

शिक्षा और उद्योग के बीच तालमेल

1030. **श्रीमती किशोरी सिंह :**

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे उच्च संस्थानों में दिये गये प्रशिक्षण के स्तर तथा औद्योगिक विकास के स्तर के बीच अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का शिक्षा और उद्योग के बीच लाभप्रद ताल-मेल बनाए रखने के लिए शिक्षा और उद्योग में कार्यरत व्यक्तियों के साथ कोई परामर्श करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) से (ग) हमारी भा० प्रौ० संस्थानों जैसी शीर्षस्थ संस्थाओं में प्रदान किया गया प्रशिक्षण उच्च कोटि का होता है। उनकी पाठ्यचर्या में उन उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में प्रशिक्षण शामिल है, जिनके लिए भारतीय उद्योग में तथाकथित रूप से पर्याप्त सुविधाएं अभी भी उपलब्ध नहीं हैं।

शैक्षिक संस्थाओं और उद्योग के प्रतिनिधियों के बीच समय-समय पर उनके लाभप्रद तालमेल उत्पन्न करने को ध्यान में रखते हुए विचार-विमर्श आयोजित किए गए हैं। इस प्रयोजनार्थ औद्योगिक प्रतिष्ठानों और एस० एंड टी० पार्कों की स्थापना, शैक्षिक संस्थाओं और उद्योग के बीच

संकाय और संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं के आदान-प्रदान, औद्योगिक परामर्श में संकाय को शामिल करना आदि जैसे कई उपायों का पता लगाया गया है।

दिल्ली के स्कूलों में तीसरी भाषा के रूप में पंजाबी

1031. श्रीमती माधुरी सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दिल्ली के स्कूलों में पंजाबी को तीसरी भाषा के रूप में शामिल नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कारण पंजाबी सम्प्रदाय में बड़ा असंतोष है;

(ग) क्या सरकार का विचार दिल्ली के स्कूलों में पंजाबी को तीसरी भाषा के रूप में शामिल करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल०पी० शाही) : (क) से (घ) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अध्ययन की योजना के अन्तर्गत तीन भाषाओं में से एक भाषा के रूप में पंजाबी लेने का प्रावधान है। आठवीं अनुसूची में उल्लिखित आधुनिक भारतीय भाषाओं में से तीसरी भाषा का चयन स्कूलों/दिल्ली प्रशासन/केन्द्रीय विद्यालय संगठन पर छोड़ दिया जाता है।

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशें

[हिन्दी],

1032. श्री काली प्रसाद पांडेय :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की शिक्षा प्रबन्ध समिति ने राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्डों को अपने यहां एक-एक 50 सदस्यीय संयुक्त बोर्ड का गठन करने का सुझाव दिया है;

(ख) शिक्षा प्रबन्ध समिति द्वारा की गई अन्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इन सिफारिशों को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा; और

(ग) प्रस्तावित समिति/बोर्ड के सदस्यों की योग्यताओं के सम्बन्ध में निर्धारित मानदन्ड क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल०पी० शाही) : (क) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की शिक्षा प्रबन्ध की समिति ने प्रस्ताव किया है कि राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड लगभग 50 सदस्यों का एक संघटक होना चाहिए।

(ख) और (ग) समिति ने सुझाव दिया है कि बोर्ड में राज्य शिक्षा तथा अन्य विकास विभागों, विभिन्न राज्य स्तरीय शैक्षणिक निकायों, शिक्षाविदों, उप-प्रधानाचार्यों, शिक्षक-संगठनों,

जिला शिक्षा बोर्डों, राज्य विधान सभाओं आदि के प्रतिनिधि होंगे। मुख्य मंत्री बोर्ड का अध्यक्ष होगा। शिक्षा मंत्री, एक अथवा एक से अधिक उपाध्यक्ष होंगे और राज्य शिक्षा सचिव इसका सदस्य सचिव होगा।

समिति के अनुसार, बोर्ड शैक्षिक विकास के निर्देशन का मूल्यांकन और निर्धारण करेगा तथा राज्य शिक्षा प्रशासन को शैक्षिक प्रणाली को और अधिक कारगर ढंग से काम करने के बारे में प्रावि-धियों के सम्बन्ध में सलाह और सुझाव देगा।

समिति ने जिला शिक्षा बोर्डों के गठन का भी सुझाव दिया है जिनमें जिला स्तरीय शैक्षिक आयोजना और उनके संचालन से सम्बन्धित कार्यनिहित होंगे। शिक्षा के सभी स्तरों की देखभाल करने के लिए एक प्रमुख जिला शिक्षा अधिकारी होगा।

कार्रवाई योजना के प्रावधान के अनुसरण में, समिति ने गांव शिक्षा समितियों के गठन की भी सिफारिश की है जिनके सदस्यों की संख्या 15 से अधिक नहीं होगी तथा जिनमें अभिभावकों, पंचा-यत, सहकारिताओं, महिलाओं, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होंगे।

प्रबन्ध के सम्बन्ध में समिति की सिफारिशों पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा अभी विचार किया जाना है और इस मामले में केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड द्वारा जो सिफारिशें की जाएंगी उनके अन्तिम रूप को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों आदि द्वारा आगामी कार्रवाई की जाएगी।

किसानों के पास भूमि

[अनुवाद]

1033. **श्री सी० जंगा रेड्डी :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कितने किसानों के पास एक हेक्टेयर से कम भूमि है;

(ख) इस सम्बन्ध में वर्ष 1950-51 में तथा 1971 में और 1981 में क्या स्थिति थी;

(ग) छोटे तथा सीमांत किसानों की संख्या में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(घ) क्या इसके परिणामस्वरूप गैर-लाभकारी खेती करने वाले किसानों की संख्या में वृद्धि हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (ग) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (8वां दौर) तथा कृषि संगणना (1970-71 तथा 1980-81) से प्राप्त सीमांत तथा छोटी जोतों सम्बन्धी आंकड़े तथा सीमांत तथा छोटी श्रेणी की जोतों की वृद्धि के प्रतिशत के आंकड़े दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) जी, नहीं। अध्ययनों से पता चला है कि आधुनिक प्रौद्योगिकी पर मानदंड का कोई प्रभाव नहीं होता तथा छोटे व सीमंत किसान भी प्रत्येक इकाई क्षेत्र में उतनी ही उत्पादकता प्राप्त कर रहे हैं जितनी कि बड़े फार्मों पर होती है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

सीमान्त/छोटे क्रियाशील जोतों की अनुमानित संख्या

क्रियाशील जोतों की संख्या ("000)

जोत की श्रेणी	1953-54+	1970-71	1980-81	1970-71 की तुलना में 1980-81 में वृद्धि का प्रतिशत
सीमांत (1 हैक्टेयर से कम)	39898	35.682	5C,122	+40.5
छोटी (1—2 हैक्टेयर)	8975	13,432	16,072	+19.7

+ राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा 8वें दौर : जुलाई 1953—जून 1954 में किये गए नमूना सर्वेक्षण पर आधारित।

लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए "फास्टर पैरेन्ट्स स्कीम"

1034. **श्री शांतिलाल पटेल :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहन देने तथा उसके लिए जन आंदोलन में जनता में भागीदारी की भावना उत्पन्न करने के लिये "सावित्रीबाई फुले फास्टर पैरेट्न्स स्कीम" के अनुरूप राष्ट्रीय स्तर पर एक "नेशनल फॉस्टर पैरेन्ट्स स्कीम" को कार्यान्वित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो योजना को राष्ट्रीय स्तर पर कब तक कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) योजना की मुख्य बातें क्या हैं तथा यह योजना लड़कियों की शिक्षा के सामाजिक दायित्व को किस सीमा तक पूरा कर पायेगी ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) से (ग) स्कूल शिक्षा की देखभाल चूंकि मुख्य रूप से राज्य सरकारों द्वारा की जाती है, अतः ऐसी योजना को प्रारम्भ तथा कार्यान्वित करना उनकी जिम्मेदारी है। भारत सरकार यह महसूस करती है कि यह बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये एक अच्छी तथा नई योजना है। तदनुसार, राज्यों को इसके कार्यान्वयन के लिए जून, 1984 तथा मार्च, 1988 में कहा गया है।

कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड का तरल गैस पर आधारित स्पंज आयरन परियोजना

1035. **श्री शांति लाल पटेल :**

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड की 240 करोड़ रुपये लागत वाली तरल गैस पर आधारित स्पंज आयरन परियोजना को मंजूरी देने का निर्णय किया है, और क्या यह देश में तीसरी परियोजना है;

(ख) यह परियोजना पिछली परियोजनाओं से किस प्रकार भिन्न है;

(ग) क्या कुद्रेमुख ने मंगलोर के निकट प्राकृतिक गैस के उपलब्ध न होने की स्थिति में विकल्प के रूप में तरल-गैस आधारित परियोजना का आयात किया था; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके अन्य कारण क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) सरकार ने आयातित द्रवित प्राकृतिक गैस पर आधारित स्पंज लोहा परियोजना स्थापित करने के लिए कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी के प्रस्ताव को अनुमति देने के संबंध में निर्णय नहीं लिया है। स्वदेशी गैस पर आधारित स्पंज लोहे के संयंत्र स्थापित करने से संबंधित दो प्रस्तावों को अनुमति दे दी गई है।

(ख) से (घ) स्वदेशी गैस पर आधारित इन अन्य दो प्रस्तावों के विपरीत कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड का प्रस्ताव आयातित द्रवित प्राकृतिक गैस के इस्तेमाल पर आधारित है क्योंकि

मंगलौर के पास प्राकृतिक गैस उपलब्ध नहीं है।

कुद्रेमुख लौह अयस्क कम्पनी लिमिटेड

1036. श्री एस० बी० सिदनाल :

श्री वी० कृष्णराव :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुद्रेमुख लौह अयस्क कम्पनी लिमिटेड, जो कभी बाजार के अभाव में संकट में थी, अब सही स्थिति में आ गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसका माल किन देशों को निर्यात होता है और इससे कम्पनी को कितनी मदद मिली है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान अच्छी प्रगति की है लेकिन उसने अभी तक मुनाफा कमाना शुरू नहीं किया है।

(ख) वर्ष 1987-88 के दौरान जापान, युगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, फ्रांस, चीन, हंगरी, टर्की, आस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया को लगभग 40 लाख टन लौह अयस्क सांद्रण और पैलेटों का निर्यात किया है। इन निर्यातों से कम्पनी को अपने संयंत्रों में क्षमता-उपयोग में वृद्धि करने और नकदी-अधिशेषों को बढ़ाने में सहायता मिली है।

थंकेस्सरी पत्तन का विकास

1037. श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :

श्री पी० ए० एन्टनी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने थंकेस्सरी में एक मत्स्य पत्तन की स्थापना के लिए केरल सरकार के प्रस्तावों को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त पत्तन के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी जायेगी; और

(ग) इस पत्तन का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां।

(ख) केरल सरकार को वित्तीय सहायता के रूप में 705.50 लाख रुपये की राशि दी जाएगी जो कि पत्तन की 50 प्रतिशत लागत है।

(ग) अक्तूबर, 1988 में भारत सरकार द्वारा परियोजना के लिए जारी की गई प्रशासनिक

स्वीकृति में यह निर्धारित किया गया है कि परियोजना पांच वर्ष की अवधि के अन्दर पूरी की जानी चाहिए।

केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण और सुधार

1038. श्री वक्कम पुरुषोतमन :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों के कुछ भागों के निर्माण और सुधार के लिए धनराशि मंजूर की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक कार्य के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है;

(ग) क्या केरल में मेन सेन्ट्रल सड़क के सुधार के लिए कोई धनराशि मंजूर की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) वर्ष 1988-89 में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और उनमें सुधार के लिए केरल को 10.00 करोड़ रु० की राशि आबंटित की गई है जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) यह राज्य की सड़क है और इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। तथापि, भारत सरकार ने इस सड़क के विकास के लिए ई एण्ड आई स्कीम के तहत 75.00 लाख रु० की ऋण सहायता संस्वीकृत की है।

विवरण

(लाख रुपए)

क्रम सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	1988-89 के लिए संभावित आबंटन
1	2	3	4
(1) 50 लाख रु० और अधिक की लागत के कार्यों के ब्यौरे			
1.	बालीपट्टम नदी पर एक स्वतंत्र पुल का निर्माण	106.27	0.01
2.	कन्नूपोन्नाइ में एन एच-17 पर 343/0 कि०मी० पर एक पुल का निर्माण	60.64	0.10
3.	एन एच-47 पर कोचीन बाई पास पर कुम्बलम-अरूर पुल का निर्माण	602.92	0.01

1	2	3	4
4.	एन एच-47 पर कोचीन बाई पास पर कुम्बलम-पानमगढ़ पुल का निर्माण	156.78	0.60
5.	एन एच-47 पर 413/00 कि० मी० पर कोट्टा-पुरम् में पारियार नदी पर पुल का निर्माण	496.48	0.10
6.	एन एच-17 पर 370/00 कि० मी० पर पहुंच मार्गों सहित चेतूवाई पुल	238.39	0.01
7.	एन एच-47 पर 0 से 20/500 कि० मी० एल०ए० त्रिवेन्द्रम नेयाति कोराबाई पास का निर्माण	423.00	20.00
8.	त्रिचूर बाई पास केवल पेवमेंट स्ट्रक्चर का निर्माण (पहला चरण)	56.06	10.00
9.	एन एच-47 पर 525/00 से 530/400 कि०मी० में इकहरी लेन को दोहरी लेन में चौड़ा करना और मजबूत बनाना	60.03	10.00
10.	चाला कुडी बाई पास रोड फार्मेशन का निर्माण और सी डी कार्य	60.14	5.00
11.	एन एच-47 पर 482/00 से 485/530 कि०मी० आर एफ में इकहरी लेन के खण्ड को दोहरी लेन में चौडा करना और मजबूत बनाना और सी डी कार्य	63.00	1.000
12.	एन एच-47 पर एलीपी बाई पास के लिए एल०ए०	84.67	5.00
13.	एन एच-47 पर 544/00-458/165 कि०मी० में इकहरी लेन के खण्ड को दोहरी लेन में चौड़ा करना और मजबूत बनाना।	50.40	5.00
14.	एन एच-47 फार्मेशन में त्रिचूर बाई पास और सी डी कार्य।	127.58	5.00
15.	243/8 से 249/90 कि०मी० में इकहरी लेन को दोहरी लेन में चौड़ा करना और मजबूत बनाना	61.06	1.00
16.	413/800 (सी०एच० 0) से 417/380 कि०मी० (सी एच०3580) में पहुंच मार्ग से एल/ए प्राक्कलन	162.16	10.00
17.	एन एच-17 के 104/0 से 110/0 कि०मी० के लिए एल/ए प्राक्कलन	71.84	10.00

1	2	3	4
18.	417/380 से 418/350 कि० मी० (सी एच 3580 से 4928) में पहुंच मार्ग अर्थात वेडाक्करा पुल के पहुंच मार्ग के लिए	74.45	10.00
19.	एन एच-47 पर रीच 196/0-203/800 कि०मी० में 75 एम०एम०बी एम० कोर्स और ए/सी कोर्स सुलभ कराना	85.18	10.00
20.	137/700 कि० मी० पर कुल्टे कोटे पुल तक पहुंच मार्ग बनाना	89.84	10.00
21.	एन एच-17 को 334/745 से 341/958 कि०-मी० में पुडुपोन्नाई पुल के पहुंच मार्ग तक चमरा-वतम जंक्शन से सेक्शन III कुथपुरमा से पुडुपोन्नई तक एल/ए	60.18	5.00
22	319/317 से 323/200 कि० मी० में कुथुपुरम पुल से चमरावतम जंक्शन प्रथम रीच तक एल०ए०	58.86	5.00
23.	323/200 से 334/745 कि० मी० में कुथीपुरम पुल से चमरावतम द्वितीय रीच तक एल०ए०	69.02	15.00
24.	कालीकट बाई पास रीच 20870 से 28124 तक के लिए एल० ए०	102.778	10.00
25.	एन एच-47 में 496/6-502/804 कि०मी० में क्विलान बाई पास रीच सी एच 9875 से 13141 (फेज I) के लिये एल० ए०	139.04	20.00
26.	एन एच-47 पर 525/0 से 530/400 कि० मी० के बीच दोहरी लेन में चौड़ा करना	62.35	8.00
27.	कुथीपुरम आर०ओ०बी० के लिए पहुंच मार्ग	87.98	7.00
28.	एन एच-17 पर 482 से 486 कि० मी० में चौड़ा करना और मजबूत बनाना	63.00	10.00
29.	एन एच-47 पर त्रिवेन्द्रम और नेयातिनहोरा सी एच 1307 से 16500 तक कामरोमोची से तिरु-वलम खण्ड के लिये बाई पास ई/डब्ल्यू और सी डी कार्य	59.366	5.00
30.	एन एच-47 पर चुनिन्दा रीचेज में 454/935-477/0 कि०मी० में मजबूत बनाना	110.00	10.00

1	2	3	4
31.	एन एच-47 पर 444/0-454/935 कि० मी० में चौड़ा करना और मजबूत बनाना	80.00	10.00
32.	एन एच-17 पर 23-33 और 113-116 कि०-मी० में रिएलाइनमेंट के लिए एल ए	140.00	10.00
33.	एन एच-17 पर कालीकट बाई पास, एल ए निर्माण कार्य फेज II	90.00	10.00
34.	एन एच-17 पर 187.3-197 कि० मी० में रिलाइनमेंट के लिए एल ए	100.00	10.00
35.	एन एच-17 पर 203.85-231 कि० मी० में रिएलाइनमेंट के लिए एल ए	212.00	10.00
36.	एन एच-17 पर 418/350-424/506 कि०मी० में रिएलाइनमेंट के लिए एन ए	80.00	10.00
37.	एन एच 47 और एन एच 17 के चुनिन्दा खण्डों में मौजूदा कमजोर 2 लेन के खंड को मजबूत बनाना	70.00	40.00
38.	एन एच-47 पर सी एच 10250-11900, 13071-16500, सी एच 16500-20500 में त्रिवेन्द्रम बाई पास फार्मेशन और सी डी कार्य पेवमेंट	140.00	10.00
39.	एन एच०-47 पर एलीपी बाई पास का निर्माण	80.00	10.00
40.	एन एच-47 पर 334/800 से 341/958 कि०-मी० में रिएलाइनमेंट के लिए एल ए	50.00	10.00
41.	एन एच-47 ए पर विलिंगडन द्वीप से शुरू होकर और कोचीन में समाप्त होने वाले राजमार्ग का एल ए/ट्रायल इम्बैंकमेंट/निर्माण	500.00	75.00
42.	एन एच-17 पर तेलीचेरी-माहे बाई पास एल ए	140 00	5 00
43.	एन एच-47 ए पर कोचीन में विलिंगटन द्वीप से शुरू होकर और कोचीन में समाप्त होने वाले राजमार्ग के लिए एल ए	195.00	20.00
44.	वायडक्ट 3960 एम से 4690 एम तक सी एच 4780 से 5585 एम को जोड़ने वाले मट्ठरहाडा और चम्बाकारा पुल ए/सी	1525.00	1.00
45.	पहुंच मार्गों सहित करीमगोडा पुल	125.00	1.00

1	2	3	4
46.	4690 एम से 4780 एम तक चैनेजेज के बीच आर ओ बी	90.00	1.00
47.	एन एच-47 पर 304/800 से 312/450 कि०-मी० में मजबूत बनाना	75.00	10.00
48.	एन एच-47 पर 538/100 से 551/900 कि०-मी० में मजबूत बनाना	110.00	10.00
49.	एन एच-47 पर 514/500 से 525/200 कि०-मी० में मजबूत बनाना	110.00	10.00
50.	एन एच-47 पर 18/06 से 26/0 कि०मी० में दोहरी लेन में चौड़ा करना	60.00	10.00
51.	एन एच-47 पर 203/0 से 215/400 (पालघाट बाई पास) को मजबूत बनाना	60.00	10.00
52.	एन एच-47 पर 248/800 से 251/370 और 256/650 से 268/200 कि० मी० को मजबूत बनाना	90.00	10.00
53.	एन एच-47 पर क्विलान बाई पास फेज II 1/ए केवल	100.00	10 00
54.	एन एच-17 पर 90 से 94 कि०मी० और 160 से 170 कि० मी० एल ए	80.00	10.00
55.	एन एच-17 पर 424/500 से 438/800 कि० मी० में एल ए	90.00	10.00
56.	चारोड रेलवे क्रासिंग के लिए एल/ए	50.00	10.00
57.	पहुंच मार्गों के साथ आर ओ बी कुटीपुरम का निर्माण	250.00	60.00
58.	पहुंच मार्गों के साथ वरापोसा पुल का निर्माण	347.00	50.00
59.	एन एच-47 ए पर लिंक रोड पर पुल का निर्माण कार्य (फेज-I)	500.00	127.75
	(II) संयुक्त रूप से अन्य निर्माण कार्य जिनमें प्रत्येक की लागत 50 लाख रु० से कम है।	3070.94	212.42

जाजपुर रोड पर स्थित फेरोक्रोम प्लांट का आधुनिकीकरण

1039. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :**

क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लिमिटेड ने केन्द्रीय सरकार को जाजपुर रोड पर स्थित फेरोक्रोम प्लांट के आधुनिकीकरण/विविधता लाने और नवीकरण के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम में कुल कितनी धनराशि व्यय की जाएगी;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने उक्त योजना के वित्तपोषण हेतु जापान से विदेशी सहायता के लिए प्रस्ताव मांगे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लिमिटेड को आर्थिक सहायता देने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) जी, हां।

(ख) 55.8 करोड़ रुपए।

(ग) जी, हां।

(घ) निम्नलिखित मामलों पर निर्णय प्राप्त हो जाने के बाद बाह्य वित्तीय सहायता के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा :—

(1) मै० इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन आफ उड़ीसा लि० का प्रति वर्ष 10,000 से 25,000 टन तक फेरो क्रोम की क्षमता में पर्याप्त विस्तार हेतु लाइसेंस लेने के लिए आवेदन पत्र;

(2) पूंजीगत माल का आयात तथा उपर्युक्त परियोजना के सम्बन्ध में विदेशी सहयोग का प्रस्ताव; और

(3) पूंजीगत माल के आयात और फैरो निकेल और इस्पात पिंडों/बिलेटों के निर्माण के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन आफ उड़ीसा लिमिटेड को दिए गए आशय-पत्रों के सम्बन्ध में विदेशी सहयोग के प्रस्ताव।

उड़ीसा में बी० एड० कालेजों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता

1040. **श्री सोमनाथ रथ :**

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐसे बी०एड० कालेजों को सहायता प्रदान करता है, जिन्हें शिक्षा सम्बन्धी उच्च अध्ययन संस्थान तथा काम्प्रीहेन्सिव कालेज आफ रिसर्च एजुकेशन घोषित किया गया हो;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में ऐसे कालेजों का ब्यौरा क्या है तथा वे किस विश्वविद्यालय से संबद्ध है; और

(ग) बरहामपुर विश्वविद्यालय के अधीन बी०एड० कालेजों को कोई सहायता न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल०पी० शाही) : (क) जी, नहीं। आयोग ने इस उद्देश्य के लिए ऐसी कोई योजना नहीं बनाई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) आयोग ऐसे अध्यापक प्रशिक्षण कालेजों को सहायता प्रदान करता है, जिनमें कम से कम 80 विद्यार्थी और 10 अध्यापक होते हैं। आयोग को इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता के लिए बरहामपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध राजकीय प्रशिक्षण कालेज से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसकी आयोग द्वारा जांच की जा रही है।

तिलहनों का उत्पादन

1041. **श्री सोमनाथ रथ** :

श्री जगन्नाथ पटनायक :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिलहनों की कितने क्षेत्र में खेती की जाती है तथा गत तीन वर्षों में कितनी मात्रा में खाद्य तेल का आयात किया गया;

(ख) क्या अपर्याप्त प्रसंस्करण के कारण खाद्य तेल की काफी मात्रा में हानि होती है; और

(ग) यदि हां, तो शीघ्र आत्म-निर्भरता प्राप्त करने और अधिक तेल प्राप्त करने के लिए आधुनिक संगठित प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी को विकसित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) तिलहनों की खेती के तहत आने वाला क्षेत्र तथा गत तीन वर्षों में आयात किए गए खाद्य तेलों की मात्रा इस प्रकार है :

	क्षेत्र (हजार हैक्टेयर में)	आयातित मात्रा (लाख मीटरी टन में)
1985-86	19020	10.79
1986-87	18689	13.07
1987-88 (अनन्तिम)	20027	19.67

(ख) विभिन्न तथ्यों, जैसे वसूली में परेशानी, उचित भंडारण सुविधाओं का अभाव, प्रसंस्करण

सम्बन्धी आधुनिक सुविधाओं आदि के अभाव के कारण भारत में वनस्पति तेलों (खाद्य तथा गैर-खाद्य) की काफी मात्रा में हानि हो रही है।

(ग) खाद्य तेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जिससे आत्म-निर्भरता प्राप्त की जा सके, सरकार द्वारा खाद्य तेलों के आयात को कम करने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कदम इस प्रकार हैं :

(1) तिलहन सम्बन्धी प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना।

(2) न्यूनतम समर्थन मूल्यों के निर्धारण के जरिए तिलहन उत्पादकों को बेहतर प्रोत्साहन।

(3) तिलहन विकास परियोजनाओं का कार्यान्वयन।

(4) गैर-परम्परागत तिलहन फसलों जैसे सोयाबीन और सूरजमुखी के तहत आने वाले क्षेत्र में वृद्धि तथा वृक्ष एवं वन मूल के तिलहनों और चावल की भूसी का पूर्ण उपभोग।

(5) तिलहनों के उत्पादन कार्यक्रम के साथ गति को बनाये रखने के लिए आवश्यक प्रसंस्करण तथा बुनियादी सुविधाओं की स्थापना।

(6) तिलहनों की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए अनुसंधान सम्बन्धी प्रयासों को तेज करना।

(7) गैर-परम्परागत तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उत्पाद शुल्क छूट योजना को चालू करना।

(8) वनस्पति के विनिर्माण में विलायक निष्कासित मूंगफली और तिल के तेलों के उपयोग की स्वीकृति प्रदान करना।

युवाओं के लिये सांस्कृतिक और भ्रमण कार्यक्रम

1042. श्री सोमनाथ रथ :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने युवाओं के लिये एक राज्य से दूसरे राज्य में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में और भ्रमण के आयोजन हेतु सहायता देने के लिये कोई योजना प्रायोजित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1986-87 और 1987-88 के दौरान ऐसे कार्यक्रमों के लिए दी गई सहायता का ब्योरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार "राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा" देने की योजना कार्यान्वित कर रही है जो अन्तर्राज्यीय दौरें, राष्ट्रीय एकीकरण शिविरों और राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न विषयों पर सेमिनारों और सम्मेलनों के आयोजन के जरिये देश के युवाओं में राष्ट्रीय एकीकरण की भावना बढ़ाने पर लक्षित है। युवा व्यक्तियों द्वारा देश के एक भाग से दूसरे भाग में ऐसे दौरे किये जाते हैं ताकि वे पर्यावरण, देश के विभिन्न भागों में रह रहे लोगों के

पारिवारिक जीवन और सामाजिक रीति-रिवाज और देश के सामान्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परम्पराओं की जानकारी हासिल करें और सराहना कर सकें।

छात्र और गैर-छात्र ग्रामीण युवा के राष्ट्रीय एकीकरण शिविर आयोजित किये जाते हैं ताकि युवाओं को अन्तरक्षेत्रीय रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक परम्पराओं का सीखने के अवसर प्रदान किये जा सकें। इन शिविरों में समानता पर बल देने और परस्पर सन्देह को कम करने और विभिन्न धार्मिक दलों के बीच तनाव और मेहमानबाजी की विचारधारा से विचार-विमर्श आयोजित किये जाते हैं। भाग लेने वालों को सामाजिक बुराइयों और विघटनकारी शक्तियों के खतरे की भी जानकारी दी जाती है जिससे उन्हें लड़ना है। लोकगान, नृत्य समुदाय गान, प्रदर्शनी, समुदाय सेवा तथा विभिन्न क्षेत्रों के समारोहों को मनाना राष्ट्रीय एकीकरण शिविरों की कुछ अन्य बातें हैं।

प्रजातंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, भारतीयता में गौरव और वैज्ञानिक प्रवृत्ति के विकास जैसे राष्ट्रीय स्वीकृत लक्ष्यों को लोकप्रिय बनाने में युवाओं की भूमिका पर सेमिनार भी आयोजित किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिये स्वैच्छिक संगठनों/विश्वविद्यालयों/राज्य सरकारों को वर्ष 1986-87 के दौरान 106.60 लाख रु० और वर्ष 1987-88 के लिये 173.30 लाख रु० की राशि दी गई थी।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् की पुस्तकों की बिक्री

1043. **श्री सोमनाथ रथ :**

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद अपनी पुस्तकों की बिक्री फुटकर पुस्तक विक्रेताओं को न करके केवल कुछ थोक व्यापारियों के माध्यम से ही करता है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) थोक व्यापारियों द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद की पुस्तकों की फुटकर बिक्री करने के लिये शिक्षित बेरोजगार युवाओं को, उन्हें ये पुस्तकें सीधे जारी करके, प्रोत्साहन देने का कोई विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल०पी० शाही) : (क) से (ग) रा०शै०अ०प्र०परि० अपने प्रकाशनों को संघ शासित प्रदेश दिल्ली में 14 थोक वितरण एजेंटों के जरिये बेचती है। देश के बाकी भागों में बिक्री नई दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, पटना, लखनऊ, हैदराबाद और त्रिवेन्द्रम स्थित सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग के आठ बिक्री एम्पोरियमों द्वारा की जाती है। थोक वितरकों के साथ-साथ प्रकाशन विभाग इन प्रकाशनों को खुदरा विक्रेताओं के जरिए बेचते हैं। थोक विक्रेताओं के जरिए पुस्तकों की बिक्री तथा वितरण पुस्तक व्यापार में सुव्यवस्थित प्रक्रिया है।

(घ) जी, नहीं।

उर्वरक उत्पादन में कमी

1044. **श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश :**

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के उर्वरक एकक देश में उर्वरकों की मांग को पूरा करने में सक्षम हैं;

(ख) यदि नहीं, तो उर्वरकों की कमी को किस प्रकार पूरा किया जायेगा; और

(ग) देश में उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु) : (क) और (ख) देश में उर्वरक उत्पादक एकक देश को नाइट्रोजनयुक्त तथा फास्फेटिक उर्वरकों की अधिकांश अपेक्षाओं को पूरा कर सकते हैं। नाइट्रोजनयुक्त तथा फास्फेटिक उर्वरकों की मूल्यांकित आवश्यकताओं और स्वदेशी उपलब्धता के बीच के लघु अन्तर को आयातों से पूरा किया जाता है। तथापि, पोटेसिक उर्वरकों की अपेक्षाओं को पूर्णतः आयातों से पूरा किया जाता है क्योंकि देश में इस सामग्री के ज्ञात स्रोत नहीं हैं।

(ग) उर्वरकों के उत्पादन को बढ़ाने तथा नाइट्रोजनयुक्त तथा फास्फेटिक उर्वरकों के आयातों पर निर्भरता को कम करने के लिए नये उर्वरक संयंत्र स्थापित किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त पुराने एककों के पुनरुद्धार/आधुनिकीकरण की तरह की विभिन्न योजनाएं आरम्भ की गयी हैं ताकि उनके उत्पादन निष्पादन में सुधार किया जाये। जहां कहीं आवश्यक समझा गया है कैपटिव पावर संयंत्र या तो स्थापित किये गये हैं या स्थापित किये जा रहे हैं ताकि पावर कटौती/अस्थिरता के कारण होने वाली उत्पादन हानि से बचा जा सके।

बाढ़ से प्रभावित किसानों को सहायता

[हिन्दी]

1045. **श्री शांति धारीवाल :**

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कई राज्यों में हाल की बाढ़ के कारण किसानों को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है;

(ख) क्या प्रभावित राज्यों के किसानों ने केन्द्रीय सरकार द्वारा आरम्भ किये गये विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत ऋण लिया है;

(ग) क्या प्रभावित किसान इन दिनों भारी वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का किसानों को अब और वित्तीय सहायता किस प्रकार प्रदान करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ग) जी, हां। कई राज्यों में हाल की बाढ़ों से प्रभावित किसानों को वित्तीय हानि हुई है।

(ख) और (घ) प्रभावित किसानों को राहत तथा पुनर्वास की सुविधाएं देने के लिए, जिसमें वित्तीय संस्थाओं से ऋण सहायता देना शामिल है, विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई है ताकि किसानों को राहत प्रदान की जा सके।

केरल में व्यपीन-एर्णाकुलम पुल का निर्माण

[अनुवाद]

1046. **प्रो० के० वी० थामस :**

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने व्यपीन-एर्णाकुलम पुल के निर्माण के लिए कोई परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो पुल की कुल लागत क्या है और इसमें केन्द्र सरकार और राज्य सरकार का प्रस्तावित भाग क्या है; और

(ग) क्या इस बारे में समझौते को अन्तिम रूप दे दिया गया है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) राज्य सरकार ने प्राथमिक परियोजना रिपोर्ट दी है और कोचीन और वायपीन को बरास्ता वल्लरपदम मुलावुकद तथा थनथोलियुम्बुथि जोड़ने के लिए मोटे तौर पर 24.40 करोड़ रुपए की लागत बताई है तथा विस्तृत अन्वेषण शुरू करने के लिए 40.00 लाख रुपये सहायक अनुदान की मांग की है।

कोचीन शिपयार्ड में तीसरे विमान वाहक का निर्माण

1047. **प्रो० के० वी० थामस :**

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन शिपयार्ड में तीसरे विमान वाहक का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो विमान वाहक के सम्बन्ध में तकनीकी सहयोग और डिजायन में क्या प्रगति हुई है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) कोचीन शिपयार्ड में ऐसे क्राफ्ट के निर्माण के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, कोचीन में पासपोर्ट आवेदन-पत्र

1048. **प्रो० के० वी० थामस :**

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, कोचीन में पासपोर्ट के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं;

(ख) इस कार्यालय से वर्ष 1988 के दौरान अब तक कितने पासपोर्ट जारी किए गए हैं;

(ग) क्या धर्म संनिधियों (नन्ज) के आवेदन-पत्रों की जांच करने के लिए दो पुलिस एजेंसियां हैं; और

(घ) पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद पुलिस जांच तथा पासपोर्ट जारी करने के लिए कितना समय लगता है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पासपोर्टों के लिए प्राप्त हुए आवेदन पत्रों की संख्या इस प्रकार हैं :

1985	:	92316
1986		73835
1987		81980

(ख) अक्तूबर, 1988 के अन्त तक क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, कोचीन के कुल 91179 पासपोर्ट जारी किये गये हैं। नवम्बर माह में 7 तारीख तक 1522 पासपोर्ट जारी किए गये हैं।

(ग) सभी श्रेणियों के आवेदनों के लिये दो पुलिस साक्ष्यांकन किये जाते हैं, एक स्थानीय पुलिस द्वारा तथा दूसरा राज्य खुफिया विभाग द्वारा। ननों के लिये कोई विशेष साक्ष्यांकन नहीं किया जाता।

(घ) सामान्यत: आवेदन पत्रों के साक्ष्यांकन के लिये दोनों पुलिस प्राधिकारी 6-7 सप्ताह का समय ले लेते हैं। सामान्यत: पुलिस साक्ष्यांकन रिपोर्ट प्राप्त होने के 10 दिन के भीतर पासपोर्ट भेज दिये गये जाते हैं।

विशाखापत्तनम् पत्तन पर मूलभूत सुविधाओं में सुधार

1049. **श्री डॉ० एस० बसवराजू** :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम पत्तन पर यदि पर्याप्त मूलभूत सुविधाएं युद्ध स्तर पर उपलब्ध नहीं कराई गई, तो उक्त पत्तन न्यास की विद्यमान समस्याओं में निकट भविष्य में कई गुना वृद्धि हो जाने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो उसमें सुधार के लिये क्या उपाय करने का विचार है;

(ग) क्या चालू वर्ष के पहले छः महीनों के दौरान पत्तन पर उल्लेखनीय यातायात का संचालन किया गया था जो कि पिछले वर्ष से भी अधिक था; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) इस समय पत्तन को आधारभूत सुविधा सम्बन्धी कोई गम्भीर समस्या नहीं हो रही है। अधिक ट्रैफिक

को हैंडल करने के लिए सुविधाओं में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है और इसके लिए विभिन्न योजनागत स्कीमों में उपाय किये जाते हैं।

(ग) और (घ) चालू वर्ष के पहले 6 महीनों में पत्तन द्वारा 92.42 लाख टन ट्रैफिक हैंडल किया गया जो पिछले वर्ष हैंडल किये गये ट्रैफिक की तुलना में 22.9% अधिक है। मुख्य वृद्धि लौह अयस्क की हैंडलिंग में हुई है जो पिछले वर्ष की इसी अवधि (अप्रैल, सितम्बर) की तुलना में 2.84 मिलियन टन से बढ़कर 3.4 मिलियन टन, कोकिंग कोल जो 1.17 मिलियन टन से बढ़कर 1.7 मिलियन टन तथा पेट्रोलियम उत्पाद जो 2.66 मिलियन टन से बढ़कर 2.9 मिलियन टन हो गया है।

पंत नगर कृषि विश्वविद्यालय का नया कैम्पस खोला जाना

[हिन्दी]

1050. श्री हरीश रावत :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पन्त नगर कृषि विश्वविद्यालय का उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में एक कैम्पस खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किये जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) किसानों द्वारा इस विश्वविद्यालय से प्राप्त लाभों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) जी नहीं, पंत नगर कृषि विश्वविद्यालय की पिथौरागढ़ जिले में कैम्पस खोलने की कोई योजना नहीं है, लेकिन दो अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने की योजना अवश्य है—(1) ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अनुसंधान जिसके अंतर्गत मुंसिआरी खालिआटाप में चरागाह प्रबन्ध पर विशेष ध्यान दिया जायेगा और (2) पिथौरागढ़ जिले के किरना नामक स्थान में दूसरे अनुसंधान केन्द्र की स्थापना।

(ख) विश्वविद्यालय का प्रस्ताव परिषद के विचाराधीन है। परिषद ने नार्प-II के अन्तर्गत उप-प्रायोजना के मूल्यांकन के लिये एक समिति गठित कर दी है। मौसम के अनुकूल होते ही इसका मूल्यांकन किया जायेगा।

(ग) पन्त नगर कृषि विश्वविद्यालय कृषि क्रियाओं के साथ-साथ फार्म-टैक्नालाजी भी विकसित कर रहा है और किसानों के फायदे के लिये नियमित रूप से मेले और प्रदर्शनी भी आयोजित कर रहा है।

उत्तर प्रदेश में ट्राउट मछली का वाणिज्यिक उत्पादन

1051. श्री हरीश रावत :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में ट्राउट मछली का उत्पादन बढ़ाकर वाणिज्यिक स्तर तक लाया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में ट्राउट मछली का उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इन क्षेत्रों में ट्राउट मछली के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए विदेशी सहयोग से कोई परियोजना आरम्भ करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां।

(ख) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में ट्राउट मछली का उत्पादन बढ़ाने के लिये किये गए कुछ उपाय इस प्रकार हैं :—

(1) कुमांऊं और गढ़वाल पहाड़ी क्षेत्रों में ट्राउट फार्मों का निर्माण;

(2) विद्यमान फार्मों और हैचरियों का नवीकरण;

(3) ट्राउट आदि के डिम्पोना के उत्पादन के लिये आधारभूत अतिरिक्त सुविधाओं का सृजन।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उपरोक्त स्कीमों के कार्यान्वियन के लिए उत्तर प्रदेश के पहाड़ी प्रदेश उप-प्लान के अन्तर्गत 100 लाख रुपये की राशि आबंटित की गई है।

(ग) सरकार ने देहरादून जिले के मसूरी तहसील में गढ़वाल विकास निगम और एक गैर-सरकारी क्षेत्र की इकाई के बीच संयुक्त क्षेत्र में एक वाणिज्यिक ट्राउट पालन परियोजना की स्थापना की अनुमति पहले ही दे दी है।

(घ) 3.6 करोड़ रुपये के कुल निवेश वाली इस परियोजना के पूर्ण रूप से विकास होने पर प्रति वर्ष लगभग 2000 मीटरी टन ट्राउट मछली का उत्पादन होने की संभावना है।

कृषि अनुसंधान

[अनुवाद]

1052. श्री भद्रेश्वर तांती :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सातवीं योजना के दौरान कृषि अनुसंधान पर अब तक कितना व्यय किया गया है; और

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने वर्ष 1989 के लिए क्या-क्या मुख्य लक्ष्य निर्धारित किए हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों में खर्च इस प्रकार है—

	रुपये करोड़ में
1985-86	69.19
1986-87	77.18
1987-88	80.03
1988-89	96.00
(चालू वर्ष का आवंटन)	

(ख) वर्ष 1989-90 के लिए 129.00 करोड़ रुपये की लागत के योजना आवंटन का प्रस्ताव योजना आयोग को पेश कर दिया गया है।

वर्ष 1989 के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एक संस्थान, तीन राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र और तीन अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव रखा है।

कृषि पर आधारित उद्योगों के विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

1053. **श्री मक्षेश्वर तांती :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष मशीनों उर्वरकों सहित कृषि पर आधारित उद्योगों के विकास के लिये किसी अन्य देश अथवा अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारत ने भी पिछले वर्ष कृषि और इससे सम्बद्ध क्षेत्रों में किसी देश को सहयोग दिया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

स्मारकों का संरक्षण

1054. **श्री मक्षेश्वर तांती :**

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय महत्व के केन्द्रीय सरकार द्वारा संरक्षित स्मारकों की संख्या कितनी है; और

(ख) वर्ष 1986-87 और 1987-88 में वर्षवार इन स्मारकों के संरक्षण पर कितनी धन-राशि खर्च की गई ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल०पी० शाही) : (क) संरक्षण अधिसूचनाओं के इंदराजों के अनुसार केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों और स्थलों की संख्या 3543 है।

(ख) 1986-87 और 1987-88 के दौरान केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों और स्थलों के अनुरक्षण और मरम्मत पर व्यय की गई राशि क्रमश: 592.96 लाख रुपये और 590.79 लाख रुपए है।

असम में डेरी विकास कार्यक्रम

1055. **श्री भद्रेश्वर तांती :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में किन-किन जिलों को लघु कृषक विकास एजेंसी के लघु कृषक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत डेरी विकास कार्यक्रम के लिये चुना गया है; और

(ख) कितने छोटे और सीमांत किसानों तथा अन्य कृषि श्रमिकों को उन जिलों में अब तक डेरी विकास कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता दी गई है ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) 2 अक्तूबर, 1980 से लघु कृषक विकास एजेन्सी का समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में विलय कर दिया गया है और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का देश के सभी जिलों में विस्तार कर दिया गया है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में चुने हुये परिवारों को सहायता दी जाती है ताकि वे डेरी विकास सहित प्रथम, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में आर्थिक रूप से सक्षम परियोजनाओं को शुरू कर सकें।

(ख) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता प्राप्त परिवारों की योजना वार सूचना की निगरानी केन्द्र स्तर पर नहीं की जाती है। तथापि, समवर्ती मूल्यांकन अध्ययन (जनवरी-सितम्बर,1987) के अनुसार पशुपालन क्षेत्र के अन्तर्गत असम में 18.3% परिवारों को सहायता दी गई थी जिनमें से 7.2% परिवार दुधारू पशु योजनाओं के अन्तर्गत आते थे।

दिल्ली दुग्ध योजना को हुआ घाटा

[हिन्दी]

1056. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना को प्रतिवर्ष लगातार घाटा हो रहा है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली दुग्ध योजना को कुल कितना घाटा हुआ ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) जी, हां। हाल के वर्षों में दिल्ली दुग्ध योजना को हानि उठानी पड़ रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई हानि अगले पृष्ठ पर दी गई तालिका में दर्शाई गई है :—

तालिका

वर्ष	हानि (अन्तरिम) (करोड़ रुपये)
1985-86	7.66
1986-87	7.40
1987-88	12.03

मरुभूमि विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन

1057. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :**

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन जिलों और राज्यों के नाम क्या हैं जहां मरुभूमि विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है और यह कब से चलाया जा रहा है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों और जिलों में इस कार्यक्रम पर हुए व्यय का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) मरुभूमि का विस्तार रोकने में कितनी सफलता मिली है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इस कार्यक्रम को नई दिशा देकर और धनराशि आवंटन में वृद्धि करके इसे कारगर रूप में कार्यान्वित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) मरुभूमि विकास कार्यक्रम 1977-78 से 5 राज्यों के 21 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। कार्यक्रम के अन्तर्गत कवर किये गये जिलों तथा राज्यों की सूची संलग्न विवरण-1 में दी गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के लिए वर्षवार, राज्य तथा जिलावार व्यय के ब्यौरे संलग्न विवरण-2 में दिये गये हैं।

(ग) से (ङ) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पारिस्थितिक संतुलन बनाये रखने तथा इन क्षेत्रों में मरुस्थल को बढ़ने से रोकने के लिए फार्म वानिकी, वन पोषण, रोपण, शैल्टर, बैल्ट बागान, रेत के टीलों का समतलीकरण तथा पौधशालाओं के विकास जैसी विस्तृत मरुभूमि वनरोपण योजनाएं शुरू की गई हैं। कार्यक्रम के आरम्भ से जून, 1988 तक 137 हजार हैक्टेयर क्षेत्र वानिकी तथा चरागाह के अन्तर्गत लाया गया है, लगभग 60 हजार हैक्टेयर क्षेत्र को भूमि तथा नमी संरक्षण उपायों के अन्तर्गत लाया गया है तथा लगभग 18 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में जल संसाधन विकसित किये गये हैं। इस कार्यक्रम के लिए आवंटन को छठी योजना के दौरान 100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर सातवीं योजना में

245 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस कार्यक्रम पर दिए जाने वाले महत्व को 1987-88 से और अधिक तेज कर दिया गया है जिसमें भूमि तथा नमी संरक्षण, जल संसाधन संरक्षण और विकास तथा वन रोपण तथा चरागाह विकास जैसी मुख्य गतिविधियों, जो कि मरुस्थल को बढ़ने से रोकने तथा पारिस्थितिक संतुलन को बनाये रखने से संबंधित हैं, पर वार्षिक आवंटन के 75 प्रतिशत तक के उपयोग करने की व्यवस्था है।

विवरण-1

मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कवर किए गए राज्यों तथा जिलों के नाम

क्र० सं०	राज्य	जिले
1.	गुजरात	1. बनसकंठा
		2. मेहसाणा
2.	हरियाणा	1. रोहतक
		2. सिरसा
		3. हिसार
		4. भिवानी
3.	हिमाचल प्रदेश	1. लाहौल एवं स्पीति
		2. किन्नौर
4.	जम्मू व कश्मीर	1. लेह
		2. कारगिल
5.	राजस्थान	1. सीकर
		2. झुन्झुनू
		3. गंगानगर
		4. जोधपुर
		5. नागौर
		6. पाली
		7. जालौर
		8. बाड़मेर
		9. जैसलमेर
		10. बीकानेर
		11. चुरू
	योग :	21 जिले

विवरण-2

मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के दौरान जिलावार खर्च

क्रमांक	राज्य	जिला	1985-86	1986-87	1987-88	कुल
			के दौरान किया गया खर्च (लाख रु० में)			
1	2	3	4	5	6	7
1.	गुजरात	1. बनसकंठा	78.48	126.22	184 79	389.49
		2. मेहसाणा	32.33	43.51	39.08	114.92
		योग :	110.81	169.73	223 87	504.41
2.	हरियाणा	1. हिसार	53.79	131.15	117.14	302.08
		2. भिवानी	37.63	91.28	87.64	216.55
		3. रोहतक	43.47	46.73	37.64	127.84
		4. सिरसा	54.76	75.06	73.35	203.17
		योग :	189.65	344.22	315.77	849.64
3.	हिमाचल प्रदेश	1. लाहोल-एवं स्पीति	59.81	66.42	75.13	201.36
		2. किन्नौर	52.51	90.13	62.65	205.29
		योग :	112.32	156.55	137.78	406.65
4.	जम्मू व कश्मीर	1. लेह	61.22	116.52	126 51	304.25
		2. कारगिल	33.17	133.74	108.08	274.98
		योग :	94.39	250.26	234.58	579.23

1	2	3	4	5	6	7
5.	राजस्थान	1. सीकर	39.48	141.24	141.65	322.37
		2. झुनझुनू	36.96	128.23	117.79	282.98
		3. गंगानगर	58.60	142.20	91.67	292.47
		4. जोधपुर	141.80	391.35	397.35	930.50
		5. नागौर	125.77	358.80	328.35	812.92
		6. पाली	64.65	264.44	205.89	534.98
		7. जालौर	89.46	221.74	209.91	521.11
		8. बाड़मेर	135.10	450.57	455.14	1040.81
		9. जैसलमेर	118.57	529.10	425.76	1073.13
		10. बीकानेर	151.82	438.33	435.76	1025.91
		11. चुरू	127.49	345.87	273.27	746.63
		पी०एफ० सेल	17.00	24.88	32.34	74.22
		योग :	1106.70	3436.75	3114.58	7658.03

राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा बीजों की खरीद

[अनुवाद]

1058. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय बीज निगम उत्पादकों से विभिन्न फसलों के बीज किस मूल्य पर लेती है तथा उन्हें यह किसानों को किस मूल्य पर बेचती है; और

(ख) मूल्यों में अन्तर के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) ब्यौरा, संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) बीज के अधिप्राप्ति मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अन्तर के कारण नीचे दिये गये हैं :—

राष्ट्रीय बीज निगम अपने ठेका उत्पादकों के माध्यम से प्रमाणीकृत बीजों का उत्पादन कार्य-क्रम आयोजित करता है और साथ ही एक पारस्परिक सम्मत मूल्य पर राज्य बीज निगमों से इन

बीजों की अधिप्राप्ति भी करता है। इन बीजों की अधिप्राप्ति करने के पश्चात राष्ट्रीय बीज निगम इनकी सफाई, श्रेणीकरण, परीक्षण और उपचार परिवहन करवाता है, और अपने स्वयं के विक्रय केन्द्रों अथवा डीलरों के माध्यम से इनका विपणन करता है। अधिप्राप्ति लागत के अलावा, बीज के विक्रय मूल्य में निम्नलिखित लागत तत्व शामिल होते हैं अर्थात शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क, उपचार संबंधी लागत, परिवहन संबंधी लागत, गोदाम संबंधी किराया, बाजार शुल्क, अतिरिक्त खर्चे, मार्ग में होने वाली हानियां, भंडारण संबंधी हानियां, उनके पुराना होने, ब्याज, पुनर्वैधीकरण शुल्क, धन के वापस आने की गारंटी और प्रचार आदि।

विवरण

वर्ष 1988-89 के लिए लागू होने वाले राष्ट्रीय बीज निगम के प्रमाणीकृत बीजों के खरीद और बिक्री मूल्य

क्र० सं०	फसल	अधिप्राप्ति मूल्य (रु० प्रति क्विंटल)	विक्रय मूल्य
1	2	3	4
1.	गेहूं	231— 300	— 450
2.	धान	188— 700	425— 1400
3.	मक्का	275— 345	650— 700
4.	सोरघम	230— 1000	600— 1600
5.	बाजरा	325— 600	800— 1100
6.	मूंग	554— 703	— 1100
7.	उड़द	627— 748	— 1200
8.	लोबिया	650— 702	— 1100
9.	अरहर	741— 1032	— 1500
10.	मटर (पी०)	564— 580	— 1100
11.	मसूर	623— 701	— 1200
12.	चना	634— 695	— 1100
13.	सोयाबीन	661— 675	— 1100
14.	सीसम	1125— 1472	— 2400
15.	अरंण्ड	575— 1600	920— 2500

1	2	3	4
16.	सरसों	840— 927	— 1500
17.	तोरिया	815— 1003	— 1500
18.	कुसुम	595— 665	— 1200
19.	सूरजमुखी	770—10601	— 1800
20.	अलसी	— 1009	— 1600
21.	मूंगफली	760— 1145	— 1500
22.	मक्का (चारा)	315	— 600
23.	बाजरा (चारा)	425	— 850
24.	लोबिया (चारा)	450	— 830
25.	सोरघम (चारा)	425	850— 900
26.	लसुनवास	6796	—11000
27.	जवई	300	— 600
28.	जूट	600	— 1500
29.	मेस्ता	500	— 1500
30.	कपास	405— 5500	825—11000

तमिलनाडु में गैर-सरकारी पोलिटैक्निक

1059. श्री के० रामपूर्ति :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में गैर-सरकारी क्षेत्र में खोले गए राज्य सरकार द्वारा विधिवत् मान्यता प्राप्त पोलिटैक्निकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) तमिलनाडु राज्य में ऐसे प्रत्येक पोलिटैक्निक को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए ऋण की मात्रा के बारे में ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे प्रत्येक पोलिटैक्निक में उपलब्ध कराई गई शिक्षण सहायता, प्रयोगशालाओं आदि के बारे में ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल०पी० शाही) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकार के

अनुमोदन से तमिलनाडु में प्राइवेट क्षेत्र में ?3 पोलिटेक्निक खोले गये हैं। इस मंत्रालय का इन पोलिटै-क्निकों से कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि इन्हें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अनुमोदन प्राप्त नहीं है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा "हॉट-रोल्ड कोइल्स" की सप्लाई

1060. **श्री के० राममूर्ति :**

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन उपभोक्ताओं को, जो जुलाई— दिसम्बर, 1988 तिमाही के लिए पांच लाख टन हाट-रोल्ड कोइल्स की सप्लाई हेतु भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड से पंजीकृत है, उनका कोटा सप्लाई कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा उक्त योजना अब वापस ले ली गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) जुलाई—सितम्बर, 1988 की तिमाही में 5 लाख टन गर्म बेल्लित कॉयल्स की मांग के मुकाबले में 1-11-1988 तक "सेल" के पास पिछला स्टाक लगभग एक लाख टन का है। उसी अवधि में "सेल" ने 31,500 टन के आयात का आर्डर दिया है।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की प्रतिकूल परिस्थिति में उपभोक्ताओं को गर्म बेल्लित क्वायलों की सप्लाई आयात के जरिए देशी उपलब्धता बढ़ाकर करने की योजना के अन्तर्गत आयात को कठिन बना दिया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कला-महाविद्यालयों को सहायता

1061. **श्री के० राममूर्ति :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कला-महाविद्यालयों को सहायता देती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन महाविद्यालयों के प्रबन्ध मंडलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त महाविद्यालयों द्वारा उस धनराशि के उपयोग पर क्या नियंत्रण रखा जाता है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल०पी० (शाही) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सातवीं योजना में संगीत और

ललित कलाओं सहित कला, विज्ञान और वाणिज्य विषयों के पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले कालेजों के लिए 4.00 लाख रुपये और 8.00 लाख रुपये के बीच वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यदि कालेज केवल संगीत और ललित कलाओं में पाठ्यक्रम प्रदान कर रहा है तो सहायता 2.00 लाख रुपये तक सीमित है। केवल, उन्हीं कालेजों को ऐसी सहायता प्रदान की जाती है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और सहायता पाने के लिए उपयुक्त घोषित किए गए हैं। किसी भी कालेज को सहायता के लिए मान्यता प्राप्त होने के वास्ते मुख्य आवश्यकताएं ये हैं कि कालेज में विश्वविद्यालय डिग्री प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम होने चाहिएं, यह किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध होना चाहिए और इसकी एक वैधानिक पहचान होनी चाहिए (पंजीकृत सोसाइटी, न्याय आदि या एक सरकारी कालेज)। उपयुक्तता की घोषणा के लिए स्थायी सम्बन्धन एक अतिरिक्त आवश्यकता है।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सहायता प्राप्त करने वाले प्रत्येक कालेज को समय-समय पर खर्चे की प्रगति के सम्बन्ध में विवरण प्रस्तुत करने होंगे, और सनदी लेखापालों आदि द्वारा विधिवत परीक्षित अपने लेखे प्रस्तुत करने होंगे। जहां आवश्यकता हो, आयोग सम्बद्ध विश्वविद्यालय से अपने अनुदान की उपयोगिता की जांच भी करा सकता है।

विभीषिका नियन्त्रण पर सम्मेलन

1062. **श्री के० रामपूर्ति :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षेस राष्ट्रों द्वारा वर्ष 1987 में विभीषिका नियन्त्रण पर आयोजित सम्मेलन में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) अफ्रीकी-एशियाई ग्रामीण पुनर्निर्माण संगठन, नई दिल्ली द्वारा विभीषिका नियन्त्रण पर हैदराबाद में हाल ही में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) सरकार द्वारा बाढ़, सूखा और चक्रवात जैसी विभीषिकाओं के नियन्त्रण से सम्बन्धित सिफारिशों पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सिफारिशों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) कार्यशाला की अन्तिम रिपोर्ट और सिफारिशें अभी प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ग) आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विवरण

दक्षेस राष्ट्रों द्वारा 28 सितम्बर से 1 अक्तूबर, 1987 तक विभीषिका नियन्त्रण पर आयोजित सम्मेलन में की गई सिफारिशें

1. बाढ़ के सक्रिय प्रभाव में आने वाले मैदानी इलाकों जैसे विभीषिका सम्भावित क्षेत्रों के बारे में मानचित्रण करना और उन्हें मानवीय आवास के लिए अनुपयुक्त मंडलों में विभाजित करना आवश्यक होगा।

2. वननाशन और गहरे ढलाव की वृद्धि जैसी पारिस्थितिक रूप से क्षति पहुंचाने वाली प्रक्रियाओं को नियंत्रित किया जाना चाहिए ताकि भूस्खलन और भूमि के बड़े स्तर पर संचलन पर रोक लगाई जा सके।

3. समुद्रतट के किनारे सभी जगह शेल्टर बैल्ट तैयार करने जैसा दीर्घावधि उपाय ही चक्रवात के प्रभाव को कम करने के लिए एक जाना-माना तरीका है। इसी पर चक्रवात के प्रभाव को कम करने के बारे में तत्काल चिन्तन की आवश्यकता है।

4. राष्ट्रीय सरकारों को पूर्व चेतावनी प्रणालियों तथा तैयारी को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि विश्व में विभीषिका हानि से बचाव में इनका अभाव ही कमियों में से एक मुख्य कमी है। इसी दिशा में दक्षेस राष्ट्रों में सहयोग अत्यधिक लाभप्रद सिद्ध हो सकता है।

5. एक से अधिक दक्षेस राष्ट्र को प्रभावित करने वाली बाढ़ जैसी विभीषिकाओं के बचाव के लिए राष्ट्रों के बीच सहयोग की आवश्यकता है।

6. हर क्षेत्र में विभीषिका रोधी उपायों के लिए स्थानीय संसाधनों और कार्मिकों को जुटाने की शक्तियों से युक्त एक "नाडल अधिकारी" होना चाहिए। यह नाडल अधिकारी उच्च स्तरीय एजेंसियों और सरकार हेतु सम्पर्क व्यक्ति होगा। भारत में "समाहर्ता" नाडल अधिकारी है। इस संबंध में दक्षेस की सहायता वाले देश आवश्यक उपाय करें।

7. विभीषिका से बचाव के किसी भी कार्यक्रम में निर्णय लेने, दायित्व तथा प्राधिकार को सुस्पष्ट ढंग से परिभाषित किया जाना चाहिए, उसका व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए और समस्त संगत निकायों को उसे स्वीकार्य करना चाहिए। चूंकि विभीषिकाओं के आने पर तत्काल निर्णय की आवश्यकता होती है। अतः विभीषिका की चपेट में आने पर आदेश प्राप्त करने तथा और स्पष्टीकरण प्राप्त करने का तो समय ही नहीं होता है। विभीषिका राहत नीति के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक प्रबन्ध पहले ही कर लिए जाने चाहिए। विभीषिका नीतियों को कार्यान्वित करने और प्रक्रियाओं के संबंध में निर्णय लेने को यथासम्भव सरल बनाया जाना चाहिए। इन मुख्य उत्तरदायित्वों को कानून में तथा विभीषिका-रोधी योजनाओं में परिभाषित करना उपयुक्त होगा।

8. स्थानीय प्रशासन को विभीषिका के आने पर राहत और पुनर्स्थापन के कार्य का दायित्व संभालना होता है। स्थानीय परिस्थितियों की आवश्यकताओं का सामना करने हेतु तथा राहत व पुनर्स्थापन के लिए धन, सामान और व्यक्तियों के रूप में आवश्यक सहायता जुटाने के लिए स्थानीय प्रशासन पर्याप्त ढंग से सज्जित होना चाहिए।

9. आश्रय राहत और पुनर्स्थापन के काम को करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार किये जाने चाहिए, उसी के आधार पर स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त कार्रवाई योजना तैयार की जानी चाहिए।

10. विभीषिकाओं के मौसम के प्रारम्भ होने से कुछ ही समय पूर्व आवश्यक अनुदेश जारी कर दिये जाने चाहिए। बहुत ही पहले जारी किये गए अनुदेशों को भूल जाने की

सम्भावना होती है। प्रत्येक वर्ष विभीषिका के मौसम से पूर्व अनुदेशों को दोहराना भी आवश्यक होगा।

11. जिस क्षण प्राकृतिक आपदा के आने का आभास हो, नियंत्रण कक्ष के दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए। इससे राहत कार्यों का प्रभावी समन्वय और सूचना का तत्काल सम्प्रेषण हो सकेगा, जिससे संत्रास से बचाव होगा।

12. अनुभव से यह पता लगा है कि टीका लगाने, रोगाणु नाशन और संचार को बहाल करने आदि जैसे अन्य तत्काल उपायों के साथ-साथ क्षतिग्रस्त मकानों का निरीक्षण और वहां के निवासियों को आवास के लिए असुरक्षित मकानों से निकल जाने की सलाह देना भी आवश्यक है। इन सभी कार्यों में स्थानीय एजेंसियों की भागीदारी लाभप्रद हो सकती है।

13. अनुभव से यह पता चलता है कि जब तक विभीषिकाओं के विनाशकारी लक्षणों तथा संकट से बचाव के लिए की जाने वाली कारंवाई के बारे में जनता को जानकारी नहीं दी जाये तब तक अग्रिम चेतावनी प्रभावी नहीं होती है। सूचना-पत्रों, विवरणिकाओं, दृश्य श्रव्य साधनों, चक्रवात की तैयारी की बैठकों, रेडियो व दूरदर्शन पर वार्ताओं और चर्चाओं के माध्यम से जनता में चेतना पैदा करने के कार्यक्रम प्रारम्भ किए जाने की आवश्यकता है।

14. विभीषिका का सामना करने के लिए उसी तरह जन-जागरण पैदा किये जाने की अत्यावश्यकता है, जिस तरह आयोजना के पर्यावरणीय आयाम के बारे में जागृति पैदा की गई है। इसे वर्ष में एक बार सुरक्षा तैयारी का दिन मनाते हुए किया जा सकता है। इस मीडिया (दूरदर्शन, रेडियो व समाचार पत्रों) तथा वार्ताओं के माध्यम से तथा विभीषिका बचाव तथा नियंत्रण के कार्यक्रमों के बारे में व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए।

15. विशेषतया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, पालिटेक्नीक विद्यालयों, इंजीनियरी महाविद्यालयों तथा प्रौद्योगिकी संस्थाओं के छात्रों हेतु विभीषिका बचाव और नियंत्रण आदि जैसे विषयों को उनके पाठ्यक्रम का भाग माना जाना चाहिए।

16. जब तक कि लोग स्वेच्छा से आगे न आएं और वे स्वयं पुनर्स्थापन कार्य हेतु अभिप्रेरित न किये जायें, तब तक अधिक कुछ भी नहीं हो सकता है। राहत और पुनर्स्थापन कार्य की सभी अवस्थाओं में स्थानीय निकायों के माध्यम से ग्राम स्तर पर सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इसके लिए विभीषिका की तैयारी को उपयुक्त महत्व दिया जाना चाहिए और लोगों को विभीषिका जोखिम तथा जोखिम परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के बारे में सचेत किया जाना चाहिए।

17. प्राकृतिक विभीषिकाओं से पीड़ितों को सहायता और राहत देने में स्वैच्छिक एजेंसियां बेहतर स्थिति में हैं। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि प्राप्त सहायता का अधिकतम इस्तेमाल किया जाए, तथा यदि सम्भव हो तो भविष्य में प्राकृतिक विभीषिका के पुनर्स्थापन की रोकथाम हेतु स्थायी सुधार लाया जा सके। इसे स्थानीय रोजगार के अवसरों के सृजन या उनमें वृद्धि करने तथा प्रभावित जनसंख्या की आय को पूरक

बनाने के लिए भी प्रयोग में लाया जाना चाहिए। इस संबंध में आश्रय कार्यक्रम अधिक सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

18. प्राकृतिक विभीषिकाओं के आने पर बिजली, पेयजल, जल निकासी प्रणालियों जैसी आवश्यक सेवाओं की सप्लाई में व्यवधान आ सकता है और संचार आदि अस्त-व्यस्त हो सकता है। विभीषिकोत्तर कार्य और राहत के कार्यक्रम में बिना समय नष्ट करते हुए इन बुनियादी सेवाओं को बहाल करने के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

19. यह कार्य अत्यधिक महत्व का है कि इन आवश्यक सेवाओं की योजना बनाने, रूपरेखा तैयार करने और उन्हें प्रारम्भ करने के काम में इस बात को ध्यान में रखते हुए बहुत सावधानी बरती जाए कि जिससे ध्येय को प्राप्त करने के लिए अपनाये गये उपायों और तरीकों से प्राकृतिक विभीषिका से हुई हानि और विनाश से बचाव हो सके।

20. जहां तक सम्भव हो, प्रभावित जनसंख्या के लिए स्थानीय सामग्री तथा कुशलताओं को प्रयोग में लाते हुए मूलभूत आश्रय की व्यवस्था करनी चाहिए। आपातकालीन आश्रय इस तरह से तैयार करने चाहिए जिससे अधिकांश सामान को बचा लिया जाये अथवा उसे स्थायी आवास हेतु प्रयोग में लाया जा सके।

21. बहुत से मामलों में विभीषिकाग्रस्त इलाकों में स्थायी आवास को शिफ्ट करना आर्थिक दृष्टि से किफायती नहीं होता है। ऐसी स्थिति में उपलब्ध केवल यही रास्ता होता है कि पुनर्निर्माण किया जाये अथवा विद्यमान ढांचों को सुदृढ़ बनाया जाये।

22. जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक विभीषिका की अधिक सम्भावना होती है, वहां शक्ति प्रतिरोधी सार्वजनिक भवनों का निर्माण किया जाना चाहिए, जिन्हें विभीषिका के दौरान सामुदायिक आश्रय के रूप में प्रयोग में लाया जा सके।

23. दक्षेस सदस्य देशों के बीच विभीषिका प्रबन्ध की गतिविधियों के समन्वय के लिये दक्षेस सचिवालय में एक प्रकोष्ठ की स्थापना करना वांछित होगा।

24. किसी भी दक्षेस सदस्य देश द्वारा दक्षेस प्रबन्ध के संबंध में विकसित जानकारी उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को दक्षेस सदस्य देशों के प्रयोग हेतु दक्षेस सचिवालय के माध्यम से सम्प्रेषित किया जाना चाहिए।

25. दक्षेस सदस्य देशों के प्रतिनिधियों को, दो वर्षों में एक बार और बेहतर हो कि जनवरी या फरवरी में, दक्षेस सदस्य देशों में से किसी भी एक देश में बैठक करनी चाहिए, ताकि वे पहले के दो वर्षों के दौरान की विभीषिका के बारे में विचार-विमर्श कर सकें तथा सदस्य देशों में विभीषिका प्रबन्ध के संबंध में प्राप्त अनुभव से लाभान्वित हो सकें।

26. दक्षेस सदस्य देशों को विभीषिका प्रबन्ध से संबंधित कार्मिकों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए।

जवाहरलाल नेहरू कृषि और अनुसंधान संस्थान को दी गई सहायता

[हिन्दी]

1063. डा० प्रभात कुमार मिश्र :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में जबलपुर स्थित जवाहर लाल नेहरू कृषि और अनुसंधान संस्थान को अतिरिक्त धनराशि प्रदान की है;

(ख) क्या उपर्युक्त संस्थान के अन्तर्गत आने वाले रायपुर कृषि स्कूल ने नई योजनायें तैयार की हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और क्या इनसे छत्तीसगढ़ क्षेत्र को लाभ हुआ है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री): (क) महोदय, जबलपुर में इस तरह का कोई संस्थान नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में सूखे के लिए सहायता देना

1064. डा० प्रभात कुमार मिश्र :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ जिले के किन-किन क्षेत्रों को वर्ष 1988 में कम वर्षा होने के कारण सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ा है;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को सूखे की स्थिति का सामना करने हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) इस सम्बन्ध में राहत-कार्य कब तक प्रारम्भ किये जाएंगे ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) मध्य प्रदेश सरकार ने सूचना दी है कि रायपुर और दुर्ग जिले व राजनन्दगांव जिले के हिस्से को 1988 में कम वर्षा के कारण सूखे का सामना करना पड़ा।

(ख) राज्य सरकार ने सूखा सहित प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए वर्ष 1988-89 के लिए 4.75 करोड़ रुपये की वार्षिक मार्जिन धनराशि प्राप्त की है।

(ग) स्थिति की अपेक्षाओं को देखते हुए सूखा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य शुरू करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर्गत वीडियो कैसेट प्लेयरों का इस्तेमाल

[अनुवाद]

1065. श्री लक्ष्मण मलिक :

श्री आर० एम० भोये :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण के प्रौढ़ों में निरक्षरता की समस्या के समाधान के लिये वीडियो कैसेट प्लेयरों का इस्तेमाल करने का निर्णय किया है और इसके लिए विशेष साफ्टवेयर उपकरण तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में हुई प्रगति और व्यय सहित ब्यौरा क्या है; और

(ग) वीडियो कैसेट प्लेयरों और साफ्टवेयर उपकरण का सबसे अधिक किस राज्य ने इस्तेमाल किया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) से (ग) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण की कार्यकारी समिति ने अपनी 20 दिसम्बर, 1988 को हुई बैठक में इस मामले पर विचार किया था। इसमें राष्ट्रीय साक्षरता मिशन दस्तावेज में किये गये प्रबन्धों को दोहराया है, जिनमें यह परिकल्पना की गई है कि यद्यपि, यह वीडियो कैसेट प्लेयर्स सहित साक्षरता दृश्य-श्रव्य माध्यमों का प्रतिस्थानी नहीं हो सकता, फिर भी यह सीखने के कार्यक्रमों की सम्पूर्ति, निरक्षरता उन्मूलन के अनुकूल वातावरण तैयार करने, अधिकारियों के प्रशिक्षण की कोटि में सुधार के लिए आवश्यक है। शिक्षा विभाग (मानव संसाधन विकास मन्त्रालय) में प्रौढ़ निरक्षरता की समस्या के समाधान के लिए वीडियो कैसेट प्लेयर्स उपलब्ध करने की कोई योजना नहीं है।

दिल्ली की सड़कों पर ऊंची पटरी किनारों का निर्माण

1066. डा० वी० विजय रामा राव :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के सड़क सुरक्षा सम्बन्धी अध्ययन दल 1972 के प्रतिवेदन के अनुसार दिल्ली यातायात पुलिस शहरी सड़कों पर पटरी किनारों के निर्माण में, विशेष कर ऊंचाई के सम्बन्ध में निर्धारित सिद्धांतों का पालन नहीं कर रही है और ये किनारे मोटर चालकों के लिए बहुत ऊंचे व खतरनाक हैं जो अपने वाहन को इनसे दूर रखते हैं और इस प्रकार आवश्यकता से अधिक स्थान घेरते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सभी वर्तमान पटरी किनारों की जांच करके जहां आवश्यक हो परिवर्तन करने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा निर्मित नहीं किए जाते और भारतीय

सड़क कांग्रेस द्वारा निर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार सड़क निर्माण एजेन्सियों द्वारा निर्मित किए जाते हैं।

दिल्ली प्रशासन के लोक निर्माण विभाग से यह सुनिश्चित करने हेतु कि कर्ब मानकों के अनुसार निर्मित हैं, कर्बों का निरीक्षण करने के लिए कहा गया है।

दुर्गापुरी स्टील प्लांट के आधुनिकीकरण के लिए प्राप्त प्रस्तावों की जांच

1067. श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर स्टील प्लांट के आधुनिकीकरण के लिये प्राप्त प्रस्तावों की जांच का काम पूरा कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य और ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय पैकेजों के सम्बन्ध में प्राप्त बोलियों के मूल्यांकन का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तथापि, 10 देशी पैकजों में से 7 के संबंध में बोलियों के मूल्यांकन का कार्य पूरा कर लिया गया है जिसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

क्रम सं०	पैकेज	एजेंसी	आशय पत्र जारी करने की तारीख	मूल्य (करोड़ रुपये)
1.	कोक ओवन और बी०पी०पी०			
	(क) बैटरी	ओटो इण्डिया	13-9-88	69.70
	(ख) उत्पादन संयंत्र कम्प०	ओ०पी०आई०	13-9-88	54.95
2.	न्यू एन०डब्ल्यू०एल०आर० शाप	ब्रेथवेट	4-2-88	7.36
3.	लाइम कैल्सिनेशन प्लांट	वुल्कन	30-6-88	23.11
4.	संयंत्र जल आपूर्ति	ई०पी०आई०	30-4-88	7.11
5.	रिपेयर शाप तथा इंस्ट स्टोर	एच०एस०सी०एल०	30-7-88	2.81
6.	बोलानी में अयस्क तैयार करने का संयंत्र	एच०एस०सी०एल०	13-10-88	59.36
7.	बिजली वितरण क्षेत्र लाइटिंग तथा दूरसंचार	एच०बी०बी०	14-10-88	123.50

पौधों के रोगों की रोकथाम

1068. **श्री वी० तुलसी राम :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 अक्तूबर, 1988 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में "न्यू हरियाणा प्रोजेक्ट टु कन्ट्रोल पेस्ट" नामक शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के परिणामस्वरूप कौन-कौन सी बीमारियां और जीवाणु नष्ट किए जाएंगे और केन्द्रीय सरकार का राज्य सरकारों को कितनी अनिवार्य सहायता उपलब्ध कराने का विचार है;

(ग) क्या पौधों और फसलों के संरक्षण के लिये आंध्र प्रदेश को इस प्रकार की कोई सहायता उपलब्ध कराई जायेगी ।

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) हरियाणा सरकार ने सूचना दी है कि कोई विशेष नई परियोजना, जैसा कि समाचार मद में प्रकाशित हुआ है, तैयार नहीं की गई है। अत: परियोजना के फलस्वरूप केन्द्र सरकार का हरियाणा राज्य सरकार को सहायता देने तथा आंध्र प्रदेश को ऐसी कोई सहायता देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

बीजों का मूल्य

1069. **श्री वी० तुलसी राम :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीजों विशेषकर गेहूं, चना आदि के मूल्यों में रबी फसल की बुआई के समय में वृद्धि हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा किसानों के हितों की रक्षा तथा सस्ती दरों पर बीजों की सप्लाई की व्यवस्था करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (ग) यह जानकारी इस मंत्रालय में उपलब्ध नहीं है। यह जानकारी राज्यों और सम्बन्धित एजेंसियों से एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर इसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

गहरे समुद्र में झींगा मछली पकड़ने के लिए संयुक्त क्षेत्र की कम्पनियों के कार्य के लिए विशिष्ट सीमा संबंधी प्रतिबन्ध

1070. श्री दौलत सिंह जी जवेजा :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री संयुक्त उद्यम वाली कम्पनियों द्वारा प्रादेशिक जल सीमा के आगे मछलियों के पकड़े जाने के बारे में 1 सितम्बर, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4783 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गहरे समुद्र में झींगा मछलियों को पकड़ने के लिए संयुक्त क्षेत्र की कम्पनियों के कार्य के लिये विशिष्ट दूरी संबंधी कोई प्रतिबन्ध लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी दूरी अथवा क्षेत्र निर्धारण का ब्योरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में यदि कोई दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं, तो वे क्या हैं;

(घ) क्या क्षेत्रवार कोई ऐसी नीति है जिसके अनुसार संयुक्त क्षेत्र की कम्पनियां गहरे समुद्र से झींगा मछलियां पकड़ सकें; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस विषय को स्पष्ट करने और विशिष्ट दिशा-निर्देश जारी करने के लिये क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) संयुक्त उद्यम की कम्पनियों के गहरे समुद्र में मछलियां पकड़ने वाले जलपोतों को पूर्वी तट में समुद्री तट से 12 नाविक मील और पश्चिमी तट में समुद्री तट से 24 नाविक मील से आगे काम करना चाहिए और उन्हें सरकार द्वारा समय-समय पर निश्चित किए गये विशिष्ट क्षेत्रों के बारे में प्रतिबंध का अनुपालन करना होगा।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) से (ङ) संयुक्त उद्यम की कम्पनियों (विदेशी सहयोग से) द्वारा गहरे समुद्र में मछलियां पकड़ने वाले जलपोतों को चलाने से संबंधित शर्तों के अनुसार अधिसूचना संख्या 30035/28/84-एफ०वाई० (टी०-1), दिनांक 4-4-85 में उल्लिखित क्षेत्र संबंधी प्रतिबंध लागू होते हैं।

"चार्टर्ड फिशिंग परमिट्स" द्वारा छोटी कम्पनियों को सहायता

1071. श्री दौलत सिंह जी जवेजा :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न प्रक्रियाजन्य समस्याओं का सामना करने के लिए छोटी कम्पनियों को "चार्टर्ड फिशिंग परमिट्स" द्वारा सहायता देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ख) लघु उद्यमियों की सहायता के लिए चार्टर की विभिन्न शर्तों में छूट प्रदान करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) जब कभी कार्यविधि विषयक कठिनाइयों को मंत्रालय के ध्यान में लाया जाता है तब मैरीटाइम जोन्ज

आफ इंडिया (रेग्यूलेशन आफ फिशिंग बाय फारेन वेस्सल्ज) एक्ट, 1981 और उसके अन्तर्गत बनाए गये नियमों के दायरे के अन्दर कठिनाइयों को हल करने के लिए कार्रवाई की जाती है।

मछुआरों के लिए आवास योजनायें

1072. **श्री दौलत सिंह जी जदेजा :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने गत वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार को मछुआरा राष्ट्रीय कल्याण कोष से दिल पोषित की जाने वाली मछुआरों के लिए आवास योजनायें प्रस्तुत की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और योजना के अन्तर्गत किन-किन गांवों को शामिल किया गया है; और

(ग) इन योजनाओं को मंजूरी देने हेतु सरकार द्वारा क्या मानदण्ड अपनाया जाता है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां।

(ख) संलग्न विवरण में दी गई सूची में उल्लिखित राज्य सरकारों ने मछुआ ग्रामों के विकास की योजनाओं का विचार प्रकट किया है, जिनमें ग्रामों के लिए आवासीय इकाइयों के निर्माण का प्रस्ताव भी शामिल है। केन्द्र सरकार ने मछुआ ग्रामों के विकास की स्वीकृति दी है जिसके अनुसार प्रत्येक राज्य के आगे दी गई आवासीय इकाइयों का विकास किया जाना है।

(ग) केन्द्र सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मछुआ समुदाय की जनसंख्या के आधार पर 62 मछुआ ग्रामों का विकास करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य का नाम	मछुआ गावों के नाम
1	2	3
1.	उत्तर प्रदेश	(I) कथीगांव (वाराणसी)
		(II) भोजपुर (सुल्तानपुर)
		(III) पिछोरिया (राय बरेली)
2.	कर्नाटक	(I) पंजेहल्ली (मंगलौर)
3.	केरल	(I) विजिज्म (त्रिवेन्द्रम) में छः गांव
4.	आंध्र प्रदेश	(I) नतुरीपल्ला पुपालेन (नैल्लोर)
		(II) पकालापल्लीपालेम (प्रकाशम)-

1	2	3
5.	मध्य प्रदेश	(I) दुधावा (बस्तर)
		(II) कामती तवा (होशंगाबाद)
6.	उड़ीसा	(I) तालपादा (बालासोर)
		(II) मोट्टो (पुरी)
		(III) गोखरकुदा (गंजम)
7.	तमिलनाडु	(I) नेनारकुप्पम (चेंगलपेट)
		(II) टी०सी०एस० पैट्टाई (दक्षिण आरकोट)
		(III) कीलाथोत्तम (थंजावूर)
		(IV) रतचयापुरम (चिदम्बरानार)
		(V) वेल्लाविलई (कन्याकुमारी)
8.	असम	(I) किदिरपुखुरी (कामरूप)
		(II) राधामजन (जोरहाट)
		(III) थेंकाराकुची (नालवाड़ी)
9.	पश्चिम बंगाल	(I) गोदाखली (दक्षिण 24 परगना)
		(II) उत्तरपठाई (मिदनापुर)
		(III) दियोली (हावड़ा)
10.	गुजरात	(I) टुना (कच्छ)
		(II) नानीदौतो (बलसाड)
		(III) जाफराबाद (अमरैली)
11.	जम्मू व कश्मीर	(I) लहावलपुर (बारामूला)
12.	मणिपुर	(I) अरोंग-नोंगमेंखोंग (थुबल)
13.	त्रिपुरा	(I) राम नगर (अमर पुर)
14.	गोवा	(I) दुरभात (पोंदा)

इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस और री-रोलिंग मिल्स

1073. डा० ए० के० पटेल :

श्री चिंतामणि जेना :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस और री-रोलिंग मिल्स को हो रही कठिनाइयों की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं और उसके क्या परिणाम निकले ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) और (ख) पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश में कुछ लघु इस्पात संयंत्रों की सक्षमता उनकी अप्रचालित प्रौद्योगिकी के कारण प्रभावित हुई है लघु इस्पात संयंत्रों ने भी बिजली की कमी और अन्य आदानों की ऊंची कीमतों के सम्बन्ध में अभ्यावेदन दिया है। यह सूचित किया गया है कि पुनंबेलन मिलों को आदान-सामग्री की कुछ कमी का सामना करना पड़ रहा है।

(ग) इकाइयों को प्रौद्योगिकीय रूप से कुशल एवं अधिक सक्षम बनाने के लिए सरकार ने ऐसे लघु इस्पात संयंत्रों की विस्तार करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है जो आधुनिकीकरण का वचन देते हैं। सरकार ने 4 दिसम्बर, 1986 से आयातित स्क्रैप पर मूल्यानुसार 5 प्रतिशत सीमा शुल्क भी कम कर दिया है। पुनंबेलन योग्य सामग्री की देशी उपलब्धता पुनंबेलन उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। समग्र मांग को पूरा करने के लिए चालू वर्ष में बिलेटों के आयात की व्यवस्था की गई है। पुनंबेलकों को आयात के द्वारा अपनी आंशिक आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए।

राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिशें

1074. डा० ए० के० पटेल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय महिला आयोग ने क्या सिफारिशें की हैं;

(ख) ये सिफारिशें सरकार को कब प्राप्त हुईं; और

(ग) प्रत्येक सिफारिश पर अब तक क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) राष्ट्रीय स्वरोजगाररत महिला आयोग की मुख्य सिफारिशें दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) ये सिफारिशें जुलाई, 1988 में प्राप्त हुई थीं।

(ग) सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

विवरण

रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं :

(1) आंकड़े एकत्र करने के सभी प्रयास महिला कामगारों की परिभाषा को व्यापक बनाने वाले होने चाहिएं ताकि उसमें सभी सामाजिक तौर से उत्पादक और पुनरुत्पादक श्रम को शामिल किया जा सके, चाहे वह श्रम घर में अथवा घर से बाहर किया हो, कर्मचारी के रूप में अथवा स्वयं अपने कार्य के रूप में किया हो।

(2) महिला मण्डलों को सशक्त बनाये जाने की आवश्यकता है जिससे कि पूरे देश में एक नेटवर्क उपलब्ध हो सके और इसके माध्यम से महिलाओं को संगठित किया जा सके।

(3) परिवार की और राष्ट्र की आय में महिलाओं के अंशदान को ध्यान में रखते हुए कम से कम 50% विकासात्मक योजनाएं महिला-उन्मुखी होनी चाहिएं।

(4) महिलाओं को परिसम्पत्तियों पर नियंत्रणाधिकार मिलना चाहिए जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति दीर्घकाल के लिए मजबूत बन सके।

(5) प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 30 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के लिए होना चाहिए।

(6) राज्यों में महिला कार्यक्रमों के नियोजन, समन्वय, प्रबोधन और मूल्यांकन का उत्तरदायित्व वित्तायुक्त के दर्जे के किसी अधिकारी को सौंपा जाना चाहिए।

(7) केवल महिलाओं के ही लिए एक वित्तीय संस्था स्थापित की जाए, जिसका स्वयंसेवी एजेंसियों से कारगर सम्पर्क हो।

(8) महिलाओं के लिए विपणन सुविधाएं प्रदान करने के लिए उपभोक्ता समितियों, सहकारी समितियों, सुपर बाजार, राजकीय इम्पोरियम इत्यादि जैसे वैकल्पिक माध्यमों का पता लगाया जाए।

(9) रोजगार का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया जाए और इसे समुचित मजदूरी के अधिकार से सम्बद्ध किया जाये।

(10) महिलाओं सम्बन्धी कानूनों और नीतियों के कार्यान्वयन की देखरेख करने में समर्थ समान-अवसर आयोग की स्थापना की जाये।

(11) त्रिपक्षीय बोर्डों की स्थापना करना, जिसमें सरकार और नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों के बराबर संख्या में कामगारों के प्रतिनिधि हों और इनमें महिलाओं की संख्या के अनुपात में महिलाओं के प्रतिनिधि हों।

(12) एक केन्द्रीय कोष की स्थापना करना जिससे महिलाओं के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा उपायों को वित्त पोषित किया जा सके।

(13) महिलाओं के लिए बाल देखभाल और सहायता सेवाएं उपलब्ध कराना।

(14) महिलाओं को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लिये प्रशासनतंत्र को सचेत करने के उपाय।

राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ यात्रियों के लिए सुविधाएं

1075. डा० ए० के० पटेल :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राष्ट्रीय राजमार्गों के राज्य वार नाम तथा स्थान क्या है जहां यात्रियों के लाभ के लिये राजमार्गों के साथ-साथ सुविधाएं उपलब्ध हैं और उनको चालू रखने की क्या व्यवस्था है;

(ख) यह योजना कब आरम्भ की गई थी; और

(ग) योजना का क्या परिणाम रहा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे-किनारे राज्य सरकारों या प्राइवेट पार्टियों द्वारा अनेक यात्री-उन्मुखी विकसित मार्गस्थ सुविधाएं पहले से ही प्रदान की जा रही हैं । इनके बारे में मंत्रालय के पास सूचना उपलब्ध नहीं है । तथापि, मंत्रालय ने भी अगस्त, 1986 में हरेक 100 कि०मी० पर अधिक यातायात वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे-किनारे पार्किंग स्थान, भोजनालय, प्रसाधन, पेय जल, डार्मिटरी/विश्राम कक्ष, प्राथमिक उपचार टेलीफोन बूथ, पेट्रोल पंप और छोटी-मोटी रिपेयर शाप आदि जैसी सुविधाओं वाली एक स्कीम की परिकल्पना की है । प्रथम चरण में सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से नौ भिन्न-भिन्न राज्यों में प्राथमिकता पाने वाले नौ स्थलों का चयन किया गया है । ये विभिन्न चरणों में हैं और इनमें से किसी भी कंपलैक्स ने अभी कार्य करना शुरू नहीं किया है । उसी प्रकार ऐसे कंपलैक्स बनाने के लिए प्राइवेट उद्यमियों से भी प्रस्ताव आमंत्रित किए गये थे, जो विचाराधीन है ।

हज यात्रियों के लिए और अधिक जहाजों की खरीद

[हिन्दी]

1076. श्री राज कुमार राय :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय हज सलाहकार बोर्ड ने सरकार से यात्रियों को हज यात्रा पर ले जाने के लिये दो और जहाज खरीदने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार केन्द्रीय हज सलाहकार बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों की जांच कर रही है ।

नौवहन उद्योग को आर्थिक दृष्टि से पुनः सक्षम बनाने के उपाय

[अनुवाद]

1077. श्रीमती बसवराजेश्वरी :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने अनेक 10 सूत्री कार्यक्रम में नौवहन उद्योग को आर्थिक दृष्टि से पुनः सक्षम बनाने के लिए कुछ उपायों का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उनके मंत्रालय द्वारा इस सम्बन्ध में नये पूंजी निवेश के लिए कौन-कौन से प्रोत्साहन देने की सिफारिश की है; और

(घ) उन उपायों से नौवहन उद्योग को कितनी सहायता मिलेगी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ) नौवहन उद्योग को बहाल करने के लिए मंत्रालय ने कई उपाय किए हैं। इनमें से कुछ ये हैं :

(I) खरीद प्रक्रियाओं में तेजी लाना;

(II) क्रास-ट्रेड के लिए जहाजों की खरीद की अनुमति देना;

(III) निर्धारित जरूरतों से 25% तक अधिक जहाजों की खरीद की अनुमति देना;

(IV) जहाज मालिकों को निर्धारित जरूरतों का उल्लेख किए बिना भारतीय शिपयार्डों को आर्डर देने की अनुमति देना;

(V) रुग्ण नौवहन कम्पनियों का पुनर्वास करना जिसमें कई राहतें शामिल हैं;

(VI) भारतीय नौवहन को कार्गो सहायता प्रदान करना;

(VII) पैरी पैसू दायित्व में संशोधन करना।

2. नौवहन उद्योग में पूंजी आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन तैयार करने और उसके बारे में सुझाव देने के लिए इस मंत्रालय द्वारा गठित एक विशेषज्ञ दल ने भारतीय आयकर अधिनियम के प्रावधान के तहत उद्योग को दी जाने वाली विभिन्न रियायतों की सिफारिश की जिनमें धारा 80 सी सी की सुविधाओं का विस्तार करना, नौवहन कम्पनियों द्वारा भुगतान किया जाने वाला लाभांश कर-मुक्त होना चाहिए, धारा 80 आर आर ए का लाभ आदि शामिल है।

सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए कुओं की खुदाई

1078. **श्रीमती बसव राजेश्वरी :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए 16 लाख कुओं की खुदाई हेतु एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कार्यक्रम किसानों तथा खाद्य उत्पादन में वृद्धि करने में किस सीमा तक सहायक होगा ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) 1988-89 के दौरान विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए

छोटे और सीमांत किसानों की सहायता को केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत 6 लाख उथले नलकूपों/खोदे गए कुओं और मिलियन वैल्स स्कीम के अन्तर्गत 2.11 लाख कुओं का निर्माण करने का एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया गया है।

(ख) छोटे और सीमान्त किसानों की सहायता और मिलियन वैल्स स्कीम के अन्तर्गत विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम के लिए उथले नलकूलों/खोंदे गए कुओं के आबंटन को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) फसल पद्धति में विविधता, लाकर, फसल सघनता में बढ़ोतरी करके और उन्नत आदानों के उपयोग द्वारा खाद्य उत्पादन कम से कम दुगना करने के लिए उथल नलकूप/खोदे गए कुएं छोटे और सीमान्त किसानों को सिंचाई जल की सप्लाई सुनिश्चित कराने के साधन हैं।

विवरण

1988-89 के दौरान कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए छोटे और सीमांत किसानों को सहायता की केन्द्रीय प्रायोजित योजना और मिलियन वैल्स स्कीम के अंतर्गत विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम के लिए निर्माण किए जाने वाले उथले नलकूपों/खोदे गए कुएं।

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	छोटे और सीमांत किसानों की सहायता की योजना के अन्तर्गत विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम के लिये उथले नलकूप खोदे गए कुएं	मिलियन वैल्स स्कीम
1	2	3
1. आंध्र प्रदेश	41392	25500
2. अरुणाचल प्रदेश	—	352
3. असम	8148	—
4. बिहार	106576	25000
5. गोआ	—	395
6. गुजरात	2160	12000
7. हरियाणा	13400	—
8. हिमाचल प्रदेश	—	1000
9. जम्मू और कश्मीर	—	1500
10. कर्नाटक	30000	4000
11. केरल	—	—

1	2	3
12. मध्य प्रदेश	30000	31000
13. महाराष्ट्र	26073	23000
14. मणिपुर	—	400
15. मेघालय	—	—
16. मिजोरम	—	—
17. नागालैंड	—	400
18. उड़ीसा	48236	25000
19. पंजाब	—	—
20. राजस्थान	—	20000
21. सिक्किम	—	—
22. तमिलनाडु	13400	5000
23. त्रिपुरा	—	1000
24. उत्तर प्रदेश	212175	20000
25. पश्चिम बंगाल	61274	15000
26. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—
27. चण्डीगढ़	—	39
28. दादरा और नगर हवेली	—	126
29. दिल्ली	—	—
30. दमन और दीव	—	80
31. लक्ष्यद्वीप	—	—
32. पांडिचेरी	—	—
अखिल भारत	592834	210792

भारतीय तट-रेखा पर विदेशी जलयानों का परिचालन

1079. **श्रीमती बसवराजेश्वरी :**

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने भारतीय तट-रेखा पर विदेशी जलयानों के परिचालन के सम्बन्ध में नई नीति की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बन्दरगाहों पर "कन्टेनर टर्मिनल"

1080. **श्रीमती बसवराजेश्वरी :**

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बन्दरगाहों पर "कन्टेनर टर्मिनल" स्थापित करने के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है;

(ख) क्या बन्दरगाहों पर "कन्टेनर टर्मिनल" स्थापित करने की वर्तमान नीति के बारे में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में विभिन्न पत्तनों पर कन्टेनर टर्मिनल विकसित करने के लिए 93.33 करोड़ रुपए तथा न्हावा शेवा पोर्ट के विकास के लिए 402 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान है जिसमें तीन कंटेनर बर्थ और दो बल्क कार्गो बर्थ शामिल है। अलग-अलग परियोजनाओं की लागत में बढ़ोतरी की दृष्टि से उपरोक्त प्रावधानों में संशोधन हो सकता है।

(ख) और (ग) सरकार को पत्तनों पर कंटेनर टर्मिनल लगाने की मौजूदा नीति पर कोई विशिष्ट रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कार्यदल की रिपोर्ट में न्हावा शेवा पोर्ट के नये पत्तन के अलावा कोचीन, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता पत्तन पर कंटेनर टर्मिनल विकसित करने तथा कंटेनर हैंडलिंग सुविधाओं को सुदृढ़ किए जाने की सिफारिश की गई थी।

उड़ीसा में गांवों को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण

1081. **श्री हरिहर सोरन :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में सातवीं योजना अवधि के दौरान अब तक गांवों को जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण के लिए वर्षवार कितनी धनराशि मंजूर की गई है; और

(ख) उड़ीसा में गांवों को जोड़ने वाली बनाई जा रही सड़कों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) ग्रामीण सड़कों का निर्माण कार्य मुख्य रूप से न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एन० एन० पी०) के एक भाग के रूप में किया जाता है, जिसके लिये निधियां राज्य योजनाओं से उपलब्ध कराई जाती हैं। सातवीं

योजना के दौरान अब तक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा में ग्रामीण सड़कों के लिए उपलब्ध कराई गई निधियां नीचे दर्शाई गई हैं :—

	(करोड़ रुपये में)
1985-86	11.37
1986-87	9.50
1987-88	10.50
1988-89	12.00

(ख) इस प्रकार की सूचना इस मन्त्रालय में नहीं रखी जाती है ।

ग्राम पंचायतों के कार्यकरण को पुनः सक्षम बनाना

1082. **श्री राम प्यारे पनिका** :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों और उससे सम्बन्धित संस्थाओं के कार्यकरण को पुनः सक्षम बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इन योजनाओं के कार्यान्वियन को सरल बनाने के लिए उचित विधायी उपाय आरम्भ करने का भी विचार है; और

(घ) यदि हाँ, तो इन विधायी उपायों को कब से आरम्भ किया जायेगा ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी हां । सरकार ग्राम पंचायतों के कार्यकरण को पुनः सक्षम बनाना चाहती है । इस मामले पर दिसम्बर, 1987 से जुलाई, 1988 के दौरान जिलाधिकारियों/जिलाधीशों की प्रतिक्रियाशील प्रशासन पर आयोजित पांच कार्यशालाओं में विचार विमर्श किया गया है । "जिला आयोजना तथा पंचायती राज" कार्यशाला की रिपोर्ट पर 30 जुलाई, 1988 को हुए मुख्य सचिवों के सम्मेलन में भी विचार किया गया था । मुख्य सचिवों के सम्मेलन में दी गई सिफारिशों पर मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन/राष्ट्रीय विकास परिषद में चर्चा किये जाने का प्रस्ताव है ।

(ग) से (घ) इन मामलों पर उपयुक्त मंचों पर विचार-विमर्श हो जाने के पश्चात् तथा उन चर्चाओं से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर ही विचार किया जा सकता है ।

आम के पेड़ लगाना

1083. **श्री राधाकांत डिगाल** :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अधिक क्षेत्र में आम के पेड़ लगाने के लिए कदम उठाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा उड़ीसा में कुल कितने क्षेत्र में आम के पेड़ लगाये गए हैं।

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) आम लगाने के अन्तर्गत क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कई कदम जैसे अच्छी किस्म की पौध सामग्री का उत्पादन और वितरण, कृषि-तकनीक पर प्रदर्शन करना, किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, रियायती कीमत पर आदानों की सप्लाई आदि कदम उठाए गए हैं। चूंकि आम एक ऐसी फसल है जिसके लिए भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है इसलिए उड़ीसा में आम लगाने के अन्तर्गत क्षेत्र के सम्बन्ध में सरकारी अनुमान उपलब्ध नहीं है। बरहाल, 1986-87 में उड़ीसा में आम के अन्तर्गत 89,253 हैक्टेयर क्षेत्र का कच्चा अनुमान लगाया गया है।

उड़ीसा में केन्द्रीय सहायता से सड़क पुलों का निर्माण

1084. **श्री राधा कान्त डिगाल :**

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में केन्द्रीय सहायता से इस समय कौन से प्रमुख सड़क-पुल निर्माणाधीन हैं;

(ख) इन पुलों की अनुमानित निर्माण लागत कितनी है और इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है और अब तक कितनी धनराशि दी गई है; और

(ग) इन पुलों का निर्माण पूरा होने की निर्धारित तिथि क्या है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) अन्तर्राज्यीय और आर्थिक महत्व की स्कीम के तहत उड़ीसा में केन्द्रीय सहायता से निम्नलिखित पुल निर्माणाधीन है :—

	पुल का नाम	अनुमानित लागत	स्वीकृत केन्द्रीय शेयर (लाख रुपए)	समापन की लक्ष्य तिथि
1.	ढेनकेनाल-कामख्यानगर रोड पर ब्राह्मणी नदी पर पुल	652.55	150.00	6/1990
2.	कोरापुट जिले में परलेखामुंडी-गुनपुर-रायगोडा सड़क पर बंसधारा नदी पर पुल	257.31	108.00	6/1989

धनराशियां पूरे राज्य के लिए आबंटित की जाती हैं न कि किसी एक कार्य के लिए। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान उपरोक्त दो कार्यों सहित अंतर्राज्यीय और आर्थिक महत्व की स्कीमों के लिए राज्य सरकार को निम्नलिखित धनराशियां रिलीज की गई :—

1985-86	—	130.00 लाख रु०
1986-87	—	150.00 लाख रु०
1987-88	—	80.00 लाख रु०

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के उत्पादकों का निर्यात

1085. श्री आनन्द पाठक :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य प्रसंकरण उद्योगों का मुख्य लक्ष्य अपने उत्पादों का निर्यात करना तथा और अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करना होगा; और

(ख) यदि हां, तो इनके उत्पादों का कितना प्रतिशत भाग निर्यात किया जायेगा ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

शिक्षा के स्तर में सुधार

1086. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा के स्तर में वांछित सुधार अभी तक कार्यान्वित नहीं हो पाया है;

(ख) यदि हां, तो उसके लिए कौन-से तत्व जिम्मेदार हैं; और

(ग) शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल०पी० शाही) : (क) से (ग) विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए अनेक योजनाएं और कार्यक्रम या तो आरम्भ कर दिए गए हैं या उन्हें आरम्भ करने का प्रस्ताव है। इस प्रकार के कार्यक्रम शैक्षणिक संस्थाओं में अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं के विकास, अध्ययन के पाठ्यक्रमों की पुन: संरचना और पाठ्यचर्या का विकास, अध्यापकों की अर्हताओं और उनके प्रशिक्षण में सुधार, विकासात्मक आवश्यकताओं का अध्ययन करने के लिए पाठ्यक्रमों की प्रासंगिकता का सुधार, पुरानी प्रथाओं का आधुनिकीकरण और उनको समाप्त करने आदि से संबंधित है। इन कार्यक्रमों को शिक्षा के स्तरों पर प्रभाव डालने के लिए कुछ समय लगेगा।

राष्ट्रीय कृषि संचार परियोजना

1087. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कृषि संचार परियोजना को किन-किन राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) परियोजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या अंतर्राष्ट्रीय विकास एसोसियेशन इस परियोजना को सहायता दे रहा है; और

(घ) यदि हां, तो अब तक दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) राष्ट्रीय कृषि संचार परियोजना, राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना के अंतर्गत कार्यरत केन्द्र क्षेत्र की विशेष उप-परियोजना है। इस परियोजना को कृषि मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।

(ख) राष्ट्रीय कृषि संचार परियोजना का उद्देश्य केन्द्र स्तर पर कृषि सूचना सेवा सम्बन्धी कार्यकलापों को मजबूत बनाना, विस्तार से सम्बन्धित प्रशिक्षण और दौरा प्रणाली को सूचना संबंधी सहायता उपलब्ध कराना तथा केन्द्र स्तर पर राज्य कृषि विभागों के संचार माध्यमों को सूचना सामग्री उपलब्ध कराना तथा राज्य सरकारों के सूचना संचारकों को प्रशिक्षण देना है।

(ग) जी, हां।

(घ) 1986-87 के दौरान 6.03 लाख रुपये, 1987-88 के दौरान 8.02 लाख रुपये तथा 1988-89 के दौरान अगस्त, 1988 तक 9.03 लाख रुपये की सहायता दी गई।

गैर-कानूनी रूप से मछली पकड़ना

1088. श्री दौलत सिंह जी जडेजा :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुउद्देश्यीय मछली पकड़ने वाले जलपोतों के संबंध में विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए गठित कार्यकारी दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अभी भी सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं और इस रिपोर्ट के कब तक कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी हां।

(ख) सभी तटवर्ती राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों से रिपोर्ट पर अपने-अपने टिप्पण भेजने के लिए अनुरोध किया गया है। जैसे ही उनके टिप्पण प्राप्त हो जाते हैं वैसे ही रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर निर्णय ले लिया जायेगा।

दिल्ली परिवहन निगम की अन्तर्राज्यीय बस सेवाएं

1089. श्री पी० एम० सईद :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम ने हाल ही में अपनी अन्तर्राज्यीय बस सेवाओं में सुधार लाने लाने के लिए कुछ उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) दिल्ली परिवहन निगम ने गन्तव्य स्थानों के नाम दर्शाते हुए अपनी बस सेवाओं को किन-किन राज्यों के साथ जोड़ा है; और

(घ) क्या अन्तर्राज्यीय बस सेवाएं आर्थिक रूप से लाभप्रद पाई गई हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) अन्तर्राज्यीय रूटों पर समुचित प्रशासनिक नियंत्रण रखे जाने की दृष्टि से अन्तर्राज्यीय प्रचालन को एक महा प्रबन्धक के नियंत्रणाधीन रखा गया है। इसके अलावा, इन्द्र प्रस्थ डिपो, जहां से पहले सभी अन्तर्राज्यीय रूट शुरू हुए थे, वहां भीड़-भाड़ कम करने और लम्बी दूरी के रूटों को नियमितता को कारगर बनाने की दृष्टि से 19-10-88 को बन्दा बहादुर मार्ग पर एक अतिरिक्त अन्तर्राज्यीय डिपो स्थापित किया गया है।

(ग) राज्यवार गन्तव्य स्थान दर्शाने वाली सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) अन्तर्राज्यीय सेवाओं से होने वाली आय से उनकी प्रचालन लागत कवर हो जाती है।

विवरण

4-11-88 की स्थिति के अनुसार दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्राज्यीय रूट

राजस्थान :

1.	दिल्ली	—	अलवर
2.	,,	—	खेतड़ी
3.	,,	—	झुंझनू
4.	,,	—	जयपुर (वाया कोटपुतली)
5.	,,	—	अजमेर
6.	,,	—	शाहपुर
7.	,,	—	कोटपुतली
8.	,,	—	श्री गंगानगर—I (वाया हनुमान गढ़)
9.	,,	—	भरतपुर
10.	,,	—	बालाजी
11.	,,	—	महावीर जी
12.	,,	—	श्री गंगा नगर—II (वाया मालोटी)
13.	,,	—	जयपुर (वाया अलवर)

मध्य प्रदेश

1.	दिल्ली	—	ग्वालियर

जम्मू एवं कश्मीर

1.	दिल्ली	—	जम्मू

पंजाब

1.	दिल्ली	—	बंगा
2.	,,	—	बेला
3.	,,	—	चंडीगढ़
4.	,,	—	तमवारा
5.	,,	—	कपूरथला
6.	,,	—	लुधियाना
7.	,,	—	माछीवारा
8.	,,	—	भटिंडा
9.	,,	—	पटियाला
10.	,,	—	धूरी
11.	,,	—	होशियारपुर
12.	,,	—	अमृतसर
13.	,,	—	पठानकोट

हिमाचल प्रदेश

1.	दिल्ली	—	मंडी
2.	,,	—	कालका/शिमला
3.	,,	—	चिंतपूरनी (देवी दर्शन)
4.	,,	—	बैजनाथ
5.	,,	—	धर्मशाला
6.	,,	—	चम्बा पठानकोट
7.	,,	—	हमीरपुर

हरियाणा

1.	दिल्ली	—	रेवाड़ी
2.	,,	—	जींद
3.	,,	—	यमुना नगर
4.	,,	—	कुरुक्षेत्र/पाउहा
5.	,,	—	होडल

6.	दिल्ली	—	फरीदाबाद
7.	,,	—	बल्लभगढ़
8.	,,	—	पानीपत
9.	,,	—	प्राटला गांव
10.	केन्द्रीय टर्मिनल	—	फरीदाबाद
11.	शिवाजी स्टेडियम अजमेरी गेट	—	सोहना/गुडगांव
12.	केन्द्रीय टर्मिनल	—	बहादुरगढ़
13.	,,	—	बादली
14.	लाजपत नगर	—	फरीदाबाद
15.	ए आई आई एम एस	—	फरीदाबाद
16.	फरीदाबाद	—	गुड़गांव
17.	दिल्ली	—	अनंगपुर
18.	,,	—	दशहरा ग्राउन्ड (फरीदाबाद)
19.	,,	—	अनंगपुर

उत्तर प्रदेश

1.	दिल्ली	—	वृन्दावन
2.	,,	—	आगरा (वाया मथुरा
3.	,,	—	गोवर्द्धन
4.	,,	—	मथुरा
5.	,,	—	मुरादाबाद
6.	,,	—	बरेली
7.	,,	—	मेरठ
8.	,,	—	हरिद्वार
9.	,,	—	बुलन्द शहर
10.	,,	—	खुर्जा
11.	,,	—	देहरादून
12.	,,	—	अलीगढ़

13.	दिल्ली	—	नैनीताल
14.	„	—	अलमोड़ा
15.	„	—	मसूरी
16.	„	—	ऋषिकेश
17.	„	—	सहारनपुर
18.	„	—	फरूखाबाद-I
19.	„	—	कानपुर
20.	„	—	रामनगर
21.	„	—	रायबरेली
22.	„	—	कास गंज
23.	„	—	बदायूं
24.	„	—	एटा
25.	„	—	मैनपुरी
26.	„	—	नजीबाबाद
27.	„	—	टनकपुर
28.	„	—	कोटद्वार
29.	„	—	लखनऊ
30.	„	—	गाजियाबाद
31.	„	—	किसनपुर बराल
32.	„	—	रातौल
33.	„	—	असालतपुर
34.	„	—	साहिबाबाद
35.	„	—	दुजिना
36.	„	—	गाजियाबाद
37.	शिवाजी स्टेडियम	—	ए० एस०टी०सी०
38.	दिल्ली	—	फरूखाबाद-II
39.	„	—	सिकन्दराबाद
40.	„	—	आगरा वाया हाथरस

41.	केन्द्रीय टर्मिनल	—	रामनगर-साहिबाबाद
42.	,,	—	हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड (गाजियाबाद)
43.	,,	—	दादरी (यू० पी०)
44.	प्रगति मैदान	—	विजय नगर (गाजियाबाद)
45.	दिल्ली	—	हल्द्वानी वाया (पंतनगर)
46.	,,	—	शिकोहाबाद

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और अन्तर्राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी द्वारा संयुक्त अनुसंधान परियोजना

1090. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई०सी०ए०आर०) और अंतर्राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी संयुक्त एजेन्सी (यू० एस० ए० आई० डी०) ने आनुवंशिक स्रोतों के बारे में एक संयुक्त परियोजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की लागत कितनी है और यह परियोजना कब तक आरम्भ की जायेगी;

(ग) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कृषि विश्वविद्यालयों में ऐसी परियोजनाएं आरम्भ करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस हेतु चुने गये कृषि विश्वविद्यालयों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री): (क) जी, हां।

(ख) इस प्रायोजना पर इक्कीस मिलियन छः सौ साठ हजार अमरीकी डालर (21,660,000 अमरीकी डालर) की लागत आयेगी। इस प्रायोजना पर 1989 से काम शुरू होने की संभावना है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

मैसर्स पारादीप फास्फेट लिमिटेड के कार्यालय को नई दिल्ली से स्थानान्तरित करना

1091. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से मैसर्स पारादीप फास्फेट लिमिटेड के निगमित कार्यालय को नई दिल्ली से भुवनेश्वर स्थानान्तरित करने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या उर्वरक विभाग ने इस प्रस्ताव की जांच कर ली है; और

(ग) यदि हां, तो कम्पनी का निगमित कार्यालय कब तक भुवनेश्वर स्थानान्तरित हो जाएगा ?

कृषि मन्त्रालय में उर्वरक विभागों में राज्य मन्त्री (श्री आर० प्रभु) : (क) से (ग) जी, हां। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद यह निर्णय किया गया है कि मैसर्स पारादीप फास्फेट लि०के निगमित कार्यालय को फिलहाल भुवनेश्वर में स्थानांतरित न किया जाये।

उर्दू को बढ़ावा देने सम्बन्धी ब्यूरो

1092. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान उर्दू को बढ़ावा देने के लिए ब्यूरो ने कितनी धनराशि व्यय की है और वर्ष 1988-89 के लिये बजट में इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है तथा व्यय के मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत नियत की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) 1 अप्रैल, 1988 की स्थिति के अनुसार ग्रेड-वार और कार्य के अनुसार कितने पद मंजूर किये गये हैं;

(ग) 1 अप्रैल, 1988 और 1 अक्तूबर, 1988 की स्थिति के अनुसार ऐसे कितने पद रिक्त थे; और

(घ) वर्ष 1987-88 के दौरान ब्यूरो के प्रमुख कार्य और वर्ष 1988-89 के लिए उनकी मुख्य योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल०पी० शाही) : (क) व्यय की मुख्य मदों के अन्तर्गत विस्तृत ब्यौरे संलग्न विवरण-I में देखे जा सकते हैं।

(ख) 1 अप्रैल, 1988 तक की यथा स्थिति के अनुसार 73 पद संस्वीकृत किये गये थे। ग्रेड़ों तथा कार्य-वर्णन के ब्यौरे संलग्न विवरण-2 में देखे जा सकते हैं।

(ग) 1-4-1988 की यथा स्थिति के अनुसार 18 पद रिक्त थे तथा 1-10-1988 को 20 पद रिक्त थे।

(घ) वर्ष 1987-88 के दौरान तरक्की-ए-उर्दू ब्यूरो के प्रमुख कार्य तथा वर्ष 1988-89 के लिये प्रमुख योजनाओं के विवरण नीचे दिये गये हैं :

वर्ष 1987-88

— तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड स्थायी समिति और विषय पैनलों की बैठकें आयोजित की गई थी।

— 42 पुस्तकें प्रकाशित की गई थीं।

— चार पुस्तक प्रदर्शनियां आयोजित की गई थीं।

— लगभग 3.50 लाख रु० की लागत की बेची गई थीं।

- सभी राज्य उर्दू अकादमियों की समन्वय समिति की बैठकें हुई थीं।
- दक्खनी के अध्यापन की समस्याओं पर एक सेमिनार तथा उर्दू के माध्यम से वैज्ञानिक ज्ञान के प्रसार पर एक और सेमिनार आयोजित किया गया था।
- शब्दावली समितियों की चार बैठकें हुई थीं।
- तीन सुलेखन प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये गये थे।
- उर्दू विश्वकोष के कार्य की समीक्षा आरम्भ की गई थी।
- उर्दू टेलीप्रिंटर को देश में तैयार करने के लिये तथा स्तालिक स्वरूप वाले संगणक के क्रय के लिये कार्यवाही आरम्भ की गई।
- तरक्की-ए-उर्दू ब्यूरो का शाखा कार्यालय माह फरवरी, 1988 में स्थापित किया गया था।

वर्ष 1988-89

- तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड तथा स्थायी समिति की बैठकें आयोजित की गई।
- सभी राज्य उर्दू अकादमियों की समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई थी।
- चार पुस्तक प्रदर्शनियां आयोजित की गई थीं।
- दो सुलेखन प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर दिये गये हैं।
- 22 पुस्तकें प्रकाशित की गई थीं।
- तीन शब्दावली समिति की बैठकें आयोजित की गयीं।
- समीक्षा समिति की रिपोर्ट मंत्री जी को प्रस्तुत की गई थी।
- एक विशेषज्ञ समिति ने उर्दू टेलीप्रिंटर और उर्दू संगणक की खरीद के सम्बन्ध में प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया।
- अनुसंधान पत्रिका (तहकीक) के प्रथम अंक को चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रकाशित करने के लिये तकनीकी शब्दावली के लिये 3 शब्द संग्रहों के साथ मुद्रण कार्य भी आरम्भ कर दिया गया है।

विवरण-I

तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड द्वारा पिछले तीन वर्षों में वहन किया गया व्यय और वर्ष 1988-89 के लिए बजट राशि

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग की अनुदानों के लिए मांगों की पुस्तकों पर आधारित

क्रम संख्या	वर्ष	कुल व्यय	वेतन	मदवार परिव्यय यात्रा व्यय	मदवार परिव्यय कार्यालय व्यय	प्रकाशन	अन्य प्रचार	स्वैच्छिक संगठनों की सहायता
1.	1985-86	45.07	9.69	0.99	1.40	17.74	15.25	—
2.	1986-87	46.10	11.62	1.59	1.76	15.26	15.87	—
3.	1987-88	50.02	13.70	1.98	2.00	6.45	23.69	2.19
	कुल	141.19	35.01	4.56	5.16	39.45	54.81	2.19
	(बजट प्राक्कलन)				(मद-वार बजट प्राक्कलन)			
4.	1988-89	81.60	18.40	2.00	2.00	16.70	37.50	5.00

विवरण-2

तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड के संस्वीकृत पद, ग्रेडवार और कार्य विवरण-वार

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	कार्य का विवरण
1	2	3	4	5
1.	निदेशक	1	4500-150-5700 रु०	1. सभी प्रशासनिक, वित्तीय और शैक्षिक मामलों का पर्यवेक्षण। 2. विभागाध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग।
2.	प्रधान प्रकाशन अधिकारी	1	3700-125-4500-150-5000 रु०	1. उसे प्रदत्त प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का वहन। 2. पुस्तकों के प्रकाशन के कार्यक्रम शुरू करना और उनका पर्यवेक्षण करना। 3. निचले स्तर पर हुए कार्य का समन्वय।
3.	सहायक निदेशक	4	2200-75-2800-द० रो०-100-4000 रु०	1. वैज्ञानिक साहित्य को तैयार करना और प्रकाशित करना।

1	2	3	4	5
				2. विषय-पैनल बैठकों का आयोजन और इनके निर्णयों का कार्यान्वयन।
				3. पुस्तकों का प्रकाशन, पाण्डुलिपियों का सम्पादन, प्रदर्शनियों का आयोजन और तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड के प्रकाशनों की बिक्री।
				4. तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड की विभिन्न परियोजनाओं जैसे उर्दू विश्व-कोष, उर्दू अंग्रेजी शब्दकोष, उर्दू-उर्दू छात्र शब्द कोष सुलेखन प्रशिक्षण केन्द्र, उर्दू टाइपिंग और आशुलिपि केन्द्र, विभिन्न संगठनों को सहायक अनुदान आदि।
4.	सहायक सम्पादक	1	2200-75-2800-द०रो०-100-4000 रुपये	1. उर्दू में तिमाही अनुसंधान पत्रिका की तैयारी तथा मुद्रण के कार्य की देखभाल करना।
5.	अनुसंधान अधिकारी	3	2000-60-2300-द०रो०-75-3200 रुपये	1. विषय पैनलों का कार्य करना, पारिभाषिक शब्दावली समिति की बैठकों का आयोजन करना और टी० यू० बी० तथा पैनल समिति की बैठकों के निर्णयों आदि का कार्यान्वयन करना।
6.	अनुसंधान अधिकारी (प्रोडक्शन)	1	—वही—	पाण्डुलिपि को प्रेस योग्य बनाने, कैलिग्राफी तथा प्रूफ संशोधन के प्रति जिम्मेदार होने के साथ-साथ

1	2	3	4	5
				बी० पी० यू० के निर्माण कार्यक्रम की योजना बनाना।
7.	अनुसंधान सहायक (प्रोडक्शन)	1	1640-60-2600-द०रो०-75-2900 रुपये	निर्माण कार्यक्रम की योजना बनाने तथा कार्यान्वित करने में अनुसंधान अधिकारी (प्रोडक्शन) की सहायता करना।
8.	अनुसंधान सहायक पुस्तकालय विभाग	1	—वही—	पुस्तकों, पत्रिकाओं, जर्नलों आदि की खरीदारी सहित रखें रखाव करना।
9.	अनुसंधान सहायक	9	1640-60-2600-द०रो०-75-2900 रुपये	जिस अधिकारी से संबंद्ध हो, उसकी विभिन्न स्तरों पर बी०पी०यू० के प्रकाशन कार्यक्रम के कार्यान्वयन करने में सहायता करना। इसमें विषय पैनल की बैठकों का आयोजन करना, इसके निर्णयों का कार्यान्वियन करना, पाण्डुलिपि की जांच तथा सम्पादन करना, पारिभाषिक शब्दावली समिति की बैठकों का आयोजन करना और तकनीकी शब्दों की शब्दावली की तैयारी करना शामिल है।
10.	कलाकार (आर्टिस्ट)	1	—वही—	1. पुस्तक निर्माण कार्यक्रम जैसे कि शीर्षक डिजाइन, स्केचों, चार्टों, चित्रों आदि तैयार करने सहित कलात्मक कार्य करना।
11.	सहायक शिक्षा अधिकारी (पत्राचार)	2	2000-60-2300-द०रो०-75-3200 रुपये	1. पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से उर्दू सीखने के लिए छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अपनाये

1	2	3	4	5
				जाने वाले प्रणाली-विज्ञान से सम्बन्धित अनुसंधान कार्य। 2. 1 और 4 1 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यक्रमों के अनुसार सामग्री तथा पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए समय सारणी तैयार करना। 3. छात्रों के लिए पाठ तैयार करना और छात्रों के लिये श्रव्य/दृश्य कैसेट तैयार करने का कार्य। 4. पत्राचार पाठ्यक्रम के कार्यक्रम के अन्तर्गत समीक्षकों के कार्य का पर्यवेक्षण करना और योजना के ए०डी० प्रभारी की सहायता करना। 5. उत्तर पुस्तिकाओं तथा रिस्पोंस शीट का मूल्यांकन कक्ष, परीक्षाओं का संचालन आदि।
12.	जूनियर प्रशासक व लेखा अधिकारी	1	2000-60-2300-द०रो०-75-3200 रुपये	प्रशासकीय तथा लेखा मामले।
13.	मूल्यांकन कर्ता	2	1640-60-2600-द०रो०-75-2900 रुपये	छात्रों के लिये पाठ तैयार करने सम्पादन की जांच करना और शिक्षकीय पाठ का समन्वय करना, सहायक साहित्य तैयार करना इत्यादि।
14.	अधीक्षक	1	1650-2300-द०रो०-60-2660 रुपये	प्रशासन से सम्बन्धित कार्य करने वाले अनुभाग का कार्य, सेवा एवं आपूर्ति और अनुभागों के अन्य शाखाओं का निरीक्षण करना।

1	2	3	4	5
15.	तकनीकी सहायक	2	1400-40-1800-द०रो०-50-2300 रुपये	पांडुलिपियों के मूल्यांकन एवं पांडुलिपियों की जांच के सम्बन्ध में बी०पी०यू० के अधिकारियों को सहायता देना।
16.	तकनीकी सहायक (बिक्री)	1	—वही—	आदेशों की छानबीन बिल तैयार करना, भेजना आदि।
17.	हिन्दी अनुवादक	1	—वही—	हिन्दी एवं अंग्रेजी में पत्राचार का अनुवाद।
18.	स्टेनोग्राफर (सीनियर)	1	—वही—	मामलों को निपटाने के लिए श्रुतलेख लेकर अधिकारियों की सहायता करना।
19.	वैयक्तिक सहायक	1	—वही—	—वही—
20.	स्टेनोग्राफर (उर्दू) सीनियर	1	—वही—	—वही—
21.	स्टेनोग्राफर (जूनियर)	1	1200-30-1560-द०रो०-40-2040 रुपये	मामलों को निपटाने के लिए श्रुतलेख लेकर अधिकारियों की सहायता करना।
22.	प्रोडक्शन सहायक	1	1400-40-1800-द०रो०-50-2300 रु०	सुलेखन, प्रूफ रीडिंग सुलेख के लेखे रखने के संबंध में आर०ओ० प्रोडक्शन सहायक को सहायता देना।
23.	यू०डी०सी०	4	1200-30-1560-द०रो०-40-2040 रु०	विषय के संबंध में नियमों एवं आदेशों के संदर्भ में पावतियों/मामलों की जांच और प्रारूप प्रस्तुत करना। जहां की गई कार्रवाई स्पष्ट नहीं है,

1	2	3	4	5
				विचाराधीन विषय को स्पष्ट करना, नियम और नियमावली के संदर्भ में कार्रवाई की रूपरेखा का सुझाव देना।
24.	यू०डी०सी० एवं स्टोर क्लर्क	1	1200-30-1560-द०रो०-40-2040 रु०	स्टोर की पुस्तकें एवं अन्य मुद्रण सामग्री इत्यादि का रखरखाव।
25.	लेखा क्लर्क	1	1200-30-1560-द०रो०-40-2040 रु०	लेखों से सम्बन्धित मामलों को निपटाना।
26.	प्रूफ रीडर	2	—वही—	अनु०अधि०निर्माता (प्रोडक्शन) द्वारा उन्हें सौंपे गये पांडुलिपियों के सुलेखन का प्रूफ रीडिंग।
27.	अवर श्रेणा लिपिक	7	950-20-1150-द०रो० 25-1500 रु०	डाक का रजिस्ट्रेशन, सैक्शन डायरी का रख-रखाव, फाईल रजिस्टर, फाईल मूवमैंट रजिस्टर इन्डैक्सिंग एण्ड रिकार्डिंग, टाईपिंग डिस्पैच, बकाया कार्यों तथा अन्य विवरण तैयार करना।
28.	उर्दू टाईपिस्ट	2	950-20-1150-द०रो० 25-1500 रु०	टंकण कार्य।
29.	क्लर्क-एवं-उर्दू टाईपिस्ट	1	950-20-1150-द०रो० 25-1500 रु०	उर्दू पत्रों तथा अन्य सामग्री टाईप करना।
30.	हिन्दी टाईपिस्ट	1	950-20-1150-द०रो० 25-1500	हिन्दी टाईपिंग का कार्य करना।

1	2	3	4	5
31.	स्टाफ कार ड्राईवर	1	950-20-1150-द०रो०-25-1400 रु०	स्टाफ कार चलाना।
32.	दफ्तरी	1	775-12-955-द०रो० 14-1025	फाईलें सीना तथा पुरानी फाईलें आदि का रिकार्ड रखना।
33.	पैकर	2	750-12-870-द०रो० 14-940 रु०	पुस्तक विक्रेताओं/एजेंसियों को भेजने के लिए पुस्तकों के बंडल के पैकेट तैयार करना। देश में विभिन्न एजेंसियों को रेल अथवा अन्य यातायात बी०पी०यू० के प्रकाशनों के लिए बोरी के बैग तैयार करना।
34.	चपरासी	7	750-12-870-द०रो० 14-940	विभिन्न अनुभागों/एककों/अधिकारियों को डाक तथा फाईलें आदि वितरित करना। डाक तथा फाइलें आदि बांटना।
35.	चौकीदार	3	750-12-870-द०रो० 14-940	कार्यालय भवन की निगरानी करना।
36.	सफाई वाला	1	750-12-870-द०रो० 14-940	कार्यालय भवन की सफाई करना।
37.	तकनीकी सचिव	1	1640-60-2600-द०रो० 75-2900	पद को आस्थगित रखा गया है। इस पद को दूसरे पद में परिवर्तन करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।
		कुल	73	

कृषि उत्पाद के मूल्यों में गिरावट को रोकने के लिए समिति का गठन

1093. **श्री ओ० एस० बासवराजू :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कृषि उत्पादों के मूल्यों में असाधारण गिरावट को रोकने तथा खरीफ की भारी फसल होने के कारण इसके निर्यात की सम्भावनाओं को पता लगाने के लिए दस सदस्यीय समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो समिति के मुख्य कार्य क्या हैं; और

(ग) इस समिति के गठन से कृषि उत्पाद के मूल्यों पर नियंत्रण रखने तथा अधिक खरीफ फसल का निर्यात करने में कितनी सहायता मिलेगी ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) समिति समय-समय पर :—

(i) फसल सम्भावनाओं को तथा उपलब्ध मृदा आर्द्रता, सिंचाई, भंडारण तथा भूजल संसाधन, उर्वरक तथा अन्य महत्वपूर्ण आदानों का उचिततम उपयोग करके उत्पादन को अधिकतम करने के लिए कार्यक्रमों/योजनाओं को शुरू करने तथा इसके लिये किये जाने वाले उपायों को;

(ii) कटाई पश्चात् के मौसमों में कृषि उत्पाद की कीमतों में किसी अनावश्यक गिरावट को रोकने के लिए आवश्यक उपायों को;

(iii) किसानों की उपज के लिए पर्याप्त कीमत सुनिश्चित करने के लिए बाजार समर्थन क्रियाओं के प्रबोधन को;

(iv) फार्म उत्पादों का मूल्य बढ़ाने के लिए उपायों को; तथा

(v) कृषि निर्यात संवर्धन के उपायों की पुनरीक्षा करेगी।

मत्स्यन में भारत-सोवियत सहयोग

1094. **श्री एस० बी० सिदनाल :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत सरकार भारत के साथ मत्स्यन जैसे नये क्षेत्र में सहयोग करने हेतु सहमत हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या एक उच्च स्तरीय दल ने सितम्बर, 1988 में सोवियत संघ की यात्रा की थी;

(ग) किन-किन मुख्य बातों पर विचार किया गया और क्या इस बारे में कोई अन्तिम रूप से समझौता हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) सोवियत सरकार ने मत्स्यन के क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग करने हेतु रुचि दिखाई है।

(ख) से (घ) सितम्बर, 1988 में भारत के प्रतिनिधिमंडल के दौरे के समय सोवियत संघ के साथ एक नयाचार पर हस्ताक्षर किये गये थे, जिसमें मत्स्यन को भी सहयोग के लिए प्रस्तावित नये क्षेत्रों में शामिल किया गया है।

भुवनेश्वर में टिन धातु परियोजना की स्थापना

1095. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :**

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक टिन धातु परियोजना स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) क्या पुरातत्व विभाग की आपत्तियों के कारण, वहां परियोजना को स्थापित नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या उड़ीसा सरकार ने इस परियोजना को भुवनेश्वर के स्थान पर कटक जिले के चौदवार में स्थापित करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) उड़ीसा में पुरी जिले की तहसील भुवनेश्वर में 200 टन टिन धातु के वार्षिक उत्पादन के लिए उड़ीसा के मैसर्स इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन (इपीकोल) को आशयपत्र जारी किया गया था।

(ख) से (घ) मैसर्स इपीकोल ने अपने प्रोजेक्ट को भुवनेश्वर तहसील (जिला पुरी) से चौद्वार तहसील (जिला कटक) में स्थानांतरित करने का आवेदन किया, क्योंकि राज्य प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण बोर्ड ने पुरातत्व महत्व के स्मारकों के नगर भुवनेश्वर के निकट इस प्रोजेक्ट को चलाने के प्रति आपत्ति की थी। स्थान परिवर्तन की अनुमति फरवरी, 1988 में दी जा चुकी है।

उर्वरक के उपभोक्ता मूल्य निर्धारण

1096. **श्री एस० बी० सिदनाल :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने उर्वरक के उपभोक्ता मूल्य निर्धारित किये जाने की सिफारिश की जिससे संयंत्र पोषकों के इस्तेमाल में प्रति वर्ष दस प्रतिशत की विकास दर प्राप्त की जा सकेगी;

(ख) क्या समिति ने उर्वरक के लिए राजसहायता बन्द किये जाने का भी विरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राजसहायता के बारे में समिति ने यह महसूस किया है कि भारतीय कृषि की संरचनात्मक पद्धति में उर्वरक के लिए राजसहायता बन्द करने अथवा उर्वरक के लिए राजसहायता में वास्तविक रूप से कमी करने से इसका कृषि उत्पादन पर गम्भीर प्रभाव पड़ेगा।

भारत और बंगलादेश के बीच नदी जल विवाद

1097. **श्री जी० एस० बासवराजू :**

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश ने भारत और बंगलादेश के बीच नदी जल विवाद को संयुक्त राष्ट्र आम सभा में उठाकर इसे अन्तर्राष्ट्रीय रूप देने की कोशिश की है;

(ख) यदि हां, तो बंगलदेश द्वारा संयुक्त राष्ट्र में कौन-कौन सी प्रमुख आपत्तियां उठाई गईं; और

(ग) इन पर भारत की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवरसिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) बंगलादेश में प्राकृतिक आपदाओं संबंधी समस्याओं के अल्प कालिक, मध्य कालिक और दीर्घ कालिक समाधान से संबंधित जिस प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विचार किया गया था उसमें निहित उन तत्वों को लागू करने का अनुरोध किया गया था जो भारत और बंगलादेश के बीच द्विपक्षीय बातचीत के अधीन आने वाले मामलों से संबंधित हैं। हमने यह स्पष्ट कर दिया था कि हमें यह स्वीकार्य नहीं है। भारत की चिन्ता को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव में संशोधन किया गया था।

छोटे और सीमान्त किसानों को उथले और खुदे कुंओं का वितरण

1098. **श्री अशोक शंकरराव चव्हाण :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत छोटे और सीमान्त किसानों को उथले और खुदे कुंओं के वितरण के लिए एक कार्य योजना को अन्तिम रूप दिया है; और

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र राज्य के लिये ऐसे कितने नलकूपों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और वे कब तक स्थापित किये जायेंगे ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) जी, हां। महाराष्ट्र सरकार को विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम के लिए छोटे तथा

सीमान्त किसानों की जोतों पर 1988-89 के दौरान 26073 उथले ट्यूबवेलों/खुदे कुंओं के निर्माण किये जाने की स्वीकृति दी गई है।

खाद्य संसाधन एककों को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को दिए गए सुझाव

1099. श्री वी० तुलसीराम :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को राज्यों में खाद्य संसाधन एककों को बढ़ावा देने के लिए चुंगी की दरें और खाद्य एककों में बिक्री कर कम किये जाने सहित अनेक उपाय करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इसके फलस्वरूप होने वाले राजस्व के घाटे को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों को क्या वित्तीय सहायता दिये जाने का विचार है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री [illegible]) : (क) से (ग) राज्य सरकारों से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास से संबंधित गतिविधियों का समन्वय करने तथा कार्य योजना तैयार करने के लिए नोडल एजेंसियां गठित करने के लिए अनुरोध किया गया है। आशा है कि राज्य सरकारें खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का विकास करने के लिए किये वित्तीय उपायों सहित आवश्यक उपाय करेंगी। राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि उनके राज्यों में ऐसी एजेन्सियां या तो गठित कर ली गई हैं। या उनका गठन किया जा रहा है। इसके बाद पारस्परिक कार्रवाई निकट भविष्य में की जाएगी।

बहरीन में उर्वरक संयंत्र की स्थापना

1100. श्री [illegible] :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स [illegible], इटली ने बहरीन में एक उर्वरक संयंत्र की स्थापना करने के लिए भारतीय उर्वरक कम्पनियों के साथ सहयोग करने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० प्रभु) : (क) और (ख) जी, हां। मैसर्स स्नैम प्रोगेटी ने भारत की एक सरकारी क्षेत्र की कम्पनी के सहयोग से बेहरीन तथा कुछ अन्य खाड़ी देशों में 309 मिलियन अमेरिकी डालर की अनुमानित लागत पर एक गैस पर आधारित नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक परियोजना स्थापित करने के लिए दिसम्बर, 1986 में एक पूर्व-सम्भाव्यता अध्ययन भेजा था। स्नैम प्रोगेटी से अनुरोध किया गया है कि वे एक विस्तृत सम्भाव्यता रिपोर्ट भेजें जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है।

बड़ी नदियों की नौगम्यता

1101. श्री सैयद शाहबुद्दीन :

श्री शांति धारीवाल :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय गंगा और ब्रह्मपुत्र सहित बड़ी नदियों के कौन-कौन से क्षेत्र नौगम्यता योग्य हैं;

(ख) इन क्षेत्रों में इस समय उपलब्ध अन्तर्देशीय जल परिवहन सेवा का ब्योरा क्या है;

(ग) किन-किन अतिरिक्त क्षेत्रों को नौगम्यता योग्य बनाने की प्रक्रिया चल रही है, इन परियोजनाओं को पूरा करने की निर्धारित तारीख क्या है; और

(घ) ऐसी परियोजनाओं हेतु 1988-89 के लिए कितना प्रावधान है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) गंगा और ब्रह्मपुत्र को छोड़कर सभी बड़ी नदियों पर विस्तृत सर्वेक्षण पूरा नहीं हुआ है। गंगा नदी पर सर्वेक्षण से पता चलता है कि हल्दिया और पटना के बीच अबाध नौचालन संभव है और पटना तथा इलाहाबाद के बीच नियमित नदी सेवा चलाने के लिए एक पायलट परियोजना अध्ययन का कार्य चल रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी धुब्री और सैदिया के बीच नौगम्य है।

केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लि०, कलकत्ता हल्दिया/कलकत्ता और पटना के बीच गंगा नदी पर और कलकत्ता और पांडु (गुवाहाटी)/करीमगंज के बीच ब्रह्मपुत्र नदी पर तथा सुदरबंस के रास्ते कुशियारा तक कार्गो सेवा प्रचालित कर रहा है। असम राज्य का अंतर्देशीय जल परिवहन विभाग भी ब्रह्मपुत्र की अपस्ट्रीम के कुछ खण्डों में कार्गो सेवाएं चलाता है।

(ग) और (घ) नौगम्य खण्डों का पता लगाने के लिये भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान गोदावरी और कृष्णा नदियों पर विस्तृत जलीय सर्वेक्षण करने की योजना है। भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने सूचित किया है कि वर्ष 1988-89 के दौरान इस प्रयोजन के लिए सर्वेक्षण पर वे 40.00 लाख रुपये खर्च करेंगे।

नेहरू युवा केन्द्र

1102. श्री सैयद शाहबुद्दीन :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार नेहरू युवा केन्द्रों तथा उप-केन्द्रों की संख्या कितनी है तथा बिहार में ये किन स्थानों पर स्थित हैं;

(ख) वर्ष 1988-89 के बजट में इस संस्था के लिये कुल कितनी धनराशि रखी गई है तथा वर्ष 1987-88 में कुल कितनी अनुदान-सहायता दी गई एवं वस्तुत: कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) वर्ष 1987-88 के वास्तविक व्यय का ब्योरा क्या है तथा वर्ष 1988-89 के चालू वर्ष में प्रमुख शीर्षों में कितनी धनराशि रखी गई है;

(घ) वर्ष 1988-89 के लिए शासी-निकाय द्वारा क्या कार्यक्रम स्वीकृत किया गया है; और

(ङ) शासी निकाय के सदस्यों की संख्या कितनी है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) से (ङ) नेहरू युवा केन्द्र संगठन जो हाल ही में सरकार द्वारा स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापित किया गया है, ने वर्ष 1987-88 के दौरान चरणों में सभी विद्यमान नेहरू युवा केन्द्रों को ले लिया था। कई नये नेहरू युवा केन्द्र भी अब संगठन द्वारा शुरू किए गये हैं और इस समय कार्य कर रहे केन्द्रों की कुल संख्या 334 है। इन केन्द्रों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-1 में है। बिहार जिलों के नाम जहां नेहरू युवा केन्द्र कार्य कर रहे हैं, संलग्न विवरण-2 में हैं। योजना की उक्त केन्द्रों की स्थापना करने की परिकल्पना नहीं है।

2. वर्ष 1988-89 के दौरान, नेहरू युवा केन्द्रों के सामान्य कार्यक्रमों और स्थापना खर्चों के लिए 8.10 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। वर्ष 1987-88 के दौरान, नेहरू युवा केन्द्र संगठन को स्थानान्तरित किये गये नेहरू युवा केन्द्रों के सामान्य कार्यक्रमों और स्थापना पर खर्च के लिए लगभग 3.50 करोड़ रुपये का सहायक अनुदान दिया गया था।

3. वर्ष 1988-89 के दौरान, नेहरू युवा केन्द्रों द्वारा किए जा रहे कार्यक्रमों में अन्य बातों के साथ-साथ युवा नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम, खेलकूद, सांस्कृतिक तथा मनोरंजक कार्यकलाप, कार्य शिविर और व्यावसायिक प्रशिक्षण शामिल हैं।

4. नेहरू युवा केन्द्र संगठन के शासी बोर्ड का गठन निम्नलिखित है :

(i)	युवा कार्यक्रम के प्रभारी राज्य मंत्री	अध्यक्ष (पदेन)
(ii)	सरकार द्वारा नामित लोक सभा से	
(iii)	दो संसद सदस्य	सदस्य
(iv)	सरकार द्वारा नामित राज्य सभा से एक संसद सदस्य	सदस्य
(v)	सरकार द्वारा नामित संस्कृति के क्षेत्र में एक विख्यात व्यक्ति	सदस्य
(vi)	नेहरू युवा केन्द्र संगठन का महानिदेशक	सदस्य-सचिव (पदेन)

विवरण-I

नेहरू युवा केन्द्रों के राज्यवार ब्योरे

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	इस समय चल रहे नेहरू युवा केन्द्रों की संख्या
1		3
1.	आन्ध्र प्रदेश	20
2.	असम	9
3.	बिहार	33
4.	गुजरात	8
5.	हरियाणा	12
6.	हिमाचल प्रदेश	12
7.	जम्मू और काश्मीर	1
8.	कर्नाटक	13
9.	केरल	9
10.	मध्य प्रदेश	30
11.	महाराष्ट्र	11
12.	मणिपुर	6
13.	मेघालय	3
14.	नागालैंड	5
15.	उड़ीसा	12
16.	पंजाब	12
17.	राजस्थान	27
18.	सिक्किम	1
19.	तमिलनाडु	16
20.	त्रिपुरा	3
21.	उत्तर प्रदेश	56

1	2	3
22.	पश्चिम बंगाल	17
23.	अरुणाचल प्रदेश	3
24.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2
25.	चंडीगढ़	1
26.	दिल्ली	3
27.	गोवा	1
28.	दमन और दीव	2
29.	लक्षद्वीप	1
30.	पाण्डिचेरी	2
3 .	मिजोरम	2
32.	दादर और नागर हवेली	1
	कुल :	334

विवरण-2

बिहार के जिलों की सूची जहां नेहरू युवा केन्द्र कार्य कर रहे हैं:

1. पश्चिमी चम्पारन (बेतिया)
2. भागलपुर
3. भोजपुर (आरा)
4. सरन (छपरा)
5. दरभंगा
6. धनबाद
7. कटिहार
8. रांची
9. मुंगेर
10. मुजफ्फरपुर
11. पूर्वी चम्पारन (मोतीहारी)
12. बिहार शरीफ (नालन्दा)
13. प्लामऊ (डेल्टनगंज)
14. गया
15. पटना
16. पुर्णिया
17. रोहताश (सासाराम)
18. सहरसा

19. समस्तीपुर
20. गिरीडीह
21. गोपालगंज
22. बेगूसराय
23. वैशाली (हाजीपुर)
24. साहिबगंज
25. गोड्डा
26. मधुबनी
27. संथाल परगनाथ (डुमका)
28. सिंहभूम (छैबासा)
29. सीवान
30. हजारीबाग
31. औरंगाबाद
32. गुमला
33. नवाडा

जल संरक्षण की दृष्टि से कृषि के लिए वर्षा के पानी के भण्डारण हेतु वित्तीय सहायता

1103. **श्री के० एन० प्रधान :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महत्वपूर्ण क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान देने की दृष्टि से पेय जल संबंधी प्रौद्योगिकीय मिशन के अन्तर्गत मिनी मिशन जिलों के लिए परियोजनाओं हेतु शत-प्रतिशत सहायता केन्द्रीय सरकार प्रदान करेगी;

(ख) क्या जल संरक्षण की दृष्टि से कृषि के लिए वर्षा के पानी के भण्डारण हेतु प्रावधान मिनी मिशन जिलों की परियोजना का अभिन्न अंग है; और

(ग) यदि हाँ, तो वर्षा के पानी की भण्डारण क्षमताओं के निर्माण पर होने वाले व्यय को मन्जूरी नहीं दिए जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अन्तर्गत मिनी मिशन परियोजना क्षेत्रों (जिलों) के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त विस्तृत परियोजना रिपोर्टों पर आधारित केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत गतिविधियों/योजनाओं के लिए पूर्ण केन्द्रीय सहायता का अनुदान, निधियों की समग्र उपलब्धता को देखते हुए अनुमोदित योजनाओं और गतिविधियों के स्वरूप पर निर्भर करता है। प्रत्येक मिनी मिशन जिले के लिए 3-5 करोड़ रुपये की सहायता राज्य द्वारा बिना किसी बराबर के अंशदान के मुहैया कराई जाती है। शेष योजनाओं को, राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम जिनको राष्ट्रीय पेयजल मिशन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सामंजस्य करना है, की साधारण योजना कार्यक्रमों के अन्तर्गत, कार्यान्वित किया जाता है।

(ख) जल संरक्षण के लिए वर्षा के पानी के एकत्रीकरण ढांचे के लिए प्रावधान को कुछ राज्यों द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के एक भाग के रूप में शामिल किया गया है जबकि कुछ अन्य मामलों में राष्ट्रीय पेयजल मिशन के ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम घटक के अन्तर्गत वित्त पोषित

करने के लिये वर्षा के जल एकत्रीकरण ढांचों और जल संरक्षा के लिये योजनाएं अलग से प्राप्त हुई हैं।

(ग) जल एकत्रीकरण ढांचों और जल संरक्षण की स्वीकृत योजनाओं की लागत राष्ट्रीय पेयजल मिशन की निधियों में से स्वीकृत की जाती है। कोई ऐसा मामला नहीं है जिसमें अनुमोदित योजनाओं की लागत को स्वीकृत न किया गया हो।

पश्चिम तट नहर को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करना

1104. **श्री पी० ए० एन्टनी :**

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम तट नहर को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने के लिए, इस संबंध में किये गए जलमाप सम्बन्धी सर्वेक्षण तथा तकनीकी-आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययनों से नौवहन की सक्षमता की पुष्टि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया जाएगा ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) राइट्स और डच शिष्टमण्डल जैसे विशेषज्ञ दलों द्वारा पश्चिमी तट केनाल के विभिन्न खण्डों पर अध्ययन किया गया है। जबकि पश्चिमी तट केनाल का कोचीन क्वीलन खण्ड नौचालन के लिए उपयुक्त हैं, फिर भी क्वीलन की डाउन स्ट्रीम के आगे कोचीन की अपस्ट्रीम तक के अन्य खण्डों में नियमित वाणिज्यिक नौचालन की सीमित गुंजाइश है, ऐसी स्थिति खासकर कतिपय खण्डों पर आवश्यकता से कम चौड़ाई और गहराई के कारण है।

(ख) भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण कोचीन और क्वीलन के बीच के खण्ड को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने के लिए विभिन्न प्राधिकरणों के परामर्श से आवश्यक प्रस्ताव तैयार कर रहा है। तथापि, इस समय कोई निश्चित समय सीमा नहीं बताई जा सकती।

कोचीन बंदरगाह के लिए नये निकर्षण पोत

1105. **श्री पी० ए० एन्टनी :**

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन पत्तन न्यास के सभी निकर्षण पोत खराब हैं और वे काम पर नहीं लाये जा सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कोचीन पत्तन न्यास को नये निकर्षण पोत दिए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) पत्तन के ड्रेजरों के अतिरिक्त डी०सी०आई० के ड्रेजरों से सामान्यतः पत्तन

की कुल निकर्षण जरूरतें पूरी की जाती हैं। सरकार ने 1,500 घन मीटर हापर क्षमता वाले एक नए ग्रैब हापर ड्रेजर की संस्वीकृति दी है जो निर्माणाधीन है।

महाराष्ट्र को राहत कार्यों हेतु सहायता

1106. श्री आर० एम० भोये :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र सरकार ने इस वर्ष मानसून से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य आरम्भ करने हेतु 50 करोड़ रुपये की तदर्थ सहायता के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है और उस पर केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हाँ। महाराष्ट्र सरकार ने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है, जिसमें बाढ़ राहत कार्यों के लिये 50.00 करोड़ रुपये की तदर्थ सहायता सहित 174.96 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता मांगी गई है।

(ख) एक केन्द्रीय दल राज्य के बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का अपना दौरा पहले ही पूरा कर चुका है। इस दल की रिपोर्ट पर विचार करने के उपरांत स्थापित प्रक्रिया के अनुसार केन्द्रीय सहायता मंजूर की जायेगी।

एल्युमिनियम सिल्लियों का आयात

1107. श्री एच० जी० रामुलु :

क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने देश में एल्यूमिनियम सिल्लियों की कमी को देखते हुए खुला सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत इसके आयात करने की अनुमति दी है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : वर्ष 1988-89 के दौरान, प्राथमिक एल्यूमिनियम का देशी उत्पादन अनुमानित मांग के बराबर होने की आशा है। तथापि, माँग में किसी संभावित वृद्धि को पूरा करने की दृष्टि से, एल्यूमिनियम तथा एल्यूमिनियम छड़ों को जुलाई, 1988 से खुले सामान्य लाइसेंस (ओ०जी०एल०) के अन्तर्गत कर दिया गया है।

———

12.01 म० प०

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : सुप्रिया की हत्या के बारे में हम केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच चाहते हैं (व्यवधान)

[हिन्दी]

देवी लाल की ग्रैंड-डाटर-इन-ला का जैसे मर्डर किया है, उसके लिए हम सी० बी० आई० की इन्क्वायरी के लिए श्री बूटासिंह जी के घर पर गये हैं।

[अनुवाद]

बगैर पोस्टमार्टम किए वे शव का किस प्रकार दाह-संस्कार कर सकते हैं? हम केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच चाहते हैं। हम न्याय चाहते हैं। (व्यवधान) हम गृह मंत्री का वक्तव्य चाहते हैं। उनकी क्या प्रतिक्रिया है? शव का बगैर पोस्टमार्टम के कैसे दाह संस्कार कर दिया गया? यह एक अप्राकृतिक मौत है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

श्री आशुतोष लाहा (दमदम) : हम जानना चाहते हैं कि क्या आपने श्री बूटासिंह के वक्तव्य को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया है? (व्यवधान) इसे कार्यवाही वृत्तांत से नहीं निकाला जाना चाहिये। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या कर सकता हूं।

[हिन्दी]

अगर आपने मेरी बात नहीं सुननी है तो ठीक है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : इस प्रश्न पर इतनी उत्तेजना दिखाने के लिए मैं महिला सदस्यों को बधाई देती हूं। लेकिन मैं जानना चाहती हूं कि एक कांग्रेसी विधान सभा सदस्य के परिवार में लड़कियों की शिशु हत्या के मुद्दे पर तथा हाल ही में एक कांग्रेसी महिला द्वारा सती का समर्थन करने पर वे चुप क्यों रहीं। इसलिए इन मुद्दों को पार्टियों की सीमा से परे रखा जाना चाहिये और इसे सभी समान रूप से उठाएं। (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : रश्दी के 'सैटनिक वर्सिस' उपन्यास पर रोक लगाने के लिए मैं भारत सरकार को बधाई देना चाहता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ कहना चाहता हूं। आप नहीं सुन रहे हैं। मैं क्या कर सकता हूं?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सुन्दरवती नवल प्रभाकर (करोलबाग) : सी० बी० आई० की इंक्वायरी कराने में क्या एतराज है? (व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : उसका पोस्ट-मार्टम भी नहीं किया, ऐसे ही जला दिया है बाडी को, हमें जस्टिस चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुनिए। ऐसा करने से गाड़ी नहीं चलेगी।

श्रीमती सुन्दरवती नवल प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, हमने आज लिखकर भी दिया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे यह बतायें कि मैं क्या मजाल रखता हूं आर्डर करने का। सवाल यह पैदा होता है कि ·····

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जहां तक कन्या की बात है।

[अनुवाद]

यह पार्टीबाजी से दूर है।

[हिन्दी]

उसमें पार्टीबाजी का सवाल नहीं है। आपने हमेशा सदन में इसको किया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिये भगवन। अगर धींगा मस्ती करने से काम चलेगा तो चला लीजिये। मैं अन्दर चला जाता हूं। बात तो काम करने से चलेगी, हिसाब से चलेगी और कानून के हिसाब से चलेगी। मैं आपके जजबातों को जानता हूं। किसी तरीके से किसी कन्या को कहीं कोई कष्ट होगा तो आपको भी कष्ट होगा। गीता जी रोज आती हैं और आप भी आते हैं। हमने इस सदन में इसको उठाने की हमेशा कोशिश की है और यह चाहा है कि इस तरीके से ही काम चले, लेकिन विधान की बात आ जाती है और रूल की बात आ जाती है। आप अपना रिप्रेजेंटेशन इनको करिये। जैसा भी हो, करिये। स्टेट गवर्नमेंट को मैं कैसे कह सकता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक) : महोदय, हमें बहुत संदेह है क्योंकि श्रीमती सुप्रिया के वैवाहिक जीवन को अभी सात वर्ष भी नहीं हुए थे, इसलिये सम्भवतः यह दहेज का मामला हो सकता है। हम चाहते हैं कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो इस मामले की जांच करे। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात सुन ली है।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि मृत शरीर का पोस्ट मार्टम किये बिना ही दाह संस्कार कर दिया गया। यह अप्राकृतिक मृत्यु का मामला है। हम चाहते हैं कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो इसकी जांच करे। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि (राजकोट) : अध्यक्ष महोदय, बूटा सिंह जी से कहिये कि वह इसका जवाब दें।

कुमारी ममता बनर्जी : जैसाकि दो दिन बोफोर्स पर डिस्कशन हुआ है वैसा डिस्कशन इस पर भी होना चाहिये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। आप बोल चुके।

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : सलमान रसूदी की पुस्तक 'सैटनिक वर्सिस' पर रोक लगाने के लिए मैं भारत सरकार को बधाई देता हूं। मैं इस पुस्तक पर पूर्णतया रोक लगवाना चाहता हूं। महोदय, यदि इस पुस्तक की काफी प्रतियां चोरी छिपे आयात हो गई तो यह बहुत खतरनाक होगा। (**व्यवधान**)

श्री शांताराम नायक (पणजी) : महोदय, कल श्री बूटा सिंह के भाषण में दो घंटे तक बाधा डालने के लिए मैंने श्री जयपाल रेड्डी के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। मैं चाहता हूं कि इन सदस्यों के सुनने से पूर्व आप विशेषाधिकार हनन के नोटिस पर अपना निर्णय दें। ये सदस्य ऊटपटांग आरोप लगाएंगे इसलिए हम चाहते हैं कि विशेषाधिकार हनन पर आप अपना निर्णय दें। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी : यह पोलिटिकल बात नहीं है, सर। इस पर डिस्कशन एलाऊ कीजिए। यह महिलाओं की बात है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा है, आप लिखकर मुझे भी दे दीजिये, मैं इनको भेज दूंगा। आपकी बात सुनी गई।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर मुझे भी दे दीजिये। मैं इनको फारवर्ड कर दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं बोल दूंगा। कर दूंगा।

[अनुवाद]

श्री आशुतोष लाहा : अध्यक्ष महोदय, हम जानना चाहते हैं कि क्या आपने श्री बूटा सिंह के वक्तव्य को कार्यवाही वृत्तान्त में से निकाल दिया है। इसे कार्यवाही वृत्तान्त से नहीं निकालना चाहिए। (**व्यवधान**)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महोदय, मैं रशूदी के 'सैटनिक वर्सिस' पर पूर्ण रोक चाहता हूं क्योंकि यह हमारे रहने के ढंग अर्थात् धर्मनिरपेक्षता के लिए खतरनाक है। इसलिए मैं इसे चोरी छिपे लाने तथा इस पुस्तक के वितरण पर पूर्ण रोक चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इस बारे में गृह मन्त्री हमें आश्वासन दें। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी : सर, हाउस में महिलाओं के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। हम लोगों को सी० बी० आई० इन्क्वायरी चाहिये। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिये, आप सुनते तो हैं नहीं। हर चीज रूल के हिसाब से ही होगी। आगे भी

[अनुवाद]

मैंने महिलाओं पर अत्याचार पर चर्चा की अनुमति दी है।

[हिन्दी]

आपने सारों ने मिलकर किया है। अगर आप हिसाब से कोई मुझे रेजोल्यूशन दें या मोशन दें जिसको मैं डिस्कश करा सकूं तो मैं करा सकता हूं। कोई इन्डीविजुअल केस तो मैं ले नहीं सकता, उसकी बात कर देते हैं। आप अपनी पिटीशन दे दीजिए, मैं इसको भेज दूंगा।

[अनुवाद]

और आप ऐसा कर सकते हैं। आपने ऐसा किया भी है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : उन्हें गृह मंत्री का घेराव करना चाहिए। (व्यवधान)

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : महोदय, आज सुबह उन्होंने मेरा घेराव किया और मुझे एक ज्ञापन दिया।

अध्यक्ष महोदय : फिर आप यहां कैसे पहुंचे।

सरदार बूटा सिंह : महोदय उनके आने के बाद मैं आया हूं। मैं तो यही कर सकता हूं कि यदि आप चर्चा की अनुमति देते हैं तो मैं तथ्य सभा के सम्मुख रख सकता हूं। (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मैं नियम 376 के अन्तर्गत कहना चाहता हूं। मेरा व्यवस्था का प्रश्न सभा की कार्यवाही वृत्तांत से संबंधित नियम 379 के क्रियान्वयन के बारे में है।

महोदय, आज जब मैंने कल की कार्यवाही का अध्ययन किया तो पाया कि कार्यवाही पृष्ठ 2455 पर दी हुई है। फिर पुनः यह कार्यवाही पृष्ठ 2508 से श्री इन्द्रजीत गुप्त के भाषण से शुरू होती है और कल शाम हमारी बैठक स्थगित होने के साथ समाप्त होती है। मैंने इसे पृष्ठ 2455 के बाद पाया अर्थात जब श्री बूटा सिंह अपना भाषण जारी रखने के लिए खड़े हुये··· (व्यवधान) आप मुझे सुनिए। मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं (व्यवधान) महोदय उन्हें मेरे व्यवस्था के प्रश्न का पता लगाना चाहिए।

श्री शांताराम नायक : महोदय, मैंने आपको नोटिस दिया था, आपने मुझे नहीं सुना, जबकि आप उन्हें सुन रहे हैं। (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : मेरी बात सुनिए। व्यवस्था का प्रश्न सुनने में क्या नुकसान है?

अध्यक्ष महोदय : प्रोफैसर साहिब···

प्रो० मधु दंडवते : कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दें। व्यवस्था का प्रश्न करने के बाद ही निर्णय होता है।

अध्यक्ष महोदय : यह विनिर्णय नहीं है।

(व्यवधान)

श्री पी० एम० सईद (लक्षद्वीप) : उन्हें व्यवस्था का प्रश्न उठाने दें।

अध्यक्ष महोदय : यही मैं कह रहा हूं। यह प्रश्न आपको नहीं करना है। अथवा, क्या आप यहां आते हैं तो फिर पूछ सकते हैं ?

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : आप वहां जाइए ताकि हम बाहर जा सकें।

श्री पी० एम० सईद : हर रोज आप बाहर जाते हैं **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर, व्यवस्था का प्रश्न सभा में उस समय चल रहे कार्य के सम्बन्ध में ही पूछा जा सकता है। क्या इस समय सभा के सम्मुख यह कार्य है ?

प्रो० मधु दण्डवते : हां, जो कुछ आप कह रहे हैं वह भी कार्य ही है। यह किस प्रकार कार्यवाही वृत्तांत में शामिल होगा—वह भी कार्य का ही भाग है। अतः मैं इस सभा की निरन्तरता की बात कर रहा हूं, किसी विशेष मुद्दे की नहीं··· **(व्यवधान)** लेकिन मुझे इसका उल्लेख करने दें। बाद में आप इसे नगण्य करार कर सकते हैं। महोदय, मैंने पाया कि पृष्ठ 2455 से 2507 तक जब श्री बूटा सिंह बोले तो सब कुछ इस टिप्पणी के साथ हटा दिया गया है : "भाषण के लिए कृपया अनुपूरक मांग में पृष्ठ 2455—2506 देखिए।" मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले जब सचिवालय में कम समय रहा है तो एक विशेष सीमा तक हमें कार्यवाही वृत्तान्त देते हुए कहा जाता है कि आगे का कार्यवाही वृतान्त कल अनुपूरक में दिया जाएगा। लेकिन, यहां पर कल शाम तक की सम्पूर्ण कार्यवाही है। श्री बूटा सिंह के भाषण तक की कार्यवाही है। श्री बूटा सिंह का पूर्ण भाषण यहां नहीं है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपने वास्तव में श्री बूटा सिंह के सारे भाषण को कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया है या केवल इसका कुछ भाग ही निकाला है। मैं यह स्पष्टीकरण चाहता हूं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : पहली बात तो यह है कि सभा के सम्मुख वह कार्य है जो कार्य-सूची में है। और यह यहां नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : सत्रावधि के दौरान हम इसे हमेशा ही उठा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : दूसरे, जो मुद्दा आपने उठाया है वह विचाराधीन है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कोई आपत्तिजनक कार्यवाही वृत्तांत का अध्ययन करके यह देखना होगा कि क्या इसमें कुछ उन असंसदीय है, उपाध्यक्ष महोदय ने निर्णय किया था कि···

प्रो० मधु दंडवते : मैं जानना चाहता हूं कि क्या पूरे भाषण को कार्यवाही से निकाला गया है या इसका एक भाग।

अध्यक्ष महोदय : हमें देखना है कि क्या कोई भाग असंसदीय है और फिर उपाध्यक्ष इसका निर्णय करेंगे।

प्रो० मधु दंडवते : दूसरे, मैंने एक नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : किसलिए ?

प्रो० मधु दंडवते : परसों मैंने अपने भाषण के दौरान आपसे यह अनुमति मांगी थी कि मैं सभा पटल पर कुछ दस्तावेज रखना चाहूंगा। कल, मैंने सभी दस्तावेजों को प्रमाणित करके उन्हें आपके पास भेजा था। बोफोर्स से सम्बन्धित इन पत्रों को सभा पटल पर रखने के लिए क्या आपकी अनुमति है ?

अध्यक्ष महोदय : नियम 353 के अनुसार क्या प्रमाणित है ··

प्रो० मधु दंडवते : हां, मैंने दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे मुझे दे सकते हैं। यह मेरे विचाराधीन होगा।

प्रो० मधु दंडवते : मैंने यह कर दिया है। मैं सभी नियमों का अनुसरण करता हूं।

12.18 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

नेशनल अल्युमीनियम कम्पनी लिमिटेड के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : महोदय मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :--

(एक) नेशनल अल्युमीनियम कम्पनी लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल अल्युमीनियम कम्पनी लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी०--6718/88]

वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत वाणिज्य पोत परिवहन (तेल प्रदूषण उपकर लेवी) नियम, 1988 से युक्त अधिसूचना

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : महोदय, मैं वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अन्तर्गत वाणिज्य पोत परिवहन (तेल प्रदूषण उपकर लेवी) नियम, 1988, जो 22 जुलाई, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना

[श्री राजेश पायलट]

संख्या सा० का० नि० 809 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी०—6719/88]

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : महोदय, मैं स्टैनिक वर्सिस पर पूरी तरह प्रतिबन्ध चाहता हूं। क्योंकि मुझे आशंका है कि बहुत सी किताबें गैर-कानूनी ढंग से और चोरी-छिपे आयात की जायेंगी।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपकी बात हो गई साहब। मैंने कह दिया।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : भारत सरकार को इसके प्रकाशन और वितरण पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए और सुनिश्चित करें कि यह चोरी-छिपे न आये। यह पुस्तक भारत की एकता और अखंडता के लिये हानिकारक है। यह हमारी धर्मनिरपेक्षता के लिये बाधक हो सकती है। मैं चाहता हूं इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया जाये। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सोज, कानून का क्रियान्वयन पूरी तरह लागू होता है, आंशिक रूप से लागू नहीं किया जाता। जब इस पर प्रतिबन्ध है तो पूरी तरह से प्रतिबन्ध हो।

[हिन्दी]

कानून का मतलब कानून है।

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : पुस्तक के चोरी-छिपे आने का खतरा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : श्री सोज प्रतिबन्ध लगाई गई पुस्तक को क्यों पढ़ रहे हैं?

प्रो० सैफुद्दीन सोज : क्योंकि वह देश की एकता और अखंडता के लिए लिए हानिकारक है तो हम व्यापक रूप से प्रतिबन्ध लगाना चाहते हैं। (व्यवधान)

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : वह **कम्पनी में बैठे हैं इसलिए वह प्रतिबन्धित पुस्तकों को पढ़ रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह असंसदीय है। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

[हिन्दी]

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : स्पीकर साहब, मैंने एडजर्नमेंट मोशन दिया है। पंजाब में···

अध्यक्ष महोदय : करेंगे। आप दे देना, मैं देखूंगा।

[अनुवाद]

सरदार बूटा सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रो० मधु दंडवते ने जो कुछ कहा है और आपने जो कुछ टिप्पणी की है, उस पर मुझे कुछ कहना है। मेरा भाषण इस सदन की कार्यवाही का एक हिस्सा है··· (व्यवधान) मुझे इस सदन को बताना है कि कल मैंने जो कुछ कहा था मैं उस पर दृढ़ हूं। आप अपना निर्णय ले सकते हैं।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : वह अपनी बात पर दृढ़ हैं। आप उस पर दृढ़ नहीं रह सकते। आप कार्यवाही वृत्तांत से निकाल सकते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमें अपनी बात पर दृढ़ रहना है।

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : महोदय, मैं कुछ कहना चहता हूं। आप पहले ही टिप्पणी कर चुके हैं। मैं आपकी टिप्पणी को स्वीकार करता हूं। श्री बूटा सिंह ने अपनी स्थिति बताई है। इस मुद्दे पर प्रो० दंडवते द्वारा उठाई गए आपत्ति पर मैं हैरान हूं। इस सदन में कई बार सत्ता के लोगों, मंत्रियों पर, प्रधान मंत्री जी पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न तरीकों से लांछन लगाये गये हैं। श्री दंडवते ने विरोध पक्ष के तथा अपनी तरफ से एक भी शब्द को निकालने के लिए नहीं कहा है। वह उस सबको भूल जाते हैं। (व्यवधान)

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : अपनी टिप्पणी करने से पहले मुझे कुछ कहने दीजिये। कल जब श्री बूटा सिंह ने अपना भाषण दिया था तो मैं उपस्थित था। एक या दो लोग कुछ फुसफुसा रहे थे। उन्होंने कोई स्पष्ट और सही आपत्ति नहीं की। (व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : नहीं, नहीं हमने अनेक आपत्तियां की थीं।

प्रो० एन० जी० रंगा : उन्होंने आपत्ति नहीं ··(व्यवधान) सरदार बूटा सिंह उच्च न्यायालय से केवल उद्धृत कर रहे थे —अगर मैं गलत कहता हूं तो उसे सही किया जा सकता है—और उन्होंने ऐसी कोई बातें उद्धृत की थीं जो पहले ही से रिकार्ड में थीं। मुझे ऐसा कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगा जो विपक्ष को उत्तेजित करें और वह अध्यक्षपीठ से इसे कार्यवाही से निकालने के लिए कहें। मैं नहीं जानता कल की कार्यवाही से यह कैसे रह गया। मुझे अफसोस है केबिनेट मंत्री के बारे में और वह भी गृह मंत्री के बारे में यह बात पहली बार हुई है।

अध्यक्ष महोदय : अब मुझे कुछ बातें कहनी हैं। अब इधर देखिये। प्रश्न यह है, यह आपका सदन है; यह सदन लोगों की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है यह किसी एक व्यक्ति का सदन नहीं है। अत: मुझे आपको बताना है कि आप सब सामूहिक रूप से इस सदन के अधिकारों, शिष्टाचारों और नियमों के संरक्षक हैं। मैंने सदन में कई बार बहुत जोर-शोर वाले वक्तव्य सुने हैं। ऐसा मैंने दोनों पक्षों की ओर से होते हुए देखा है और हम इस सदन की कार्यवाही को किसी तरह चला सके हैं। मेरे विचार से भविष्य में हम सबको मिलकर बैठना होगा और कुछ ऐसा करने का प्रयास करेंगे जो हम सबके लिए नैतिक रूप से जरूरी हैं जिससे कि सुचारू रूप से कार्य किया जा

सके। कार्य को करने का यही तरीका है। हमें इन बातों के बारे में सामूहिक रूप से विचार करना चाहिए। ऐसा सदन के सब पक्षों की तरफ से होना चाहिए। यह केवल एक बात नहीं है जिसे हम इस या उस तरह से व्यक्त कर सके। लेकिन मैं इस महान् सदन से सामूहिक रूप से अपील करता हूं कि भविष्य में जब हम इकट्ठे हों तो हम सभी नेताओं की बैठक करेंगे—मैं सभी को बुलाना चाहता हूं—तब हम निश्चित करेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, अपने द्वारा बनाये गये नियमों का पालन कैसे करना है। मेरे विचार से हमें इसी भावना से कार्य करना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आपने मुझे अनुमति दी है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब क्या समस्या है ?

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं एक बहुत विनम्र सदस्य हूं। आपने मुझे अनुमति दी है और दूसरे व्यक्ति मुझसे पहले ही बोलने लगे··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई समस्या ?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैंने श्री शान्ताराम नायक से कहते हुए सुना है कि उन्होंने मेरे विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रस्ताव का नोटिस दिया है। मैं इस प्रस्ताव के बारे में जानना चाहता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ नहीं। आप चिन्ता क्यों करते हैं ? मैं कैसे जान सकता हूं ? यह मुझे अभी प्राप्त हुआ है। मैं उसे देखूंगा। फिर मैं बताऊंगा।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : मैंने इस गम्भीर स्थिति की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए एक नोटिस दिया है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल के लोगों का अपमान किये जाने से उत्पन्न हुई है। (व्यवधान) वित्त मंत्री ने हमारे मुख्य मंत्री की बैठक बुलाई गई थी, पर अंतिम समय में जब योजना को शुरू करना था ··(व्यवधान) यह बैठक रद्द कर दी गई थी (व्यवधान) आप वित्त मंत्री से एक विवरण देने के लिए कहिये। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह बाद में बुलाई जायेगी। रद्द करने का अर्थ हमेशा के लिए रद्द करना नहीं होता है।

(व्यवधान)

———

सभा पटल पर रखे गए पत्र

(—जारी)

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 आदि के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : मैं, श्री नामग्याल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 712 (अ), जो 17 जून, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कलकत्ता पत्तन कर्मचारी (पेंशन) अधिनियम, 1988 अनुमोदित किये गये हैं।

(दो) सा० का० नि० 886 (अ), जो 30 अगस्त, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोचीन पत्तन कर्मचारी (सामान्य भविष्य निधि) संशोधन विनियम, 1988 अनुमोदित किये गये हैं।

(तीन) सा०का०नि० 900 (अ), जो 5 सितम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विशाखापत्तनम कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 1988 अनुमोदित किये गये हैं।

(चार) सा० का० नि० 917 (अ), जो 9 सितम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी (हल्दिया डॉक काम्पलैक्स के अलावा) (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) पहला संशोधन विनियम, 1988 अनुमोदित किये गये हैं।

(पांच) सा० का० नि० 973 (अ), जो 30 सितम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कांडला पत्तन कर्मचारी (सेवा निवृत्ति प्रसुविधा निधि) विनियम, 1988 अनुमोदित किये गये हैं।

(छह) सा० का० नि० 1007 (अ), जो 13 अक्तूबर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन कर्मचारी (छुट्टी) संशोधन विनियम, 1988 अनुमोदित किये गये हैं।

(सात) सा० का० नि० 887 (अ), जो 30 अगस्त, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास (नौभरकों का अनुज्ञापन) संशोधन विनियम, 1988 अनुमोदित किये गये हैं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—6720/88]

(2) डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 की धारा 8क के अन्तर्गत डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन नियम, 1988, जो 26 अक्तूबर,

[श्री राजेश पायलट]

1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 948 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०—6721/88]

12.24 म० प०

प्राक्कलन समिति

विवरण

श्री आशुतोष लाहा (दमदम) : (एक) मैं एक गृह मंत्रालय स्वयंसेवी संगठन के संबंध में प्राक्कलन समिति के पैंतालीसवें प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति (आठवीं लोक सभा) के बावनवें प्रतिवेदन; और (दो) पर्यटन मंत्रालय—उड़ीसा में पर्यटन के संबंध में प्राक्कलन समिति के बयालीसवें प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति (आठवीं लोक सभा) के छप्पनवें प्रतिवेदन के अध्याय एक में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही और अध्याय पाँच के संबंध में अन्तिम उत्तर दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

12.24½ म० प०

समिति के लिए निर्वाचन

प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल०पी० शाही) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—"कि प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 31 (2) (ट) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम की धारा 31 (ठ) के अन्तर्गत स्थापित परिषद के सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 31 (2) (ट) के अनुकरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दें, उक्त अधिनियम की धारा 31 (ठ) के अन्तर्गत स्थापित परिषद के सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.25 म० प०

कार्य मन्त्रणा समिति

61वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 16 नवम्बर, 1988 को सभा में प्रस्तुत किये गये कार्य मन्त्रणा समिति के 61वें प्रतिवेदन से सहमत है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 16 नवम्बर, 1988 को सभा में प्रस्तुत किये गये कार्य मंत्रणा समिति के 61वें प्रतिवेदन से सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री बाजू बन रियान (त्रिपुरा पूर्व) : कल रात त्रिपुरा में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के एक विधायक पर हमला किया गया था··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : त्रिपुरा में विधायकों पर हमला किया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य का मामला है इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता । वहां राज्य सरकार तथा विधान सभा है । वे इसे देखेंगे ।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी राज्य सरकार से भेदभाव नहीं कर सकता । मैं कुछ नहीं कर सकता ।

12.26 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उड़ीसा में खल्लीकोट, खुर्दा रोड पर एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को रुकवाये जाने की आवश्यकता

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : मण्डलीय रेलवे प्रबन्धक खुर्दा रोड (उड़ीसा) के अन्तर्गत

[श्री सोमनाथ रथ]

कल्लीकोट रेलवे स्टेशन गंजम तथा पड़ौसी जिले फूलबानी का प्रवेश द्वार है जहां कोई रेलवे लाइन नहीं है। इस रेलवे स्टेशन से हजारों श्रमिक तथा अन्य यात्री कलकत्ता, मद्रास तथा देश के दूसरे भागों में जाते हैं। गंजम जिले, विशेषत: इस क्षेत्र के लाखों श्रमिक सूरत, अहमदाबाद, पश्चिम बंगाल, असम, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि में काम कर रहे हैं।

12.27 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

केवल यही रेलवे स्टेशन ऐसा है जो आस्का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से जुड़ा है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस रेलवे स्टेशन पर कोई एक्सप्रेस गाड़ी नहीं रुकती है। हीराकुण्ड एक्सप्रेस भी इस महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन पर नहीं रुकती है जो कि भुवनेश्वर से बेलगांव तक सवारी गाड़ी बन जाती है। लोगों ने अधिकारियों के इन निर्णयों के विरुद्ध 7 नवम्बर, 1988 को कल्लीकोट रेलवे स्टेशन के सामने धरना दिया था। ब्रिटिश शासन के दौरान हावड़ा-मद्रास मेल समेत सभी गाड़ियां इस स्टेशन पर रुका करती थीं जिसे बाद में बन्द कर दिया गया। गाड़ियों के न रुकने के कारण इस रेलवे स्टेशन की आय में पर्याप्त रूप से कमी आई है। आम जनता, विशेषत: श्रमिकों, मछुआरों, किसानों तथा व्यापारियों की सुविधा तथा इस क्षेत्र के विकास के लिये रेल मंत्रालय से मेरा अनुरोध है कि इस रेलवे स्टेशन पर 45 अप तथा 46 डाउन कोस्ट एक्सप्रेस, 908 डाउन अप तिरुपति-हावड़ा एक्सप्रेस, 47 अप तथा 48 डाउन हीराकुण्ड एक्सप्रेस और 19 आप तथा 20 डाउन कोणार्क एक्सप्रेस रोकने के लिए तुरन्त कदम उठाए जाएं।

(दो) "कमानी ट्यूब्स प्राइवेट लि० सम्बन्धी मामले" में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक नीति में परिवर्तन किया जाना

[हिन्दी]

श्री मदन पांडे (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, देश के औद्योगिकीकरण में सब से बड़ी बाधा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में स्थापित बड़े और छोटे उद्योगों के बीमार होने से पहले सरकारी नीति के पालन करने वाले सरकारी तंत्र का समय से ध्यान न देना है। बन्दी की स्थिति में आने पर सबसे अधिक प्रभावित वर्ग श्रमिकों द्वारा आंदोलन करने पर ही सरकारी तंत्र द्वारा ध्यान दिया जाता है। यद्यपि इस पर काबू पाने के लिए सरकार ने पुनर्वास बोर्ड जैसे अनेक कदम उठाये हैं। लेकिन इनमें ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है जिन्हें बीमारी के कारणों तथा निवारणों का ज्ञान शून्य के बराबर होता है। फलस्वरूप पुनर्वास हेतु बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा लगाई गई पूंजी के डूबने की नौबत तो आती ही है साथ ही जो पूंजी औद्योगिकीकरण के लिए अत्यन्त आवश्यक है वह भी डूब जाती है। दूसरा कारण सरकारी तंत्र द्वारा श्रमिक वर्ग को प्रबंध में भागीदारी देने के लिए तैयार न होना है। जब श्रमिक वर्ग बीमार उद्योगों का संचालन अपने हाथ में लेना चाहता है तो उसकी मांग को ठुकरा दिया जाता है।

बड़ी प्रसन्नता की बात है कि बम्बई में कमानी ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड के श्रमिक संगठन को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय प्राप्त हुआ है और श्रमिकों द्वारा गठित सहकारी समिति को उक्त

उद्योग के संचालन का भार प्राप्त हुआ है तथा वित्तीय संस्थानों ने सहायता देना भी स्वीकार किया है।

अत: मेरा अनुरोध है कि कमानी ट्यूब्स के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिए गये निर्णय की पृष्ठ भूमि में देश की वर्तमान औद्योगिक नीति में उपयुक्त संशोधन किया जाये ताकि उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के खाद कारखाने तथा देश के अन्य भागों में रुग्ण कारखानों को सुचारू रूप से चलाया जा सके।

(तीन) महानगरों में गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों को प्राथमिक सुविधाएं प्रदान की जाना तथा वहां पर्यावरण सम्बन्धी सुधार के लिए कदम उठाए जाना

डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी (खलीलाबाद) : देश के विभिन्न महानगरों में गन्दी बस्तियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। नगरों की गन्दी बस्तियों में रहने वालों की संख्या वर्ष 1981 में तीन करोड़ बीस लाख से चार करोड़ के बीच आंकी गई थी। प्राय: यह देखा गया है कि छोटे नगरों में गन्दी बस्तियों में रहने वालों की संख्या कम और महानगरों में अधिक होती है। बम्बई में गन्दी बस्तियों में रहने वालों की संख्या सबसे अधिक 33 लाख है जबकि इसकी तुलना में कलकत्ता में 32 लाख, दिल्ली में 26 लाख और मद्रास में 13 लाख है। नगरों का मास्टर प्लान बनाते समय सेवा कर्मियों के लिए स्थान आरक्षित नहीं किए जाते हैं, फलस्वरूप गरीब लोगों को विवश होकर झुग्गी झोंपड़ी में रहना पड़ता है जहां पर न ही सफाई का बन्दोबस्त होता है और न ही अन्य जन सुविधाओं का। कलकत्ते की बस्तियां, बम्बई की झोंपड़पट्टियां, दिल्ली की झुग्गी झोंपड़ी और मद्रास की चेरिया ऐसे स्थान हैं जहां चारों ओर गन्दगी फैली है और मूल जनसुविधाओं जैसे पेयजल, सफाई एवं गलियों में प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रारम्भ में गन्दी बस्तियों की सफाई के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में 150.45 करोड़ रुपये का प्रावधान किया और सातवीं पंचवर्षीय योजना में यह राशि 269.45 करोड़ रुपये कर दी गई, लेकिन गन्दी बस्तियों की संख्या बढ़ती गई और आज भी महानगरों में हर ओर गन्दी बस्तियां दिखाई पड़ती हैं।

अत: मैं मांग करता हूं कि महानगरों में पर्यावरण सुधार के लिए कोई प्रभावी कदम उठाए जाएं ताकि वहां रहने वाले लोगों को दूषित वातावरण में रहने से छुटकारा मिल सके और लोग राहत की सांस ले सकें।

(चार) पंजाब में आई बाढ़ से प्रभावित हुए राजस्थान के गंगानगर ज़िले के लोगों को प्रतिपूर्ति राशि दिये जाने की आवश्यकता

श्री बीरबल (गंगानगर) : पंजाब के बाढ़ के पानी ने राजस्थान के हनुमानगढ़, पीली बंगा, सूरतगढ़ और अनूपगढ़ के क्षेत्रों को जलमग्न कर दिया है। पंजाब की बाढ़ से राजस्थान को सबसे बड़ा नुकसान पंजाब स्थित हरिके बैराज, इंदिरा गांधी फीडर और सरहिन्द फीडर में दरार पड़ जाने से हुआ है जिसके कारण गंगा नगर और इंदिरा गांधी नहर की पूरी व्यवस्था लड़खड़ा गई। इस भयंकर तबाही को देखते हुए भारत सरकार को चाहिए कि जैसे पंजाब व हरियाणा में नुकसान का मुआवजा दिया गया है उसी हिसाब से गंगानगर जिले के लोगों को दिया जाये, क्योंकि इसी पानी से नुकसान पंजाब हरियाणा में हुआ था और इसी फ्लड से गंगानगर में हुआ। पंजाब हरियाणा में भारत सरकार ने करोड़ों रुपया लोगों को मुआवजा दिया है, लेकिन गंगानगर जिले के बाढ़ पीड़ितों को अभी तक

[श्री बीरबल]

कुछ भी नहीं दिया गया है। इसके कारण लोगों में रोष है।

अत: मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि जानमाल फसल व मकानात और ट्यूबवैल के हुए नुकसान को इसी हिसाब से गंगानगर के लोगों को मुआवजा दिया जाये।

(पांच) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दिये गये ऋणों की वसूली स्थगित किये जाने की आवश्यकता

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों को आर्थिक रूप से ऊपर उठाने में आई०आर०डी०पी० के तहत वितरित ऋणों ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है परन्तु यह कार्यक्रम उम्मीद के अनुरूप सफल नहीं हो पाया। इसका कारण कार्यक्रम से संबद्ध सरकारी तंत्र में समर्पण की भावना का न होना तथा लाभार्थियों को प्रशिक्षित करने में राजनीतिक, सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा रुचि नहीं लिया जाना रहा है।

अपेक्षित मदद व ज्ञान के अभाव में इस कार्यक्रम के तहत प्राप्त ऋणों का दुरुपयोग हुआ। अब इन लाभार्थियों से बड़े पैमाने पर वसूलियां की जा रही हैं। लोगों को जेल भेजा जा रहा है। फलस्वरूप कार्यक्रम का वास्तविक उद्देश्य प्राप्त होने के बजाय नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

अत: मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम के लाभार्थियों व सामाजिक लाभ के हित में समस्त आई०आर०डी०पी० ऋणों को तत्कालिक प्रभाव से माफ कर दिया जाए।

(छ:) बिहार के एक तीर्थस्थल 'हरिहर क्षेत्र' का विकास किये जाने की आवश्यकता

श्री राम बहादुर सिंह (छपरा) : उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी तीर्थस्थल को चले जाइये वहां लगता है कि सारा देश एक है, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। वहां जाने के बाद अनेकता में एकता दिखाई पड़ती है। वहां प्रेरणा मिलती है कि हम अनेक होते हुए भी एक हैं। इसीलिए स्व० डा० राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि देश के तीर्थस्थलों को आकर्षक बनाओ। लेकिन दुर्भाग्य है कि तीर्थस्थलों को आकर्षक बनाने की बात तो अलग रही जो तीर्थस्थल हैं वे रोज-रोज हो रही अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहे हैं।

इसी तरह का एक तीर्थस्थल है बिहार का "हरिहर क्षेत्र" जिसका आधुनिक नाम है सोनपुर। जहां प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को लाखों लोग गंडक स्नान करने एवं भगवान शंकर एवं विष्णु की पूजा करने आते हैं। यह मेला एशिया प्रसिद्ध पशु मेला है, जो एक माह तक रहता है। हरिहर क्षेत्र में प्रतिस्थापित भगवान शंकर एवं विष्णु की मूर्तियों की भी विशेषता है कि एक ही पत्थर पर एक ही मूर्ति ऐसी बनाई गई है कि उसी में दोनों की मूर्तियां दिखाई पड़ती हैं। इस तरह की मूर्ति देश में कहीं दूसरी जगह नहीं है। इससे जाहिर होता है कि यह स्थान हिन्दू धर्म के दो सम्प्रदायों शैव एवं वैष्णव का समन्वय स्थल है। यह वही स्थान है जहां महाभारत काल में गज और ग्राह की लड़ाई हुई थी जिसमें दुष्ट ग्राह का नाश हुआ था। यह स्थान वाममार्गियों का भी साधना स्थल है। इस तीर्थ स्थल पर जाने से प्रेरणा मिलती है संवर्धम समन्वय की, ग्राह जैसे दुष्ट प्रवृति के नाश की, सदभाव की, भाईचारे की एवं अनेकता में एकता की। लेकिन खेद है कि इस तरह का पौराणिक स्थल जो हिंदुस्तान की पौराणिक सभ्यता एवं संस्कृति का धरोहर है अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। इसलिए मैं चाहता

हूं कि सरकार विशेष ध्यान देकर "हरिहर-क्षेत्र" का विकास करवाए।

(सात) औरय्या से आगरा तक बरास्ता फिरोजाबाद गैस पाइप लाइन बिछाई जाना

श्री गंगा राम (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान में आगरा जिले का औद्योगिक विकास ताजमहल के प्रदूषण की आशंका से अवरुद्ध है। फिरोजाबाद में कोयले की भट्टियों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या भयावह है। कोयले के प्रयोग से वातावरण तो दूषित होता ही है, इसके अतिरिक्त वहां कारखानों में कार्यरत श्रमिकों तथा जनसाधारण के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव भी पड़ता है। सौभाग्य से एच०बी०जे० गैस पाइप लाइन फिरोजाबाद के समीप से होकर सलेमपुर (हाथरस) के लिए जा रही है। ज्ञात हुआ है कि औरैय्या से फिरोजाबाद तक भी गैस पाइप लाइन को लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सौ करोड़ रुपए की योजना बनाकर केन्द्रीय सरकार को भेज दी है। इस पाइप लाइन को फिरोजाबाद से आगरा तक लाने के लिए दस करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि का व्यय होगा। इस महत्वाकांक्षी योजना से जहां आगरा तथा फिरोजाबाद के पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का निराकरण होगा वहां दूसरी ओर आगरा जनपद में विशाल उद्योग खोले जाने की सम्भावना बढ़ जायेगी और फिरोजाबाद की वर्तमान दुर्दशा भी सुधर जायेगी। अतः गैस पाइप लाइन के उपरोक्त प्रस्ताव को अविलम्ब क्रियान्वित कराने की व्यवस्था की जाए।

12.38. म०प०

नियम 193 के अधीन चर्चा

किसान और खेतिहर मजदूरों की मांगें (—जारी)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा किसानों तथा खेतिहर मजदूरों की मांगों पर आगे चर्चा आरम्भ करेगी जो 3 नवम्बर, 1988 को श्री सी० जंगा रेड्डी ने उठायी थीं।

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सोचा था कि माननीय विपक्षी सदस्य इस विषय के बारे में बोलेंगे क्योंकि यह बड़ा महत्वपूर्ण मामला है। परन्तु उन्होंने बोट क्लब पर एकत्रित हुए किसानों पर अधिक जोर दिया। देश की महान नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी को श्रद्धांजली अर्पित करने के लिए जो विशाल रैली हुई थी उसमें लाखों सीमांत तथा छोटे किसान थे, जिससे यह स्पष्ट हो गया था कि लोग किसके साथ हैं।

यदि विपक्ष सरकार की नीति से सहमत नहीं है तो उसे सरकार की नीति की आलोचना करने का अधिकार है। परन्तु बहुत से मुद्दों पर सभा के बाहर जो कुछ बोला जाता है, उसे सभा में कतई प्रमाणित नहीं किया जाता है। लोकतंत्र में विपक्षी सदस्यों को उद्देश्यपूर्ण ढंग से बोलना चाहिए। उन्हें लाखों लोगों की स्थिति को सुधारने के लिए कार्यक्रमों को क्रियान्वित किये जाने के बारे में बोलना चाहिए।

[श्री सोमनाथ रथ]

विचाराधीन मामले के बारे में मैं सम्मानित सभा को बताना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने दूसरी हरित क्रांति की नींव डाली थी। आपको इसको समझकर इसकी प्रशंसा करनी चाहिए तथा यदि आप इसके परिणाम देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा।

पहली हरित क्रांति श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में 1960 में शुरू हुई जनसंख्या में वृद्धि के बावजूद भी खाद्यान्नों के मामले में देश आत्मनिर्भर हो गया था परन्तु धान और गेहूं का उत्पादन स्थिर रहा था। तथापि उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठाये गये हैं। इस वर्ष खाद्यान्नों का उत्पादन 166 मिलियन टन के निर्धारित लक्ष्य से अधिक होगा तथा आगामी वर्ष के लिए निर्धारित 175 मिलियन टन का लक्ष्य भी प्राप्त हो जाने की सम्भावना है।

सरकार ने अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र की तरफ ध्यान देने के लिए कदम उठाये हैं। किसानों को आवश्यक सुविधाएं देने, बरबादी रोकने तथा रोजगार देने के लिए एक पृथक खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का गठन किया गया है।

किसानों को समय पर बैंक से पर्याप्त ऋण देने के लिए कदम उठाये गये हैं। इस सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि किसानों को ऋण समय पर मिलना चाहिए, यदि उन्हें ऋण समय पर नहीं मिलेगा तो इसका व्यर्थ होगा। उदाहरण के लिए, यदि किसानों को उर्वरक के लिए दिया जाने वाला ऋण फसल की कटाई के समय दिया जायेगा तो इसके उल्टे परिणाम होंगे।

'नाबार्ड' के गठन से किसानों को ऋण देने में काफी मदद मिली है परन्तु मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसानों को ऋण समय पर दिया जाना चाहिए।

सरकार ने फसल बीमा चालू कर दी है। अभी यह केवल कर्जदारों के लिये हैं परन्तु इसे दूसरे किसानों के लिए भी लागू किया जाना चाहिए।

कृषि के विकास के लिए पानी की सप्लाई सबसे महत्वपूर्ण आदान है। देश की सिंचाई क्षमता का यथा शीघ्र विकास किया जाना चाहिए। यदि सिंचाई क्षमता समय से पूरी नहीं होगी तो मूल्य बढ़ जाएंगे और यह वर्षों तक अधूरी पड़ी रहेगी। इसलिए सरकार को सिंचाई सुविधाओं, विशेषत: दलदल तथा बंजर भूमि के विकास पर अधिक जोर देना चाहिए।

छठी पंचवर्षीय योजना के अंत तक 68 मिलियन हेक्टेयर भूमि के लिये सिंचाई क्षमता थी और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसमें प्रतिवर्ष 2.5 मिलियन हेक्टेयर या 13 मिलियन हेक्टेयर बढ़ाने का विचार किया गया है। परन्तु यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ये लक्ष्य प्राप्त हो जाएं तथा भूमि जल पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए।

किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरक सप्लाई करने के लिए केन्द्रीय सरकार उर्वरकों की बिक्री के लिए भारी राज सहायता दे रही है। चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार ने उर्वरकों पर 3000 करोड़ रुपये की राज सहायता दी है। परन्तु यह देखने की आवश्यकता है कि यह राजसहायता किसानों तक पहुंचे। राजसहायता का काफी बड़ा भाग उन लोगों को नहीं मिलना चाहिए जिनके निजी उद्योग हैं। इसी बात की आवश्यकता है।

किसानों को बढ़िया किस्म के बीजों की सप्लाई के लिये राष्ट्रीय बीज निगम तथा विश्वविद्यालयों समेत दूसरी संस्थाएं अच्छी किस्म के बीजों का उत्पादन कर रही हैं। इस सभा में अनेक

बार कहा गया है कि किसानों को घटिया किस्म के बीज दिये जाते हैं।

श्री एच० ए० डोरा (श्रीकाकुलम) : अनेक बार ही नहीं बल्कि लगभग हर बार घटिया किस्म के बीज दिए जाते हैं।

श्री सोमनाथ रथ : इसलिए इस पहलू पर अधिक जोर दिया जाना चाहिये तथा आश्वासन दिया जाना चाहिये कि समूचे देश में किसानों को बढ़िया किस्म के बीज समय पर दिये जाएंगे। इसके लिए हमारे पास देश के विभिन्न भागों में पर्याप्त भंडारण सुविधाएं होनी चाहिये ताकि किसानों को ऐसे बीज समय पर दिये जा सकें। ऐसे भंडार एक विशेष स्थान पर ही नहीं होने चाहिए क्योंकि इससे इसके परिवहन में अधिक समय लगेगा।

सरकार ने लाभकारी मूल्य, अथवा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किये हैं। कृषि मूल्यों के लिए लागत और मूल्य आयोग पहले से ही कार्य कर रहा है। इस आयोग के बारे में यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसानों को न्यूनतम मूल्य मिलता है, सरकार ने किसानों के तीन प्रतिनिधियों की नियुक्ति की है और किसानों के इन प्रतिनिधियों की राय को महत्व दिया जाना चाहिये। केवल नाममात्र के लिए इनकी नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए।

खाद्यान्नों या उत्पादों की खरीद इस तरीके से की जानी चाहिये कि किसानों को मजबूरी में फसल न बेचनी पड़े। उदाहरण के लिए, प्रधान मन्त्री ने पंजाब में देखा कि बाढ़ से खाद्यान्न बदरंग हो गये थे। किसानों ने उनसे इसका उल्लेख किया था। मेरे विचार से सरकार यह देखने के लिए आवश्यक कदम उठायेगी, जैसाकि प्रधानमन्त्री ने कहा है, और सरकार उनके उत्पादों को इस प्रकार से खरीदेगी कि उन्हें हानि न हो।

महोदय, यदि सरकार विशिष्ट कदम उठाए तो किसानों, विशेषतः कृषि मजदूरों की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमारे प्रधानमन्त्री ने पहले ही कहा है कि देश के लगभग 90 प्रतिशत मजदूर असंगठित क्षेत्र में हैं। कृषि मजदूर निश्चित रूप से असंगठित क्षेत्र में हैं तथा उन्हें न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जाती है। यद्यपि न्यूनतम मजदूरी राज्यों को देनी चाहिए परन्तु केन्द्रीय श्रम मन्त्री को राज्यों के श्रम मंत्रियों को बताना चाहिए तथा सुनिश्चित करना चाहिए कि कृषि क्षेत्र में कार्य कर रहे मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दी जाये। श्रम मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति में भी दो समितियों का गठन किया गया है—एक कृषि मजदूरों के लिए तथा दूसरी कृषि मजदूरों के अलावा अन्य मजदूरों के लिए जो कि असंगठित क्षेत्र में है। उन्होंने दो रिपोर्टें दी हैं। निःसन्देह एक आयोग भी है। क्या इन रिपोर्टों पर जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, यह सुनिश्चित करने के लिए विचार किया जा सकता हैं कि असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मजबूरों को केवल न्यूनतम वेतन ही नहीं मिलेगा बल्कि वो सब भी मिलेगा जो कि उनके लिए न्यूनतम आधार पर आवश्यक है। जिन दिनों रोजगार कम होता है तब उनको कुटीर उद्योगों में या गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार दिया जाना चाहिए। ये सब मजदूरों की स्थिति में सुधार करने के लिए आवश्यक है।

यदि कोई हमारे मजदूरों, किसानों, खेतीहर मजबूरों की स्थिति के बारे में चिंतित हैं तो वे हमारे प्रधानमंत्री हैं। मैं उनको उद्धरित करता हूं :

> "किसान हमारे देश की रीढ़ हैं। भारत की शक्ति उसके किसानो में है। भारत ने किसानों द्वारा स्वतन्त्रता संग्राम में शामिल होने व उसे समर्थन देने के बाद ही स्वतन्त्रता प्राप्त की है। आज भारत की आर्थिक प्रगति किसानों पर निर्भर करती है।

[श्री सोमनाथ रथ]

पंडित जी ने कहा था, कि कृषि में परिवर्तन उद्योगों में परिवर्तन से अधिक जरूरी है। हम आज भी यही कर रहे हैं। आर्थिक प्रगति के लिए हमारी योजनाओं में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।"

[हिन्दी]

श्री मनोज पांडे (बेतिया) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं अपने वक्तव्य को किसानों की समस्याओं और उनके निराकरण के ऊपर मेरे जो सुझाव हैं, उन्हीं तक सीमित रखने की कोशिश करूंगा, भारतवर्ष में हमारी कुल आबादी यदि हम 78 करोड़ की मानें, तो उसमें 54 करोड़ किसान हैं और इस 54 करोड़ में करीब 30 करोड़ एग्रीकल्चरल लेबर हैं। 330 मिलियन हैक्टेयर टोटल भूमि भारतवर्ष में है जिसमें से 175 मि०है० ड्राई लैंड है जिसको वेस्ट लैंड भी कह सकते हैं।

मान्यवर, कृषि के लिए जो भूमि उपलब्ध है, वह टोटल लगभग 140 मिलियन हैक्टेयर है जिसमें इरीगेशन की सुविधा, जैसाकि अभी हमारे माननीय सदस्य ने बताया, मात्र 64 मिलियन हैक्टेयर में हमने क्रिएट की है, यूटीलाइजेशन की जब हम बात करते हैं, तो वह और भी कम है। किसानों की जो मुख्य समस्या है वह इनपुट से सम्बन्धित है और इनपुट के अलावा जो कई धारणाएं हमारी बनती हैं, उनमें खासकर सीड के सम्बन्ध में जो बातें यहां कही गई हैं और बहुत अच्छे रूप में उसे प्रस्तुत भी किया गया है, वह फाउन्डेशन सीड की है। यह फाउन्डेशन सीड की बात आज प्रश्नकाल में उठाई भी गई थी। फाउन्डेशन सीड जब हम यूनिवर्सिटीज को देते हैं, तो हम यह भी जानते हैं कि इसको देने के बाद यूनिवर्सिटीज में इस फाउन्डेशन सीड की क्या स्थिति होती है। पिछले दो-तीन वर्षों में, खासकर बिहार की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, उसके सम्बन्ध में, मैं दो शब्द यहां कहना चाहूंगा। वहां फाउन्डेशन सीड की मल्टीप्लाई करने की जो पद्धति है, वह देखने में तो बड़ी अच्छी है, लेकिन जो सर्टिफाइड सीड यूनिवर्सिटीज से निकलते हैं, उनका स्टैंडर्डाइजेशन जो यूनिवर्सिटीज में होता है वह फील्ड में आकर उतना नहीं होता है। वहीं पर 99 प्रतिशत यदि जर्मिनेशन सर्टिफाइड सीड का है, तो खेत में जाकर वह 60—65 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होता है। तो इस प्रकार 35—40 प्रतिशत का जो गैप है, इसका सीधा असर किसानों पर पड़ता है। चूंकि सर्टिफाइड सीड का दाम मिनिमम सपोर्ट प्राइस से करीब 5 गुना है और इस तरह यदि हम यह मानें, जो वक्तव्य आज प्रश्न काल में माननीय मंत्री ने दिया है कि नो प्राफिट नो लास पर किसानों को बीज दिया करते हैं तो मैं इस बात को नहीं मानता। जब हम नो लास और नो प्राफिट की बात करते हैं तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से किसी भी कीमत पर 4—गुना दाम सीड का नहीं हो सकता। इस रूप में किसान के साथ बेइन्साफी हो रही है। मेरी यह धारणा है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से सीड का दाम 50 परसैंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस 1 रुपया है तो सीड का दाम डेढ़ रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मेरा यह भी मानना है कि सीड की एवेलेबिलिटी, उसकी उपलब्धता समय पर हो, यह भी आवश्यक है लेकिन उसका दाम कभी भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ड्योढ़े से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

हम सीड के इम्पोर्ट की बात करते हैं, वह हमारी आवश्यकता है कि हम सीड इम्पोर्ट करें। मेरी इसमें कोई दूसरी धारणा नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने किसान के घर में प्रोड्यूस किया हुआ सीड उसी ऐरिया के फार्मर को दें क्योंकि सबसे मुख्य बात सीड के जर्मिनेशन में सोयल की होती है, उसका बहुत असर होता है। सोयल मैनेजमेंट इस रूप में हमारे प्रदेशों में है।

मैं हरियाणा और पंजाब के किसानों को तो धन्यवाद देना ही चाहूंगा लेकिन जब इस देश में

बैठकर हम सिर्फ हरियाणा और पंजाब के फार्मर की तरह ही सारे देश के फार्मर को मान लेते हैं तो यह भी बहुत दुख की बात है क्योंकि हरियाणा और पंजाब के फार्मर ही सारे देश के फार्मर नहीं हैं। हमारे जो दूसरे प्रदेशों के किसान भाई हैं उनकी स्थिति को हम मद्दे नजर नहीं रख पाते। मेरा कहना है कि आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में जो फार्मर की कंडीशन है वह पंजाब और हरियाणा के फार्मर से कहीं बदतर है, हर प्रदेश की समस्याएं अलग-अलग हैं। हमने देखा है कि सौयल मैनेजमेंट के संबंध में किसी भी प्रदेश में बहुत काम नहीं हुआ है।

जब तक हम सौयल मैनेजमैंट पर पूरा-पूरा ध्यान नहीं देंगे, तब तक हाई ईल्ड का सीड देने से भी कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। इस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारे सौयल में किस-किस चीज की कहां-कहां कमी है ?

हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं, उनके कार्य-कलाप से भी मैं बहुत संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूं। अगर इनका सन्तोषजनक कार्य-कलाप रहता और सौयल का मैनेजमैंट, जहां-जहां वह हैं अगर कर पाते तो आज हाई ईल्डिंग वैराइटी होने के बाद हम 200 और 2 5 मिलियन टन अनाज पैदा करने में कहीं भी कमजोर नहीं होते। यह खुशी की बात है कि इस साल हम 170 मिलियन टन अनाज होने की उम्मीद कर रहे हैं लेकिन हम इस देश में 200, 225 मिलियन टन के आसपास अनाज पैदा कर सकते हैं। मैं आज की परिस्थिति में यह कहना चाहता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि सौयल मैनेजमेंट पर पूरा-पूरा ध्यान राज्य सरकारों को देना चाहिये और केन्द्रीय सरकार को यहां से मौनिटरिंग करनी चाहिए कि राज्य सरकारों ने सौयल मैनेजमैंट के लिए क्या चीज की है।

एक महत्वपूर्ण बात और है कि हमारे यहां पैस्टीसाइड्स और इनसैक्टीसाइड्स का दाम कम होता है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जिस चीज का दाम केन्द्रीय सरकार के बजट में कम होता है, वह किसानों को नहीं मिल पाता। इनसैक्टीसाइड्स और पैस्टीसाइड्स भी इसमें शामिल हैं, इस पर दाम कम हुये हैं लेकिन आज भी खासकर मैं अपने बिहार की बात कहता हूं, वहां इसके दामों में कोई कमी नहीं हो पाई। क्योंकि इतनी एजेन्सीज बीच में पड़ी हुई हैं कि वे अपना-अपना कमीशन ले ही लेते हैं और उसके बाद किसान को जो दाम मुहैया होता है वह करीब-करीब वही पड़ता है और केन्द्रीय बजट का असर हमारे ऊपर नहीं पड़ता। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

फर्टीलाइजर के बारे में जो 3 हजार करोड़ की सब्सीडी की बात कही गई है, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भारतवर्ष का किसान भीख नहीं मांगता है। यदि यह किसान सम्मेलन इस बात को कहता है कि जो लोन उसे दिए गये हैं उसे माफ कर दिया जाए तो मैं उसको किसान नहीं मानता। इसलिए कि भारत का किसान भीख मांगने का आदी नहीं है।

1.00 म० प०

मान्यवर, मैंने तो अभी शुरू किया है, पांच मिनट और लूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि लोन माफ कराने वाले व्यक्ति को मैं किसान इसलिए नहीं मानता कि यह भीख मांगने की बात है और भीख मांगने वाला किसान भारतवर्ष में नहीं है। इसलिए आप लोन माफ न करें, लेकिन हमने जो रेम्युनरेटिव प्राइस की बात की है, उसके सम्बन्ध में एक बात यहां जरूर कहना चाहता हूं कि टोटल रेम्युनरेटिव प्राइस का मतलब कमसे कम यह होना चाहिए कि हमारी टोटल इनपुट की जो कॉस्ट है वह हम जोड़ें और लेबर कास्ट उसमें जोड़ें और तीसरे जो जमीन हमारे पास है, जिस पर हम खेती कर रहे हैं, उसका टोटल इवेल्यूएशन करें और इवेल्यूएशन करने के बाद करीब 20 से 25 प्रतिशत की आमदनी यदि हम उसमें जोड़ दें, तो यह टोटल रेम्युनरेटिव प्राइस हो सकती है। और यदि हम किसानों को रेम्युनरेटिव प्राइस

[श्री मनोज पांडे]

दे सकें, तो फिर तीन हजार करोड़ रुपये की जो सबसिडी है, उसको आप उठा लीजिये। यह तीन हजार करोड़ रेम्युनरेटिव प्राइस की मार्फत आप किसानों को दे दें। मैं ऐसा मानता हूं कि सबसिडी की कोई आवश्यकता फिर किसानों को नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनकी जो प्रोड्यूस है, जो उनकी क्रॉप्स हैं, उन पर उनको रेम्युनरेटिव प्राइस के आधार पर पैसा मिल जाएगा। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे सबसिडी हटाकर रेम्युनरेटिव प्राइस किसानों को दिलवाने की यदि व्यवस्था कर सकें, तो यह जो तीन हजार करोड़ का बर्डन आप कहते हैं यह आप सीधे किसानों के घर में दे दें। इससे काफी उनको फायदा होगा।

यहां पर लेबर की बात भी कही गई है। एग्रीकल्चरल लेबर का बहुत बड़ा पोर्शन जो है वह हमारे किसानों के साथ जुड़ा हुआ है। मैंने यह देखा है कि लेबर की बात अलग की जाती है और किसानों की बातें अलग को जाती हैं। ये बहुत बड़ा धोखा होता है। जब आप लेबर की बात अलग करेंगे और किसानों की बात अलग करेंगे तो इस देश में बड़ा भारी बंटवारा होगा। किसानों के साथ लेबर जुड़ा हुआ है और लेबर के साथ किसान जुड़े हुये हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। किसी भी रूप में दोनों की बातें अलग-अलग यदि आप करते हैं, तो यह बहुत बड़ा धोखा आगे चलकर होगा। मेरा ऐसा मानना है कि दोनों की बातें एक जगह होनी चाहिएं। अलग-अलग, पीस-मील बातें नहीं होनी चाहिएं।

चौथी बात, जो बहुत महत्वपूर्ण है, वह यह है कि कैश एंड क्रेडिट सपोर्ट की जो बात आप कहते हैं कि किसानों को हम देते हैं, मेरा सुझाव है कि जो किसान के पास जमीन है वह उसकी धरोहर है, और उसके एवज में यदि आप बैंक से पास बुक्स दिलवा दें, जमीन की वैल्यूएशन के आधार पर उसका अस्सी फीसदी जब भी किसान चाहे, उसको एडवांस के रूप में मिल जाये, तो यह एक बहुत बड़ा उपकार होगा, किसानों की ओर एक बहुत बड़ी सहायता का हाथ आप बढ़ा पाएंगे। मेरा ऐसा मानना है कि जो जमीन उनके पास है, अभी भी आप उसे मोर्टगेज कर लेते हैं और वह जमीन जब एक बार मार्टगेज हो जाती है, तो किसान आपके साथ बंध जाता है, इसलिए उसकी जमीन को आप मार्टगेज न करें, बल्कि उसका वैल्यूएशन कर लें और उस वैल्यूएशन की अस्सी प्रतिशत जब भी किसानों को आवश्यकता हो, बैंक से उनको लोन मुहैय्या करा दें। यह एक बहुत बड़ी सहायता किसानों को होगी।

एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बात तो हम यहां कहते हैं, इस सदन में बार-बार अनाउन्स होता है, उद्घोषणाएं होती हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमने इतनी दी, लेकिन जहां मार्केटिंग की व्यवस्था है ही नहीं सरकार द्वारा, वहां मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने की बात कहां उठती है? मेरा यह मानना है कि जिन राज्य सरकारों ने एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का विकास नहीं किया है पहले वे राज्य सरकारें, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का विकास करें और एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का विकास करके यह देखें कि वास्तव में जो राज्य सरकार चाहती है कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को दें, उसे वह दे पा रही है या नहीं दे पा रही है। वरना इस तरह से मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा का, जहां मार्केटिंग का कोई आधार नहीं है, कोई सेंस नहीं है। क्योंकि किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलती ही नहीं।

मैं एक बात कहकर समाप्त करूंगा। हमारा कृषि क्षेत्र जो असंगठित है, उसे संगठित करने की ओर भी ध्यान दिया जाये। हमारे 54 करोड़ किसानों ने अगर 10 हजार किसान दिल्ली में आकर धरना दें, और धरना देने के बाद हमारे विरोधी दल यह कहें कि वह दो लाख, पांच लाख या दस लाख लोग थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसानों की बात टौटेलिटी में होनी चाहिए। एक जगह के

किसान दिल्ली में दस हजार आ जायें और वे कहें कि हम पूरे भारतवर्ष के किसानों को रिप्रजेंट करते हैं, तो यह बात गलत है । इसलिये किसानों की बात टौटेलिटी में होनी चाहिये, किसी एक पर्टिकुलर रीजन की बात नहीं होनी चाहिये ।

ये मेरे कुछ सुझाव थे । बातें बहुत सारी कहने के लिये हैं, लेकिन आपने घंटी बजा दी है, इसलिए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करते हुये आपको धन्यवाद देता हूं ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मध्याह्न भोजन के लिये सभा स्थगित होती है । तथा 2.05 म० प० पर फिर समवेत होंगे ।

1.05 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.05 म०प० तक स्थगित हुई ।

2.10 म०प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.10 म०प० पर पुन: समवेत हुई ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री जायनल अबेदिन बोलेंगे ।

मैं सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे बहुत संक्षेप में बोलें क्योंकि मेरे पास वक्ताओं की बहुत ही लम्बी सूची है । यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है । अत: यदि कोई सदस्य बोलता है तो वे विषय से संबद्ध बात कहें तथा 5 या 10 मिनट बोलें । मैं प्रत्येक सदस्य को अधिक से अधिक 5 से 10 मिनट का समय दूंगा तथा इससे अधिक नहीं ।

***श्री जायनल अबेदिन** (जंगीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ वर्षों से देश के किसान कुछ उचित मांगों को लेकर आन्दोलन व संघर्ष कर रहे हैं । इस दौरान जबर्दस्त विरोध-रैलियां हुई हैं, लाखों किसानों ने कानून का उल्लंघन करके गिरफ्तारी दी हैं और हाल ही में हजारों किसानों ने 'बोट क्लब' पर एक हफ्ते तक धरना दिया था । किसान यह आन्दोलन का रास्ता क्यों अपना रहे हैं, उनकी क्या मांगें हैं ? वे अपने उत्पादन के लिये उचित मूल्य की मांग कर रहे हैं, वे ऋणों की माफी की मांग कर रहे हैं, वे बिजली की दरों में कमी करने की मांग कर रहे हैं, वे भूमि सुधार लागू करते हुए भूमिहीन किसानों को भूमि देने की मांग कर रहे हैं, और कृषि मजदूरों के लिये न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए केन्द्रीय कानून की मांग कर रहे हैं । महोदय, ए०सी०पी०सी० द्वारा तय किये गये कृषि मूल्य किसानों के साथ धोखा है । किसान उचित मूल्य की मांग कर रहे हैं लेकिन वह समर्थन मूल्य निर्धारित कर रहे हैं । परन्तु यह समर्थन मूल्य इतना कम व अवास्तविक है कि यह किसानों की खेती की लागत के अनुरूप नहीं है । विशेषकर जो किसान नकदी फसलें उगाते हैं, आज संकट और बर्बादी की ओर जा रहे हैं तथा यह सरकार की कृषि उत्पादों की कीमत निर्धारण करने की नीति का ही परिणाम है ।

*मूलत: बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर ।

[श्री [illegible]]

1930 में, जब उत्तर प्रदेश में पहली बार चीनी मिलों की स्थापना की गयी थी, तब तत्कालीन ब्रिटिश सरकार की नीति चीनी उद्योग को संरक्षण देने की थी। उन्होंने उस समय जावा से आयातित चीनी पर भारी शुल्क लगाया था। परिणामस्वरूप, गन्ना उत्पादकों को अपने उत्पादन के लिए उचित मूल्य मिले थे। एक अनुमान के अनुसार, 1947 में कुल चीनी उत्पादन का 60% मूल्य गन्ना उत्पादकों को मिलता था। 1954 में यह प्रतिशतता घटकर 54 रह गयी तथा इस समय यह और भी कम होकर 30% रह गयी है।

महोदय, जूट उत्पादकों की भी यही स्थिति है। आज जूट उत्पादक बर्बादी की ओर जा रहे हैं। भारतीय जूट निगम वास्तव में केवल मिल मालिकों के हितों की रक्षा कर रहा है, वह जूट उत्पादकों के हितों की रक्षा नहीं कर रहा है। कृत्रिम सामग्री के थैलों के निर्माण के कारण जूट उद्योग में और अधिक संकट हो गया है। इस वर्ष जूट उद्योग के लिए वैधानिक समर्थन मूल्य की भी घोषणा अभी तक नहीं की गई है जैसाकि पिछले वर्षों में किया गया था।

कपास उत्पादकों की भी यही दशा है। महोदय, आज एक किलो साधारण कपड़े की कीमत बढ़िया किस्म की कपास की कीमत से लगभग 20 गुना अधिक है। इसका मतलब यह है कि कपड़ा मिल मालिक जबर्दस्त मुनाफा कमाते हैं, परन्तु जो कच्चे माल का उत्पादन करते हैं, उनको बहुत कम पैसा मिलता है। यह स्थिति है। सिन्थेटिक धागे का उत्पादन आज कुल धागे के उत्पादन का 32% है। सिन्थेटिक धागे के उत्पादन में 50% तक वृद्धि करने की योजना है। यदि ऐसा होता है तो कपास उत्पादक और अधिक बर्बाद होंगेआज कपास का उत्पादन लगभग 71 लाख एकड़ भूमि पर होता है। इस बड़े भू-भाग का क्या होगा, तथा उन लाखों परिवारों के लोगों का क्या होगा, जोकि कपास के उत्पादन पर अपनी जीविका के लिये निर्भर करते हैं? इन बातों पर ध्यान नहीं दिया गया है। अतः ऐसा देखा गया है कि बहुत से गन्ना, कपास तथा जूट उत्पादक किसानों को, जिनको अपनी उपज के लिए उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। दूसरी ओर केन्द्र सरकार दैनिक आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में लगातार वृद्धि कर रही है तथा कृषि आदानों के मूल्यों में वृद्धि कर रही है जिसके कारण उत्पादन का मूल्य किसानों के लिए हर तरह से बढ़ता जा रहा है। यह ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के बीच बड़ा अन्तर ला रहा है। कुल विदेशी सहायता का केवल 17% ही ग्रामीण क्षेत्रों पर खर्च किया जाता है जहां 70% से भी अधिक लोग रहते हैं। दूसरी ओर कुल विदेशी सहायता का 83% शहरी क्षेत्रों पर खर्च किया जाता है। जहां केवल 30% लोग रहते हैं।

महोदय, हर वर्ष देश में बाढ़ व सूखे जैसी आपदायें आती हैं। किसान बाढ़ व सूखे से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं, उनका घर नष्ट हो जाता है, उनकी फसलें नष्ट हो जाती हैं, उनके जानवर नष्ट हो जाते हैं, और वे बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं। यदि हम एक वर्ष में बाढ़ और सूखे से हुए नुकसान को देखें तथा बाढ़ और सूखे के राहत पर खर्च किये धन को देखें तो हम पायेंगे कि यह धनराशि उस कुल धनराशि से अधिक है जोकि प्रथम पंचवर्षीय योजना अर्थात् 1952 से ही बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी उपायों पर खर्च की गयी थी। मैं कहना चाहता हूं कि बाढ़ नियंत्रण कार्यों पर अधिक महत्व नहीं दिया गया है।

महोदय, एक ओर बाढ़ की विभीषिका बढ़ रही है तथा दूसरी ओर बाढ़ नियंत्रण का महत्व कम हो रहा है। छठी योजनावधि में बाढ़ नियंत्रण कार्यों का लक्ष्य 4 मिलियन हैक्टेयर था परन्तु

वास्तविक उपलब्धि 2 मिलियन हैक्टेयर थी। अब सातवीं योजनावधि में लक्ष्य कम होकर पिछली योजनावधि के 4 मिलियन हैक्टेयर की जगह 1 मिलियन हैक्टेयर ही रह गया है। बजट में कुल प्रावधान का 1% आधा प्रतिशत तक से अधिक का प्रावधान बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिए कभी नहीं रहा। अतः मुझे दुःख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि इस भयंकर समस्या से निबटने के लिए पर्याप्त धनराशि कभी स्वीकृत नहीं की गई। तथा इससे करोड़ों किसानों की बर्बादी होती है तथा हर साल आर्थिक रूप से किसानों की कमर टूट जाती है।

महोदय, यदि हम कृषि क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र में व्यापार की शर्तों को देखें तो हम पायेंगे कि किसानों को हमेशा ही विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। एक अनुमान के अनुसार, यह देखा गया है 1970-71 के मूल्य सूचकांक के आधार पर कृषि क्षेत्र को 1970-71 व 1980-81 के बीच 12,480 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है। आज के मूल्य स्तर के अनुसार, यह नुकसान 45,000 करोड़ रुपये है। मैं भूमि सुधार के बारे में एक और मांग करता हूं। 1952 या उससे पूर्व से ही यह कहा जा रहा है कि भूमि सुधार होंगे तथा सीमा से अधिक भूमि, भूमिहीनों को दी जायेगी। परन्तु मुझे दुःख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि ये सभी वायदे केवल लामत पर ही रह गये हैं तथा यथार्थ रूप में लागू नहीं किये गये हैं। अब फिर भूमिहीनों को भूमि देने की बात की जा रही है। आज तक 29.64 लाख हैक्टेयर भूमि अतिरिक्त भूमि घोषित की गयी है। इसमें से 24.37 लाख हैक्टेयर भूमि का कब्जा विभिन्न राज्य सरकारों ने लिया है। परन्तु वास्तव में भूमिहीनों को दी गयी भूमि केवल 11.05 लाख हैक्टेयर है। यह उपलब्धि 40 वर्ष के वायदों के बाद हुई है। महोदय, आज सर्वाधिक उत्पीड़ित व शोषित हमारे कृषि मजदूर हैं। 1981 की जनगणना के अनुसार, इनकी संख्या 45.5 मिलियन है। इस बड़े उपेक्षित वर्ग के लिए कोई वास्तविक कार्य नहीं किया गया है। महोदय, हमारे प्रधान मंत्री ने कहा है, कि यदि विकास कार्य पर 6 रु० खर्च किये जाते हैं तो उसमें से 5 रु० प्रशासनिक खर्च पर चले जाते हैं तथा केवल 1 रु० वास्तव में विकास कार्य पर खर्च होता है। यहां मैं एक प्रश्न पूछता हूं कि इस 1 रु० में से ग्रामीण क्षेत्रों के लिये कितना खर्च होता है जहां पर 70% से 75% लोग रहते हैं। मैं समझता हूं कि यह 5 पैसे से भी कम है। आज लाखों खेतिहर मजदूर भुखमरी की स्थिति में हैं। उनके पास अपने तन को ढकने के लिये कपड़े तक नहीं हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को विभिन्न राज्यों में अधिनियमित किया गया। किन्तु अब इन्हें ठीक तरह से और कड़ाई से कहीं भी कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। जब गरीब खेतीहर मजदूर पूरे दिन परिश्रम करने के बाद मजदूरी की मांग करते हैं तो उनकी पिटाई की जाती है और उन पर भिन्न-भिन्न प्रकार से अत्याचार किए जाते हैं, उनकी महिलाओं पर अत्याचार किया जाता है।

महोदय, मैं खेतीहर मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने हेतु केन्द्रीय कानून की मांग करता हूं। केन्द्र सरकार को सम्पूर्ण देश में इस कानून के उचित कार्यान्वयन की जिम्मेवारी लेनी चाहिए। महोदय, इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारत सरकार और भारत सरकार के कृषि मंत्री, वित्त मंत्री, जिन्होंने प्रधान मंत्री जी के अधिक उत्पादन कार्यक्रम को बहुत ही महत्वपूण ढंग से क्रियान्वित किया और जिसका परिणाम हमारे सामने है, इसके लिये मैं प्रशंसा करता हूं। वर्तमान खरीफ फसल में भारतवर्ष में खाद्यान्न उत्पादन अपने आप में एक कीर्तिमान है। हमारे कृषि मन्त्री जी ने आगे आने वाली रबी फसल के बारे में बताया है कि अभी तक जो 15.5 करोड़ टन का

[श्री राम सिंह यादव]

रिकार्ड उत्पादन है, उससे भी आगे बढ़कर हमारा लक्ष्य 17.60 करोड़ टन प्राप्त करने का है, मैं आशा करता हूं कि इस उद्देश्य में उनको सफलता मिलेगी। इस सब के पीछे भारतवर्ष के किसान का श्रम, उसकी लगन और इसके साथ-साथ भारत सरकार की उसको विभिन्न प्रकार से दी गई सुविधाएं जैसे कृषि ऋण, उर्वरक, सिंचाई सुविधाएं, कुएं, ट्यूबवैल के लिए बिजली की सुविधा और साथ-साथ उन्नत बीज, कृषि उपकरणों के लिये सबसिडी, ये सब उत्पादन बढ़ाने के लिए कारगर कदम हैं जोकि भारत सरकार ने हमारे प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक उठाये हैं और किसान को लाभ मिला है। आज हम कह सकते हैं कि सन 1950 में जहां एक हैक्टेयर में 7 टन गेहूं पैदा होता था, आज वहां 17 टन पैदा होता है और इसके साथ-साथ धान का उत्पादन भी दुगने से अधिक हो गया है। इस सब में जहां एक ओर किसान का श्रम है, दूसरी ओर भारत सरकार द्वारा योजनाबद्ध तरीके से किसान को दी गई सुविधाएं हैं। ये अपने आप में उत्पादन बढ़ाने में बहुत ही सहायक हैं। सहायक होने के नाते आज हम इस स्थिति में हैं कि भारतवर्ष खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर चुका है, यह अपने आप में बहुत बड़ा एचीवमेंट है। मैं कहना चाहूंगा कि आज हिन्दुस्तान के अंदर 900 लाख कृषि जोतें हैं और करीब तीन चौथाई जोतें 2 हैक्टेयर से कम की हैं।

इसका तात्पर्य यह है कि आज भी बहुमत हिन्दुस्तान के किसानों में सीमान्त किसानों और स्माल फारमर्स का है। आज भी उनकी माली हालत किसी भी तरीके से, जो हम आज एक एवरेज इन्कम उम्मीद करते हैं पांच सदस्यों के परिवार के लिए, उससे बहुत कम है। इसलिए सरकार को पुनः गम्भीरता से इस बात पर सोचना है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, सीमान्त किसानों और लघु कृषकों की आमदनी को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं और खेती के अलावा कौन से दूसरे सहायक धंधे या उद्योग हम उनको दे सकते हैं जिससे उनकी आमदनी बढ़ सके। आज सारे विश्व में चाहे अमेरिका, कैनाडा या कोई भी मुल्क हो, किसानों को जो हम एग्रीकल्चर लोन देते हैं, वह सबसे कम ब्याज पर देते हैं। सात हजार पांच सौ तक का लोन केवल दस परसेंट ब्याज पर देते हैं। उसके बाद पन्द्रह हजार तक का लोन केवल साढ़े बारह परसेंट ब्याज पर देते हैं। और उसके बाद पच्चीस हजार तक ब्याज की दर चौदह परसेंट है। यह न्यूनतम दर है। जो पब्लिक सैक्टर बैंक्स हैं उनका रेट 19% है। किसानों से अगर पच्चीस हजार रुपया लेना है तो वह पच्चीस हजार ही लिया जायेगा, छब्बीस हजार नहीं हो सकता। यह सबसे बड़ी सुविधा किसानों को है। जो लोग किसानों की रैलियां करते हैं और उनको बहकाते हैं, वे किसानों के हित में नहीं सोचते हैं। उनको गुमराह करते हैं। किसान को चाहिए कि जो सुविधाएं सरकार ने दी हैं उन सुविधाओं को प्राप्त करे। उन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए एक बहुत बड़े जन-जागरण की जरूरत है, और किसान तक पहुंचाने की जरूरत है तथा किसान की झोंपड़ी तक जाने की जरूरत है। आज हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने उन्नत बीज निकाला है और किस तरह से कम से कम नुकसान से अधिक से अधिक पानी खेतों तक पहुंचाया जा सकता है, उसका शोध किया है। लेब टू दी फील्ड प्रोग्राम के तहत यह देखना चाहिए कि उनको किस तरीके से फील्ड पर ले जाएं। यह काम किसान नेताओं को करना चाहिए। किसान नेता केवल अपनी चौधराहट के लिए और राजनीतिक फायदा उठाने के लिए किसानों के हित में नहीं सोचते हैं, उनको गुमराह करना चाहते हैं। किसानों की आर्थिक दृष्टि से कोई नहीं सोचता है कि किसानों को कौन सा कुटीर उद्योग दें जिससे किसानों की पैदावार बढ़ सके। इस तरह का प्रोग्राम न तो भारतीय किसान यूनियन लेकर आती है और न दूसरे किसान नेता ही लाते हैं। केवल इस बात को कहने के लिए आते हैं कि वहां जाकर बोट क्लब पर प्रदर्शन कीजिए या रेलों पर हमला कर दीजिये। इस तरह की जो बातें करते हैं वे वास्तव में

किसान को रचनात्मक कार्यों से दूर कर रहे हैं। भारत का किसान सच्चा देशभक्त है। आजादी की जंग में सबसे पहले किसान ही राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आया था। सन 48 से लेकर जितने हमले राष्ट्र के ऊपर हुए हैं उनमें सबसे अधिक लड़ने वाले जवान किसानों के ही लड़के थे। जब भी अधिक अन्न की आवश्यकता पड़ी है किसानों ने उस चैलेंज को स्वीकार किया और किसी दूसरे वर्ग ने स्वीकार नहीं किया। किसानों ने राष्ट्र की इस अपील को, इस संदेश को, इस आवश्यकता को और मजबूरी को अपना उद्देश्य समझा है और अपने उत्पादन को बढ़ाया है। इसके साथ-साथ राष्ट्र के मस्तिष्क को ऊंचा किया है। आज हम पी०एल० 480 के अन्तर्गत या दूसरे प्रोग्राम के तहत किसी भी राष्ट्र में अनाज मांगने के लिये नहीं जाते बल्कि हम उनको भेजते हैं। यह सारा श्रेय किसान को है। किसान की सभ्यता यही है कि वह रचनात्मक कार्यों में शुरू से लगा हुआ है। जो लोग किसान को उसकी संस्कृति से और रचनात्मक कार्यों से अलग करना चाहते हैं वह किसान के हित में नहीं है वह वास्तव में किसान का अहित कर रहे हैं और उसको गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। सातवीं योजना का प्रारूप तैयार करते समय हमारे प्रधान मंत्री जी ने मुख्य लक्ष्य एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर रखा है।

उस कृषि उत्पादन का नक्शा आपके सामने साफ है जो सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में हमने लक्ष्य रखा है 177 मिलियन टन का यानि 17 करोड 70 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन करें उसके करीब-करीब किसान पहुंच रहे हैं। हमें उसमें और मेहनत करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही साथ सातवीं पंचवर्षीय योजना में हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा कि हम अधिक से अधिक रोजगार दें और रोजगार ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध होने के साधनों में प्रमुख है कृषि और उससे सम्बन्धित दूसरे कार्यक्रम। इसके साथ-स थ उसमें यह भी कहा गया है कि हम किस तरह से किसान के खेत को पानी दें और बिजली दें। इन कार्यक्रमों के ऊपर सातवीं पंचवर्षीय योजना में अधिक से अधिक ध्यान दिया गया है। जो लोग यह कहते हैं कि हमारी मौजूदा सरकार ने किसान के लिए क्या किया, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे मौजूदा बजट में भी यह कहा है कि हम किस तरह से पचास हजार किसानों को जलधारा के अन्तर्गत कुएं निर्माण करने के लिए विशेष सुविधाएं दे रहे हैं जिससे छोटे किसान अपने यहां कुएं निर्मित करके खेतों में पानी पहुंचा सकें। आज स्वयं चौधरी साहब किसान हैं और श्याम लाल यादव साहब भी किसान हैं इसलिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप कृषि को उद्योग के वर्ग में शामिल करें। आप जब तक खेती को उद्योग धंधे में नहीं मानेंगे तब तक किसानों के ऊपर जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं औरं अन्य तरीकों से उसकी फसल खराब हो जाती है जिसके कारण वह दुःखी है और गरीबी में ही पलकर गरीबी में ही मर जाता है, अगर इस व्यवस्था को समाप्त करना है तो कृषि को भी उद्योग में शामिल किया जाये इसके लिये सशक्त कदम उठाएं। जब किसी फैक्टरी में आग लग जाती है या नुकसान हो जाता है तो सरकार उस बात को अंडरटेक कर लेती है कि मजदूर बेकार हो जाएंगे और उत्पादन गिर जायेगा। जिन किसानों के साथ भी ऐसा होता है तो उनकी मदद करनी चाहिए और उनको लाभकारी मूल्य देना चाहिये। 1980 से लेकर आज तक हमने केवल कृषि में 33 प्रतिशत वृद्धि की है और जनरल प्राइस में 60 प्रतिशत वृद्धि हुई है। जनरल प्राइस इंडेक्टस और लाभकारी मूल्य के बीच में आपका एग्रीकल्चर कोस्ट एण्ड प्राइस कमिशन जो रेट तय करता है उनमें कोई लौजिक नहीं है, कोई तर्क नहीं है। आप एग्रीकल्चर कोस्ट एण्ड प्राइस कमिशन को हिदायत दें कि जब भी किसानों के उत्पादन के जिन्सों का उत्पादन मूल्य तय करे तो जनरल प्राइस इंडेक्स के अनुरूप ही तय किया जाये। जब तक यह लागू नहीं करेंगे तब तक उनको फायदा नहीं होगा। आपने राजस्थान में बाजरे और ज्वार की कीमत 145 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की है और आपने पर्चेजिंग सेंटर खोल दिए। लेकिन उनको बन्द हुए एक-एक सप्ताह हो जाता है और किसान को मजबूर होकर मण्डियों में अपने सामान को 125 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बेचना पड़ता है। 145 रुपये प्रति

[श्री राम सिंह यादव]

क्विंटल के हिसाब से खरीदने की आपकी अब नैतिक जिम्मेदारी है।

इसके साथ ही मैं एक आखिरी बात कहना चाहता हूं। राजस्थान में एक राजस्थान एग्रीकल्चर लोन रिकवरी एक्ट बना हुआ है। इसके तहत पी०एन०बी० में 450 केसेज 750 करोड़ रुपये की वसूली के दायर किए गए हैं। आप जानते हैं कि राजस्थान में पिछले पांच साल से अकाल पड़ा हुआ है। ऐसे किसान जो मार्जिनल, छोटे, अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं उन लोगों में जो 3 साल से अधिक तक प्राकृतिक आपदाओं में गुजर रहे हैं तो उनको माफी देनी चाहिये या ऐसा काम करें कि उनकी जो अर्थव्यवस्था टूट गई है उसको लाइन पर लाया जा सके। जब हमने वहां अधिकारी से पूछा कि राजस्थान एग्रीकल्चर लोन रिकवरी एक्ट किस आधार पर बना तो वह कहते हैं कि एक तलवार कमेटी बैठी थी उन प्रावधानों के अन्तर्गत ही राजस्थान में एग्रीकल्चरल रिकवरी एक्ट बना। इस रिकवरी एक्ट की सबसे बड़ी कमी या खामी यह है कि इसके अन्तर्गत एक हरिजन की जमीन भी नीलाम हो जाती है, यदि किसी हरिजन ने अपनी जमीन में कुआं लगाया है और उस कुएं में से पानी नहीं निकला या उस कुएं को दो साल तक बिजली का कनैक्शन नहीं मिला तो इस एक्ट के अन्तर्गत उस गरीब हरिजन की जमीन नीलाम कर दी जाती है। वास्तव में, यह एक्ट जिस उद्देश्य को लेकर बनाया गया था, यह उससे विपरीत सिद्ध हो रहा है। मैं चाहता हूं कि किसी भी स्माल फारमर मार्जिनल फारमर या शैड्यूल्ड कास्ट किसान की जमीन किन्हीं भी परिस्थितियों में नीलाम न की जा सके, आप ऐसी व्यवस्था करें। साथ ही, जहां तीन साल से ज्यादा अकाल की स्थिति हो वहां किसानों को दिए गए कर्जों को आप मुआफ करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे इन सुझावों पर गम्भीरता से विचार करके उचित निर्णय लेंगे। इसके साथ ही, उपाध्यक्ष जी मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, किसानों और खेतिहर मजदूरों में गहरा असन्तोष है। मैं आपका ध्यान विशेषरूप से वामपन्थी किसानों और खेतिहर कामगारों द्वारा पिछले सितम्बर में किये गये आंदोलन की ओर दिलाना चाहती हूं जहां 20 लाख किसानों और खेतिहर कामगारों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। उनकी मुख्य मांगें इस प्रकार थीं : किसानों के लिये लाभकारी कीमतें, सुनिश्चित सिंचाई, सस्ते आदान, ऋण स्थगन, खेतिहर कामगारों के लिये उचित न्यूनतम मजदूरी, वर्ष भर रोजगार प्रदान करना, जमीदारों के गुण्डों और पुलिस द्वारा खेतिहर कामगारों पर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध लोकतांत्रिक आंदोलनों का अधिकार और ऐसे आंदोलनों पर पुलिस के आक्रमण के विरुद्ध लोकतांत्रिक अधिकार दिलाना। इस आंदोलन के दौरान बिहार में दो स्थानों पर गोली चलाई गई थी और बहुत से स्थानों पर लाठी चार्ज किया गया था। उनके साथ इस प्रकार का बर्ताव किया जाता है।

हाल ही में हुई टिकैत रैली में भी किसानों के अत्यधिक असंतोष की अभिव्यक्ति की गई थी। यह स्थिति आकस्मिक नहीं है राष्ट्रीय आय के प्रमुख उत्पादक, किसानों को सरकार की खराब नीतियों का शिकार होना पड़ता है। ग्रामीण जनता को प्रलोभन देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (आई) की बैठक में सभी प्रस्तावित लुभावनी नीतियों के बावजूद वास्तविकताओं को झुठलाया नहीं जा सकता। बाजार में पूंजीवादी जोड़तोड़ और किसानों के उत्पाद की कीमतों में अत्यधिक असमान मूल्यों और वे उत्पादन निवेश या अनिवार्य उपभोक्ता मदों के रूप में खरीदी जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक असमानता के कारण किसानों को धोखा दिया जाता है। यह केन्द्र में वर्षों से शासन कर

रही पार्टी द्वारा अपनाई गई नीतियों का प्रभाव है।

आइये अब हम इस प्रश्न की गहराई से जांच करें। यह सर्वविदित है कि उद्योग और कृषि के बीच व्यापार की शर्तें वर्षों से कम या अधिक रूप में कृषि के विरुद्ध ही गई है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री स्वर्गीय डा० डी० के० रंगनेकर 1975-76 और 1980-81 के बीच व्यापार की अन्तर-क्षेत्रीय शर्तों का अध्ययन करने के बाद इस निर्णय पर पहुंचे थे :

"1975-76 से 1980-81 के दौरान कृषि से कुल अन्तर-क्षेत्रीय अन्तरण (हस्तांतरण) 1369 करोड़ रुपये था।"

मैं श्री जाय्नल अबेदिन द्वारा पहले उद्धृत किये गये उन आंकड़ों को नहीं दोहराऊंगी कि वर्ष 1970-71 से 1980-81 तक का एक अन्य अध्ययन यह दर्शाता है कि व्यापार अन्तरण में 45,000 करोड़ रुपये किसानों के प्रतिकूल थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वर्तमान दशकों में स्थिति और बिगड़ी है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यह कहते हैं कि किसानों के उत्पाद के लिए उत्पादन लागत, श्रम लागत में वृद्धि होने के कारण बढ़ी है। मुझे खेद है कि श्री टिकैत भी कभी-कभी ऐसा कहते हैं। मैं खेतिहर मजदूरों की वास्तविक स्थिति के संबंध में बाद में बात करूंगी किन्तु इससे पहले यह देखें कि कृषि उत्पादन की लागत में वृद्धि के मुख्य कारक कौन से हैं। इसमें मजदूरी की बात बिल्कुल नहीं है।

बंगलौर की सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान के श्री वी० नाडकर्णी ने अभी हाल ही में एक अध्ययन किया है जो इकानामिक एण्ड पालिटिकल वीकली में प्रकाशित हुआ था। इसमें क्या सामने आया है? जब वे यह कहते हैं कि 1970 और 1985 के बीच कृषि निवेशों की कीमतों के विपरीत प्रति वर्ष कृषि उत्पादों की कीमतें 1.3 प्रतिशत गिर गई हैं, तो वह यह भी दर्शाते हैं कि उच्च तकनीकी कृषि के तीन प्रमुख निवेशों अर्थात रासायनिक खाद, कीटनाशक और डीजल की सापेक्षिक कीमतें सबसे अधिक बढ़ी हैं। इन तीन मदों के विपरीत कृषि की सापेक्ष कीमतों में गिरावट ही अकेले 3.4 प्रतिशत प्रति वर्ष हुई है। इस अध्ययन से यह स्पष्ट है कि यह बहुराष्ट्रीय और एकल स्वावमित्वों द्वारा चालित पूंजीवादी बाजार है और सरकार की नीति इसे सहारा दे रही है और यही बात मुख्यत: किसानों की दुर्दशा के लिए जिम्मेवार है।

किन्तु इस स्थिति से दो प्रश्न सामने आये हैं : पहला तो यह कि जब तक यह स्थिति बनी रहेगी तब तक लाभकारी मूल्यों की किसानों की मांग को नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता और किसानों को इस कड़े अन्याय के बोझ से उबारा जाना चाहिए। सरकार को ऐसा अवश्य करन चाहिए।

दूसरा प्रश्न नीति में परिवर्तन की आवश्यकता के बारे में है। प्रश्न यह है कि हमारे जैसे गरीब देश मे, जहां कृषि मजदूर और छोटे तथा मंझले किसानों की अधिकता है, कीमती रासायनिक आदानं और कीमती ऊर्जा से चालित कृषि सहित अधिक उपज वाले बीज जो केवल इन निवेशों को लगाने ही अधिक उत्पादन कर सकते हैं, क्या इन्हीं बातों पर ही मुख्य बल दिया जाना चाहिए?

स्पष्टत: उत्तर 'नहीं' होना चाहिए क्योंकि भूमि मल्कियत में संरचनागत परिवर्तन के बिना य नीति मुख्यत: कुछ गिने-चुने धनी किसानों के लिए ही लाभदायक है तथा कुछ हद तक मध्यम वर्गी किसानों के उच्च वर्ग के लिए भी लाभदायक हो सकती है।

प्रवाही सिंचाई के स्रोतों में बड़े पैमाने पर वृद्धि करके और सौर, वायु और अन्य कम लाग वाली ऊर्जा द्वारा, देशी खाद पर अधिक निर्भरता द्वारा, बीजों की ऐसी किस्मों,- जो इस प्रकार

[श्रीमती गीता मुखर्जी]

स्थिति और वितरण के लिए उपयुक्त हों, में गहन अनुसंधान और विकास करके यह नीति छोटे और मंझले किसानों पर मुख्यत: आधारित होनी चाहिए। इस प्रकार, मेरी राय में, नीति में यह परिवर्तन किया जाना आवश्यक है।

जहां तक ऋण का संबंध है, वास्तव में यह किसानों पर भारी बोझ हैं। इसलिए न केवल सरकारी ऋण का ऋण स्थगन किया जाना चाहिए बल्कि छोटे और मंझले किसानों के लिए सहकारी ऋण और संचयी ऋण के प्रश्न की भी जांच की जानी चाहिए। इसमें भी छूट दिये जाने की आवश्यकता है। ऐसा केवल तभी किया जा सकता है जब केन्द्र सरकार रिजर्व बैंक को ऐसी अनुमति प्रदान करने के लिए कहे। अन्यथा, यह असम्भव है। इसलिए ऋण के प्रश्न पर विचार करते समय इस पक्ष पर भी विचार किया जाना चाहिए अर्थात न केवल सरकारी ऋण बल्कि सहकारी ऋण भी माफ किया जाना चाहिए।

अब मैं खेतिहर मजदूरों की बात लेती हूं। यह सर्वविदित है कि खेतिहर कामगारों के अनुपात में लगातार वृद्धि हो रही है। इस बात पर भी बल दिया जाना आवश्यक है कि मजदूरी, बेरोजगारी, सूदखोरी, सामाजिक सुरक्षा की पूर्णत: कमी और बढ़ते हुए अत्याचारों की दृष्टि से यह सबसे शोषित वर्ग है।

हमारे दैनिक जीवन के कष्टकारक अनुभवों के अतिरिक्त भारतीय मार्क्सवादी पार्टी के सांसद श्री गुरुदास गुप्त के संयोजकत्व में इस संसद की आम सलाहकार समिति की उप-समिति द्वारा वर्तमान स्थिति को उद्घाटित करने का प्रामाणिक अध्ययन किया गया है। यह रिपोर्ट सदन में हमारे सामने रखी गई थी। मैं राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग की सदस्या हूं जिसकी गतिविधियां भी मेरी दृष्टि में बहुत धीमी गति से चल रही हैं। बहरहाल, हमने यह रिपोर्ट देखी है क्योंकि इसे हमारे पास परिचालित किया गया था। यह केवल उप-समिति की ही रिपोर्ट नहीं है. बल्कि यह श्रम सलाहकार समिति की सर्वसम्मति से दी गई रिपोर्ट है। इस समिति द्वारा बताई गई न्यूनतम मजदूरी के संबंध में स्थिति बहुत ही खराब है। इसमें बताया गया है कि कृषि मजदूरी 3 रु०, 4 रु० और 5 रु० प्रति दिन तक दी जाती है। बहुत से राज्यों में, सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी बहुत ही कम है। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र जैसे राज्य में भी यह मजदूरी 6 रु० प्रति दिन थी। कुछ राज्यों में न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण कुछ ठीक है किन्तु इसका कार्यान्वयन वास्तव में सन्तोषजनक नहीं है। केरल में मजदूरी ठीक है। मेरे राज्य में, हम अभी घोषित मजदूरी को पूर्णत: लागू करने में सफल नहीं हो सके हैं, किन्तु फिर भी मजदूरी में वृद्धि अवश्य हुई है हालांकि यह भी उतनी नहीं है, जितनी होनी चाहिए थी।

इसके बाद, महिलाओं के लिए समान मजदूरी का प्रश्न है। इसे सभी जानते हैं और मैं इस विषय पर अधिक नहीं कहूंगी। केवल महिलाओं के लिए आरक्षित श्रम के विशेष क्षेत्रों में भी मजदूरी बहुत कम दी जाती है, जो कि गलत है। ये सभी बातें रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से दर्शायी गई हैं और इस रिपोर्ट में बहुत सी महत्वपूर्ण सिफारिशें भी की गई हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम समिति को भी अध्ययन करने दें किन्तु इस समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशें लागू क्यों नहीं की जानी चाहिए।

उदाहरण के लिए उन्होंने कहा है कि हर दो वर्ष बाद उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 50 अंक बढ़ने पर न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि न्यूनतम मजदूरी

नियत करने में गरीबी रेखा, पौष्टिक भोजन, आवास, वस्त्र, ईंधन, रोशनी, चिकित्सा तथा शिक्षा खर्च आदि की आवश्यकताओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया तथा उन्होंने महिलाओं को समान मजदूरी दिये जाने की बात भी कही।

श्रमिक सलाहकार समिति की सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था यह है कि खेतिहर मजदूरों की काम करने की शर्तों, मजूरी तथा सामाजिक सुरक्षा, पेंशन आदि की व्यवस्था करने के लिए एक व्यापक केन्द्रीय विधान बनाया जाये।

इसका सबसे हास्यास्पद भाग वह है जहां केन्द्रीय श्रम मन्त्री द्वारा राज्य के श्रम मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया गया था। हालांकि यह श्रमिक सलाहकार समिति का सर्वसम्मत प्रस्ताव था। तथापि, श्रम मन्त्री ने व्यापक विधान के प्रश्न को अस्वीकार कर दिया तथा पश्चिमी बंगाल, केरल तथा आन्ध्र प्रदेश के श्रम मन्त्रियों को छोड़कर दुर्भाग्यवश सभी इसके खिलाफ बोले। यहां तक कि राज्यों को भी कहा गया कि वे इस दौरान ऐसा विधान न बनाएं। कृषि श्रमिकों के साथ बर्ताव किये जाने का यह तरीका नहीं है जो हमारे समाज में सबसे नीचे हैं; उनके साथ बेहतर व्यवहार किया जाना चाहिए तथा ग्रामीण श्रम सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग के धीमी गति से किये जाने वाले कार्य आरम्भ होने तक उप समिति की सिफारिशों को कार्य रूप दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री जनक राज गुप्त (जम्मू) : डिप्टी स्पीकर साहब, जहां तक किसानों की डिमांड्स का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि हमेशा ही कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस की सरकार ने सारे देश में जहां ज्यादा तादाद गांव में रहने वाले लोगों की है व जिनका दारोमदार सिर्फ एग्रीकल्चर पर है, उनके लिए हमेशा बहुत कुछ किया। और आजादी मिलने के बाद शुरू से ही हमने बड़े-बड़े डैम बनाये, इरीगेशन फैसिलिटीज के लिए बड़ी-बड़ी नहरें बनाईं, यह सारे काम फार्मर्स की बेहतरी के लिये हुए। अभी हम यह देख रहे हैं कि जब भी कभी जरूरत पड़ी तो फार्मर्स की डिमांड्स को और उनकी बेहतरी के लिए काम करने को जो कुछ भी करना था उसके लिये हमेशा ही कांग्रेस पार्टी और सरकार ने इनिशिएटिव लिया और काम किया।

इन्दिरा जी ने बैंक नेशनलाइज किये, इसलिए कि यहां के गरीब अवाम और फार्मर्स की हालत बेहतर हो सके और वह उससे फायदा उठा सकें। राजा-महाराजाओं के भत्ते बन्द किये ताकि जो रुपया है वह किसान की बेहतरी के लिए और यहां के गरीब अवाम की बेहतरी के लिये इस्तेमाल किया जा सके। लिहाजा, हर जगह जब-जब भी जरूरत पड़ी, खाद देने के लिये, पानी देने के लिये, बीज देने के लिये और और आसान किश्तों पर कर्जा देने के लिये हमेशा ही किसान की मदद की गई और वह मदद कांग्रेस ने की, सरकार ने की। यह कांग्रेस की पालिसी है।

मैं मन्त्री जी से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि जहां इन्होंने बहुत से एकदामात उठाये हैं, जहां इन्होंने ऐसी बहुत सी बातें की हैं, कहीं लेण्ड रिफार्म्स किये, कहीं उनको बीज और खाद देने के लिए कर्जा दिया लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अभी करने वाली हैं। यहां इन्होंने क्राप इन्श्योरेंस स्कीम बनाई। इसमें दो राय नहीं कि यह स्कीम किसानों की बेहतरी के लिए है और इससे काफी फायदा है लेकिन इस सिस्टम में कुछ खामियां हैं। क्राप इन्श्योरेंस स्कीम का कोई भी किसान, कोई भी फार्मर इण्डीविजुअल तौर पर फायदा नहीं उठा सकता। या तो ब्लाक लेविल पर इसका फायदा है या यूनिट पटवार और ब्लाक को मानते हैं, न कि इण्डीविजुअल फार्मर को मानते हैं। इसमें यह

[श्री जनक राज गुप्त]

करना चाहिए कि इसके साथ एक आर्डर करें ताकि हर किसान को, जिस-जिस का नुकसान हो, अगर एक ब्लाक में 5 फार्मर्स का नुकसान हो तो मुआवजा दिया जाय। एज ए ब्लाक 5 आदमियों का नुकसान नहीं मानते हैं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां पर बैंक से जो लोन देते हैं, फार्मर्स को, इसमें इतना ज्यादा इण्टरेस्ट लेते हैं कि अगर कोई कहीं ट्रैक्टर या किसी दूसरी चीज के लिये लोन लेता है तो उससे किसान की हालत इस तरह की हो जाती है कि बजाय इसके कि वह इसका फायदा उठाये, वह बोझ के नीचे दब जाता है और उठ नहीं पाता। मेरा जाती तजुर्बा है कि जिन्होंने ट्रैक्टर के लिये कर्जा लिया उन पर इण्टरेस्ट और पीनल इण्टरेस्ट इतना हो गया है कि वह आज तक न तो कर्जा दे सके हैं न अपना ट्रैक्टर चला सकते हैं, इसलिए इसको देखना चाहिए। एक तो उनसे इण्टरेस्ट कम लिया जाय और पीनल इण्टरेस्ट का क्लाज तो फार्मर्स के लिए खत्म ही होना चाहिए।

इसके बाद आपने यहां पर लैण्ड रिफार्म्स किए हैं लेकिन लैन्ड रिफार्म्स के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि लैण्ड रिफार्म तो हमारी स्टेट में भी हुआ। जहां जमीन किसान को दी गई तो बिना मुआवजे के, बगैर किसी कम्पेंसेशन के वह जमीन दी गई और 182 कैनाल जमीन किसी मालिक को रखने का अख्तियार था, शेख साहब के वक्त में यह हुआ, क्रेडिट गोज टू हिम। उसके बाद हुकूमत में वह आये तो 182 के बजाय 100 कैनाल का बना दिया कि 100 कैनाल से ज्यादा कोई आदमी जमीन नहीं रख सकता, सारे देश में मुझे यह देखकर दुख होता है कि ऐसे-ऐसे लोग भी यहां हैं जिनके पास हजारों-सैंकड़ों एकड़ कैनाल जमीन है जिसे वे अपने पास रखे हुए हैं, ख्वाह कोई ट्रस्ट बनाकर बैठ जाये या वैसे ही बैठ जायें दबाकर, तो इसको रोकने के लिए आप लैण्ड रिफार्म्स को सख्ती के साथ इंप्लीमेंट करें ताकि जो गरीब किसान है, जो खेत मजदूर हैं जिनके लिए आप कुछ करना चाहते हैं, वे वाकई उसका फायदा उठा सकें। यह बात बहुत जरूरी है कि लैण्ड रिफार्म्स को आप सख्ती के साथ लागू करें।

आपके पास बहुत सी ऐसी जमीन हैं जो ड्राई है जिससे कि इस वक्त कोई फायदा नहीं उठाया जा रहा है। उस ड्राई लैण्ड को आप रिक्लेन करें और कहीं से उसको सैराब करने के लिए पानी दस्तयाब करें, नहरें बनायें तो मैं समझता हूं उससे बहुत से मसायल हल हो सकते हैं। जो बेचारे गरीब लोग हैं, खेत मजदूर हैं जिनको रोजगार नहीं मिलता है, उनके मसायल भी हम इससे हल कर सकते हैं।

दूसरे जहां तक प्रधान मंत्री जी का ताल्लुक है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जहां-जहां भी कहीं किसानों को दुःख हुआ, तकलीफ हुई, चाहे जम्मू-कश्मीर में, बिहार में, यू० पी० में, आन्ध्र प्रदेश या तमिलनाडु में, वहां पर वे पहुंचे। मैं अपने दोस्तों से पूछना चाहता हूं कि जहां कहीं भी बाढ़ आई, किसानों को नुकसान हुआ, क्या इनमें से किसी ने भी वहां जाकर पता किया? लेकिन हमारे प्रधान मंत्री जी हर जगह खुद गए। जम्मू-कश्मीर के उस इलाके में भी वे गए जहां कोई पहुंच नहीं सकता है। इसी तरह से बिहार, यू० पी० में पसंवली जाकर सारी सिच्युएशन देखी और लोगों की मदद की। ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को मदद पहुंचाई। इसी तरह से इन्दिरा जी भी करती थीं। मैं प्रधान मंत्री जी का मशकूर हूं कि हमारे जम्मू-कश्मीर में जाकर, फार्मर्स के साथ मिलकर उनकी तकलीफात को सुना और मदद भी दी। बाकी देश में भी वैसा ही किया। मुझे उम्मीद है कि हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टिर साहब इन बातों की तरफ तवज्जह देंगे और जो भी खामियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे और साथ ही किसानों की बेहतरी के लिए जो भी एतदामात उठाए जा

सकते हैं, उनकी तरफ तवज्जह देकर उनकी हालत बेहतर बनाएंगे।

[अनुवाद]

श्री एम० रघुमा रेड्डी (नलगोंडा) : महोदय, कृषकों की समस्याएं बहुत गम्भीर हैं। हाल ही में किसानों के अनेक आंदोलन हुए हैं। एक तो अभी हाल ही में श्री टिकैत के नेतृत्व में हुआ था। न सिर्फ टिकैत अपितु नारायणा स्वामी तथा शरद् जोशी ने जो समस्याएं सामने रखीं वे सब एक जैसी हैं। वे चाहते हैं उन्हें लाभकारी मूल्य मिले। ऋण माफ हों, बिजली की दरें समान हों, आदि ऋण देने की नीति समान हो तथा कृषि उत्पाद निर्बाध लाने ले जाने की छूट हो। लेकिन हर प्रकार की कृषि के लिये सबसे पहली जरूरत पानी है। जब तक हम पूरी कृषि भूमि को जल प्रदान नहीं करेंगे तब तक किसान अधिक उत्पादन नहीं कर पायेंगे। हम शुष्क भूमि को नजरंदाज करते रहे हैं तथा हम बारानी खेती के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारी सिर्फ 36 प्रतिशत भूमि के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध है तथा बाकी 64 प्रतिशत पर किसान अपना निर्वाह करने की स्थिति में भी नहीं हैं, कृषि श्रमिक की तो बात ही छोड़ दें। विद्युत उपलब्ध नहीं है। शुरू से ही, हमने बारानी खेती को नजरंदाज किया है।

गंगा व कावेरी का जोड़ने की मांग उठी थी। उस पर विचार नहीं किया गया। आप ने भूमि के नीचे जल ढूंढने के लिये सारी शुष्क भूमि का भी सर्वेक्षण नहीं किया है। आप यदि एक बार यह सर्वेक्षण करें, तो आपको पता चलेगा कि कहां पानी उपलब्ध है, तथा हम उपलब्ध पानी को कैसे उपयोग में ला सकते हैं। इस पर विचार नहीं किया गया है।

3.00 म० प०

यदि जब किसान कृषि के लिये अपने कुएं खोदते हैं, तो उन्हें आर्थिक सहायता नहीं मिलती। हाल ही में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ आर्थिक सहायता दी गई जिससे कुछ कुयें खोदे गये। लेकिन दूसरे किसानों का क्या हुआ, मध्यम श्रेणी के किसानों का जिन्हें बैंकों से ऋण नहीं मिल सकता, बैंक किसानों को उतना ऋण नहीं दे रहे हैं जितना उन्हें चाहिये।

हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 41 प्रतिशत कृषि क्षेत्र से प्राप्त कर रहे हैं। बैंक सिर्फ 17 प्रतिशत उन्हें दे रहे हैं जबकि उद्योगों को 20 प्रतिशत दे रहे हैं। आप 36 प्रतिशत बैंक ऋण दे रहे हैं। मैं सदन का ध्यान इस पहलू पर दिलाना चाहता हूं। 17 प्रतिशत में से भी 6-7 प्रतिशत परोक्ष रूप से उद्योगपतियों को मिल रहा है। आप कर से बचने के लिये, उद्योगपति कृषि की ओर जा रहे हैं यद्यपि वे किसान नहीं हैं। वे फसलें उगा सकते हैं या बागवानी कर सकते हैं। अत: वे 6-7 प्रतिशत ऋण अलग से प्राप्त कर रहे हैं; केवल 10 प्रतिशत बैंक ऋण ग्रामीण क्षेत्रों को मिल रहे हैं। इससे उनका विकास कैसे हो सकता है तथा उनकी जरूरतें कैसे पूरी हो सकती हैं। वे इससे अपने लिए कुएं कैसे खोद सकते हैं। वे अपने लिए विद्युत-चालित मोटरें कैसे खरीद सकते हैं। उनकी जरूरत किसे है?

हमने इस पर एक सर्वेक्षण किया है। आपके माध्यम से सरकार से मेरा अनुरोध है कि अपनी योजना में पूर्णतया परिवर्तन लाएं; हमारी योजनायें अपने आपमें ही गलत हैं। इन योजनाओं से उद्योगपतियों को ही लाभ होता है, शहरी तथा विशिष्ट स्तर के लोगों को ही लाभ होता है ग्रामीण लोगों को नहीं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कुछ ही बैंक हैं तथा उनकी सुविधाएं गांवों के हर कोने तक नहीं पहुंचतीं जहां उन्हें अपने डी० आर० डी० ए०, एन० ए० डी० ए०, तथा अन्य कार्यक्रमों को

[श्री एम० रघुमा रेड्डी]

लागू करना है। हम आर्थिक सहायता तथा मार्जिन धनराशि बढ़ा रहे हैं। अतः लोगों को ऋण राशि भी बैंकों द्वारा ही भरी जानी चाहिये, लेकिन बैंक गरीब लोगों को ऋण नहीं दे रहे हैं; वे कहते हैं उनके पास संसाधन नहीं हैं।

हमने ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक बैंक शाखायें खोलने के लिए अनुरोध किया है लेकिन रिजर्व बैंक आड़े आ रहा है। यह सब क्या हो रहा है। ग्रामीण लोगों की समस्याओं पर कौन ध्यान देगा ?

अब लाभकारी मूल्यों और इन्हें कैसे नियत किया जाता है को लें। खेती की लागत जानने का तरीका बिल्कुल गलत है। वे आदानों तथा श्रमिक मजदूरी को ध्यान में रखते हैं। लेकिन इसमें जोखिम का ध्यान नहीं रखते। किसान हर रोज अदायगी नहीं कर सकता। हम हर रोज खेतों में मजदूरों को नहीं लगा सकते। सूखे व तूफान भी आते हैं। मूल्य निर्धारित करते समय इन सब बातों पर कौन ध्यान देता है। जब वे मूल्य निर्धारित करते हैं तो उस समय उसमें कोई लाभ नहीं जोड़ते हैं। लेकिन जब आप किसी उद्योगपति के पास जाते हैं तो आप देखेंगे कि वह मूल्य निर्धारण से पूर्व अपने सारे लाभों को जोड़ेगा, वह पहले सारे फायदे व लाभ लेगा तथा उसके बाद वह मूल्य निर्धारित करेगा। यहां हम खिलवाड़ करते हैं। वास्तविक रूप से मूल्य निर्धारण के समय किसी भी किसान को सम्मिलित नहीं किया जाता। अभी हाल ही में शायद एक या दो किसानों के प्रतिनिधि शामिल किए गये हों लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। किसानों को राज्य के मुख्यालयों से मूल्य निर्धारण सम्बन्धी सूचना मिलनी चाहिये।

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : एक सदस्य आन्ध्र प्रदेश का भी है। आप यह क्यों भूलते हैं ?

श्री एम० रघुमा रेड्डी : लेकिन यह पूरे देश के लिए बनाया गया है। मेरी रुचि सिर्फ आंध्र प्रदेश में ही नहीं है। यह पर्याप्त नहीं है। हर राज्य के किसानों का एक प्रतिनिधि होना चाहिए, तभी ऐसा किया जा सकता है। बिहार व उत्तर प्रदेश में भी किसान हैं। मैं दोनों के प्रतिनिधि चाहता हूं।

जहां तक समान टैरिफ का सम्बन्ध है, 40,000 से 50,000 रुपये खर्च करके एक एकड़ जमीन की सिंचाई के लिये आप पानी दे रहे हैं। लेकिन गरीब किसानों का क्या होगा। उन्हें स्वयं अपना कुआं खोदना पड़ता है, उन्हें विद्युत अथवा डीजल के जरिये पानी खींचना पड़ता है। आप कृषि आदानों के मूल्य को कम क्यों नहीं कर देते हैं। आप आन्ध्र प्रदेश की तरह स्लैब पद्धति क्यों नहीं अपना सकते ? यह 50 रुपये प्रतिवर्ष है। आप हर राज्य के लिये एक ही कानून क्यों नहीं बनाते ? आप केन्द्र सरकार से ऐसा करने के लिये क्यों नहीं कहते हैं ? क्यों राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों के साथ इस भार को वहन करे ? वे इस समस्या से कैसे निपट सकते हैं ?

आंध्र प्रदेश में ऋणों की माफी के बारे में हम किसानों को दिए गये ऋणों पर देय ब्याज माफ कर सकते हैं।

हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने 220 करोड़ रुपये के ऋणों और उन पर लगने वाले ब्याज को माफ कर दिया है। श्री देवीलाल ने भी ऐसा ही किया है। श्री शरद पवार विपक्ष में थे और वह सत्ता के लिये कांग्रेस में चले गये हैं। यद्यपि वह कांग्रेस में चले गए हैं, लेकिन उनके विचार किसान के हैं। इसी वजह से उन्होंने ऐसा किया है। यहां तक कि श्री देवी लाल और श्री एन० टी० रामा राव

भी ऐसा कर चुके हैं। आप अन्य राज्यों में भी ऐसा क्यों नहीं कर सकते ? जब आप उद्योगपतियों को अप्राप्य ऋणों जैसी रियायतें दे रहे हैं, तो आप किसानों को दिये गये ऋण और उन पर लगने वाले ब्याज को क्यों माफ नहीं कर सकते। आन्ध्र में, यदि किसानों को अपने कुएं खोदते समय कुछ चट्टानें मिलती हैं तो हम 10,000 रुपये तक की नकद सहायता देते हैं। आप अन्य राज्यों में ऐसा क्यों नहीं करते ? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि यदि किसानों को अपने कुएं खोदते समय चट्टानें मिलती हैं तो किसानों के पूरे ऋण माफ कर दीजिये।

महोदय, फसल बीमा योजना एक बेकार योजना है। इस योजना में किसी को भी लाभ नहीं हुआ है। केवल यदि आप एक गांव को इकाई माने, तभी कुछ प्राप्त किया जा सकता है। इस समय यह योजना उन लोगों के लिये है जो बैंकों और अन्य स्रोतों से ऋण लेते हैं, इसे उन सभी किसानों के लिये बिना किसी भेदभाव के लागू की जानी चाहिये चाहे वे बैंकों से ऋण लेते हैं अथवा नहीं। इस योजना को गांव को इकाई मानकर कार्यान्वित करना होगा।

महोदय, एक अन्य कार्यक्रम 'प्रयोगशाला से खेतों तक नामक कार्यक्रम' है। यह अच्छी तरह से नहीं चल रहा है। हमें इस प्रणाली को मजबूत करना होगा। जो कुछ भी आप प्रयोगशाला में पैदा कर रहे हैं वह खेत में जाना चाहिये। राज्य सरकारों की सहायता से विस्तार प्रणाली को मजबूत बनाया जाना चाहिये। आज सुबह हमने बीजों के बारे में चर्चा की है। किसानों को अच्छे बीज उपलब्ध नहीं कराये जाते। हम मूल बीजों (फांउडेशन सीड्स) का उपयोग करने की स्थिति में नहीं हैं। प्रमाणीकृत बीज के नाम पर, कोई इसको खरीद रहा है और उस पर प्रमाणीकृत बीज का लेबल लगा करके किसानों को दे रहा है। कम से कम पचास प्रतिशत क्षेत्र में मूल बीज पैदा किये जाने चाहिये।

आप अधिक अनुसंधान केन्द्र क्यों नहीं खोलते ? प्रत्येक खण्ड में एक प्रयोगशाला होनी चाहिये ताकि मूल बीज सभी किसानों को उपलब्ध कराये जा सके।

महोदय, हमारे पास भूमि है, हमारे पास टैक्नोलोजी है, लेकिन हम खाद्यान्नों का आयात कर रहे हैं। यदि आप एक वर्ष पहले आकर्षक मूल्य की घोषणा कर सकें। तो हमारे किसान उन सभी चीजों का उत्पादन करेंगे जिनकी हमें आवश्यकता है। हम देश में एक और हरित क्रान्ति चाहते हैं।

मिश्रित खेती जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में डेयरी फार्म, मुर्गी पालन, मछली पालन को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये और उनको हर सम्भव सहायता दी जानी चाहिये।

महोदय, आन्ध्र प्रदेश में हमने कृषकों के विकास के लिये कुछ उपाय किये हैं। आप उसे प्रोत्साहन दीजिये। आपको कृषि पर आधारित उद्योगों और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की अधिक संख्या में स्थापना करनी चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती ऊषा चौधरी (अमरावती) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया। किसानों के बारे में हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। पिछले साल देश में जैसा सूखा पड़ा वैसा सूखा लोग कहते हैं कि पिछले सौ सालों में पहली बार पड़ा। इस साल देश

[श्रीमती ऊषा चौधरी]

में बाढ़ से बड़ी हानि हुई। महाराष्ट्र के कई जिलों में बाढ़ से बड़ी हानि हुई। हम लोग बहुत से काम करते हैं लेकिन जो ये सूखा पड़ जाता है या देश में बाढ़ें आ जाती हैं इससे हमारा इकोनोमिक बेलेंस वह बिगड़ जाता है और इसको ठीक करने की प्लानिंग में हमारा बहुत सा पैसा चला जाता है। इसलिए हमारी सबकी एक राय होगी कि हम समयबद्ध राहत किसान को दें, इसके लिए एक स्थायी कार्यक्रम बनाया जाए, किसान के लिये एक पालिसी बनाई जाये, जिसके लिए आज बहस जारी है। इस बारे में मेरा कुछ आग्रह और कुछ मांग है। जब से आजादी मिली है, तब से किसानों को राहत देने के लिए कई संस्थाएं बनी हैं कृषि मूल्य आयोग है, काटन डेवलपमेंट कौंसिल है। इन्दिरा जी ने किसानों के लिए बैंकों के दरवाजे खोल दिए, लेकिन आज हालत यह है कि यदि कोई स्टेट गवर्नमेंट या कोआपरेटिव संस्था किसानों को मदद करना चाहती है, कोई सबसिडी या सहायता देना चाहती है, जैसे कि महाराष्ट्र स्टेट कोआपरेटिव बैंक, जिसकी मैं संचालिका हूं और जो एशिया का सबसे बड़ा कोआपरेटिव बैंक है जो कि महाराष्ट्र में किसानों को करोड़ों रुपया देता है, किसानों के लिये अच्छी योजनायें बनाता है, पिछले साल सूखा पड़ने पर हम लोगों ने किसानों को 6 परसेंट सूद पर पैसा देकर या सबसिडी देकर या कर्जा माफ करके किसानों की मदद करनी चाही तो नाबार्ड तथा रिजर्व बैंक के कानून आड़े आ गए। मैं कहना चाहती हूं कि जब हम किसानों को ऊपर उठाना चाहते हैं तो उसमें राजनीति को बीच में नहीं लाना चाहिये। यहाँ पर काफी राजनीतिक बातें की गई, मैं उन सबकी चर्चा नहीं करना चाहती। आज कपास को लेकर, रीजनल इशू को लेकर, भाषा को लेकर पार्टियां खड़ी हो जाती हैं, लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी किसी एक इशू को लेकर नहीं चलती। किसान, मजदूर, महिलाएं, हरिजन, आदिवासी, सभी के बारे में यह पार्टी सोचती है। मैं कोई राजनीतिक बात यहां पर नहीं करना चाहती, लेकिन रूलिंग पार्टी की एम० पी० होने के बावजूद यह मांग करती हूं कि किसानों को सरकार यदि राहत देना चाहती है तो कृषि मूल्य आयोग में परिवर्तन करिए, काटन डेवलपमेंट कौंसिल में परिवर्तन करिये, जो आंकड़े मंत्रालय से आते हैं उनको देखिए, उसमें कपास की आमदनी कम दिखाई जाती है और कपास का आयात किया जाता है। पिछले साल महाराष्ट्र फेडरेशन में दो लाख कपास की गांठें सड़ गईं लेकिन कपास का आयात किया गया। इसलिए इस आयात-निर्यात नीति में भी हमको परिवर्तन करना होगा। यदि लांग स्टेपल कपास की मांग है तो इसके लिए किसानों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान की जानी चाहिये ताकि वह लांग स्टेपल कपास का उत्पादन कर सके, इसके लिए किसान की मदद करनी चाहिए, इस तरह की पालिसी बनाई जानी चाहिये। इसके साथ-साथ नई टेक्सटाइल पालिसी किसानों के लिए बनाई जानी चाहिये। पिछले साल महाराष्ट्र सरकार तथा कई संस्थाओं के लोग आगे बढ़े और कहा कि हम किसान की मदद करना चाहते है ताकि किसान का उत्पादन बढ़ा सके, तब सरकार ने आश्वासन दिया था कि टेक्सटाइल पालिसी पर पुनर्विचार किया जाएगा, कृषि मूल्य नीति पर भी पुनर्विचार किया जाएगा। आज मैं याद दिलाना चाहती हूं कि जो नई टेक्सटाइल पालिसी बनायें, उसमें कपास की फसल और कपड़ा निर्माण पर जो असर हो रहा है, उस पर पुनर्विचार करने की बहुत आवश्यकता है। यदि कोई पार्टी यह कहती है कि किसान को सिर्फ कपास का दाम देने से या प्याज का दाम देने से ही वह ऊपर उठ जाएगा तो इससे उसकी हालत सुधरने वाली नहीं है। इसके साथ-साथ उनके लिए स्माल स्केल इंडस्ट्री खोलनी होगी। अधिकतर किसानों के लड़के ही बेरोजगार होते हैं। इनमें ड्राप आउट भी अधिक है। इसलिए जब तक हम उनको सर्विस नहीं दे पायेंगे या नेशनेलाइज्ड बैंक्स के जरिए किसानों को कोई सहायक धन्धा नहीं दे पायेंगे तब तक उनकी हालत सुधरने वाली नहीं है। किसानों की स्थिति सुधारने के लिए जो प्रस्ताव

ए० आई० सी० सी० में पारित हुआ, उससे पूरे देश को खुशी हुई। सिर्फ समस्या यह है कि इम्पली-मेंटेशन कैसे होगा। "महिला विकास योजना" भी महिलाओं के लिए बनी है। जो पिछड़े वर्ग की महिलायें हैं, देहातों में रहती हैं, पहाड़ी या आदिवासी महिलायें हैं जिनकी कोई यूनियन नहीं है उनको ऊपर उठाने के लिये यह योजना बनी है। इसलिये मैं आज संसद में शासन से निवेदन करती हूं कि ग्रामीण और किसान महिलाओं को रोजगार देने के लिए, उनको कोई प्रैक्टिकल एजुकेशन दी जाये या उनको खेती से लगी हुई कोई होम इंडस्ट्री दी जाये तभी देश की हालत सुधर सकती है और तभी किसान का परिवार ऊपर उठ सकता है। अपने अमरावती जिले के बारे में बोलना चाहती हूं। हमारे विदर्भ रीजन में अनुमान से भी अधिक 150 प्रतिशत बारिश हुई है। सैकड़ों लोग बाढ़ से मारे गए हैं। अधिक बारिश होने से 380.64 करोड़ का नुकसान हुआ है। पुनर्वसन के लिए केन्द्र सरकार से मांग की है। केवल महाराष्ट्र में ही किसानों की भलाई के लिए काटन मोनोपली जैसी स्कीम चलती है। अभी पिछले महीने हमारी सरकार ने सवा दो अब्ज यानी 220 करोड़ के कर्ज किसानों के माफ किए हैं। हम चाहते हैं कि 185.50 करोड़ की मदद हमें केन्द्र सरकार से मिलनी चाहिए। अन्त में मैं राजीव जी को, हमारी सरकार को और कांग्रेस पार्टी को किसानों की भलाई के लिए कदम उठाने हेतु बधाई देना चाहती हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

3.18 म० प०

[श्री एन० वेंकटरत्नम पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

डा० ए० कलानिधि (मद्रास मध्य) : महोदय, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे किसानों और कृषि मजदूरों की मांगों पर चर्चा में भाग लेने के लिये आमन्त्रित किया। सत्ता पक्ष के बहुत से सदस्यों ने कहा है कि उर्वरक के लिए बहुत सी सहायता दी गई है। मुद्दा यह है जो राज सहायता उर्वरक के लिये दी गई है वह उन उद्योगपतियों को चली गई है जिनके उर्वरक उद्योग हैं। अत: इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि जब उर्वरक के लिए सहायता दी जाती है तो उसका लाभ वास्तव में किसानों को पहुंचे न कि उद्योगपतियों को जिनके उर्वरक उद्योग हैं।

बहुत से राज्यों की यह आम शिकायत है कि किसानों को अच्छे किस्म के बीज नहीं मिलते। ऐसा अनुसंधान और विकास की कमी के कारण है। ऐसा सरकार के सुस्त रवैये के कारण है कि वे अनुसंधान और विकास के लिए पर्याप्त धन आवंटित नहीं करते। न केवल कृषि क्षेत्र में, यहां तक कि चिकित्सा क्षेत्र में भी हमारी यही समस्या है। जब तक कि हम अनुसंधान और विकास में सुधार नहीं करते, हम अच्छी किस्म के बीजों का उत्पादन नहीं कर सकते। यदि हम अच्छी किस्म के बीजों का उत्पादन नहीं करते, तो हम अपने उत्पादन में वृद्धि नहीं कर सकते। बीजों का उपलब्ध न होना भी चिन्ता का कारण है। अत: हमें पर्याप्त मात्रा में बीजों का उत्पादन करना चाहिये। इतना ही नहीं, किसानों को अच्छी किस्म के बीज उपलब्ध कराये जाने चाहिये ताकि कृषि उत्पादन बढ़ सके और उससे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें, तभी हम अपनी हरित क्रांति से सन्तोष अनुभव कर सकते हैं।

एक और बात जिसे मैं कहना चाहता हूं यह है कि देश में पर्याप्त भाण्डागार नहीं है। किसानों द्वारा पैदा किये गये खाद्यान्नों के लिए, पर्याप्त भण्डारण सुविधा नहीं हैं और उनको जो बीज दिये जाते हैं उनको रखने के लिए भी उनके पास कोई सुविधा नहीं है। देश के विभिन्न भागों में खराब

[डा० ए० कलानिधि]

मौसम के कारण, जो कुछ भी हम देश में पैदा करते हैं वह खराब हो जाता है। अतः भारत सरकार को भाण्डागारों के निर्माण में गहरी दिलचस्पी लेनी चाहिए ताकि किसानों के उत्पाद उचित भण्डारों में रखे जा सकें और बीजों को भी उचित तरीके से सुरक्षित रखा जा सके। इससे आने वाले वर्षों में उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

महोदय, जहां तक वसूली मूल्य का सम्बन्ध है, मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि आपका गेहूं और चावल के लिए अलग-अलग दृष्टिकोण है, आपका केवल गेहूं उत्पादकों के प्रति ही सहानुभूति पूर्वक रवैया है और धान उत्पादकों के प्रति ऐसा नहीं है। जब कभी गेहूं उत्पादक अधिक सहायता की मांग करते हैं आप उनकी सहायता करते हैं और उनकी समस्या हल कर देते हैं। लेकिन जब कभी हम दक्षिणी राज्यों के लिए कहते हैं जहां पर किसान अधिक चावल पैदा करते हैं, आप उनके अनुरोध पर विचार नहीं करते। जहां तक धान का सम्बन्ध है, उसका वसूली मूल्य बहुत कम है। जब तक आप धान के वसूली मूल्य को नहीं बढ़ाते, तब तक किसानों की पेश आने वाली समस्या को हल करना बहुत कठिन है। जहां तक किसानों और खेत मजदूरों की मांगों का सम्बन्ध है, बहुत से सदस्यों ने कहा है कि वे इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है और यही बात पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भी कही थी और यही बात महान कवि तिरू वेलूवर ने भी कही थी, अर्थात, 'यह विश्व किसानों की पीठ पर टिका है।' इसमें कोई सन्देह नहीं है। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आप केवल घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। आपकी केवल झूठी सहानुभूति है। जब श्री टिकैत के नेतृत्व में बोट क्लब के सामने किसानों ने 'धरना' दिया था और आन्दोलन किया था तो उन किसानों के नेताओं से विचार-विमर्श करने हेतु उन्हें बुलाने को भी आपका दिल नहीं चाहा। आपको उनकी समस्याओं के बारे में कभी भी चिन्ता नहीं रही है। उनकी शिकायतों पर विचार करने के लिए आपको कभी समय नहीं मिला। लेकिन आगामी चुनावों में अपनी पार्टी के लिए अधिक वोट प्राप्त करने के लिए तमिलनाडु जाने और सार्वजनिक सभाओं को सम्बोधित करने के लिए आपके पास समय निकल आता है। आप सरकारी खर्च पर कांग्रेस पार्टी, जो केन्द्र में सत्ताधारी पार्टी है, का प्रचार कर रहे हैं। अतः आप इस प्रकार का रवैया रखते हैं। लेकिन इसके विपरीत, आप यह कहते हैं कि आपकी इन लोगों के साथ सहानुभूति है। आप कहते हैं कि आपके मन में किसानों के लिए बहुत दया और सब कुछ है। ये केवल घड़ियाली आंसू हैं जो आप बहा रहे हैं।

मेरा अगला निवेदन बैंक ऋणों के बारे में है। जहां तक बैंक ऋणों का सम्बन्ध है, मुझे यह उल्लेख करते हुए खेद है कि बैंक ठीक तरह से ऋण नहीं दे रहे हैं। इसमें बिचौलिए हैं जो इन ऋणों को दिलवाते हैं। राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक और वाणिज्यिक बैंक, किसानों को पर्याप्त ऋण नहीं देते हैं और जो थोड़ा-बहुत ऋण देते हैं वह भी समय पर नहीं देते। कभी-कभी तो वह ऋण, फसल कटने के बाद देते हैं। इतनी देर बाद ऋण देने का कोई फायदा नहीं है। जब कभी सूखे की स्थिति होती है, जब कभी बाढ़ की स्थिति होती है, किसानों को असामान्य स्थिति का सामना करना पड़ता है और उस समय वे बहुत सी कठिनाइयों का सामना करते हैं विशेषकर, वे बिजली के शुल्क की अदायगी करने की स्थिति में नहीं होते। बाढ़ और सूखे की स्थिति में वे बिजली के शुल्क की अदायगी करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं होते। बिजली के शुल्क की अदायगी को स्थगित करने की बजाए, सरकार को किसानों से वसूल किए जाने वाले बिजली शुल्क को माफ कर देना चाहिए।

महोदय, सरकार ने नर्मदा घाटी परियोजना को स्वीकृति देने में बहुत अधिक रुचि दिखाई है।

लेकिन इसके साथ ही जब तेलगु-गंगा परियोजना स्वीकृति के लिए आई, तो आपने राजनीतिक आक्षेप किए। पर्यावरण संबंधी समस्या के सम्बन्ध में आपकी अपनी राय है। रायलसीमा के किसान सिंचाई के लिए पानी न मिलने के कारण दुखी हैं और मद्रास शहर के लोगों को पेयजल की नितांत आवश्यकता है। अतः हम चाहते हैं कि आप निष्पक्ष रहें और राजनीतिक पक्षपात न करें। अतः जब हम चाहते हैं कि आप आन्ध्र प्रदेश सरकार की सहायता कीजिए, तो आप राजनीति चलाते हैं और पर्यावरण संबंधी कारणों का उल्लेख करते हैं।

नर्मदा घाटी परियोजना को स्वीकृति देने के लिए आप तौर-तरीकों से हट गए। जब माननीय प्रधान मंत्री तमिलनाडु का दौरा करते हैं तो कहते हैं कि वह अन्य राज्यों की कीमत पर तेलगु-गंगा परियोजना को स्वीकृति नहीं दे सकते हैं लेकिन इस मापदंड को नर्मदा घाटी परियोजना के मामले में लागू नहीं किया जाता है। तमिलनाडु के आगामी चुनावों में मत प्राप्त करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री अपनी पार्टी की नीतियों के प्रचार हेतु सरकारी धन खर्च करते हैं।

महोदय, अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि कृषि लागत मूल्य आयोग का पुनर्गठन होना चाहिए। अब समय आ गया है कि कृषि लागत और मूल्य आयोग का पुनर्गठन किया जाए। इस संगठन के सदस्य मुख्यतः वित्तीय विशेषज्ञों की बजाय वास्तविक किसान होने चाहिए। कृषि विशेषज्ञों को और अधिक महत्व देना चाहिए उन्हें मुख्यतः कृषि लागत और मूल्य आयोग के सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। इसके विपरीत आप वित्तीय विशेषज्ञों तथा सलाहकारों को अधिक महत्व दे रहे हैं।

अन्त में वित्तीय सलाहकार और विशेषज्ञ ही कृषि लागत तथा मूल्य आयोग में शामिल किए जाने चाहिए। दूसरी ओर, आप सदैव ही वित्तीय विशेषज्ञों और कृषि विशेषज्ञों को अधिक महत्व देते हैं, और वास्तविक किसानों को छोड़ देते हैं। अतः आपको इन सभी मुद्दों पर विचार करना चाहिए तथा इन्हें कार्यान्वित करने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : सभापति महोदय, पिछले दिनों बोट क्लब में जो कुछ हुआ, उसकी लोग तारीफ नहीं कर सकते, लेकिन लोगों को समझ आ गई और लोगों ने हमारे प्रधान मंत्री जी के प्रति विश्वास प्रकट किया। किसानों ने कहा कि प्रधान मंत्री जी हम किसानों के सच्चे रहनुमा हैं, वे जो कुछ करेंगे किसानों के हित में ही करेंगे। जहां तक किसानों के हित का प्रश्न है, इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि हमें इस मामले में पार्टीगत स्वार्थों से ऊपर उठकर देखना चाहिए। हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या देश के किसानों के साथ न्याय हो रहा है। मैं सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूं कि वह किसानों के प्रश्न को लेकर एक कमीशन बनाये जो इस बात का पता लगावे कि पिछले 10—15 सालों में हमारे देश में कितने किसान मजदूर हो गये और क्यों। किन परिस्थितियों में स्माल फारमर्स और मार्जिनल फारमर्स को खेती छोड़कर मजदूरी करने का धंधा अपनाना पड़ा। इस बात का अवश्य पता लगाया जाना चाहिए क्योंकि यह बहुत गम्भीर प्रश्न है। मैं अपने अनुभव से जानता हूं कि मेरे क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों से भारी संख्या में लोग खेतीबाड़ी का धंधा छोड़कर दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद और बल्लभगढ़ के आसपास, कम से कम ढाई-तीन लाख की संख्या में चले आये हैं। मैं ये आंकड़े पिछले 10—15 सालों के बता रहा हूं, पर दो-तीन सालों में तो यह संख्या और तेजी से बढ़ी है। जिन किसानों के पास काफी बड़े खेत थे, जिन किसानों के पास 30 एकड़ से भी ज्यादा जमीनें थी, उन्हें भी मजबूर होकर मजदूरी के लिए दिल्ली की

[डा० गौरी शंकर राजहंस]

गलियों में चक्कर लगाना पड़ रहा है। उन्हें देखकर हमें भी तकलीफ होती है, दिल्लीवासी तो उन्हें देखकर हंसते हैं और कहते हैं कि यह कौन सी भाषा बोल रहा है भाई, और यहां झुग्गी झोंपड़ी डाल कर क्यों गंदगी फैला रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि आज यदि वह किसी जगह झोंपड़ी डालकर बसेगा नहीं, तो जाएगा कहां। उसकी किस गलती के कारण वहां से उखाड़ दिया गया जहां वह अच्छी तरह खाता-पीता था परन्तु आज मजदूरी करने के लिए लाचार हो गया। वह मजदूरी भी उसे आज नहीं मिल रही है। यह एक गम्भीर समस्या है, आप इस पर गम्भीरता से, शान्ति से सोचिए, अपने हृदय पर हाथ रखकर सोचिए। जब एक छोटा सा इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे देश में अपना बिजिनैस आरम्भ करने के लिए किसी भी फाइनैन्शियल इंस्टीट्यूशन से या बैंक से घटी ब्याज दर पर ऋण ले सकता है तो इस देश के किसान ने कौन सी गलती की है कि उसे वह ऋण नहीं मिल सकता। भले ही वह इंडस्ट्रियलिस्ट कल को जबर्दस्ती अपनी यूनिट सिक घोषित कर दे और सरकार का सारा पैसा लेकर भाग जाए। दूसरी ओर एक वह किसान है जिसका बाढ़ के कारण या सिंचाई के अभाव में भारी नुकसान हो रहा है, जिसका सब कुछ सत्यानाश हो गया, भूकम्प के कारण जिसकी जमीन ऊसर हो गयी तो आज वह जाये तो कहां जाए। कोई न कोई तो उसके बारे में सोचेगा। वैसे तो हम किसानों के हित में लम्बे लम्बे भाषण देते हैं लेकिन कभी तो हमें व्यावहारिक बातें सोचनी होंगी। आपने ही नहीं, मैंने स्वयं देखा है कि लोगों ने हजारों एकड़ खेत में खड़ी ईख की फसल जलाई हैं, मैंने भी जलाई हैं, मैं किसान का लड़का हूं। उसका कारण यह है कि गन्ने को खरीदने वाला कोई नहीं था। अब किसान उसका क्या करेगा, इसीलिए उसे खेत में ही जलाना पड़ा और दूसरी बार उसने गन्ने की फसल ही नहीं बोई। इन परिस्थितियों में आदमी क्या करे, कहां जाए। क्या कारण है कि जब एक किसान अपनी फसल, अपने गन्ने को किसी को बेचे तो उसे अपने उत्पाद के दाम न मिलें। आप बाजार में कपड़ा खरीदने जाइये, बनिया तुरन्त उसके दाम मांगेगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

डा० गौरी शंकर राजहंस : मैंने अभी अभी प्रारम्भ किया है। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है और मैं अपने व्यावहारिक अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं।

[हिन्दी]

आप बाजार में कपड़ा खरीदने जाइये, कोई छोटी सी पुस्तक खरीदने जाइये, तुरन्त दुकानदार उसकी कीमत आपसे मांगेगा। लेकिन जब हम अपना गन्ना किसी मिल में लेकर जाते हैं तो मिल मालिक गन्ना लेकर कह देता है कि जाओ, इसके दाम तुम्हें दो साल बाद या तीन साल बाद मिलेंगे। क्या मैं पूछ सकता हूं कि इसका क्या कारण है। और क्यों लोग इसको बर्दाश्त करते हैं। प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट्स तो करते ही हैं, सरकार के यूनिट्स भी करते हैं, तो कहीं तो न्याय होना चाहिए।

हम जूट पैदा करते हैं और आपने हमें जूट के उतने पैसे भी नहीं दिए जितनी हमने लागत लगाई। हमें जूट को जलाना पड़ा। दूसरी बार आपने जूट का इम्पोर्ट किया। क्या पालिसी है, कहीं तो कुछ सोचिए। हम सपोर्ट प्राइस नहीं मांगते हैं, हम भीख नहीं मांगते हैं, हम रिलीफ नहीं मांगते हैं लेकिन हमें रैमुनरेटिव प्राइस तो दीजिए। अगर आप रैमुनरेटिव प्राइस नहीं देंगे तो किसान कहां जाएगा? कितने लोग मायूस होकर किसान के बदले मजदूर होकर आएंगे? अगर मजदूर होकर आएंगे तो

यहां झुग्गियां तो बनाएंगे और गली-मौहल्लों को गन्दा करेंगे ही। आप कितने लोगों पर गोली चलाएंगे ? कुछ तो सोचिए।

आप इस बार बहुत खुश हैं कि बहुत अच्छी फसल है। आप नार्थ बिहार में जाकर देखिए, फसल बर्बाद हो गई है। सिचाई का साधन नहीं है, वर्षा नहीं हुई और भूकम्प के कारण जमीन ऊसर हो गई है, कहां लोग जाएंगे ? जब भूकम्प हुआ था तो हमारे प्रधान मंत्री बड़ी मेहरबानी कर के एक-एक गांव गए थे। विश्वनाथ प्रताप और देवी लाल भी गए, बड़े-बड़े भाषण दे दिए कि हम ऐसी सहायता कर देंगे या राहत दिला देंगे लेकिन कहीं कोई एक पैसे की राहत नहीं मिली। कहने के लिए बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि पार्टी इन्ट्रेस्ट छोड़कर सही अर्थों में किसानों के हितों में आइएं और लोगों को भड़काने की बात नहीं कीजिएं।

मैं एक दो बात कहकर खत्म करना चाहता हूं। आप कम्पलसरी क्राप इंश्योरेंस कराइए। क्यों नेपाल की गलती के कारण हमारी फसल मारी जाए और हम यहां पर भीख मांगने के लिए आ जाएं ? आप इस बात को यू०एन०ओ० में ले जाइये कि किसी दूसरे देश की गलती के कारण हमारी फसल हर साल बर्बाद हो जाती है। नहीं तो हमारी क्राप का इन्श्योरेंश कराइए। जब-जब हमारी क्राप खराब हो जाए, उसका पैसा दीजिए। हम भीख नहीं मांगते हैं, हमें हमारा हक मिलना चाहिए।

मैं कहना चाहता हूं कि किसान की समस्या पर गंभीरता से सोचना चाहिए। मुट्ठी भर अर्बन पीपल को खुश करने के लिए आप करोड़ों किसानों की बलि दे रहे हैं, यह क्या उचित है ? कुछ तो सोचिए। लोग बहुत ही सहनशील हैं। एन० आर० ई० पी०, आर० एल० ई० जी० पी० और आई०आर०डी०पी० का लाभ क्या किसान को मिल पाता है ? यदि उसको लाभ नहीं मिलता है तो जो उसका लाभ उठाकर ले जाते हैं, उन पर एक्शन लीजिए।

एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा फील्ड है, इसमें कम्पलेसेंट नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने संसार की एग्रीकल्चर इकनामिक्स का अध्ययन किया है, उनको पता है कि लोग कम्पलेसेंसी में पड़कर, भ्रम में पड़कर बर्बाद हो गए हैं। यह सोचना कि आज की फसल अच्छी है तो हर साल अच्छी होगी, ऐसा नहीं होता है। बड़े-बड़े एक्सपोर्ट करने वाले देशों को भी फूड का एक्सपोर्ट करने के लिए लाचार होना पड़ा है।

इसलिए देश के अन्दर यदि आप किसानो को रैमुनरेटिव प्राइस नहीं दीजिए, उसे इज्जत की जिन्दगी जीने का मौका नहीं दीजिए, तो आप नहीं सोच सकते हैं कि यह देश सब दिनों के लिए सैल्फ सफीशिएंट होगा।

मैं हमेशा यही सोचता हूं कि यह देश दो भागों में बंटा हुआ है, एक अर्बन यूनिट है जो अपने को "इंडिया" कहता है और एक गरीब हिन्दुस्तान है, किसान का देश है जो अपने को "भारत" कहता है। इंडिया भारत को नीची दृष्टि से देखता है और उसको एक्सप्लायट करता है। इस एक्सप्लायटेशन को समाप्त करना चाहिए। हम यह वायदा करें कि आने वाले वर्षों में हम किसान को उसकी इज्जत की जिन्दगी जीने का मौका देंगे, उसके प्रोड्यूस का रैमुनरेटिव प्राइस देंगे और उसे हर तरह से मदद करेंगे जिससे वह अपने पांव पर खड़ा हो सके।

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : माननीय सभापति महोदय, भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां कि अधिकांश जनसंख्या किसानों की है और हमारी सरकार की नीति किसानों के पक्ष की रही है व किसानों को लाभ पहुंचाने की रही है। हम चाहे हर पंचवर्षीय योजना उठाकर देख लें, हमें किसानों के विकास से संबंधित योजनाओं का ज्ञान अपने आप ही जायेगा।

[प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत]

सभापति जी, आज हम कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गये हैं। इसके लिए किसान और वैज्ञानिक दोनों बधाई के पात्र हैं। किसान वास्तव में हमारे अन्नदाता हैं क्योंकि वह गर्मी, सर्दी और बरसात की परवाह किये बिना अपने त्याग से हम सभी का पेट भरते हैं। यह स्वाभाविक है कि उसकी कुछ वाजिब मांगें हैं और उन वाजिब मांगों की तरफ सरकार को निश्चित तौर पर ध्यान देना चाहिए। परन्तु हम यह नहीं कह सकते हैं कि सरकार की नीति किसानों के पक्ष में नहीं रही है। मान्यवर, आज जो कुछ भी विकास हुआ है उसके लिए अगर हम यह कहें कि किसानों की फायदे वाली शृंखला जुड़ गई है तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं इस सम्बन्ध में कुछ उदाहरण देना चाहती हूं—कृषि के क्षेत्र में जो बिजली दी जाती है उसमें 63 पैसे सबसिडी के तौर पर किसान को दिये जाते हैं। कोई भी कल्याणकारी सरकार जो है उसका यह कदम सराहनीय है। इसी प्रकार मान्यवर, हमारे गावों की जनसंख्या साढ़े पांच लाख है जिसमें से साढ़े चार लाख बिजली से जुड़ गये हैं। यही नहीं बल्कि मैं यह कहना चाहूंगी कि इस वर्ष के बजट में उर्वरकों के ऊपर जो छूट दी गई है उससे किसानों को काफी फायदा पहुंचा है। उनको सस्ती दर पर ऋण देने की व्यवस्था की गई है तथा भारतीय खाद्य निगम, पटसन निगम, नैफेड, तम्बाकू बोर्ड और मसाला बोर्ड किसानों के नये-नये आयाम लेकर सामने आया है। परन्तु पिछली बार जो भयंकर सूखा देश में पड़ा उससे देश का किसान तिलमिला उठा। परन्तु सरकार ने जो सामयिक सहायता दी उससे काफी अधिक राहत उन्हें मिली है।

मान्यवर, मैं उस प्रान्त से आती हूं जो सूखे का गढ़ है। हमारे राजस्थान में एक वर्ष छोड़-कर दूसरे वर्ष आये दिन अकाल पड़ता रहता है। वहां सरकारी सहायता से काफी कुछ राहत लोगों को मिली। एन० आर० ई० पी०, आर० एल० ई० जी० पी० तथा आई० आर० डी० पी० कार्यक्रम जो हैं उससे किसानों के भले का काम हुआ है। परन्तु कुछ लोग जो बड़े काश्तकार हैं जिनको कुलक कह सकते हैं, वे किसानों को बहकाने वाली बात करते हैं। उनकी तरफ गे जो अव्यवहारिक मांगें पेश की जाती हैं उससे मुझे हंसी आती है। ऐसी ही अव्यावहारिक मांगें कुछ दिन पहले 31 अक्तूबर के आस-पास या उससे कुछ दिन पहले यहां पेश की गई थीं। उन मांगों में यह कहा गया था कि कर्जे माफ कर दिये जायें, व बिजली के पैसे जमा न किए जाएं। मान्यवर, आपतो जानते ही हैं कि हमारे किसान आत्मसम्मान वाले हैं। वे कभी भी मुफ्तखोर नहीं बनना चाहते हैं और वे सरकार से मुफ्त में पैसे नहीं लेना चाहते हैं। अगर बिजली के बिल चुकाना खत्म करवा देंगे तो फिर आने वाले समय में बिजली का उत्पादन कैसे होगा। इस प्रकार से जो अपरिपक्व नेता थे उन्होंने किसानों को गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश की और कई ऐसे अव्यावहारिक रिमार्क किये जिसे सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने "कृषि भवन" को "किसान कत्ल भवन" कहा। क्या उनका यह कहना उचित था ? इसी प्रकार से हमारी महिला मंत्री श्रीमती शीला दीक्षित को "छोरी नेता" कहा और कहा कि हम उस छोरी नेता से बात नहीं करना चाहते हैं। ऐसी अव्यावहारिक बातें ऐसे नेता कहें और उनको किसान नेता कहकर प्रोड्यूस करें तो वह उचित नहीं है।

किसान हमारे अन्नदाता हैं और उनकी उचित मांगों की तरफ हमें पूरा ध्यान देना चाहिए। आज देश का बहुत सा भाग असिंचित है। हमें सिंचाई की नई-नई योजनाएं बनाकर किसानों तक पहुंचानी चाहिएं। राजस्थान का बहुसंख्यक इलाका सूखा है। उसी प्रकार राजस्थान कैनाल कई वर्षों से अधूरी पड़ी है, उसको राष्ट्रीय योजना के रूप में स्वीकृति दी जानी चाहिए।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि किसानों को अधिक बीज नहीं मिल पाते। फाउण्डेशन सीड

की तो बात ही छोड़ें, सर्टिफाइड सीड भी नहीं मिले हैं, परिणाम यह हुआ है कि किसान ने मेहनत के बाद धरती मां के गर्भ में अंकुरित करने की, पैदा करने की कोशिश की, उसको जोता परन्तु अंकुरित नहीं होने पर उसकी मानसिक अवस्था क्या होगी उसकी आप कल्पना कर सकते हैं इसलिए मेरा विनम्र शब्दों में निवेदन है कि अच्छे सीड किसानों को उपलब्ध कराये जाने चाहिए। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात करती हूं, जहां सर्टिफाइड सीड अंकुरित नहीं हुआ।

दूसरा मेरा निवेदन है कि फसल का उचित मूल्य किसान को मिलना चाहिए। किसान ठंडे पानी में खड़ा रहकर गन्ना पैदा करता है, उसके बाद भी गन्ने का भाव उसको लकड़ी के समान मिलता है, यह बहुत बुरी बात है, लकड़ी से भी सस्ता है इसलिए निश्चित तौर पर उचित मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए। मेरे इलाके में लहसुन पैदा होता है। किसान के बेटे ने 40 रुपये किलो में बीज खरींदा और आज उसका लहसुन डेढ़ रुपये किलो और एक रुपये किलो यानि कचरे के भाव बिक रहा है। इसे देखकर हमें बहुत दुख होता है।

आपने मसाला बोर्ड बनाया हुआ है परन्तु क्या मसाला बोर्ड का काम केवल दक्षिणी राज्यों तक ही सीमित है ? क्या राजस्थान जैसे पिछड़े इलाके को वह नहीं देख सकता ? क्या मसाला पैदा करने वाले किसानों के उत्पाद को वह निर्यात नहीं कर सकता ? मेरा निवेदन है कि इस ओर आपको ध्यान देना चाहिए और उसका निर्यात बढ़ाया जाना चाहिए। यदि हो सके तो गार्लिक पाउडर या दूसरी चीजें भी पैदा की जानी चाहिए।

आपने नई आवास नीति की जो घोशणा की है, मेरा निवेदन है कि 70 प्रतिशत किसान लोग गांव में रहते हैं, यदि आपकी नीति के अनुसार उन किसानों को मकान बनाने के लिए कर्ज दिया जाता है तो शहरों में आने की प्रवृत्ति, जैसे मेरे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि शहर गन्दी बस्ती बनने वाले हैं, रुकेगी। अतः आवास सम्बन्धी व्यवस्था की जानी चाहिए।

मेरा निवेदन है कि इस साल सारे देश में अच्छी बारिश हुई है, अच्छी फसलें पैदा हुई हैं। परन्तु राजस्थान का दुर्भाग्य है कि उसके बहुत से इलाके इस साल भी सूखे हैं। उनमें मेरा इलाका भी है जहां पर कुओं में पानी नहीं, तालाब खाली पड़े हुए हैं। चित्तौड़गढ़ में, इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां पर पीने के पानी की भयंकर समस्या आने वाले समय में आयेगी, आप सिंचाई की तो बात ही छोड़िये लेकिन पीने का पानी भी लोगों को उपलब्ध नहीं हो सकेगा इसलिए समय रहते हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए।

इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि यह कल्याणकारी सरकार है, इसने किसानों के लिए हमेशा अच्छा काम किया है। हमारे प्रधान मंत्री का कहना है कि हम जो 6 रुपये किसानों के हित के लिए भेजते हैं उसमें से केवल एक रुपया वहां तक पहुंच पाता है इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि उस पर नियंत्रण लगाइये ताकि सरकार की जो मंशा है, सरकार जो चाहती है, उसका सही रूप में उपयोग कर सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री वी० तुलसीराम (नगरकूरनूल) : सभापति महोदय, सभा में बहुत से मित्रों ने बातें की और बहुत से विषयों पर चर्चा चलती रही जिसे मंत्री जी बड़े गौर से सुन रहे हैं। नये मंत्री हैं, उत्साही मंत्री हैं इसलिए मैं समझता हूं कि किसानों के लिए ये कुछ करेंगे, मैं इन मंत्री जी से ऐसी पूरी उम्मीद रखता हूं।

[श्री वी० तुलसीराम]

सरकार तो कर रही है लेकिन काम के करने न करने में भी फर्क होता है। करने वाला जब करने को बैठता है तो कानून भी सामने नहीं आता लेकिन करने को तैयार तो हो। किसान की बात हिन्दुस्तान में हर एक आदमी करता है, जहां भी कोई आदमी लैक्चर करता है तो हरिजन, गिरिजन और किसान की बात हर एक आदमी अपनी जुबान से निकालता है। लेकिन जब प्रैक्टिकल रूप में काम करने की बात आती है तो वे वहां निल ही हो जाते हैं। कुछ कर तो रहे हैं, ऐसा नहीं कहता कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितना करना चाहिए किसानों के लिए, वह नहीं करते हैं। सुबह क्वैश्चन और जब चल रहा था तो आप भी थे, यहां बताया गया कि एक कमेटी बनाई गई, बीजों के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई जिसमें एक भी किसान नहीं था क्या सारे हिन्दुस्तान में वहां से लेकर यहां तक एक किसान भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो अच्छा और एक्सपर्ट हो, जिसको कि अनुभव हो ? इसमें पढ़ने-लिखने का सवाल नहीं है। बहुत बड़ी-बड़ी डिग्रियों वाले अधिकारी होंगे, बहुत बुद्धिमान भी होंगे और मैं नहीं कहता कि वे काम नहीं करते हैं लेकिन वहां पर अनुभव की भी जरूरत होती है। अनुभव के आधार पर जो भी काम होता है वह सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा काम होता है। सिर्फ डिग्रियों से अच्छा काम नहीं हो सकता। डिग्रियों की भी जरूरत है लेकिन उसके साथ-साथ अनुभव की भी जरूरत है। इसलिए अगर वहां पर अनुभव वाले किसान लिए जाएं तो योग्य अधिकारी और अनुभवी किसान मिलकर जो भी काम करेंगे, या जो रिपोर्ट बनाएंगे, वह किसानों के लिए बहुत फायदे-मंद होगी। मैं आशा करता हूं कि मन्त्री जी उस कमेटी में ऐसे किसान को भी जरूर लेंगे।

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : सुबह तो मैंने कह दिया था कि रखेंगे।

श्री वी० तुलसीराम : जहां तक बीज की बात है, किसानों को अच्छा बीज मिलना ही चाहिए। किसानों को टाइम पर फर्टिलाइजर भी मिलनी चाहिए। और जो उसकी प्रोड्यूस होती है उसका अच्छा रेट भी मिलना चाहिए। अच्छा रेट वही तय कर सकते हैं जो दिसम्बर, जनवरी के महीने में ठण्ड में अकड़ते हुए यू० पी० में, हरियाणा और पंजाब में गेहूं में पानी देते हैं। उसी को उसका रेट मालूम होगा। एअरकण्डीशण्ड रूम में बैठकर किसी को रेट मालूम नहीं होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि ऐसे किसान को आप उसमें लीजिए, यह बहुत जरूरी है।

इंश्योरेंस की बात भी आई है। गांव के लेबिल पर क्राप इंश्योरेंस की व्यवस्था होनी चाहिए। और किसानों को सहूलियत देने के लिये जैसे हमारे आन्ध्र प्रदेश में है कि जमीन जो है उसका किसानों से जो टनपन होता है, वह नहीं ले रहे हैं। हमारी आन्ध्र प्रदेश सरकार ने कह दिया कि हम इसको उसको नहीं लेंगे। उसी तरह से कोआपरेटिव बैंक से किसान जो लोन लेता है उसका इन्ट्रेस्ट भी माफ कर दिया गया है और उसके अलावा जो दूसरे लोन किसान लेता है उस पर साढ़े 5 परसेंट की छूट दी जा रही है। तो भारत सरकार हर एक स्टेट में किसानों की कृषक परिषदें बनाकर उसके जरिए किसानों को मदद दे और किसान खुद अपना माल बेचे, बीच में दलाल को पैसा नहीं जाना चाहिए। इस संबंध में हमारी गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन मैं चाहता हूं मंत्री जी से कि भारत सरकार की तरफ से भी सारे देश के किसानों के लिए ऐसी चीज होनी चाहिए और ऐसा करने के लिए मंत्री जी पूरी-पूरी कोशिश करेंगे, भारत सरकार कोशिश करेगी—यही उम्मीद रखते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री राव नारायण सिंह (भिवानी) : सभापति महोदय, मैं दो दिन से 193—डिस्कशन, किसानों की मांग के बारे में, सुन रहा हूं। मुझे डिटेल में नहीं बोलना है, दो प्वाइन्ट्स ही कहने हैं।

मिनिस्टर साहब हमारी बात सुन रहे हैं। जो सुझाव है वह कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी आए हैं। अभी हमारे बिहार के डा० राजहंस जी बोल रहे थे, उन्होंने जो भी कहा उससे मैं सौ फीसदी मुत्तफिक हूं। हमारे कांग्रेस साथियों ने तमाम सुझाव यहां पर दिए हैं—किसी ने तीन सुझाव दिए, किसी ने पांच सुझाव दिए, मैं उन सभी को कंसालिडेट करके बताना चाहता हूं, वह किसानों और सभी के फायदे की बातें हैं।

पहली बात तो यह है कि किसान की पैदावार के लिए सबसे बड़ी चीज पानी और बिजली है। रंधावा साहब इस देश के माने हुए एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रहे हैं। डा०एम०एस०रंधावा आई०सी०एस० थे और सन् 1947 में दिल्ली के डी० सी० थे। श्री एम० एस० रंधावा कहा करते थे कि किसानों को मुनाफा देने के लिए और उसकी हालत को ठीक करने के लिए तीन चीजों की जरूरत है पानी, बिजली और रिम्यूनरेटिव प्राइस या लाभदायक मूल्य। ये तीन चीजें दे दें तो किसानों को लाभ हो सकता हैं। छोटी-छोटी चीजें तो हजारों हो सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले हिन्दुस्तान की तमाम नदियों पर बांध बनने चाहिए, ताकि सिंचाई के लिए नहरें निकाली जावें। आज चीजों की कीमतें तीन-चार गुना बढ़ गई हैं, लेकिन एग्रीकल्चर की दुगुनी भी नहीं हुई इन पिछले बीस सालों में। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ट्रैक्टर 1967 में दो सौ क्विंटल गेहूं में आ जाता था, आज वह 550 क्विंटल में भी नहीं आता है। उसकी कीमत चार गुना हो गई है और इसकी दुगुनी भी नहीं हुई। इसका किसानों पर बडा भारी असर पड़ता है। एक चीज यह जो आप इंशोरेंस करते हैं, वह विलेज लैवल पर काम्प्रिहैंसिव होना चाहिये, ताकि किसानों का नुकसान पूरा हो सके।

सरकार जमीन एक्वायर करती है। बड़े-बड़े शहरों में भी करती है और उसकी कीमत किसानों को 15 रु० गज देती है। जबकि यहां दिल्ली के अन्दर 40 रु० तो बहुत दूर की बात है सौ रुपए गज में भी जमीन नहीं मिलती है। यहां जमीन की कीमत पांच-छः हजार रुपये गज से कम नहीं है और किसानों को हम 15 रुपये देते हैं। आपके सामने यहां राजधानी में कितना अन्याय होता है। गांवों में अनएम्पलायमेंट की बड़ी भारी समस्या है। कांग्रेस ने ए०आई०सी० सी० में रिजोल्यूशन पास किया है हर एक खानदान में एक आदमी को नौकरी मिलनी चाहिये। यह बहुत जरूरी है। इसके लिये आप कहेंगे कि पंजाब और हरियाणा में लोगों की हालत बहुत अच्छी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां लोगों को खेतों से कुछ नहीं मिलता है, वहां के लोग पुलिस में हैं, नेवी में हैं, कोई बाहर चला गया है और कहीं कोई चला गया है। हरियाणा और पंजाब में जो आदमी नौकरी पेशा नहीं है, उसकी हालत खराब है और जिसके पास 18 एकड़ जमीन है, उसकी हालत तो फोर्थ-क्लास चपरासी से भी बुरी है। इसलिये गांवों में आबादी के हिसाब से नौकरी होनी चाहिये। गांवों में 80 परसेन्ट लोगों के लिए नौकरी रिजर्व होनी चाहिये, चाहे वह किसी भी जाति या मजहब को मानने वाला हो।

सरकार ने किसानों को तीन हजार की सबसिडी दी है। मैं आप से कहना चाहता हूं कि किसानों को सब्सिडी देने की जरूरत नहीं है। इससे अच्छा यह होगा कि आप उनको रिम्यूनरेटिव प्राइस दे दें या कोई और फायदा उनको पहुंचा दें। सूद के तौर पर तीन-चार परसेन्ट सूद ले लें, लेकिन तीन हजार की सब्सिडी देने से कोई फायदा नहीं है। जहां तक लोन का सवाल है, छोटे-छोटे मजदूर जिन्होंने पांच-सात हजार लोन लिया है और वे देने की स्थिति में नहीं हैं। उनका लोन माफ कर दें। 1947 से लेकर बड़े-बड़े इन्डस्ट्रियलिस्ट को 4720 करोड़ रुपये माफ किये जा चुके हैं। हरियाणा में देवी लाल ने किसानों का 240 करोड़ का लोन माफ किया तो सारे देश में शोर मच गया। अब महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने एक बड़ा भारी काम किया है। उन्होंने 220 करोड़ रुपये

[श्री राम नारायण सिंह]

माफ कर दिए और सारे हिन्दुस्तान के लोग उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। आप जो अरबपति हैं, उसका लोन माफ कर देते हैं और किसानों का पांच-छः हजार का लोन माफ नहीं कर सकते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि उनका कर्जा माफ होना चाहिए।

मैं आपसे एक यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार इंन्डस्ट्रीज में मैंक्सिमम क्रैडिट लिमिट है, उसी प्रकार खेती के लिए किसानों को भी इसका फायदा मिलना चाहिए। किसानों को उनके हिसाब के मुताबिक लिमिट मुकर्रिर की जाये और उनको बैंक से पासबुक मिल जाए और वे पैसा वहां से ले लें। अर्बन प्रापर्टी के ऊपर सीलिंग होनी चाहिए। गांवों के अन्दर एक आदमी के पास 18 एकड़ की लिमिट आपने रखी है और यहां यदि किसी के पास 50 मकान हैं और सौ दुकान हैं, तो उस पर कोई पाबन्दी नहीं है। इसके लिए भी लोगों को बड़ा भारी दुःख है। यदि किसी व्यक्ति के पास 19 एकड़ जमीन है तो उससे एक एकड़ जमीन ले ली जाती है। मेरे विचार से ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि जमीन के कर्जे में जोतने संयन्त्र डिक्री में नीलाम नहीं होने चाहिये। पहले हरियाणा और पंजाब में कर्जे के अन्दर नीलाम नहीं होते थे, लेकिन अब होते हैं। मेरा निवेदन है कि ऐसा नहीं होना चाहिए।

मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि खेती को इन्डस्ट्री डिक्लेयर करना चाहिए। मैं इस बात को चार दफा कह चुका हूं और दूसरी तरफ के लोग भी कह चुके हैं कि खेती को इन्डस्ट्री डिक्लेयर करना चाहिए ताकि सारा फायदा उनको पहुंचे।

आपने जोन बना रखे हैं। ये जोन नहीं होने चाहियें। सारे हिन्दुस्तान का एक जोन होना चाहिए। किसान के लिए अनाज बेचने की कहीं पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए।

मेरे साथियों ने कहा, मैं भी कहता हूं कि इन्डस्ट्रियल प्राइसिज और एग्रीकल्चरल प्राइसिज में पेरिटी होनी चाहिए। आप देखें कि इन्डस्ट्रियल गुड्स की बड़ी भारी कीमतें बढ़ गई हैं लेकिन गेहूं की कीमत आपने 183 रुपये क्विटल की है। वह भी उसे अगले साल मिलेगी। आप देखिए कि दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में गेहूं 300 रुपये पर अभी मिल रहा है जबकि आप किसान को 173 रुपये क्विटल दाम दे रहे हैं। यह किसान के साथ कितना भारी जुल्म है। यह उसके साथ जो लूट हो रही है इसको किसान कब तक बर्दाश्त कर सकता है। आप किसान से गेहूं एक महीने 173 रुपए पर लेते हैं और बनिया दुकानदार उसको तीन सौ रुपए में देता है। यह किसान के साथ बड़ा भारी अन्याय है। किसान से लेते ही गेहूं का दाम ढ़ाई सौ, तीन सौ रुपए चला जाता है। आप इसको ठीक करें।

कांग्रेस के मेरे बहुत सारे साथियों ने जो सुझाव दिए हैं आप उनको ही मान लें, मेरी बात को न भी मानें तो भी किसान का लाभ हो सकता है।

[अनुवाद]

श्री विजय एन० पाटिल (इरन्दोल) : सभापति महोदय, कभी-कभी प्रो० दण्डवते बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेते हैं। यह वास्तविक लोक महत्व का मामला उठाना भी उनका एक बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय है। किसानों की समस्याएं वास्तविक तथा अत्यन्त गम्भीर हैं। लेकिन इसका एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि बहुत से लोग इससे राजनैतिक लाभ उठाने का प्रयास करते हैं? जब श्री टिकैत तथा अन्य किसान शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे थे तो वे किसी पार्टी से जुड़ना नहीं चाहते थे। विपक्ष के

कुछ सदस्यों ने उन्हें भड़काने का प्रयास किया। निःसंदेह वे इसमें सफल नहीं हो सके।

आन्ध्र प्रदेश से विपक्ष के एक मित्र बतला रहे थे कि श्री देवी लाल ने ऋणों में रियायत दी है। ऋणों को बट्टेखाते में डाल दिया गया है। श्री शरद पवार ने भी किसानों के कुछ ऋणों को बट्टे खाते डाल दिया है। लेकिन इन मुख्य मंत्रियों की इस कार्य के पीछे मंशा भिन्न है। श्री देवी लाल इसे एक चुनावी हथकंडे के रूप में प्रयोग कर रहे थे। जबकि निकट भविष्य में श्री शरद पवार के सम्मुख कोई चुनाव नहीं है और उन्होंने अच्छी भावनाओं से यह ऋण बट्टे खाते डाले हैं। आपकी मंशा अच्छी होनी चाहिए।

हम सभी यहां पर किसानों की मदद के लिए हैं। लेकिन इसके लिए रास्ते भिन्न हैं। कभी-कभी हम बड़ी गलती कर बैठते हैं। मैं केन्द्र में जनता शासन के समय का एक उदाहरण उद्धृत करता हूं। उस समय उन्होंने चीनी पर से लेवी हटा ली थी। केवल खुली बिक्री की अनुमति थी। और इसका क्या परिणाम हुआ? परिणाम यह हुआ कि जैसा मेरे मित्र डा० राजहंस ने बताया, हजारों एकड़ गन्ना खेतों में ही जला दिया गया क्योंकि उनसे चीनी बनाना आर्थिक रूप से लाभकर नहीं था। विपक्ष के हमारे मित्रों द्वारा की गई गलतियों में यह एक गलती थी। लेकिन हम सत्ताधारी पार्टी में हैं। हम केन्द्र में तथा राज्यों में काफी समय से शासन कर रहे हैं। लोग हमसे और अधिक अपेक्षा करते हैं।

प्रो० शक्तावत ने ऊर्जा क्षेत्र में राजसहायता का जिक्र किया है। कुछ राज्यों में यह 63 पैसे है और अन्य कुछ में यह भिन्न है। लेकिन ऊर्जा की सप्लाई में राजसहायता देने में यह पर्याप्त नहीं है।

सिंचाई के लिए भी लिफ्ट सिंचाई तथा फव्वारे द्वारा सिंचाई के राजसहायता केन्द्र सरकार को जारी रखनी चाहिए तथा राजसहायता की मात्रा बढ़ाई जानी चाहिए···

4.00 म० प०

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

क्योंकि हमारी बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनायें पूर्ण होने में लम्बा समय ले रही हैं। सिंचाई क्षमता बढ़ाने तथा छोटे किसानों को सिंचाई का लाभ देने के लिए यह दूसरा तरीका है कि लिफ्ट तथा फव्वारा सिंचाई यंत्रों पर राजसहायता दी जाए।

शुष्क भूमि में खेती की समस्यायें विशेष प्रकार की हैं और उनकी प्रवृत्ति भी बड़ी है और इनके लिए पर्याप्त कार्य नहीं हुआ है। सूखे को रोकने वाली फसलों की किस्मों पर भी ज्यादा उत्साहजनक अनुसंधान नहीं हुआ है। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस पर अधिक ध्यान दें।

इस वर्ष अच्छी वर्षा होने के कारण खाद्यान्न के उत्पादन के दर्शाए गए लक्ष्य काफी उत्साहजनक हैं। लेकिन इसके साथ ही हमारे पास भण्डारण की क्षमता नहीं है। इसलिए गोदामों के निर्माण कार्य में तेजी लाने की जरूरत है तथा विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में 200-500 टन की क्षमता वाले गोदामों का निर्माण करने को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके लिए समितियों को राजसहायता दी जा रही है लेकिन राजसहायता की मात्रा अधिक नहीं है।

कृषि मूल्य आयोग का उल्लेख हुआ था। इसमें किसान और अधिक होने चाहिएं। प्रत्येक

[श्री विजय एन० पाटिल]

राज्य स्तर पर एक प्रतिनिधि होना चाहिए। लेकिन मूल्य निर्धारित करने के बाद भी अधिक मदद नहीं मिल रही है। बाजार में उनके उत्पादों के मूल्य किसानों की मदद नहीं कर रहे हैं।

उदाहरण के तौर पर प्याज को ही लीजिए। श्री शरद जोशी ने नासिक में इसके लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। अब दिल्ली में हम 6 रुपए किलो के हिसाब से प्याज खरीद रहे हैं, किन्तु महाराष्ट्र के किसानों का क्या हुआ? उन्हें उनके उत्पादन के लिए पर्याप्त लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। इस वर्ष बीमारी के कारण 80 प्रतिशत पौध रोपे जाने के पश्चात् नष्ट हो गई और केवल 20 प्रतिशत बाकी बची और प्रति एकड़ पैदावार बहुत कम थी केवल 20 से 30 प्रतिशत यदि आप उन्हें 400 रु० प्रति क्विंटल भी देंगे तो भी इसका कोई लाभ नहीं क्योंकि पैदावार बहुत ही कम है। यदि बाजार में मूल्य बढ़ भी जाएं और पैदावार कम है, तो किसानों को पर्याप्त आय प्राप्त नहीं होती है। इन परिस्थितियों में सरकार और किसानों के पास केवल फसल बीमा रह जाता है। गत तीन वर्षों से केन्द्रीय सरकार को बढ़ती हुई हानियों के बावजूद इसे पूरी गम्भीरता के साथ लागू किया जाना चाहिए और सभी किसानों और हर प्रकार की फसलों को इसके अन्तर्गत लाया जाना चाहिए।

जहां तक तिलहनों का सम्बन्ध है हम खाद्य तेल पर हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं। किन्तु यदि फसल अच्छी है और उसी समय आयात भी किया जाता है, तो तिलहन की कीमतें गिर जाती हैं, अतः आयात सरणीबद्ध करना चाहिए और इस दृष्टि से संतुलित करना चाहिए कि किसानों को मिलने वाला स्थानीय मूल्य, फसल काटने के तुरन्त बाद गिर न जाए।

वास्तव में खाद्य फसलों और कृषि उत्पादों की भांति सभी फसलों की ओर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं अपने प्रधान मंत्री को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय स्थापित करने के लिए बधाई देना चाहता हूं जो किसानों को उनके उत्पादन के प्रसंस्करण के पश्चात् अधिक मूल्य उपलब्ध कराएगा।

कृषि के साथ-साथ हमारे पास मत्स्य पालन और पशुपालन भी है। मत्स्य पालन के सम्बन्ध में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। हैदराबाद में आजकल कुछ किसानों ने मुर्गी पालन और मत्स्य पालन के संयुक्त फार्म आरम्भ किए हैं। जिन टैंकों में मछलियां पाली जाती हैं उन्हीं के ऊपर मुर्गी पालन भी किया जाता है। यह अत्यन्त लाभदायक सुझाव है और यदि हम व्यापक पैमाने पर मत्स्य तथा मुर्गी पालन साथ-साथ आरम्भ करेंगे तो उत्पादन बढ़ जाएगा। हम देखते हैं कि हाल के वर्षों में मांस के प्रति किलो के मूल्य में भारी वृद्धि हुई है।

मैं अपनी बात इन दो मुद्दों के साथ समाप्त करना चाहता हूं। हम किसानों को बिजली देते हैं किन्तु हम देखते हैं कि अनेक राज्यों विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार में सप्लाई नियमित नहीं है। वहां कुओं में पानी है किन्तु किसान इसको उचित समय पर बाहर निकाल कर अपनी फसल को नहीं सींच सकता है। अतः ऐसे मामलों में सरकार को भारी संख्या में पंपिंग चक्कियां लगाने के सम्बन्ध में विचार करना चाहिए क्योंकि यदि ऐसा किया जाता है तो कम से कम किसानों को कुछ तो राहत प्राप्त होगी। बिजली न होने के कारण वह इसका प्रयोग कर सकता है, क्योंकि जब बिजली नहीं होगी तो फसल को कम से कम 15 या 20 दिन तक पानी नहीं मिलता है, तो सारी फसल नष्ट होगी। अतः ऐसा नहीं होना चाहिए।

सभापति महोदय, मेरे मित्र श्री दण्डवते ने अपने प्रारम्भिक भाषण में कहा कि भूमि का जोत-क्षेत्र

कम हो गया है और प्रति किसान का जोत-क्षेत्र घटकर 1.5 हैक्टेयर हो गया है अतः किसान के लिए सिंचाई के काम के लिए एक बैल या एक बैलगाड़ी या अन्य आवश्यक आधारभूत ढांचा रखना अत्यन्त कठिन बन गया है। यह मितव्ययी नहीं है। अतः मैं यह सुझाव देता हूं कि सहकारी खेती के प्रयोग का प्रयास किया जाए। बहुत पहले अर्थात सातवें दशक के आरम्भिक चरण में इस दिशा में कुछ प्रयास किया गया था। मैं अपनी बात यह कहकर समाप्त करना चाहता हूं कि कृषि मंत्रालय को किसी न किसी रूप में सहकारी खेती पर विचार करना चाहिए ताकि सभी किसानों को लाभ पहुंचे और उनकी दशा में सुधार हो और उन्हें कुशल अर्थव्यवस्था उपलब्ध हो। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया है।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : सभापति महोदय, मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि हम पीछे बैठकर किसी और विषय पर बात नहीं कर रहे थे बल्कि जो हमारे कृषि राज्य मंत्री श्री शास्त्री जी हैं, उनके साथ, उनके विभाग में देश के लिए क्या काम हो रहा है, उस पर चर्चा कर रहे थे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप सदन से कहिए, मुझे नहीं। आप मुझसे मेरे कक्ष में मिल सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका : सन् 80 के बाद कृषि क्षेत्र में जो हमारे यहां काम हुआ है उस पर प्रकाश डालना चाहता हूं। आज हम गौरव के साथ यह कह सकते हैं कि 175 मिलियन टन गल्ले का उत्पादन करने जा रहे हैं। इसके साथ-साथ हमने आयल सीड्स और दालों में उत्तरोत्तर सफलता प्राप्त की है। पहले हम चीनी का इम्पोर्ट किया करते थे लेकिन सदन को यह जानकर खुशी होगी कि इस साल हम एक करोड़ टन चीनी का उत्पादन करने जा रहे हैं। 85-86 लाख टन के करीब हमारा कंजम्पशन है, बाकी हम एक्सपोर्ट करने की सोच रहे हैं। आज हम यह कह सकते हैं कि अन्न के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि गन्ना और अन्य जो सेन्सीटिव क्षेत्र हैं, उनमें भारी उत्पादन किया है। जब जनता पार्टी का ढाई वर्ष का राज रहा तो उस समय कृषि उत्पादन सत्रह प्रतिशत नीचे चला गया। आपको यह जानकर खुशी होगी कि हमने सूखे के समय इस तरह से व्यवस्था की जिससे कोई फर्क नहीं पड़ा। यह बात सही है कि तमाम व्यवस्था के बावजूद कृषि क्षेत्र में हम बहुत कम तरक्की कर पाए हैं। आज भी देश में 26 और तीस परसेंट के करीब सिंचित क्षेत्र हैं और बाकी सूखा है। आज और भी जो कृषि उत्पादन के क्षेत्र हैं उसमें बहुत पीछे हैं।

हम अभी उन किसानों के लिए जो सूखा क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र, ट्राइबल क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र और क्रोनिकली डेफिसिट एरिया के रहने वाले हैं, उनके लिए वह साधन मुहैया नहीं करा सके जैसे खाद, बीज और पेस्टीसाइड्स। आज समय की यह आवश्यकता है कि आप उन इलाकों को देखें और आवश्यकतानुसार उन्हें खाद बीज, पानी, उपलब्ध करायें। आप ऐसे क्षेत्रों में बांध बनाएं छोटे-छोटे, आप ट्यूबवैल बनायें, पानी लिफ्ट करके सिंचाई की सुविधा उन्हें उपलब्ध करायें। लघु सिंचाई के क्षेत्र के अन्तर्गत जो सेफ डैम बनाने की योजना है उसको लागू करें। देश में कृषि वैज्ञानिकों के कारण काफी प्रगति हुई है। तभी हम कहने को तैयार हैं कि गेहूं के उत्पादन में 6 गुना और धान के उत्पादन में भी कई गुना वृद्धि हुई है। लेकिन जो मोटे अनाज हैं उन हम पीछे हैं। जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा

[श्री राम प्यारे पनिका]

और ट्राइबल एरिया में जो गल्ला होता है उनमें रिसर्च करें और हाईब्रीड वैराइटी पैदा करें। जब चुनाव का वक्त आता है तो किसान की बात होने लगती है और कई नेता किसानों के पैदा होने लगते हैं। जैसा अभी तुलसीराम जी ने कहा कि वर्षा ऋतु में बहुत से कीड़े-मकोड़े निकल आते हैं तो इसी तरह चुनाव के समय में भी किसानों के लिए घड़ियाली आंसू बहाने वाले पैदा हो जाते हैं। जो कभी राजा-महाराजा थे जिन्होंने हल की मूठ पर भी हाथ नहीं धरा वह भी किसानों की बात करते हैं। वैसे मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि उधर के साथियों ने अच्छे सुझाव नहीं दिए, उन्होंने भी अच्छे सुझाव दिए हैं। उन्होंने भी कहा कि सारी सुविधाएं किसानों को मिलनी चाहिएं। लाभकारी मूल्य को लेकर आज किसान आन्दोलित हैं। पूरे सदन को निर्णय लेना है कि जो उद्योग हैं, उद्योग में कभी प्राइस नीचे नहीं आते हैं, लेकिन जो किसान अपना कच्चा माल कृषि के लिए खरीदता है जैसे डीजल, तेल, खाद और पार्ट्स आदि यह उसको सस्ते नहीं मिलते हैं, लेकिन जो उसकी उपज है वह इतनी सस्ती हो जाती है कि उसका जीवन स्तर नहीं उठ पाता। दूसरी तरफ हम खेतीहर मजदूरों की बात करते हैं। विभिन्न सरकारें उनकी न्यूनतम मजदूरी तय कर देती हैं और यह बिना सोचे कि किसान की देने की क्षमता है या नहीं। इसका नतीजा यह होता है कि किसानों और मजदूरों के बीच लड़ाई छिड़ जाती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह ठीक है कि आप न्यूनतम मजदूरी तय करें, लेकिन किसान की हालत को भी देखें। अगर उसकी हालत ठीक नहीं है तो उसको सब्सिडी देकर उसकी हालत ठीक करें जिससे वह न्यूनतम मजदूरी दे सके। इसलिए आप किसान पर तब भार डालें जब वह अपनी बचत करे और मजदूरों को दे सके। किसानों और मजदूरों का जो पुराना रिश्ता था उसको आप मत बिगाड़ें। मैं स्वयं लेबर एरिया का हूं। मैं चाहता हूं कि मजदूर को पूरी मजदूरी मिले, लेकिन किसान के पास पैसा होगा तभी वह देगा। इसलिए किसान को इतना पैसा दें कि वह अपने बाल-बच्चों का पालन-पोषण कर सके। किसानों के आन्दोलन की बात आती है कि उनकी सुविधायें मिलनी चाहिए, यह ठगने वाले लोग चुनावी वर्ष जब आता है तो अपनी राजनीति चलाने के लिए पैदा हो जाते हैं। मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं कृषि के बजट का सम्बन्ध, बिजली के बजट का सम्बन्ध, सिंचाई के बजट का सम्बन्ध या फर्टिलाइजर के बजट का सम्बन्ध केवल एक विभाग से नहीं है। हमारे जितने किसानों के नेता हैं, वे जानते हैं कि हर साल सरकार करोड़ों रुपये की सबसिडी देकर किसानों को खाद उपलब्ध कराती है, लेकिन जब यहां आएंगे तो कहेंगे कि सरकार ने सारी व्यवस्था बिगाड़ रखी है, किसानों का हित नहीं हो रहा है, परन्तु जब देहातों में जाएंगे तो किसानों को भड़काने वाली उल्टी बातें करेंगे। ऐसे नेताओं से, ऐसे लोगों से और ऐसे दलों से हमें सावधान रहने की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से किसानों से अपील करना चाहता हूं कि देश की आर्थिक व्यवस्था और आर्थिक स्थिति को देखते हुए केवल उन्हीं चीजों की मांग करें जो उन्हें सरकार की ओर से दी जा सकती हैं और जो सम्भव हैं। मैं मानता हूं कि किसानों को सस्ती बिजली मिलनी चाहिए लेकिन उससे ज्यादा जरूरत है कि वह समय से मिले। मैं जानता हूं कि किसानों के लिए आज जगह-जगह बिजली की लाइनें और ट्रांसफार्मर लगाये जा रहे हैं, परन्तु उन्हें जो व्यावहारिक कठिनाइयां आ रही हैं, उन्हें दूर किया जाना चाहिए। मैं यह भी मांग करता हूं कि किसानों को समय से बीज दिए जाएं, समय से खाद मिलनी चाहिए। मैं मानता हूं और यह बात सही है कि सरकार की ओर से दी जाने वाली सपोर्ट प्राइस की वस्तुओं की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती ही जा रही है, पहले कुछ निश्चित फसलों का सपोर्ट प्राइस देना सरकार ने शुरू किया था लेकिन अब पहले से ज्यादा फसलों का सपोर्ट प्राइस मिल रहा है, लेकिन उसे जिस आधार पर निश्चित किया जाता है, उसमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। सपोर्ट प्राइस कन्ज्यूमर्स प्राइस के साथ टैग किया जाना चाहिए। आज कन्ज्यूमर्स को जिस रेट पर गेहूं या दूसरी वस्तुएं मिल रही हैं,

उसी को आधार मानकर उन वस्तुओं की सपोर्ट प्राइस निश्चित की जानी चाहिए। एक मेरा निवेदन है कि आप का जो मूल्य तय करने वाला कमीशन है, उसमें आप अधिक से अधिक किसानों को रखिये। अभी तुलसीराम जी जो कुछ कह रहे थे, मैं उससे सहमत हूं। कोई जरूरी नहीं कि यहां एअर-कण्डीशन्ड कमरों में बैठने वाले लोग किसान को मिलने वाले सपोर्ट प्राइस को तय करें। वैसे हम उन्हें धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने देश में नई-नई रिसर्च करके कृषि की पैदावार बढ़ाने में सहायता की है लेकिन खेती का व्यावहारिक ज्ञान रखने वाले किसानों को उस कमीशन में रखा जाना अत्यन्त आवश्यक है। वैसे तो आजकल गांवों में भी बहुत से पढ़े-लिखे लोग हो गए हैं। आज किसान इसलिए आन्दोलन की राह पर नहीं आ रहा कि उसकी उपज कम हो रही है, या उसे सरकार की ओर से कम सहायता मिलती है, या सरकार उसकी ओर पूरा ध्यान नहीं दे रही है, सरकार की ओर से उसकी यथासंभव सहायता की जा रही है लेकिन सबसे बड़ा दुख उसे इस बात का है कि उत्पाद का उसे पूरा और उचित मूल्य नहीं मिलता। मेरा मत है कि इस विषय पर सरकार को निश्चित तौर से पुनर्विचार करके कोई निर्णय लेना चाहिए ताकि किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिल सके। इसके लिए आपको मिनिमम वेज तय करना होगा। वैसे तो अब भी मिनिमम वेज आपने तय किया हुआ है परन्तु वह सिर्फ कागजों तक ही सीमित होकर रह गया है। आज हमारे देश के कृषि मजदूर अनआर्गेनाइज्ड सैक्टर में हैं और अधिकारी-गण उनका शोषण कर रहे हैं, बिना अपराध के उन्हें सताया जाता है। उसे बंद कर देते हैं और उसकी जमानत तक नहीं हो पाती। जहां तक वसूली का सम्बन्ध है, निश्चित तौर से किसानों को जो ऋण दिए गए हैं, खासकर छोटे किसानों और मार्जिनल किसानों को, उनके कर्ज पर आपको विचार करना होगा। अब वह समय आ गया है जबकि आपको उस कर्ज को माफ करना होगा। बड़े किसानों ने भी जो ऋण लिया है, उसकी वसूली के संबंध में भी आपको विचार करना होगा। आप ऐसा वातावरण बनाइए जिससे किसान यह समझ सकें कि यह सरकार हमारे हित में काम कर रही है। हमारे जितने साथी किसानों को भड़काने वाली कार्यवाही करते हैं, उन्हें कोई मौका न मिलने पाये। आज इस बात की बहुत आवश्यकता है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि लैण्ड रिफार्म्स की दिशा में सरकार ने बहुत सराहनीय कार्यवाही की है लेकिन क्या यह सच नहीं कि आज भी लोगों ने अपने कुत्तों, बिल्लियों और तोतों के नाम पर जमीनों पर कब्जा जमाया हुआ है, हजारों एकड़ जमीन उनके कब्जे में है। इस सदन में, मैं कह सकता हूं कि कितने ही हमारे माननीय सदस्य बैठे हैं, मुझे जानकारी है, जिनके पास हजारों बीघा जमीनें हैं। मेरा सुझाव है कि इस वर्ष को हम नेहरू शताब्दि ईयर के रूप में मनायें और यह संकल्प लें कि गरीब लोगों को उनका हक दिलायेंगे, कब्जा दिलाएंगे और उनके हित में हमने जो सीलिंग एक्ट बनाया है, उसका सही ढंग से इम्प्लीमैंटेशन करेंगे ताकि किसानों के पास जो जमीनें हैं, उनके वे वास्तविक मालिक बन सकें। जहां सूखा पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है, उसके लिए निश्चित तौर से बजट इधर-उधर काटकर उन क्षेत्रों की भरपूर सहायता की जानी चाहिए ताकि ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले गरीब मजदूरों के आंसू पोंछे जा सकें। आज बिहार में, असम में और यहीं नहीं, बहुत सी जगहों में इस साल अच्छी बारिश होने के बाद भी, बहुत से क्षेत्र ऐसे पड़े हैं, मैं अपने मिर्जापुर की बात बताता हूं जो मेरी कांस्टीटुएंसी है, वहां नहर में पानी न आने के कारण, समय से वर्षा न होने के कारण फसल सूख गई है। वहां का काश्तकार हाहाकार मचा रहा है, मैंने मंत्री जी से निवेदन किया है कि वह चल-कर देखें और ऐसी टीम भेजें जो वहां का सही चित्रण कर सके।

आज किसानों के हितों का सामंजस्य करने के लिए नए सिरे से आपको विचार करना पड़ेगा ताकि देश में आपस में कोई संघर्ष न हो, विवाद न हो और चुनौती से हम खेती का उत्पादन कर सकें।

[अनुवाद]

श्री चरनजीत सिंह वालिया (पटियाला) : सभापति महोदय, हम सभा में किसानों और कृषि मजदूरों की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। इस देश की लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। या यूं कहें कि वे प्रत्यक्ष तौर पर या अप्रत्यक्ष तौर पर कृषि से सम्बद्ध हैं और मूलत: हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि है।

यह दु:ख की बात है कि स्वतन्त्रता के 40 वर्षों के बाद भी, ग्रामीण लोगों, चाहे वे किसान हों या कृषि से सम्बद्ध मजदूर हों, की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। इसका कारण यह है कि किसान जो हमारे समाज और कृषि संबंधी अर्थव्यवस्था का आधार हैं उन्हें उनके उत्पादन के लिए समर्थन मूल्य नहीं दिया जाता। हम ऊंचे स्वर से यह कह सकते हैं कि हमने हरित क्रांति में कदम रखा है और किसान भारतीय समाज और भारतीय जनता का पोषण करते हैं। किन्तु हम उन्हें उनके उत्पादन के लिए अच्छा मूल्य देने में उदारता से काम नहीं लेते हैं। किसानों के प्रतिनिधियों का कृषि लागत और मूल्य आयोग में उचित प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता है।

हम कृषि वैज्ञानिकों के खिलाफ नहीं हैं।

हम प्रौद्योगिकी से सम्बद्ध किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं हैं। कृषि लागत और मूल्य आयोग के अधिकांश सदस्य ऐसे किसान होने चाहिएं जो भूमि की खेती से प्रत्यक्ष रूप में सम्बद्ध हैं।

दूसरे, निवेश और बिजली की कीमतें कम कर दी जानी चाहिए।

ऊर्जा सस्ती होनी चाहिए क्योंकि किसान खेती के लिए बीज, लागत, उर्वरक व ऊर्जा पर निर्भर करते हैं। अत: जब तक हम इन चीजों को सस्ते दामों में नहीं देंगे वह संतुष्ट नहीं होंगे। इसलिए वह हमेशा आन्दोलन करते हैं। जब वह अपनी वाजिब मांगों के लिए आंदोलन करते हैं तब सरकार कहती है कि विपक्षी नेता व अन्य लोग उन्हें भड़का रहे हैं तथा उनकी मांगों की वकालत कर रहे हैं। मैं फिर निवेदन करूंगा कि उर्वरक, लागत, कीटनाशक व ऊर्जा को सस्ते दामों पर उपलब्ध कराना चाहिए ताकि उनके उत्पादन का खर्च कम हो जाए। कृषि उत्पादन का मूल्य औद्योगिक मूल्य से संबंधित होना चाहिए।

हमने पहले देश के कई हिस्सों में सूखा देखा था तथा अब हम देश के अधिकतर हिस्से में बाढ़ देख रहे हैं। मैं सरकार से प्रस्ताव करता हूं कि वह स्थायी रूप से एक प्राकृतिक विपदा व संकट कोष की स्थापना करे तथा उसमें धन की व्यवस्था करे ताकि जब भी देश के किसी हिस्से में सूखा या अन्य कोई प्राकृतिक विपदा हो तो किसानों, ग्रामीणों तथा कृषि व्यवसाय के लोगों को उचित मात्रा में सहायता दी जा सके।

विस्तृत और अनिवार्य बीमा होना चाहिये तथा सभी किसान व कृषि मजदूर इस बीमा योजना के अन्तर्गत आने चाहिए।

हमारे युवाओं में असंतोष का एक कारण यह भी है जो भी कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं, उन्हें पूरे समय रोजगार नहीं मिलता है। अत: सरकार को ग्रामीण लोगों को इस बात के लिए बढ़ावा देना चाहिये कि वह ग्रामीण उद्योग लगाएं ताकि वह लोग उस उद्योग में लगे रहें तथा उससे उन्हें लाभ मिलता रहे। सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर आधारित उद्योग लगाने चाहिये।

सरकार को किसानों को अच्छे किस्म के बीज उपलब्ध कराने के लिए आश्वासन देना चाहिये,

उन लोगों के विरुद्ध सख्त कदम उठाने चाहिये जो कि खराब व मिलावट वाले उर्वरकों तथा कीट-नाशकों का व्यापार करते हैं। हमने कई बार सरकार का ध्यान 'इस ओर आकर्षित किया है कि कुछ बेईमान व्यक्ति मिलावट वाले उर्वरकों का व्यापार करते हैं। वह मिलावट वाली दवायें बेचते हैं। उनके साथ किसी प्रकार की दया या सहानुभूति नहीं दिखानी चाहिये।

जो लोग ऐसा व्यापार करते हैं वह अपराधी हैं तथा उनके साथ इतनी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि वह यह सब करना छोड़ दें। इन शब्दों के साथ मैं सभापति महोदय का धन्यवाद व्यक्त करता हूं।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सभापति महोदय, इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने का मौका दिये जाने के लिए मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। हम किसानों और कृषि मजदूरों की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। इस विषय से महत्वपूर्ण और कोई विषय नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं हमारा कृषि प्रधान देश है और हमारे देश की प्रगति पूरी तरह कृषि के विकास एवं आधुनिकीकरण पर निर्भर है। आप उद्योगों की भी बात कर सकते हैं पर वह कृषि विकास से संबंधित है। हमें पण्डित जवाहर लाल नेहरू को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हरित क्रान्ति को स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद आरम्भ किया तथा उसे अपने-अपने समय में लालबहादुर शास्त्री जी तथा इन्दिरा जी ने भी पूरा समर्थन व प्रोत्साहन दिया। जो देश पहली पंचवर्षीय योजना के समय 55 मिलियन टन अनाज पैदा कर रहा था वह इस समय करीब 170 मिलियन टन अनाज पैदा कर रहा है, यह सामान्य से अधिक विकास है तथा अभूतपूर्व विकास है। तथा 300% से भी अधिक है। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। वास्तव में कृषि क्षेत्र में भारत की इस प्रगति की सारे विश्व ने सराहना की है। यह बड़े सन्तोष की बात है कि पिछले वर्ष हमने देश में पड़े सूखे का सामना कर लिया था बल्कि दक्षिण अफ्रीकी देशों को भी उनकी सूखे की स्थिति से निबटने में उनकी सहायता की थी। हमने उनकी खाद्यान्न आदि से जबर्दस्त सहायता की है। परन्तु फिर भी वास्तविकता यह है तथा हमें यह मानना पड़ेगा कि अभी किसानों के जीवन स्तर में संतोषप्रद सुधार नहीं हुआ है मेरा तात्पर्य गरीब किसानों से है। यह काफी चिन्ताजनक है—तथा इस पर हमने अधिक ध्यान दिया है। अतः काफी कदम पहले ही उठाये जा चुके हैं। भूमि सुधार किये गये हैं। वास्तव में, इस दिशा में और बहुत कुछ करना बाकी है। जहां तक सिंचाई का सवाल है, बहुत से क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा प्रदान की जा चुकी है। परन्तु फिर भी हमें सिंचाई को प्राथमिकता देनी होगी।

कीटनाशक व उर्वरकों व अन्य बहुत सी चीजों में भी यही स्थिति है। यह आम राय है कि अभी तक देश के लोगों का ध्यान भूमि पर है। $2\frac{1}{2}$ हैक्टेयर से कम भूमि रखने वाले छोटे किसानों की संख्या 85% है। इसका मतलब यह है कि $2\frac{1}{2}$ हैक्टेयर से कम भूमि रखने वाले किसानों की संख्या 85% हैं। एक हैक्टेयर तक ऐसी जोतें भूमि की कुल जोतों का 45% है। इसलिए, महोदय, आप कल्पना कीजिए कि केवल थोड़े से काश्तकारों और किसानों के पास, देश में कुल खेती योग्य भूमि का 2/3 भाग है वर्तमान स्थिति यह है। देश में अनेक छोटे किसान हैं और इन छोटे किसानों में से बहुत से किसान स्वयं खेतीहर मजदूर भी हैं। वे बहुत कम मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं और उन्हें अपने उत्पाद को बहुत कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर किया जाता है। वे अपना सारा उत्पाद अपने उपभोग के लिए भी न रखकर बेचते हैं। बहुत बार तो उन्हें अपना अनाज बहुत ही कम कीमत पर बेचना पड़ता हैं। वे शोषित हैं। किन्तु अभाव के दिनों में उन्हें आपूर्ति प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर निर्भर रहना पड़ता है। कभी-कभी उन्हें खुले बाजार से खाद्यान्न खरीदना पड़ता है। अपने उपभोग के लिए उन्हें अपने द्वारा बेचे गए माल से अधिक कीमतों पर खाद्यान्न खरीदना पड़ता है। मैं आंकड़ों आदि के ब्यौरों का जिक्र नहीं करना चाहता किन्तु मैं सरकार के विचारार्थ एक सरल प्रश्न रखना चाहता हूं। मैं निश्चित रूप से यह महसूस करता हूं और उन सदस्यों के इन विचारों का भी समर्थन करता हूं, जो पहले बोल चुके हैं, कि हमारे देश में दुर्भाग्य से सेवा (नौकरी) क्षेत्र पर कृषि क्षेत्र की तुलना में अधिक ध्यान दिया जा रहा है। विशेष रूप से, मैं यह कहना चाहूंगा कि अब स्थिति ऐसी हो गई है कि केन्द्र सरकार या राज्य सरकार का चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी भी 1000 रुपये प्रति-मास से कम वेतन नहीं ले रहा है। उसकी वार्षिक आय 12,000

[श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही]

रुपये से अधिक बैठती है। किन्तु इस देश में कितने काश्तकारों की वार्षिक आय 12,000/- रुपये बैठती है? इस सम्बन्ध में हमारा क्या विचार है? हम इन गरीब किसानों को किस स्तर पर रखना चाहते हैं. मैंने जोतों के आकार के बारे में कुछ उदाहरण दिये, भूमि की छोटी जोत वाले काश्तकारों की प्रतिशतता जो लगभग 80% है अर्थात—जो सरकार के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वार्षिक आय से बहुत कम आय पा रहे हैं। इस प्रकार यहां असन्तुलन है, अवांछित असंतुलन है। इसे दूर करना ही होगा। यदि हम इस दृष्टिकोण से समस्या पर ध्यान दें और उनकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करें तो मेरा विचार है कि बहुत सी अन्य समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगी।

अब लाभकारी कीमतों के लिए मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां सिंचाई की संभावनाएं हैं वहां एक या दो से अधिक फसलें उगाने की अधिक संभावनाएं हैं और इससे स्वतः ही नियन्त्रित क्षेत्र में काश्तकारों के स्तर में वृद्धि होगी। इसलिए फसल पैटर्न के लिए सिंचाई और मृदा प्रबन्ध ऐसे कारक हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जबकि होता यह है कि अधिकारी तंत्र आय के सम्बन्ध में सभी राज्यों के किसानों को पंजाब और हरियाणा के किसानों के समतुल्य समझता है। यह उचित नहीं है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ भागों में भी स्थिति अत्यधिक खराब है। इसलिए, उन्हें बराबर नहीं समझा जा सकता। इसलिए, महोदय, मैं एक बार फिर यह कहना चाहूंगा कि जाति और धर्ममत को नजर-अन्दाज करते हुए इन लोगों की आर्थिक स्थिति के आधार पर इन्हें रोजगार, शिक्षा आदि उपलब्ध कराने सम्बन्धी सुविधाएं और सहायता प्रदान की जानी चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को ये सुविधायें पहले और इसके बाद आर्थिक स्थिति के आधार पर ये सुविधायें दी जानी चाहिएं। इसी प्रकार नौकरी, शिक्षा सुविधाएं और चिकित्सा सुविधाओं के संबंध में गरीब लोगों को ऐसी सुविधाएं दी जानी चाहिए।

काश्तकार समुदाय में इस बात का अत्यधिक असन्तोष है क्योंकि केवल कृषि क्षेत्र में सम्पत्ति पर अधिकतम सीमा लागू होती है और शहरी सम्पत्ति या औद्योगिक क्षेत्र में इसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं है। यह अत्यधिक पक्षपात पूर्ण बात है। इसलिए सम्पत्ति की अधिकतम सीमा के क्रियान्वयन के मामले में कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए तथा सरकार को ये सभी क्षेत्र इसमें शामिल करने चाहिए। किसान समुदाय के बीच बढ़ते हुए असंतोष को समाप्त करने के लिए हमें इस महत्वपूर्ण विषय पर इस ढंग से कार्य (विचार) करना चाहिए। उनकी समस्यायें वास्तविक हैं जिनका ठीक से अध्ययन किया जाना चाहिए और उन पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाना चाहिए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि आज मैं हिन्दुस्तानी जबान में बोलना चाहता हूं और मैं संसद सचिवालय को पहले ही इसका नोटिस दे चुका हूं। इसका अनुवाद उर्दू में होना चाहिए क्योंकि उर्दू मेरी पहली भाषा है।

सभापति महोदय : कृपया बोलिए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं वही बोल रहा हूं। आपको पसन्द आएगा।

सभापति महोदय : आपको इस विषय पर अपने नियत समय में ही बोलना है।

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : हां, किन्तु मेरी पहली भाषा उर्दू है। इसलिए आगे भी मैं उर्दू में ही बोलूंगा।

[हिन्दी]

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : सोज साहब आप उर्दू में बोलिए। भजन लाल जी, आपसे और मुझसे ज्यादा उर्दू जानते हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं उर्दू में ही बोल रहा हूं।

चेयरमैन साहब, मुझे अन्दाजा हुआ और उसी वजह से मैं उर्दू में बोलना चाहता हूं। उर्दू में इन्सान के जहन में उसको मआलेख्याल कहते हैं। एक इन्सान और दूसरे इन्सान की सोच में कितना

फर्क है। यह मुझे आज पता जब इसलिए पार्टी के दो सदस्य बोले। श्री राजहंस जी ने एक बात बताई और शक्तावत जी ने दूसरी बात बताई। राजहंस जी ने जो कहा वह रिकार्ड में है और मुझे लगता है कि उसके साथ इख्तिलाफ है। उन्होंने कहा कि असल में वे खुद एक किसान हैं। किसान की लाबी में उनकी अमाल-दख्ल होगी। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में किसानों के लिए कुछ नहीं किया गया। यह कमाल की चीज है। उस वक्त यहां यादव जी बैठे थे और भजन लाल जी नहीं थे। वे कहते हैं कि आई०आर०डी०पी० और एन०आर०ई० पी० फिजूलियात हैं और इनसे किसानों को कुछ नहीं मिला है। ये इन्कार कर रहे हैं कि आज तक किसानों के लिए कुछ नहीं किया गया है। इसका जवाब शक्तावत जी ने दिया कि बहुत कुछ किया गया है और बहुत कुछ करना बाकी है। इसी दरमियान मेरे जहन में तकरीर बनी, यादव जी और भजन लाल जी दोनों बैठे हैं, यहां किसानों की बात सबने कही और मैं समझता हूं कि इस मुल्क में किसानों की लॉबी स्ट्रांग है और हमें किसानों की मदद करनी चाहिए, लेकिन यह जो विषय आपके सामने है इस पर कोई भी नहीं बोला है। हमारे सामने जो मसला है, वह सिर्फ किसानों का नहीं है, खेत मजदूरों का भी है। आपमें से किसी ने खेत मजदूरों का नाम नहीं लिया है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इन्डस्ट्रियल सैक्टर के बाद किसानों की लॉबी बड़ी स्ट्रांग हो गई है। यह खुशी की बात है। मैं पहले किसानों की दो मिनट बात करूंगा और किसानों के लिए क्या नहीं मांगा।

हमारे लोकदल के साथी, श्री राम नारायण सिंह, को राजहंस जी की बात बड़ी पसन्द आई। राजहंस जी और सिंह साहब दोनों ही सदन में नहीं हैं। यह कहना बहुत गलत है कि हिन्दुस्तान में एग्रीकल्चर सैक्टर में तवज्जह नहीं दी गई है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, पं० जवाहर लाल नेहरू ने सबसे पहले सदन में कहा था और गांधी जी ने बाहर कहा था कि हिन्दुस्तान की रीढ़ की हड्डी किसान हैं। देश की इकोनोमी जो है, वह एग्रीकल्चर है। चुनान्चे, आपके पहले मनसूबे का नाम ही पड़ा जराअती मनसूबा, एग्रीकल्चर का मनसूबा, लेकिन प्लानिंग में थोड़ा टेढ़ापन आ गया। हमको दूसरे प्लान को भी एग्रीकल्चर प्लान बनाना चाहिए। हमने क्या किया, हम एम्बीशियस हो गए और हमारी प्लानिंग में डिफैक्ट आ गया।

[अनुवाद]

संभवतः हम उनके लिए सब कुछ करना चाहते थे।

[हिन्दी]

इसीलिए पहले प्लान में एग्रीकल्चर को तवोज्जो दी गई है। दूसरे प्लान को हमने इंडस्ट्रियल प्लान कहा। तीसरे प्लान में फिर हमने गल्ती महसूस की और हमने फिर एग्रीकल्चर पर थ्रस्ट दिया। कहने का मतलब यह है कि हमारी प्लानिंग में कुछ गलतियां हो गईं लेकिन जराअती शोबे में सारी दुनिया में हिन्दुस्तान का काम बहुत ही शानदार काम है। फिर यह कहना कि किसान को कुछ नहीं मिला, इससे मुझे तकलीफ होती है।

मैंने सारी तकरीरें सुनीं। मैं खेत मजदूर के लिए आपको दो बातें बताऊंगा। किसान चाहते हैं कि उन्हें बेहतरीन प्राइस मिले। जराअत को प्रायोरिटी सेक्टर होना चाहिए। वे बिजली चाहते हैं, ट्रेक्टर चाहते हैं और अच्छे बीज चाहते हैं। ये चीजें तो बहुत पहले हमारे मुल्क में होनी चाहिए। लेकिन प्लानिंग में जो थोड़ा सा टेढ़ापन है कि हमने बहुत सारा पैसा सोशल सर्विसिज के नाम पर जाया कर दिया। इसके बारे में कहने का अभी मौका नहीं है। किसी वक्त प्लानिंग पर बात होगी तो मैं कहूंगा। लेकिन टिकैत साहब ने किसानों के लिए बड़ी जंग लड़ी। खुद कांग्रेस पार्टी ने मांग की है कि किसान के लिए किया जाना चाहिए। सेवंथ प्लान में बताया गया है—

[अनुवाद]

सातवीं योजना में खेतीहर मजदूरों का भी उल्लेख किया गया है। मैं भजन लाल जी को यह याद दिलाना चाहता हूं।

[प्रो० सैफुद्दीन सोज]

[हिन्दी]

मैं श्यामलाल जी यादव को याद दिलाना चाहता हूं कि इन तकरीरों का रिकार्ड आपके पास में होगा जो कि यहां पर हुई हैं लेकिन शायद आपको याद नही है कि हिन्दुस्तान में एक बहुत ही मजलूम तबका है जिसको जराअती तबका या खेत मजदूर कहते हैं। जिसकी कि कोई यूनियन नहीं है। अगर राजहंस जी यहां होते तो मैं उनको बताता कि इस तबके को आई० आर० डी० पी० का फायदा नहीं मिला, एन०आर०इ०पी० का फायदा नहीं मिला। उसको आपकी सारी सब्सीडीज का फायदा नहीं मिलता। उसके साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। मैं कहूंगा एग्रीकल्चर की विजारत को इसका नोटिस लेना चाहिए कि उनके साथ कितना एक्सप्लोइटेशन होता है। जब आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में किसी छोटे बच्चे को काम करता हुआ देखते हैं तो कहते हैं कि चाइल्ड लेबर है। लेकिन जराअत में चार-चार, छः-छः साल के बच्चे काम करते हैं। उनको पैसा नहीं मिलता। कभी-कभी उनको थोड़ा बहुत चावल या दूसरा अनाज मिल जाता है। उनके बारे में आपको मालूम नहीं है। वह आपकी नजरों से दूर है कि उसका क्या एक्सप्लोइटेशन होता है। पहली बात तो मेरी यह है कि गवर्नमेंट आफ इण्डिया को इस प्राब्लम को रिकगनाइज करना चाहिए। जब मिनिस्टर साहब जवाब दें तो इन खेत मजदूरों के बारे में भी बताएं।

दूसरी बात यह है कि मैं यह तजवीज करता हूं कि अभी तक खेत मजदूरों की हालत के बारे में कोई सर्वे नहीं हुआ है जिसके बारे में मैं चाहता हूं कि मिनिस्टर साहब ऐलान करें कि उनके बारे में एक मुस्तकिल आल इण्डिया सर्वे होगा और उस पर अमल होगा।

[अनुवाद]

हम भारत में खेतीहर मजदूरों की हैसियत के बारे में जानना चाहते हैं।

[हिन्दी]

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मेहरबानी करके मिनिमम वेज बताइए कि क्या होने चाहिए। सारे हिन्दुस्तान के बारे में आप मिनिमम वेज तय कीजिये और उन्हें एंश्योर कीजिये। उन वेजिज को आप इम्पलीमेंट कीजिये। जब तक आप मिनिमम वेजिज को इम्पलीमेंट नहीं करते तब तक वे मिनिमम वेज नहीं होते। जम्मू-कश्मीर तो एक छोटी सी रियासत है, वह सारे हिन्दुस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है।

मुझे मालूम है कि लेंड रिफार्म आपने जो किया उसका खेत मजदूरों को कोई फायदा नहीं हुआ मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि जवाहरलाल जी की सबसे बड़ी तमन्ना यह थी जिसको कि कयामत तक, जब तक यह सदन रहेगा याद किया जायेगा। उन्होंने हमें क्या नहीं दिया? ख्यालात दिये, प्लेनिंग, पार्लियामेंट दी और इस पार्लियामेंट में बैठने का तरीका बताया। मगर एक चीज जिसके बारे में उनकी सबसे ज्यादा तमन्ना थी वह यह थी लेंड रिफार्म्स की जो कि आपने नहीं किया। हमारी रियासत में शेरे काश्मीर शेख अब्दुल्ला ने आंख बन्द करके बिना मुआवजे के सारे जमीदारों की जमीनें ले ली और उनको बांट दिया। वह जमीन किसानों को दे दी, उसमें खेत मजदूर भी आ गए, जिनके पास जमीन नहीं थी, उनको भी जमीन मिल गई। लेकिन आज भी मैं हिन्दुस्तान में देखता हूं कि जागीरदारी कायम है, यह मौका नहीं है, मैं बताऊंगा कि मध्य प्रदेश में, यू० पी० में और बिहार आदि राज्यों में क्या हो रहा है। हमारे पास ऐसा लैंड रिफार्म होना चाहिए जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक तरीके का हो, यूनीफार्म हो और ऐसा लैंड रिफार्म हो जिसमें गलती न हो, टेढ़ापन न हो। लैंड रिफार्म होगा तभी किसान उठेगा, खेत मजदूर उठेगा। जब तक हम लैंड रिफार्म नहीं करेंगे तब तक जवाहरलाल नेहरू की तमन्ना पूरी नहीं होगी, आपका मकसद पूरा नहीं होगा और आप कहेंगे कि हमने यह किया है, वह किया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि किसान की उन्नति के लिए, जरायत की उन्नति के लिए इसको अवश्य करिये।

پروفیسر سیف الدین سوز: میں اردو میں ہی بول رہا ہوں۔ چیئرمین صاحب آج مجھے اندازہ ہوا اور اسی وجہ سے میں اردو میں بولنا چاہتا ہوں۔ اردو میں انسان کے ذہن میں اسکو خیال خیال کہتے ہیں۔ ایک انسان اور دوسرے انسان کی سوچ میں کتنا فرق ہے۔ یہ مجھے آج پتہ چلا جب رولنگ پارٹی کے دو سرکردہ بولے۔ شری راج ہنس جی نے ایک بات بتائی اور شکتاوت جی نے دوسری بات بتائی۔ راج ہنس جی نے جو کہا وہ ریکارڈ میں ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اسکے ساتھ میرا اختلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ اصل میں وہ خود ایک کسان ہیں۔ کسان کی لابی میں انکی عمل دخل ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اس ملک میں کسانوں کے لیے کچھ نہیں کیا گیا۔ یہ کمال کی چیز ہے۔ اس وقت یہاں یادو جی بیٹھے تھے اور بھجن لال جی نہیں تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ رام رڈی پر اور این آر ای پی فضولیات ہیں اور ان سے کسانوں کو کچھ نہیں کیا گیا ہے۔ اس کا جواب شکتاوت جی نے دیا کہ بہت کچھ کیا گیا ہے اور بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ اس درمیان میرے ذہن میں تصور نہیں یادو جی اور بھجن لال جی دونوں بیٹھے ہیں یہاں کسانوں کی بات سب نے کہی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں کسانوں کی لابی اسٹرانگ ہے اور ہمیں کسانوں کی مدد کرنی چاہیے لیکن یہ جو وشئے آپ کے سامنے ہیں اسپر کوئی بھی نہیں بولا ہے۔ ہمارے سامنے جو مسئلہ ہے وہ صرف کسانوں کا نہیں ہے کھیت مزدوروں کا بھی ہے۔ آپ میں سے کسی نے کھیت مزدوروں کا نام نہیں لیا ہے۔ میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ انڈسٹریل سیکٹر کے بعد کسانوں کی لابی بڑی اسٹرانگ ہو گئی ہے۔ یہ خوشی کی بات ہے۔ میں پہلے کسانوں کی دو منٹ بات کروں گا اور کسانوں کے لیے کیا نہیں مانگا۔

ہمارے لوک دل کے ساتھی شری رام نارائن سنگھ کو راج ہنس جی کی بات بڑی پسند آئی۔ راج ہنس جی اور سنگھ صاحب دونوں ہی سدن میں نہیں ہیں۔ یہ کہنا بہت غلط ہے کہ ہندوستان میں ایگریکلچر سیکٹر میں توجہ نہیں دی گئی ہے۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں پنڈت جواہر لال نہرو نے سب سے پہلے سدن میں کہا تھا اور گاندھی جی نے باہر کہا تھا کہ ہندوستان کی ریڑھ کی ہڈی کسان ہیں۔ دیش کی اکانومی جو ہے وہ ایگریکلچر ہے۔ چنانچہ آپکے پہلے منصوبے کا نام ہی بہ لحاظ زراعت منصوبہ ایگریکلچر کا منصوبہ لیکن پلاننگ میں تھوڑا ٹیڑھا پن

آگیا۔ ہم کو دوسرے پلان کو بھی ایگریکلچر پلان بنانا چاہیئے ہم نے کیا کیا، ہم ایمبیشیس ہو گئے اور ہماری پلاننگ میں ڈیفیکٹ آگیا۔

Perhaps, we wanted to do everything possible under the sun.

اسلیے پہلے پلان میں ایگریکلچر کو توجہ دیگئی ہے۔ دوسرے پلان کو ہم نے انڈسٹریل پلان کہا۔ تیسرے پلان میں پھر ہم نے غلطی محسوس کی اور ہم نے پھر ایگریکلچر پر تھرسٹ دیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پلیننگ میں کچھ غلطیاں ہو گئیں لیکن زراعتی شعبے میں ساری دنیا میں ہندوستان کا کام بہت ہی شاندار کام ہے۔ پھر یہ کہنا کہ کسان کو کچھ نہیں ملا اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔

میں نے ساری تقریریں سنی۔ میں کھیت مزدور کے لیے آپکو دو باتیں بتاؤنگا۔ کسان چاہتے ہیں کہ انہیں بہترین پرائس ملے۔ زراعت کو پرایورٹی سیکٹر ہونا چاہیئے۔ وہ بجلی چاہتے ہیں ٹریکٹر چاہتے ہیں اور اچھے بیج چاہتے ہیں۔ یہ چیزیں تو بہت پہلے ہمارے ملک میں ہونی چاہیئے۔ لیکن پلیننگ میں جو تھوڑا سا ٹیڑھا پن ہے کہ ہم نے بہت سارا پیسہ سوشل سروسز کے نام پر ضائع کر دیا۔ اسکے بارے میں کہنے کا ابھی موقع نہیں ہے۔ کسی وقت پلاننگ پر بات ہوگی تو میں کہوں گا۔ لیکن ٹکیت صاحب نے کسانوں کے لیے بڑی جنگ لڑی۔ خود کانگریس پارٹی نے مانگ کی ہے کہ کسان کے لیے کیا جانا چاہیئے۔ سیونتھ پلان میں بتایا گیا ہے،

The Seventh Plan had mentioned about Agricultural labour also. I want to remind Bhajan Lalji about this.

میں شیام لال جی یادو کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ان تقریروں کا ریکارڈ آپ کے پاس میں ہو گیا جو کہ یہاں پر ہوئی ہیں لیکن شاید آپ کو یاد نہیں ہے کہ ہندوستان میں ایک بہت ہی مظلوم طبقہ ہے جسکو زراعتی طبقہ یا کھیت مزدور کہتے ہیں۔ جسکی کہ کوئی بو نہیں ہے اگر راج ہنس جی یہاں ہوتے تو میں ان کو بتاتا کہ اس طبقے کو آئی آر ڈی پی کا فائدہ نہیں ملا این آر ای پی کا فائدہ نہیں ملا۔ اسکو آپ کی ساری سبسڈی کا فائدہ نہیں ملتا۔ اسکے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ میں کہوں گا ایگریکلچر کی وزارت کو اس کا نوٹس لینا چاہیئے کہ ان کے ساتھ کتنا ایکسپلائیٹیشن ہوتا ہے۔ جب آپ انڈسٹریل سیکٹر میں کسی چھوٹے بچے کو کام کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ چائلڈ لیبر ہے۔ لیکن زراعت میں چار چار چھ چھ سال کے بچے کام

کرتے ہیں ۔ ان کو پیسہ نہیں ملتا ۔ کبھی کبھی ان کو تھوڑا بہت چاول یا دوسرا اناج مل جاتا ہے۔ ان کے بارے میں آپکو معلوم نہیں ہے ۔ وہ آپ کی نظروں سے دور ہے کہ اس کا کیا ایکسپلائٹیشن ہوتا ہے۔ بات تو میری یہ ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا کو اس پرابلم کو ریکاگنائز کرنا چاہیے ۔ جب منسٹر صاحب جواب دیں تو ان کھیت مزدوروں کے بارے میں بھی بتائیں ۔

دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ تجویز کرتا ہوں کہ ابھی تک کھیت مزدوروں کی حالت کے بارے میں کوئی سروے نہیں ہوا ہے جس کے بارے میں میں چاہتا ہوں کہ منسٹر صاحب اعلان کریں کہ ان کے بارے میں [illegible] مستقل آل انڈیا سروے ہوگا اور اس پر عمل ہوگا۔

We want to know the status of Agricultural labour in India.

تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مہربانی کر کے منیمم ویج بتائیے کہ کیا ہونے چاہیئے ہمارے ہندوستان کے بارے ۔ جو آپ منیمم ویج طے کیجئے اور انہیں اینشیور کیجئے ۔ ان ویجز کو آپ امپلی مینٹ کیجئے ۔ جب تک آپ منیمم ویجز کو امپلی مینٹ نہیں کرتے تب تک وہ منیمم ویج نہیں ہوتے ۔ جموں و کشمیر تو ایک چھوٹی سی ریاست ہے ہمارے ہندوستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ۔

مجھے [illegible] م ہے کہ لینڈ ریفارم آپ نے جو کیا اس کا کھیت مزدوروں کو کوئی فائدہ نہیں ہوا ۔ میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جواہر لال نہرو جی کی سب سے بڑی تمنا یہ تھی جس کو کہ قیامت تک جب تک یہ سنسار رہے گا یاد کیا جائے گا ۔ انہوں نے ہمیں کیا نہیں دیا ۔ خیالات دیے پلاننگ پارلیمنٹ دی اور اس پارلیمنٹ میں بیٹھنے کا طریقہ بتایا ۔ مگر ایک چیز کہ جس کے بارے میں ان کی سب سے زیادہ تمنا تھی وہ تھی لینڈ ریفارمس کی جو کہ آپ نے نہیں کیا ۔ ہماری ریاست میں شیر کشمیر شیخ عبداللہ نے آنکھ بند کر کے

بنامعاوضے کے سارے زمینداروں کی زمین لے لی اور ان کو بانٹ دیا۔ وہ زمین کسانوں کو دیدی۔ اسمیں کھیت مزدور بھی آگئے۔ جن کے پاس زمین نہیں تھی ان کو بھی زمین مل گئی۔ لیکن آج بھی میں ہندوستان میں دیکھتا ہوں کہ جاگیرداری قائم ہے۔ یہ موقع نہیں ہے میں بتاؤں گا کہ مدھیہ پردیش میں یوپی میں اور بہار آدی راجیوں میں کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس ایسا لینڈ ریفارم ہونا چاہیئے جو کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک ایک طریقے کا ہو یونیفارم ہو اور ایسا لینڈ ریفارم ہو جس میں غلطی نہ ہو ٹیڑھاپن نہ ہو۔ لینڈ ریفارم ہوگا۔ تبھی کسان اٹھے گا کھیت مزدور اٹھے گا۔ جب تک ہم لینڈ ریفارم نہیں کریں گے تب تک جواہر لال نہرو کی تمنا پوری نہیں ہوگی آپ کا مقصد پورا نہیں ہوگا اور آپ کہیں گے کہ ہم نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ اسلیے میں چاہتا ہوں کہ کسان کی انتی کے لیے زراعت کی انتی کے لیے اسکو ادھیہ کریئے۔

[अनुवाद]

श्री के० एस० राव (मछलीपटनम) : सभापति महोदय, यह बात हम सभी को मालूम है और हम बार-बार इस सदन में और सदन के बाहर बताते रहे हैं कि 80 प्रतिशत से अधिक लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं जोकि विशेषकर या तो एक किसान अथवा खेतिहर मजदूर के रूप में खेती पर निर्भर है और सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 70 प्रतिशत कृषि क्षेत्र से आता है इससे स्पष्ट पता चलता है कि जब तक किसान और खेतिहर मजदूर की पर्याप्त उन्नति नहीं होती तब तक हम अपने देश की अर्थव्यवस्था में वास्तविक उपलब्धि अथवा सुधार नहीं कर सकते। मैं यह नहीं कहना चाहता कि इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया गया लेकिन हम किसी भी चीज को केवल सापेक्ष शर्तों में अनुमान लगाते हैं। अत: जब आप किसी चीज के बारे में सापेक्ष शर्तों पर विचार करते हैं और देखते हैं कि गांवों में अधिकतर निर्धन किसान और खेतिहर मजदूर यद्यपि उनकी स्थिति दयनीय नहीं है लेकिन निश्चित ही उस जैसी है।

महोदय जो प्रश्न हमसे पूछे गए हैं जब कभी हम गांवां में जाते हैं और किसानों अथवा खेतिहर मजदूरों से बात करते हैं, वे हमसे पूछते हैं "हमने क्या अपराध किया है ? क्या परम्परा, शांति, प्यार, कठिन परिश्रम और उत्पादन बढ़ाना एक अपराध है ? हमें क्या पारिश्रमिक मिल रहा है ? महोदय यह केवल पारिश्रमिक का प्रश्न ही नहीं है बल्कि यह स्थिति और प्रतिष्ठा का प्रश्न है। आप इसकी जांच कर सकते हैं। आप एक ग्रामीण से बात कर सकते हैं। आप एक ग्रामीण, एक किसान अथवा खेतिहर मजदूर की बेटी से बात कर सकते हैं, और उस लड़की से यदि दूल्हे के बारे में विकल्प पूछें, वह तत्काल यह कहेगी कि वह एक किसान से नहीं बल्कि एक कर्मचारी से शादी करना चाहेगी चाहे वह एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो अथवा एक लिपिक अथवा यहां तक कि चाहे वह बेरोजगार व्यक्ति ही हो जिसे किसी की दया से रोजगार मिलने की संभावना हो। इससे न केवल एक किसान और खेतिहर मजदूर के आर्थिक पहलू बल्कि सामाजिक पहलू का स्पष्ट तौर पर पता लगता है। अत: जब तक कि हम तत्काल उपाय नहीं करते, मुझे यकीन है कि वे लोग सड़कों पर आ जाएंगे। यही बात हम इस सदन में बार-बार बताते रहे हैं।

एक अन्य सन्देह जो वे हर बार व्यक्त कर रहे हैं वह यह है : क्या असंगठित होना एक अपराध है ? ऐसा विशेषकर किसान और खेतिहर मजदूरों के मामले में है। यदि इंडियन एयरलाइन्स में कार्यरत लोग, जो हर महीने 10,000/- रुपये के लगभग वेतन ले रहे हैं, यदि वे हड़ताल करते हैं, हर सरकार उनकी मांग स्वीकार कर लेती है और तत्काल उनकी मांग को मानने के लिए सहमत हो जाती है। कल मैंने समाचार पत्र में पढ़ा कि कुछ सौ लोग—बैंकों के लगभग 500 कर्मचारी अपनी परिलब्धियों में 25 प्रतिशत की वृद्धि करने के लिए आन्दोलन कर रहे थे। यहाँ मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। लेकिन मैं कर्मचारियों और किसान तथा खेतिहर मजदूर के जीवन की केवल तुलना कर रहा हूं। जब एक किसान अथवा एक खेतिहर मजदूर जोकि गरीबी रेखा से लगभग नीचे रह रहा है, किसी चीज के लिए मांग करता है हम यहां तक कि उनके पारिश्रमिक मूल्यों में वृद्धि भी नहीं करते जोकि स्वत: ही मजदूर के पास जाते हैं। तब, ऐसे लोगों को जोकि अधिक वेतन ले रहे हैं उनकी मांगों को मानने का मुद्दा कहां है ? इससे केवल यह पता चलता है कि जो लोग संगठित हैं, वे लोग अपनी मांगें मनवा सकते हैं और असंगठित वर्गों के लोग ऐसा नहीं कर सकते। अत: मैं चाहता हूं कि कोई सरकार, चाहे वह केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार हो, लोगों को ऐसा आभास नहीं होने देना चाहिए कि जब तक वे हिंसा नहीं करते अथवा यूनियन नहीं बनाते अथवा वे गलियों में नहीं आ जाते, उनकी उचित मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा और उनकी शिकायतों को दूर नहीं किया जाएगा। इस सम्बन्ध में

[श्री के० एस० राव]

तत्काल कार्यवाही करके स्वयं इस प्रकार के विचार को दूर किया जाना चाहिए। कृपया एक किसान के जीवन को देखिए। एक किसान जिसके पास 15 एकड़ भूमि है अथवा 18 एकड़ नमी वाली भूमि है जिसकी भूमि के लिए अधिकतम सीमा कानून के अन्तर्गत अनुमति दी गई है। वह उससे एक वर्ष में 20,000/- रुपए से अधिक आय प्राप्त नहीं कर सकता। जबकि एक सामान्य कर्मचारी 15000 रुपए, 18,000 रुपए अथवा 20,000 रुपए न्यूनतम प्राप्त करता है। सरकार ने ग्रामीण सम्पत्ति—भूमि पर अधिकतम सीमा लगाने के बारे में सोचा है। लेकिन उसने शहरी सम्पत्ति अथवा उद्योगों तथा व्यापार में सम्पत्ति पर अधिकतम सीमा लगाने के बारे में कभी नहीं सोचा है। सरकार और मंत्रालय को उनके बारे में भी सोचना होगा।

अपने राज्य अथवा अपने देश की ओर आते हुए प्रकृति भी अजीब है। इन दिनों में कोई भी किसान वर्षा के कार्यक्रम अथवा नहरों के पानी को छोड़े जाने के बारे में निश्चित नहीं है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, यदि वह कठिन परिश्रम करता है, यदि वह परिश्रम से अर्जित की गई आय को उसमें लगाने का जोखिम उठाता है, तो उसे इस बात का निश्चय नहीं है कि प्रकृति के कारण उसे समय पर फसल मिल जाएगी और सरकार उन उद्योगपतियों की जिनकी करोड़ों रुपए की सम्पत्तियां हैं, बीमा के द्वारा मुआवजा देकर उनकी रक्षा करती है। लेकिन जब यह फसल का बीमा हो, हम कोई मुआवजा देने के बारे में विचार नहीं कर रहे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि, हाल में, हमारे माननीय मंत्री श्री भजन लाल ने सहानुभूति और समर्थन व्यक्त किया था और यह उल्लेख किया था कि वह फसल बीमा को न केवल मण्डल आधार पर, बल्कि गांव आधार पर भी पूरी तरह से वापस लाने के बारे में विचार कर रहे हैं। इससे किसानों में निवेश करने में आत्मविश्वास बढ़ेगा।

खेतिहर मजदूरों का जीवन बहुत अधिक दयनीय है। खेतिहर मजदूरों के पास पूरे साल के लिए काम नहीं होता है। किसी भी गांव में, आप यह देखें उनके पास केवल तीन अथवा चार महीनों के लिए काम नहीं होता है। इससे स्पष्ट है कि उन्हें छः अथवा आठ महीनों के लिए खाली बैठना होगा। जब तक इन खेतिहर मजदूरों को खाली समय में अन्य रोजगार के साधनों से अतिरिक्त आय उपलब्ध नहीं करायी जाती तो उनकी स्थिति और खराब होती जायेगी। संसद में मैंने बहुत बार सुझाव दिया है कि गांवों में मछली पालन, मुर्गी पालन, डेरी, रेशम उत्पादन आदि जैसे व्यवसायों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र खोलने चाहिए और इन केन्द्रों में खेति मजदूरों को विशेषतया युवाओं को प्रशिक्षण देना चाहिए। इन व्यवसायों में बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है और वे अपने तीन महीने के खाली समय में अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं।

मूलभूत सुविधाओं की बात को लें, हम में से प्रत्येक ने इस पर चर्चा की है कि शहर की ओर लोगों का आना बहुत अधिक हो रहा है। हम इसे कम करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम इन तरीकों से उनकी आय में वृद्धि करते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में उनका जीवन और कारगर बनाते हैं तो कोई भी शहरों में नहीं आयेगा। अगर किसानों को लाभकारी मूल्य दिया जाता है और खेतिहर मजदूरों को ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाता है और बुनियादी सुविधाएं जैसे शिक्षा, संचार और यातायात आदि जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है तो कोई भी व्यक्ति शहरों में आना नहीं चाहेगा। मैं मंत्री जी से विशेषतया खेतिहार मजदूरों के बारे में सोचने और दूसरे मंत्रालयों में अपने सहयोगियों से बात करके प्रत्येक खेतिहर मजदूरों को निशुल्क शिक्षा, चिकित्सा सुविधाएं, सस्ते मकान आदि उपलब्ध कराने का अनुरोध करता हूं। अगर ऐसा किया जा सके **(व्यवधान)** ···

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात जारी रखिये ।

श्री के० एस० राव : मैं सभा का और अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। किसानों की समस्याओं और कृषक वर्ग के बारे में सांसदों के बीच एक मत है चाहे वे किसी भी पार्टी के हैं। लाभकारी मूल्य, फसल बीमा, कम ब्याज पर उधार देने, ग्रामीण प्रशिक्षण, केन्द्र, कुटीर और कृषि पर आधारित उद्योगों के लिए किसानों की मांगों पर दूसरी बार चर्चा करते हुए ध्यान दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा किया जाता है तो किसानों और खेतिहर मजदूरों की समस्याएं स्वतः ही दूर हो जाएंगी। धन्यवाद।

5.00 म०प०

[हिन्दी]

श्री केयूर भूषण (रायपुर) : आदरणीय सभापति महोदय, हम किसानों की स्थिति पर विचार करने जा रहे हैं। सारी चर्चा जो अभी तक हुई है उसमें जो विचार प्रकट हुए हैं किसान और गांव के सम्बन्ध में हैं। हम यह मानते हैं कि पूर्व से आज के गांवों की तरक्की हुई है, किसानों की स्थिति में परिवर्तन आया है। मगर देश की अर्थव्यवस्था का 80 प्रतिशत हिस्सा गांवों में है, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से किसान या गांव को हमने नहीं लिया था, अब लेने जा रहे हैं। उस दृष्टि से हमें यह देखना होगा कि गांव हमारी एक इकाई हो और गांव के साधन के आधार पर गांव की विशेष तरक्की हो। गांव के साधन के आधार पर हम तरक्की नहीं कर पाएंगे तो हम उतनी दूर तक सफल नहीं होंगे जितना हम चाहते हैं। हम आर्थिक दृष्टि से किसानों को जितना सहयोग दे रहे हैं, खेतिहर मजदूरों के न्यूनतम वेजेज भी करीब-करीब सब जगह तय हो गये हैं। लेकिन वह उन्हें लगातार नहीं मिल रहा है। थोड़े से इलाकों में जैसे पंजाब और हरियाणा हैं वहां इसको कोई समस्या नहीं है, मगर जितने पिछड़े राज्य हैं उनमें उनकी न्यूनतम मजदूरी अभी भी नहीं मिल पा रही है। मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ इलाके में भी उनको पूरी मजदूरी नहीं मिलती है। वहां के अधिकांश लोग मजदूरी के लिए पंजाब में जाकर काम करते हैं। पूरे महाराष्ट्र में भी बहुत कम ऐसी जगह है जहां उनको न्यूनतम मजदूरी मिलती हो। इसलिए इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन यह कैसे होगा। जो योजनाएं हैं ग्रामीण विकास के लिए उनके आधार पर पूरा करना चाहेंगे तो नहीं होगा। इसलिए यह साधन वहीं जुटाने होंगे। सबसे बड़ा साधन है वह जमीन है, उसका वितरण सही हो। अभी भी कई जगहों पर पंजाब में भी आपको 300-400 एकड़ के फार्म दिखाई देंगे। वह कहां से आये, सीलिंग का क्या हुआ। सीलिंग का सही उपयोग नहीं हुआ। अधिकतर गांवों में पूंजीवादियों का वर्चस्व है वहां के व्यापारी किसान हो गये हैं। सही किसान उसे कहते हैं जो हाथ से काम करे। बाकी जमींदार हो सकते हैं। जब जमींदारी समाप्त कर दी गई तो यह जमींदार कहां से आ गये। ये व्यापार भी करते हैं और जमींदारी भी। सहकारी बैंक किसानों के लिए हैं, लेकिन कोई भी यह बता दे कि जो सही किसान हैं उसके हाथ में क्या यह सहकारी बैंक है? जो व्यापारी किसान बन गये हैं और अपने को किसान ही बताते हैं सहकारी बैंक का पूरा लाभ भी वे लोग उठा रहे हैं। इस स्थिति को आपको बदलना होगा। अगर व्यापारी है तो उसने बच्चे के नाम से, भाई के नाम से, पत्नी के नाम से खेती ले ली है और किसान बन गया है। इस स्थिति से हमें बचना चाहिए।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : सबसे बड़ा किसान तो इस हिसाब से बिड़ला है उसका दिल्ली में 450 एकड़ का फार्म है।

श्री केयूर भूषण : ग्वालियर में भी उन्होंने शूगर फैक्टरी के नाम से 750—800 एकड़ जमीन

[श्री केयूर भूषण]

ले ली, लेकिन गन्ने की खेती नहीं हो रही है। अगर आप सचमुच में किसान को मजबूत बनाना चाहते हैं, खेतिहर मजदूर को मजबूत बनाना चाहते हैं तो जिस ढंग से खेती की चोरी की गई, कल चर्चा हुई कि एक मन्दिर के नाम पर ट्रस्ट बनाया गया, यह जमीन बचाने के लिए है। सभी धार्मिक स्थलों में हजारों लाखों एकड़ जमीन लगी हुई है। मेरा सुझाव है कि इन मन्दिरों, मस्जिदों या गुरुद्वारों में जितनी फालतू जमीन है, उसे लेकर गांवों के गरीब भूमिहीन लोगों में वितरित की जानी चाहिए। इससे हमारी कई समस्याएं हल हो जाएंगी और भूमिहीनों को जमीन भी मिल जाएगी। कई लोगों के पास तो अलग अलग नामों से जमीनें हैं। यदि आप देखें तो ऐसे लोगों के पास बड़ी जमीनें हैं जो या तो कोई व्यवसाय करते हैं या अच्छी नौकरियों में हैं। उनके हाथ में बड़े बड़े फार्म हैं। जो लोग सरकार में ऊंचे ओहदों पर हैं, उनके भी बड़े फार्म हैं। सब अलग अलग नामों से उन्होने कब्जा किया हुआ है। मेरी मांग है कि ऐसे मामलों की पूरी तरह से जांच कराई जाए और इन लोगों से फालतू जमीनें लेकर भूमिहीनों में वितरित की जाएं। मैं तो यह भी सुझाव देना चाहूंगा कि गांव में जितनी जमीनें हैं, उन पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार न हो, बल्कि व्यक्तिगत मालकियत को समाप्त करके, ग्राम सभा के अधिकार में सारी जमीनें रहें और वह सारी व्यवस्था करें। वर्तमान प्रथा को बदला जाना आवश्यक है। इससे हमारे गांव विकास कर सकेंगे, आगे बढ़ेंगे। यदि हम गांवों को वास्तविक रूप में आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें गांवों के परिप्रेक्ष्य में ही उनके विकास पर ध्यान देना होगा। मेरा यह सुझाव है कि गांवों में जितना उत्पादन होता है, वहीं पर उसे परिवर्तित करके गांवों से बाहर भेजा जाए। जैसे गांवों में गन्ना होता है, टमाटर होता है, आलू होता है, उसे वहीं दूसरे रूप में परिवर्तित करने में क्या हर्ज है। हमें गांवों में छोटे उद्योगों और ग्रामोद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि उस गन्ने से वहीं गुड़ बनाया जा सके, बूरा बनाई जा सके और शक्कर बनाकर गांव के बाहर भेजी जा सके। ऐसे ही अन्य उत्पादों को भी वहीं परिवर्तित किया जा सकता है, उनके परिवर्तन के लिए गांवों में ही छोटे उद्योग लगाये जा सकते हैं और वहीं उन्हें डिब्बों में बन्द करके गांवों के बाहर भेजा जा सकता है। हमारे गांवों में दूध पैदा होता है, वहीं हम उससे मक्खन बनाने की व्यवस्था कर दें, घी बनाने की व्यवस्था कर दें और वह मक्खन या घी डिब्बों में बन्द होकर शहरों में बिकने के लिए भेजा जाए, इससे गांवों की बेरोजगारी भी दूर होगी और लोगों को गांवों में ही रोजगार मिल सकेगा। हमारे प्रधान मंत्री जी ने साफ कहा है कि हमें अपने बेरोजगार, कृषक और खेत मजदूरों के परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराना है ताकि उनकी बेरोजगारी दूर हो सके, वह रोजगार हम कहां से देंगें। इस तरह ही उनकी बेकारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है। इसलिए हमें गांवों के अन्दर ही पैदा होने वाली वस्तुओं को परिवर्तित करके, डिब्बा बन्द करके, बाहर भेजने की व्यवस्था करनी होगी।

जहां हमें देश के विकास के लिए गांवों का विकास आवश्यक रूप से करना है, वहीं देश की गायों और बैलों की रक्षा भी करनी है, बागवानी और जल संसाधनों पर भी जोर देना होगा। यदि हम अपने किसानों को अच्छी नस्ल के गाय, बैल आदि नहीं देंगे तो क्या कृषि का विकास सम्भव है। देश का विकास भी नहीं हो पाएगा। ट्रैक्टरों के भरोसे रहकर हम उन्नति नहीं कर पायेंगे। आपको ऊर्जा कहां से मिलेगी। जब हमने बीसवीं सदी की ओर तेजी से जाने का प्रण कर लिया है तो उसके लिए किसानों को अच्छी नस्ल के बैल और गाएं उपलब्ध करानी होंगी। आप देखिए पंजाब में आज साहिवाल नस्ल के बैल लुप्त होते जा रहे हैं, कहां चले गये। इसलिए हम किस रास्ते पर जा रहे हैं उस पर भी ध्यान देना होगा। गाय और बैलों की अच्छी नस्ल को बचाने की भी उतनी ही आवश्यकता है। आज अच्छी नस्लें केरल और बंगाल में जाकर कट रही हैं। यहां हमारी गीता बहन बैठी हैं, मैं उनसे भी निवेदन

करना चाहूंगा कि आप बंगाल में अच्छी नस्ल के बैलों और गायों को कटने से रोकिये। इससे बंगाल की आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी और देश के खेत मजदूरों को भी अच्छी नस्ल के गाय और बैल मिल जाएंगे। उनके सहारे हम तेजी से विकास की ओर बढ़ सकेंगे। मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि इसी तरह से यदि हमारे उपयोगी बैल और गायें कटती रहीं तो हम उन्नति नहीं कर पाएंगे। इसे रोकने के लिए हमें वर्तमान कानूनों में परिवर्तन लाना होगा ताकि अच्छी नस्ल के पशुओं की रक्षा की जा सके। आज उन गायों और बैलों को पैर तोड़ कर, आंखें फोड़ कर पहले कमजोर बना दिया जाता है और फिर कत्ल कर दिया जाता है। बम्बई में यह कार्य बहुत जोरों से हो रहा है। किसानों की तरक्की के लिए हमें यह रोकना होगा। यदि देश में यही स्थिति चलती रही तो एक दिन वह आएगा जब हमें गोबर भी विदेशों से मंगाना पड़ेगा, जिस तरह आज हम बीज, खाद आदि मंगाते हैं और देश की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च कर रहे हैं। कल क्या हम गोबर भी अमेरिका से मंगाएंगे। हमारे कृषि मंत्री जी स्वयं किसान हैं और यादव जी तो स्वयं यादव वंशी हैं, वे सब जानते हैं और मैं उनसे चाहूंगा कि वे इस स्थिति को बदलें। मैं यहां किसी धार्मिक भावना के वशीभूत होकर यह बात नहीं कह रहा हूं, मैं गैर धार्मिक व्यक्ति हूं मगर खेती की तरक्की के लिए, गाय-बैलों की अच्छी नस्ल बनाए रखने की दृष्टि से निवेदन कर रहा हूं। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि इससे हम तेजी से विकास कर पाएंगे।

5.10 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार) : उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि हमारे देश की कुल जनसंख्या के 80 प्रतिशत लोग किसान या खेतिहर मजदूर हैं। हमारे देश में लगभग 50 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो बहुत गरीब हैं। वे अधनंगे रहते हैं। उनके पास पूरा तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है। उनके पास खाना नहीं है। यह स्थिति है। कुछ दिन पहले, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अधिवेशन में आपने "गरीबी हटाओ, बेकारी हटाओ" प्रस्ताव पारित किया था। लेकिन, आपको पता होगा कि उससे पहले आपने कितनी बार ऐसे नारे दिये हैं। मेरा कहना है कि यह नारा केवल वोट लेने के लिए है।

आप जानते हैं पंडित जवाहर लाल नेहरू के समय अवाडी कांग्रेस में आपने एक नारा समाजवादी समाज का नारा दिया था। उस नारे का क्या हुआ? आप जानते हैं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के समय में आपने एक "गरीबी हटाओ" का नारा दिया था। आप जानते हैं उस नारे का क्या हुआ। इस देश के गरीब लोगों की स्थिति क्या है?

श्रीमती गीता मुखर्जी ने श्रम उप-समिति की रिपोर्ट का हवाला दिया था। श्री मदन पांडे इस समिति के सदस्य थे। वह रिपोर्ट क्या है? इतने अधिक कानूनों और इतने अधिक कार्यक्रमों के बाद उन्हें क्या मिल रहा है? छः घंटे के कठिन कार्य के बाद वह केवल तीन-चार रुपये प्रति दिन पाते हैं। यही दुःख की बात है। उस विशेष रिपोर्ट के अनुसार आप जानते हैं कि उन्हें कितने दिनों के लिये काम मिलता है मुश्किल से 75 - 80 दिनों के लिये काम मिलता है। क्या श्री भजनलाल हमें बताएंगे उन्हें 75—80 दिनों के लिए कब काम मिलता है। वर्ष के शेष दिनों में वे क्या करते हैं? आप कह सकते हैं कि वे अभी भी जीवित हैं। हां, वे अभी भी जीवित हैं। वे अपने हल बेचकर जिन्दा रहने का प्रयास कर रहे हैं। महिलाएं अपना सतीत्व बेच रही हैं। यह किसी अन्य स्थान में नहीं हो रहा है। श्री वोरा

[श्री अमर राय प्रधान]

यहां हैं। रिपोर्ट में मध्य प्रदेश का उल्लेख है। दूसरे राज्यों के बारे में क्या है? तो, यह स्थिति है। क्या आप राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के क्रिया-न्वयन के बारे में गम्भीर है। क्या आप उड़ीसा राज्य के बारे में गम्भीर है? कालाहांडी में क्या हो रहा है? प्रधान मंत्री जी के दौरे के बहुत से दौरों के बाद भी, वहां लोग मर रहे हैं। वहां भुखमरी के कारण मौतें हो रही हैं। यही दु:ख की बात है। (व्यवधान)

उस पक्ष के और इस पक्ष के भी बहुत से सदस्य किसानों की समस्याओं के बारे में बोले हैं। हमने लाभकारी मूल्यों के बारे में कुछ नहीं कहा है। भारतीय किसान वर्ग के लिए यह एक बड़ी विडम्बना है कि किसान और श्रमिक जो धान, गेहूं, पटसन, गन्ना, तम्बाकू जैसी फसलों को अपने खून और पसीने से पैदा करते हैं, उन्हें उनके उत्पादन का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। इस खून-पसीने की फसल से उन्हें कोई फायदा नहीं होता है।

दूसरी तरफ यह कहा जा सकता है कि बीजों, उपकरणों, बिजली, सिंचाई, मिट्टी का तेल, डीजल, कीटनाशक दवाइयां, उर्वरक जैसे कृषि संबंधी निवेशों के मूल्यों में तेजी से वृद्धि हुई थी। अगर हम 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1984-85 और 1985-86 की रिपोर्टों का अध्ययन करें तो पाएंगे कि कृषि संबंधी निवेश के मूल्यों में 83 से 151 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। दूसरी ओर 1980-81 से 1985-86 की इसी अवधि के दौरान कृषि उत्पानों के मूल्यों में औसतन 27 से 38 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इसका अर्थ यह हुआ कि कृषकों को औसतन 56 प्रतिशत नुकसान हो रहा है। क्या आपने यह रिपोर्ट पढ़ी है? आपने अपनी 'ग्रीन बुक' में इसका जिक्र नहीं किया।

क्या आपने रिजर्व बैंक की रिपोर्ट पढ़ी है? यदि आप रिजर्व बैंक द्वारा 1980-81 से 1985-86 के दौरान दिये गये आंकड़े पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि कृषकों को जितना उपभोक्ताओं से प्राप्त होता है उन्हें उससे 49 अंक अधिक अदा करना पड़ता है।

अब मैं कृषि मूल्य आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष डा० जी० एस० भल्ला द्वारा किये गये अध्ययन पर आता हूं। यह रिपोर्ट कुछ दिन पूर्व विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि 7.5 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को बचत के बजाय घाटा होता है और 7.5 एकड़ से 25 एकड़ भूमि रखने वाले किसानों की तुलना केन्द्रीय सरकार के चतुर्थ श्रेणी किसानों से की जा सकती है।

पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा उसके बाद किये गये अध्ययनों से पता चलता है कि 1983-84 में एक सरकारी क्लर्क की वार्षिक आय 15736 रु० थी जबकि इसकी तुलना में 7.5 एकड़ से अधिक भूमि रखने वाले किसान की आय 12135 रु० थी।

यह है उनका स्तर और यह है आपका व्यवहार उनके प्रति। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह संग-ठित नहीं है, वह अपनी बात नहीं कह पाते, वह चिल्ला नहीं सकते। इसीलिए आप उनका शोषण कर रहे हैं।

क्या मंत्री महोदय हमें बताएंगे कि वह ग्रामीण निर्धनों के विकास के लिए वास्तव में ईमान-दार हैं या नहीं? मेरे विचार से वह बिल्कुल गम्भीर नहीं हैं। मैं इसके लिए आपको दोषी मानता हूं।

अब मैं कच्चे पटसन पर आता हूं, जिससे आप प्रति वर्ष 300 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा

कमाते हैं। लगभग 40 लाख पटसन उत्पादक हैं और ढाई लाख लोग पटसन कारखानों में काम कर रहे हैं। क्या आप मुझे उनकी दशा के बारे में बता सकते हैं ? पश्चिम बंगाल में नवम्बर, 1986 के चुनावों से ठीक पहले, प्रधान मंत्री ने 150 करोड़ रुपये का पटसन आधुनिकीकरण कोष और पटसन उत्पादकों के लाभ, उच्च तकनीक वाली पटसन मशीनों का आयात शुल्क हटाने और पटसन की वस्तुओं के अनिवार्य इस्तेमाल के लिए 100 करोड़ रुपये के कोष के सृजन का आश्वासन दिया था।

आओ अब हम दूसरे वायदे अर्थात पटसन उत्पादकों के लाभ के लिए 100 करोड़ रुपये के पटसन कोष पर नजर डालें। ढाई वर्ष के पश्चात इसका क्या परिणाम निकला ? 100 करोड़ रुपये के उस कोष में से अभी तक 8 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं और उस 8 करोड़ रुपये में से 6 करोड़ रुपये भारतीय पटसन निगम और दो करोड़ रुपये कृषि विभाग की ओर से खर्च किये गये हैं। यह एक त्रासदी है। यह आपका वायदा है। एक चुनावी हथकण्डे के अतिरिक्त कुछ नहीं था। महोदय, क्या भारतीय पटसन निगम के यह 197 यूनिट और 305 सहकारी यूनिट कच्चे पटसन की खरीद के लिए पर्याप्त हैं ? यह केवल पश्चिम बंगाल की ही बात नहीं है बल्कि उड़ीसा, असम, मेघालय और त्रिपुरा की भी यही स्थिति है। क्या उनके लिए कच्चे पटसन की 70-80 लाख गांठें खरीदना सम्भव है ? यह असंभव है। किन्तु, तो भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जब आप हर चीज का वायदा कर रहे हैं, आपने कच्चे पटसन का सांविधिक मूल्य वापस ले लिया है। समर्थन मूल्य भी बहुत कम है। यह पटसन उद्योग के लिए है, न कि पटसन उत्पादकों के लिए। इसलिए, महोदय, यह रवैया बिल्कुल अलग है और यह कृषक विरोधी तथा कृषि श्रमिक विरोधी है।

[हिन्दी]

श्री राम भगत पासवान (रोसड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, किसान और मजदूर भारत की आत्मा हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आजादी के आन्दोलन के साथ-साथ किसान और मजदूर को न्याय मिले, इसके लिए भी आन्दोलन किया था और कांग्रेस की यह नीति रही है कि किसान और मजदूर को जहां तक हो सके, हर तरह की सुविधा दी जाय, उनकी हालत को सुधारा जाय और इस नीति के अनुसार कांग्रेस मजदूरों और किसानों को बहुत तरीके से योजना बनाकर उनकी हालत को सुधारने का हर प्रयास करती रही है।

जहां तक पानी का सवाल है, बिजली, सब्सिडी, कर्ज, यह सब देकर किसानों की हर समय सहायता करती रही है लेकिन जहां तक बिहार का प्रश्न है, सरकार द्वारा किसानों को फैसिलिटी देते हुए भी, बाढ़ प्राकृतिक प्रकोप की वजह से सारी फैसिलिटी समाप्त हो जाती है। हर साल बिहार में बाढ़ हजारों एकड़ जमीन को नष्ट कर देती है। फल यह होता है कि सारे किसान जमीन छोड़-छोड़ कर शहरों की ओर भागते जा रहे हैं क्योंकि वह जो परिश्रम करता है, बाढ़ उसको समाप्त कर देती है। बाढ़, सूखा, अनावृष्टि और अतिवृष्टि इसकी चपेट में, बिहार का किसान पड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश का किसान भी इसी चपेट में पड़ा हुआ है। सरकार ने करोड़ों रुपये की योजनाएं बनाईं लेकिन जो योजनाएं बनीं उससे पहले कम कष्ट था, योजनाएं बनने के बाद कष्ट अधिक बढ़ गया है क्योंकि बाढ़ आती है तो पानी की निकासी नहीं होती है। जहां तहां बांध बने हैं, इन्होंने विवेक से काम नहीं लिया इसलिए किसानों की हालत और दयनीय हो गई है। वहां की दो-तीन परमानेंट समस्याएं हैं उन समस्याओं के निवारण के लिए तीन-चार योजनाएं हैं। कृषि मंत्री महोदय, आप बिहार गये होंगे तो लोगों ने आपसे कहा होगा। वहां तीन नदियां हैं, कोसी नदी के फ्लड को नियंत्रित करने के लिए जो नेपाल का वर्षा बाराज क्षेत्र है वहां पर डैम बनाइये, कमला बलान की बाढ़ रोकने के लिए शीशापानी नेपाल में पड़ता है, वहां भी

[श्री राम भगत पासवान]

डैम बनाया जाए, इसके बाद बागमती है उसका ननूथर स्थान है। इन तीनों स्थानों पर आप डैम बना देते हैं तो निश्चित रूप से बाढ़ नहीं रहेगी। नियंत्रित रूप से किसान पानी खींचेंगे। बिहार की भूमि हिन्दुस्तान की सब भूमियों से उर्वरा भूमि है इसलिए किसानों की हालत तब तक नहीं सुधरेगी जब तक आप फ्लड कन्ट्रोल के लिए इन तीनों योजनाओं को पूरा नहीं करते।

इसके बाद कमला बनाड का बांध है, वह आधे रास्ते में जाकर छोड़ दिया गया है। फल यह हुआ है कि जब बाढ़ का पानी आता है तो जहां उसको छोड़ दिया गया है उस वक्त सारे उत्तर बिहार को वह जलमग्न कर देता है। आपके इंजीनियरों ने कम से कम 30 सौ करोड़ रुपया खर्च कर दिया होगा लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ है। इस योजना का पैसा जो गया है तो इंजीनियरों और अधिकारियों के पेट में गया है। किसानों को इससे कोई फायदा नहीं हुआ है इसलिए आप इस योजना को कड़ाई से पूरा कीजिए ताकि किसानों को लाभ मिल सके अन्यथा वहां के किसानों ने दिल्ली आकर झुग्गी-झोपड़ियों में आकर रहना शुरू कर दिया है।

जहां तक मजदूरों का प्रश्न है। मजदूरों की हालत में अभी कोई सुधार नहीं हो पाया है। आज भी उनका एक्सप्लायटेशन हो रहा है। चाहे बंधुआ मजदूर हो या कृषि मजदूर हो, बिहार में मजदूरों की जो हालत है··· अभी भी उसका घर वैसा ही है। सूरज और चन्द्रमा की रोशनी और बरसात का पानी उसके घर में आ रहा है। 12—16 घंटे काम करने के बाद भी आज वह अल्पाहार है। यहां दिल्ली में 104 डिग्री बुखार में भी मजदूर सड़कों पर सोया रहता है और सड़कों पर काम कर रहा होता है, पत्थर तोड़ रहा होता है। ऐसे लोगों के लिए आपने क्या व्यवस्था की है? गांधी जी ने इसके लिए भी आन्दोलन किया था। मेरा आपसे आग्रह है कि उस मजदूर के लिए कम से कम आवास की व्यवस्था होनी चाहिए जो कि खेत में काम करते हैं, सड़कों पर काम करते हैं और मकान बनाने का काम करते हैं। आज उनका एक्सप्लायटेशन होता है। आप इसकी जांच करवा सकते हैं। आप कम से कम उसके लिये मकान की व्यवस्था करें। उसके भी बच्चे हैं और उनकी भी अभिलाषाएं हैं कि अपने बच्चों को पढ़ा-लिखाकर आगे बढ़ाएं। आज उनके बच्चे इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं लेकिन झुग्गी-झोंपड़ी में रह रहे हैं। उनके बारे में भी आपको विचार करना है।

न्यूनतम मजदूरी के चलते आज बिहार में कितने ही लोग मारे जा रहे हैं। लैंड सीलिंग के सम्बन्ध में केयूर भूषण जी ने ठीक ही कहा है कि आज जमींदार कौन है? जमींदार बड़े-बड़े इंजीनियर, डाक्टर, टाटा, बिरला, डालमिया। ये बड़े-बड़े जमीदार जमीन तो जोतते नहीं हैं लेकिन जमीन पर कब्जा किये हुये हैं। आज यहां पर चार हजार एकड़ जमीन पर कब्जा करके अमरीका में बसे हुए हैं। (व्यवधान) मैं आग्रह करना चाहता हूं कि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए और उनके ऊपर से किसी तरह का लिटीगेशन हो तो उसको हटाया जाए। साथ ही उनके लिए आवास और उनके बच्चों के लिए शिक्षा-दीक्षा का प्रबन्ध किया जाये। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए समाप्त करता हूं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, 5.30 बजे उत्तर देंगे। अब डा० दत्ता सामन्त।

डा० दत्ता सामन्त (बम्बई दक्षिण मध्य): हम कृषि श्रमिकों की दयनीय स्थिति के बारे में जानते हैं। वे पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित हैं। वे इस देश के निर्धन, अशिक्षित और शोषित लोग हैं। मैं

नहीं जानता कि इस सरकार को पिछले 40 वर्षों के दौरान उनकी दशा सुधारने से किसने रोका था। पिछले चार वर्षों से मैं इस सदन में लगातार बोल रहा हूं और पूछ रहा हूं कि क्या आपको उनके साथ कोई सहानुभूति है या आपको निर्धनों से कुछ लेना-देना भी है या नहीं।

केवल, तमिलनाडु जाकर निर्धनों और उनके परिवारों से बातचीत करना ही इस देश में गरीबी दूर करने का तरीका नहीं है। पिछले 40 वर्षों में उन्हें क्या मिला है ? तीन आयोग नियुक्त किए गए किन्तु उनकी रिपोर्ट कार्यान्वित नहीं की गई। चौथा आयोग बैठा हुआ है। 2 वर्ष बाद फिर कुछ आ जाएगा। समिति की रिपोर्टों में कहा गया है कि अधिकांश क्षेत्रों में ग्रामीण श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जाती। यह इस सदन के संसद सदस्यों की रिपोर्ट कहती है। न्यूनतम मजदूरी के बारे में आवश्यक कार्यवाही करने से आपको किसने रोका था ? मैं कहता हूं कि इस सरकार को निर्धनों से कुछ लेना-देना नहीं है। यदि कृषि श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम वेतन दिया जाए तो इस देश में 50 प्रतिशत गरीबी दूर हो जाएगी। आपके पास इतना बड़ा सरकारी तंत्र किस लिए है, ये तहसीलदार किस लिए हैं, यह श्रम आयुक्त किस लिए हैं, यह निरीक्षक तथा अन्य लोग किस लिए हैं ?आप उन्हें इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए क्यों नहीं कहते ? आप यह काम यूनियनों पर मत छोड़ें। यह यूनियनें ग्राम स्तर पर कार्य नहीं कर सकतीं। आपने लम्बे समय के पश्चात यह निर्णय लिया है कि मजूरी 11 रुपये होनी चाहिए। यह बिल्कुल अपर्याप्त है। इससे 20 रुपये कर दीजिए तथा प्रत्येक तीन वर्ष बाद महंगाई भत्ते के साथ जोड़ दीजिये। विगत चार वर्षों के दौरान मूल्यों में 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जब उपकरणों और यंत्रों के मूल्यों में वृद्धि होती है तो इसका प्रभाव गरीब आदमी पर पड़ता है क्योंकि ये उसके लिए आवश्यक वस्तुएं हैं। ये बड़े सामान्य नियम हैं परन्तु व्यवहारिकत: सरकार की इन्हें लागू करने की कोई इच्छा नहीं है और इसलिए कृषि श्रमिकों को पूरे वर्ष कार्य नहीं मिलता है। आप इसके बारे में गारण्टी दीजिए। अकाल की स्थिति में ये श्रमिक एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को चले जाते हैं तथा उन क्षेत्रों में कष्ट उठाते हैं।

बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन पर मैं चर्चा कर सकता हूं। परन्तु समय बिल्कुल नहीं है। सरकार की भी कोई इच्छा नहीं है। मैं श्रमिक समिति में हूं परन्तु मैं समिति के अन्य लोगों के साथ जाना और इस प्रकार अतिरिक्त खर्चा करना पसन्द नहीं करता हूं क्योंकि सरकार कोई ध्यान नहीं देगी। कृषि मजदूरों के संबंध में दी गई इन रिपोर्टों के बाद भी विगत दो वर्षों के दौरान उन्होंने उनके बारे में कुछ नहीं किया है। पिछले सप्ताह बंधुआ मजदूरों तथा न्यूनतम मजदूरी का अध्ययन करने के लिए 14 आयोगों की नियुक्ति की गई है। इस प्रकार इस सभा के लोगों, आम जनता तथा बंधुओं मजदूरों को गुमराह किया जा रहा है क्योंकि वे इन रिपोर्टों का अध्ययन नहीं कर रहे हैं। कृषि मजदूरों की यह दयनीय स्थिति है। मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं। यदि आप कुछ नहीं करना चाहते हैं तो इन मामलों की सभा में चर्चा मत कीजिए।

आप इस सभा में कृषि मजदूरों तथा किसानों विशेषत: मजदूरों की चर्चा करते रहते हैं परन्तु आप उनके लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं।

हरियाणा में आपने किसानों को 260 करोड़ रुपये की रियायतें देने के बारे में कहा था आपने इसे राजनैतिक मामला बना दिया और इसमें हार गये। महाराष्ट्र में श्री शरद पवार ने किसानों को 200 करोड़ रुपये की रियायतें दी हैं परन्तु इसका औसत 400 रुपये प्रति किसान पड़ता है। यह राजनैतिक घोषणा है। इस देश के टाटा-बिरला जैसे बड़े औद्योगिक घरानों ने बैंकों तथा सरकारी निगम बोर्डों को धोखे दिये हैं। उन्होंने उन्हें 4000 करोड़ रुपये का धोखा दिया है। आपने उनके लिए क्या किया ? वे धन हड़प रहे हैं। रुग्ण उद्योगों की संख्या बढ़ रही है। बम्बई में कपड़ा मिल मालिकों

[डा० दत्ता सामन्त]

ने बैंकों के 700 करोड़ रुपये हड़प लिए हैं परन्तु 40 वर्षों के बाद आप महाराष्ट्र के किसानों को 200 करोड़ रुपये दे रहे हैं। इससे आपका इरादा स्पष्ट होता है कि आप उनकी किस प्रकार सहायता कर रहे हैं।

आप निर्यात में टाटा, बिरला तथा दूसरे बड़े घरानों को रियायत दे रहे हैं। कपड़ा उद्योगों के लिए आप आय कर की अनुमति नहीं दे रहे हैं। निर्यात में आप उन्हें 10 प्रतिशत की राजसहायता दे रहे हैं। आप उन्हें बहुत सी निर्यात संबंधी रियायतें दे रहे हैं। इस सरकार की अर्थव्यवस्था उन लोगों के लिए कार्य कर रही है जो काला धन पैदा कर रहे हैं और आप किसानों तथा कृषि मजदूरों के कल्याण की केवल चर्चा कर रहे हैं।

मैक्सिको तथा अफ्रीका के जिन देशों में पेप्सी कोला गया है, वहां इसके बारे में गलत रिपोर्ट है। इस सभा से मेरा अनुरोध है कि वह इसका अध्ययन करे। यदि आप इसका अध्ययन करेंगे तो आप इसके बारे में जान जाएंगे। लाभकारी मूल्यों के अभाव में किसानों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। उन्हें तुरन्त ही कुछ अधिक मिल सकता है। परन्तु यदि आप इसकी तुलना राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से करें और अगर कल कीमतें बढ़ जाती हैं तो ये बहुराष्ट्रीय कम्पनियां स्थिति का फायदा उठाएंगी। किसलिए ? आलू की चिप्स या फलों के रस के लिए ? आप बंगलौर की प्रौद्योगिकी का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं ? यह सरकार दर्शक मात्र बनना चाहती है।

विगत चार वर्षों से श्री राजीव गांधी सत्ता में हैं। आपने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को 20 0 करोड़ से अधिक रुपये दिये हैं क्योंकि आप उन्हें इस देश में बने रहने की अनुमति दे रहे हैं।

गेहूं के मूल्यों के लिए आप 1. 3 रुपये दे रहे हैं। विगत चार वर्षों में उनमें 20 पैसे की वृद्धि हुई है। विगत चार वर्षों में गेहूं के सरकार के वसूली मूल्य में 20 पैसे की वृद्धि हुई है।

उर्वरक का कृषि मूल्य क्या है ? इसमें 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसे रोकने के लिए आपके पास कोई तंत्र नहीं है। आपका भारतीय खाद्यान्न निगम परिवहन तथा गोदाम शुल्क 1.03 रुपये ले रहा है। यह क्या है ? उन्हें 70 प्रतिशत देना पड़ेगा। खाद्य संबंधी राजसहायता 1000 करोड़ रुपये है। इस देश का शासन कौन कर रहा है ? जब यहां 1.83 रुपये की घोषणा की गई तो मैं बम्बई गया और इसके बारे में पता लगाया। वहां यह 4.50 रुपये था। यह इस देश का भाग्य है। इस देश के बड़े व्यापारियों तथा पूंजीपतियों के बीच आपके समर्थक लाभ उठा रहे हैं। इसलिए मैं सरकार से अपील करता हूं कि सम्पूर्ण रणनीति तथा गतिविधियों में परिवर्तन किया जाए। यह बुनियादी आर्थिक परिवर्तन है. यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो, इस सभा में चर्चा करने का कोई लाभ नहीं है।

आपने मेरे साथ अन्याय किया है। आप मुझे पांच मिनट से अधिक का समय नहीं दे रहे हैं। मुझे अन्य बातें बतानी हैं। मैं किसी अन्य अवसर पर अपने विचार व्यक्त करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अपनी बातें कहने के लिए आपको बहुत अवसर मिलेंगे।

[हिन्दी]

श्री धर्मपाल सिंह मलिक (सोनीपत) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा अफसोस

होता है, जब इस सदन के अन्दर बहुत उच्च कोटि के विद्वान विषय से दूर जाकर बोलते हैं··· (व्यवधान)···आज का विषय बहुत सिम्पल है। लेकिन बहुत सारे साथियों ने उन किसानों से वोट बटोरने के लिये भाषण दिये हैं। विषय बड़ा सीधा है। श्री महेन्द्र सिंह टिकैत ने यहां दिल्ली में रैली की। किसानों की मांगें क्या हैं, खेत मजदूरों की मांगे क्या हैं और उनकी कितनी मदद करनी चाहिये··· आज का जो यह विषय है इस विषय पर बोलने के लिये हमें यह देखना है कि किसानों की क्या मांगें थीं और क्या हम उनकी मांगों को उचित समझते हैं? इस बारे में हमें सोचना है।

उनकी दो मांगें ऐसी हैं जिनका केन्द्र से संबंध कम है और राज्य सरकारों से ज्यादा है। मिसाल के तौर पर मैं कहूंगा कि बिजली की कीमत सारे हिन्दुस्तान में एक जैसी हो। यह स्टेट सब्जेक्ट है। यह मांग इसलिये रख दी गई कि जो उनका शोषण स्टेट्स में किया जाता है उसके लिये वे स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ एजीटेशन न करें। इसके लिए भी उन्हें केन्द्र सरकार की तरफ कर दिया गया। उनकी दूसरी मांग गन्ने की कीमत के बारे में है। यह सब्जेक्ट भी स्टेट का है। उनकी तीन मांगें ऐसी थीं—एक तो उनकी उपज की लाभप्रद कीमत मिले, दूसरे वे यह चाहते थे कि जो वे हर चीज पैदा करते हैं उसका बीमा हो। उस बीमे के लिये विलेज को इकाई मान लिया जाये। इस विषय पर मैं कहना चाहूंगा कि जितनी सीरियसनेस इस विषय पर होनी चाहिये थी उतनी नहीं है। उसके लिए हमारी बदकिस्मती यह है कि हमने यहां तीन दिन बोफोर्स पर बहस करने में लगा दिये और जब वह बहस हो रही थी तो सदन खचाखच भरा हुआ था लेकिन आज जब किसानों की बात हो रही है तो तीन भाई विरोध में बैठे हैं और भला हो कांग्रेस का कि उसके काफी सदस्य यहां बैठे हैं। कहने का मतलब यह है कि हम किसान की बात यहां करके उसकी केवल हमदर्दी हासिल करना चाहते हैं वास्तव में जो उसके साथ शोषण होता हैं उससे हमें कुछ लेना देना है नहीं है।

मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में 80 फीसदी आबादी किसानों की है और इस पार्लियामेंट के अन्दर भी 80 फीसदी नुमाइंदे किसानों के हैं। लेकिन आप देख लें कितने कितने परसेंट लेक्चर उनकी मांगों के लिये दिये जाते हैं। मैं इस पर अधिक नहीं कहूंगा लेकिन एक बात जो हमारे प्रांत के एक माननीय सदस्य ने कही कि एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री घोषित कर दिया जाए, मुझे इस पर आपत्ति है। आज इंडस्ट्रियलिस्ट्स अपने फार्म हाउसिज बना रहे हैं जिससे कि वे अपनी ब्लेक मनी को छिपा सकें। इससे किसानों का भला नहीं होगा। वे भोले आदमी हैं। यह बात कहकर उनको गुमराह किया जाता है। इसलिये मैं कहता हूं कि इसको इंडस्ट्री घोषित न करके किसान के लिये क्रेडिट की मिनिमम और मेक्सिमम लिमिट फिक्स कर दी जाए। अगर किसी के पास पांच एकड़ जमीन है तो उसको 25 हजार रुपये की, जिसके पास दस एकड़ है उसको 50 हजार रुपये की लिमिट फिक्स कर दी जाये जिससे कि वह इतना कर्जा ले सके और जब चाहे ले सके।

आज किसान के साथ जो शोषण होता है अगर सही मायनों में उसको दूर कर दिया जाये तो उसको बहुत लाभ मिल सकता है। मोटे तौर पर तो उसको उसकी उपज की लाभप्रद कीमत नहीं मिलती। उसके अलावा कृषि के काम में बिचौलिए बहुत हैं। अगर उनको हटा दिया जाये तो किसान बहुत खुशहाल हो सकता है। इन बिचौलियों को खत्म कर देने से किसान की बहुत तरक्की हो सकती है।

इसके साथ ही मेरा कहना यह भी है कि किसान को जो उसकी उपज की सही कीमत नहीं मिलती वह इसलिए भी नहीं मिलती कि खेती के काम में व्हाईट कालर्ड लोग बैठे हुए हैं। इंस्पेक्टर सब-इंस्पेक्टर और दूसरे इंस्पेक्टर लोग बैठे हुए हैं। इंस्पेक्टरों की जमात और व्हाइट कालर लोग बैठे हैं, अनुसंधान केंद्रों

[श्री धर्मपाल सिंह मलिक]

की संख्या इतनी बढ़ गई है और उनके अन्दर इन लोगों की संख्या काफी बढ़ गई है और इसका तमाम बोझ किसानों पर पड़ता है, किसानों के जरिये मजदूर पर पड़ता है। इस कारण मैं कहना चाहता हूं कि व्हाइट कालर रोगों को किसानों पर बोझ न बनाया जाए, इसको दूर किया जाये, इससे किसान का लाभ होगा। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि लोन सिस्टम को सिंपल किया जाये, जिससे किसान का शोषण न हो। हमें किसान की समस्याओं को ज्यादा डीटेल में देखना चाहिये और उसकी समस्याओं को अगर हल कर दिया जायेगा तो उसको मिलने वाली सुविधाओं को अगर सिंपल कर दिया जाएगा तो उसको नुकसान से बचाया जा सकता है और उसको जो कीमत आज मिल रही है उससे भी वह संतुष्ट हो सकता है।

आज हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि चौधरी भजन लाल जी के पास विभाग है और उनकी टीम में यादव जी और शास्त्री जी हैं जो किसान की तकलीफ सिर्फ किताबों के जरिये नहीं समझते बल्कि जो व्यक्तिगत तौर पर किसान की तकलीफों को जानते हैं, जो किसानों के घर में पैदा हुये हैं। आज किसान उम्मीद करता है कि उसके साथ नाइंसाफी नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा इन्साफ किसान को मिलना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

[अनुवाद]

श्री महाबीर प्रसाद यादव (माधीपुरा) : मैंने सबके भाषण सुने हैं। सभी वक्ताओं ने किसानों को भरपूर सहायता देने के लिए कहा है। लेकिन एक बात जो मुझे इस समाज में दिखाई देती है वह यह है कि यह अपने आप में संगठित है, टुकड़ों में बंटी हुई नहीं है। यह पूरी तरह से एक संरचना है। निःसंदेह भारत की 80 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है। वे किसान हैं। सारे वर्ग तथा ग्रुप आत्म निर्भर नहीं हैं। बल्कि मैं सोचता हूं वे अलग-अलग अथवा सामूहिक रूप से आपस में एक दूसरे पर आश्रित हैं। यह सत्य है कि किसानों की यथा-संभव अधिक सहायता की जानी चाहिये। वे पिछड़े हुये हैं। वे लोग सूखे बाढ़ आदि के कारण असहाय हैं। मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन समाज के किस वर्ग को आप सहायता दिये जाने वालों की सूची में से निकाल सकते हैं? लाखों लोग तकनीकी अथवा सामान्य शिक्षा प्राप्त करते हैं तथा सड़कों पर बेकार घूमते फिरते हैं। उन्हें रोजगार नहीं मिलता है। क्या यहां कोई संसद सदस्य ऐसा है जो अपना वेतन छोड़ने को तैयार हो प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय औसत क्या है? जो सबको मिलनी चाहिये? मेरा विचार है कोई भी शिक्षित व्यक्ति, युवक अथवा आई०ए०एस० अथवा आई० पी० एस० समाज का कोई भी वर्ग अपना वेतन किसी के साथ बांटने के लिए तैयार नहीं होगा। मूर्ख लोग खाना खिलाते हैं और चतुर लोग खाते हैं। सीधा-सा प्रश्न है कि हमारे जैसे लोग संगठित क्षेत्र बड़ा भाग ले लेते हैं तथा वे 80 प्रतिशत किसान निम्न स्तर जीवन यापन कर रहे हैं। उन लोगों का जीवन स्तर वैसा नहीं है जैसाकि होना चाहिये।

एक बात मुझे कहनी है। हमारे लोग रूस व चीन की बात करते हैं। मैं रूस के आंकड़े दे रहा हूं। रूस सरकार सिर्फ भोजन के लिए 1.98 हजार करोड़ की आर्थिक सहायता देती है। क्या भारत सरकार इतनी आर्थिक सहायता दे सकती है। यह बात मैं 4 नवम्बर के "टाइम्स आफ इंडिया" के सम्पादकीय से उद्धृत रहा हूं: "वर्तमान वर्ष में सोवियत संघ के बजट में 36 बीलियन रूबल का घाटा है जो कि करीब 80,000 करोड़ रुपये के बराबर है। सोवियत संघ के बजट पर कुल 2,34,000 करोड़ के बराबर का आर्थिक सहायताओं का भार है। सिर्फ भोजन संबंधी आर्थिक सहा-

यता करीब 1,94,000 करोड़ रुपये की है।" क्या भारत इसे वहन कर सकता है ? किसानों की सहायता की जानी चाहिये लेकिन हमें सारे देश की एक समान रूप से सहायता करनी है न कि अलग अलग भागों, खण्डों की। संगठित क्षेत्रों को अधिक भाग मिलता है। अब किसान वर्ग के लिए क्या किया जाना चाहिये ? मेरे मन में दो सुझाव हैं। चीन में मुद्रा स्फीति की दर 20 प्रतिशत है तथा भारत में मुद्रा स्फीति की दर 10 प्रतिशत तक पहुंच गई है। अतः भारत का बजट इस प्रकार से तैयार किया जाना चाहिये कि सभी वर्गों के लोगों को उनकी राष्ट्रीय औसत के अनुसार भाग मिलना चाहिए। प्रधान मंत्री जी को सिर्फ किसानों को ही नहीं देखना है उन्हें सारे देश को देखना है। हम जानते हैं देश के बहुत से युवक बेरोजगार हैं। इसको भी ध्यान में रखना है। हर व्यक्ति का ध्यान रखना है हर क्षेत्र का ध्यान रखना है।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर भारतीय संदर्भ के अनुसार विचार करना है। भारतीय अर्थव्यवस्था की वास्तविकता की जटिलताओं को इस प्रकार से देखना है कि सरकार सब वर्ग के लोगों की कठिनाइयों व जटिलताएं दूर कर सके।

एक तथ्य मैं अवश्य कहूंगा कि विपक्ष हमेशा राई का पहाड़ बना देता है। यहां सिर्फ एक साम्यवादी सदस्य बैठे हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल में केन्द्र के बराबर वेतनमान नहीं दिए हैं लेकिन वे साम्यवादी सदस्य बिहार से आएं तथा नारे लगाए कि अराजपत्रित कर्मचारियों को केन्द्र के बराबर वेतनमान दिए जाने चाहिएं। मैं सिर्फ यह सुझाव देता हूं कि किसानों को उनका हक मिलना चाहिए तथा सारे देश के बजट को इस प्रकार से तैयार किया जाना चाहिए कि सभी वर्गों के लोगों को अपना वाजिब हक मिल सके।

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं किसानों और वैज्ञानिकों को कृषि उत्पादन में असाधारण सफलता के लिए बधाई देना चाहता हूं क्योंकि उनके कारण ही हमारा देश अनाज के मामले में आत्म-निर्भर हुआ। समय कम होने के कारण उनकी मुख्य समस्याओं की ओर ही ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। फसल बीमा योजना के बारे में हमारे कृषि मंत्री जी ने जवाब दिया था। यह योजना पटवारी सर्कल के आधार पर आप बना रहे हैं, इस फसल बीमा योजना से हमारे जिले को भी जहाँ कई साल से अकाल पड़ा है लाभ होगा। इसलिए यह लाभकारी योजना है और इसको जल्दी प्रस्तुत करके इसका कार्यान्वियन किया जाये। हमारे रेगिस्तानी क्षेत्रों में सेंट्रल ऐरिड जोन इंस्टीट्यूट 30 वर्षों से कार्य कर रहा है और उसने बहुत कम उपलब्धि प्राप्त की है, हमारे किसानों को बहुत कम लाभ उससे प्राप्त हुआ है। करोड़ों रुपये उस पर खर्च किये हैं और किये जा रहे हैं। मैं बार-बार कहता हूं जब आपने इस प्रकार का संस्थान कायम किया है तो इसका लाभ रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए मिलना चाहिए जो कि नहीं मिल रहा है। हम कह रहे हैं कि कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करें उससे अगर लाभ मिल सकता है तो वह बाड़मेर, जैसलमेर में किये जायें। रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए जो हमारी समस्या है वह यह है कि जो लघु और सीमान्त कृषक की परिभाषा है वह वहां ठीक से लागू नहीं होता है। जो वहां छोटे और सीमांत किसान हैं उनको इससे पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। सिंचित क्षेत्रों में पूरे देश के लिए यह परिभाषा एक समान है। जबकि हमारे यहां सिंचित क्षेत्र में 250 फीट गहरा करके कुएं से पानी निकलता है और सिंचाई होती है, जबकि अन्य सिंचित क्षेत्रों में नहरों से सिंचाई होती है। मार्जिनल फारमर में जीरो से लेकर 0.75 हेक्टेयर और स्माल फारमर के लिए 0.75 से लेकर डेढ़ हेक्टेयर यह सारे देश में समान हैं। रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए हमें-इसको सही

[श्री वृद्धि चन्द्र जैन]

तौर पर देखना होगा तभी वहां के किसानों को इसका लाभ हो सकता है। असिंचित क्षेत्रों के लिए आपने 10 हेक्टेयर की परिभाषा की है इसका अर्थ होता है साढ़े बासठ बीघा स्माल फारमर के लिए...

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : 10 हेक्टेयर में 120 बीघा हुई...

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : 10 एकड़ में साढ़े बासठ बीघा होती है। उनको 75 बीघा अलाट किया जाता है और 75 बीघा अलाटमेंट करने पर काफी बड़ा फारमर हो जाता है। हमारे यहां यह स्थिति है कि पांच वर्षों से अकाल पड़ रहा है और उत्पादन न के बराबर है। हमारे यहां सीलिंग 420 एकड़ मुकररं की गई और वह एक स्टेण्डर्ड एकड़ के उत्पादन के हिसाब से की गई। तो यह वैज्ञानिक तरीके से की गई थी। उसको दृष्टिकोण में रखते हुए स्माल और मार्जिनल फारमर की परिभाषा ठीक की है। जिससे हम इसका लाभ उठा सकें। लेकिन हमारे किसान कई-कई साल तक अकाल से प्रभावित रहते हैं इसलिए उनको सुविधाएं दी गई हैं उनमें एक यह है कि उन में से कम्पाउण्ड इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा, कर्ज लिया गया है वह डबल नहीं लिया जायेगा। हमारे यहां लगातार दो-तीन साल तक अकाल पड़ता है इसको देखते हुए इनको कर्ज के बारे में भी छूट देनी चाहिए कि ऐसे एरिया में जहां फसल ठीक पैदा नहीं होती है उनके लिए कुछ विशेष कार्य किया जाये·· उसके लिए कर्जे माफ किए जा सकते हैं या क्या कंसेशंस दिये जा सकते हैं, उसे देखने की आवश्यकता है। आज डिफरेंशियल रेट आफ इंटरैस्ट 4 परसेंट की दर से लगता है और उससे गरीब आदमियों को काफी लाभ मिलता है। परन्तु मेरा अनुभव है कि इस डिफरैंन्शियल रेट ऑफ इंटरैस्ट से सिर्फ एक प्रतिशत लोगों को ही लाभ मिलता है। यदि इस 4 प्रतिशत दर वाले डिफरैंन्शियल रेट ऑफ इंटरैस्ट का लाभ स्माल फार्मर्स और मार्जिनल फार्मर्स को भी मिलने लग जाये, यदि उसकी सीमा को कुछ बढ़ा दिया जाये तो मेरे विचार से किसानों को और ज्यादा लाभ मिल सकेगा जिससे खेती की पैदावार बढ़ायी जा सकती है।

जहां तक लैंड रिफार्म्स का सम्बन्ध है, हमारा प्लानिंग कमीशन बराबर इस पर जोर देता आया है परन्तु लैंड रिफार्म्स का क्रियान्वयन ठीक ढंग से न होने के कारण हमें इसका उतना लाभ नहीं मिल रहा है, जितनी मिलना चाहिए था। बेनामी ट्रांजेक्शंस हुए हैं। मेरा सुझाव है कि हमें लैंड रिफार्म्स को नये सिरे से लागू करने के सम्बन्ध में गम्भीरता से सोचना चाहिए। जब तक एक्ट में आमूलचूल परिवर्तन नहीं किए जाएंगे, हमें इस एक्ट का लाभ नहीं मिलेगा, ऐसी मेरी धारणा है।

आज सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता इस बात की है कि यदि हम सच्चे मायनों में रेगिस्तानी क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं किसानों को मजबूत करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि इन्दिरा गांधी नहर को जल्दी से जल्दी तैयार कर दिया जाये और उसका पानी हमारे रेगिस्तानी क्षेत्रों में पहुंचे। इससे हमारा कृषि उत्पादन काफी बढ़ सकता है। जब हमारे देश के रेगिस्तानी क्षेत्र में भी खेती लहलहाने लगेगी तो उससे न केवल राजस्थान का बल्कि पूरे देश का तेजी से विकास होगा, उन्नति होगी और हम हर मामले में आत्मनिर्भर हो सकेंगे, पंजाब और हरियाणा की बराबरी कर पायेंगे और देश की तरक्की में महत्वपूर्ण योगदान कर सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

चौधरी खुर्शीद अहमद (फरीदाबाद) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आज सदन में किसानों की समस्याओं पर सुबह से चर्चा हो रही है और इस विषय पर दोनों साइड के माननीय सदस्यों ने, कांग्रेस बैंच और अपोजीशन बैंच, सभी ने अपने-अपने ख्यालात जाहिर किए हैं। दोनों ओर से एक ही

बात पर जोर दिया गया है कि जहां हम किसानों को उनके उपयोग में आने वाली जरूर चीजें, जैसे बिजली, पानी, उपलब्ध कराएं वहीं जब वे अपनी पैदावार लेकर बाजार में आएं तो उन्हें उसका उचित मूल्य मिलना चाहिये। जब तक किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिलेगा, वाजिब दाम नहीं मिलेगा तो तमाम चीजें बेकार हो जाएंगी। आज हिन्दुस्तान के किसान के साथ क्या बात रही है, उसे हर व्यक्ति जानना है। जब उसकी फसल तैयार होती है तो सरकार की ओर से उसकी प्राइस मुकररं कर दी जाती है, कीमत तय कर दी जाती है। पिछले साल गेहूं का समर्थन मूल्य 173 रुपये क्विटल था इस साल उसे बढ़ाकर 183 रुपये क्विटल कर दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी वह अपनी गेहूं की फसल लेकर मार्केट में आयेगा तो उसे अधिक से अधिक 183 रुपये के हिसाब से दाम मिलेगा। यदि आप उसकी आज की हालत देखें तो किसान के पास खाने के लिये एक दाना भी नहीं है। उसका माल या तो सरकार के गोदामों में आ जाता है या होर्डर्स, ब्लैकमार्केटियर्स के पास चला जाता है। मैं दावे से कह सकता हूं कि आप आज बाजार से 183 रुपये क्विटल तो क्या 250 रुपये क्विटल की दर पर भी गेहूं नहीं ला सकते। अब यह जो बीच का फायदा होता है उसे बिचौलिए खा जाते हैं, किसान को उसका कोई फायदा नहीं मिलता। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, क्या सरकार ने कभी ध्यान दिया है। फिर किसानों की ओर से मांग उठती है और टिकैत जैसे लोग यहां आकर बैठ जाते हैं, वैसे उस बेचारे की यूनियन क्या है, यदि किसान अपनी कोई यूनियन बना लें तो सारे हिन्दुस्तान के किसानों का फायदा हो सकता है। टिकैत ने तो एक दो जगह किसानों से कहा और वे यहां आ गये। यदि सारी चीजों को देखा जाये तो हमारे देश में होर्डर्स, ब्लैक-मार्केटियर्स आदि लोगों का सरकार के साथ मिलकर एक नैक्सस बन गया है और उसका शिकार हमारे देश का किसान हो रहा है। गरीब आदमी इससे बहुत कठिनाई में है। आज स्थिति यह है कि कंज्यूमर्स के पास चीजें खरीदने के लिये पैसा नहीं है, चीजें खरीदने के लिए उसे कितने ज्यादा दाम देने पड़ते हैं और इस तरह आपकी सारी पोलिसी फेल हो रही हैं। यदि आज किसान अपने गन्ने का समर्थन मूल्य मांगता है, 35 रुपये क्विटल मांगता है। शुगर मिलों में स्टैटिक्स तैयार करने वाले आफिसर्स जो आपको आंकड़े दे देते हैं आप उसी को आधार मानकर समर्थन मूल्य तय कर देते हैं जब कि किसान का उस स्टैटिटिक्स से कोई मतलब नहीं, वह जानता भी नहीं। वह तो सीधा सादा आदमी है। वह तो अपनी पैदावार को उसे बेचेगा जहां उसे दो रुपये ज्यादा मिलेंगे, जहां उसकी मजदूरी निकल आये।

6.00 म०प०

लेकिन बड़े-बड़े शुगर मिल्स के स्टैटिशियन्स, जितने भी हैं, वे ऐसा हिसाब बना देते हैं कि अगर 35 रुपये क्विटल हमने दे दिया तो शुगर मिल का दिवाला निकल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हरियाणा में 35 रुपये क्विटल हम दे रहे हैं और सारे शुगर मिल आज भी प्राफिट में हैं। अगर एक जगह दे सकते हैं तो जिन सूबों में हरियाणा से ज्यादा यूनिट है शुगर केन के, तो उनमें क्यों नहीं दिया जा सकता?

यह हमारी कमजोरी है कि हम किसान का तो गला जकड़ते हैं लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट्स की तरफ नहीं जाते। किसान के लिए भी अगर हम चलते हैं, सब्सीडी भी देते हैं तो उसके लिए एक अजीब तरीका अखत्यार करते हैं। कहते हैं कि 3 हजार करोड़ की हम फर्टिलाइजर्स को सब्सीडी देते हैं। किसको देते हैं? हर फर्टीलाइजर इन्डस्ट्री में देते हैं बल्कि दूसरी जगह बैनिफिशयरी वह होता है जिसका डायरेक्ट ताल्लुक हो। आप सब्सीडी देते हैं फर्टिल ,जर फैक्टरीज को, जो किसी तरह

[चौधरी खुर्शीद अहमद]

इन्फलेटेड अपने एक्सपेंसेज बताकर किसान के नाम पर 3, 4 हजार करोड़ हर साल हज्म कर जाते हैं। सरकार उसको दोबारा देखे और यह सब्सीडी डायरेक्ट किसान को दे। और अगर फर्टिलाइजर फैक्टरीज को देना है तो अपनी एफिशियेंसी के हिसाब से वह रास्ता फर्टिलाइजर पैदा करें और मुल्क में दें। इसमें भी होता यह है कि बहुत सी फैक्टरीज सब-स्टैंडर्ड फर्टिलाइजर दे देती हैं और ट्रेडर्स तो पूरा सब-स्टैंडर्ड दे देते हैं। सीड कार्पोरेशन की हालत यह है, आज सुबह यह मामला क्वैश्चन के रूप में आया था कि यह एक बीमारी हमारे हिन्दुस्तान के सारे एग्रीकल्चरर्स के साथ है। इस संक्टर में यह होता है कि स्पेशलिस्ट लाओ, स्पेशलिस्ट लाओ। हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट हिन्दुस्तान का किसान स्वयं है लेकिन उसकी नुमाइन्दगी कहीं नहीं है। आज सीड प्रोडक्शन पर इतने मेम्बर, 25 थे या 27 थे, उनमें से किसी ने भी सीड प्रोड्यूस किया हो, अगर तजुर्बा हो तो बताएं। आप सारे साइंटिस्ट्स रखिए, एक्सपर्ट्स रखिये लेकिन मैजोरिटी उसमें सीड प्रोड्यूस करने वाले फार्मर्स की होनी चाहिये, जिनको पता है कि कब और क्या चीज कैसे दी जाती है। उनके साथ हेराफेरी होती है, उनके सैम्पल बदल दिए जाते हैं, वह सीड ग्रोअर्स के साथ होता है। इन तमाम चीजों को देखते हुए गवर्नमैंट ने क्या किसान को भी कोई राहत दी है? उसका कोई वाया-मीडिया ऐसा निकाला जाता है सारी चीजें गलत हो जाती हैं।

किसानों ने अपनी मांगें यहां रखी हैं,तो उनके साथ यहां भी सही तरीका नहीं किया गया। छोटी-छोटी यूनिट्स आती हैं, उनके सामने सरकार झुक जाती है। टिकैत साहब यहां आए, इण्डिया गेट के मैदान पर कब्जा किया बहुत थोड़ी सी जगह पर, अपना प्रचार करके, उस जगह को छोड़कर आपको लाल किले जाना पड़ा। लेकिन जिस दिन टिकैत साहब लाल किले पर जा टिके तो उस दिन देखिए कि आप कहां पहुंचते हैं? इसलिए किसानों की ताकत को रिकग्नीशन करते हुए उनके साथ क्या हो रहा है, क्या गड़बड़ हो रही है, उसको दूर करके कन्ज्यूमर को सही कीमत पर प्राइस दीजिए।

अभी हमारे साथी ने बताया कि रशिया में फूड सब्सीडी कितनी दी जाती है। आप फूड सब्सीडी को बढ़ाइये, अगर गरीब कन्ज्यूमर को आपने कोई इन्ट्रैस्ट देना है, लेकिन किसान के लिए जब तक आप रैमुनरेटिव प्राइस नहीं देंगे, उसका हर तरह से एक्सप्लायटेशन किया जाता है, लेकिन उसका कुछ नहीं होता। अर्बन डैवलपमैंट में सड़कों और बिजली पानी पर कितना खर्च किया जाता है लेकिन गांव में किसान को इग्नोर किया जाता है। उसका लिविंग स्टैंडर्ड गिरता जाता है। वह मजबूर हो गया है। इन चीजों को एवायड करने के लिए वी हैव टू डू समथिंग ड्रास्टिकली।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब 6 बज चुके हैं। मेरे पास अभी 8-9 वक्ताओं की सूची है। क्या हम इस वाद-विवाद को कल जारी रखें?

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : मुझे बोलना है। मैं सिर्फ पांच मिनट लूंगा। हम कल जारी रखेंगे।

[हिन्दी]

कृषि मन्त्री (श्री भजन लाल) : काफी मैम्बर बोल लिये हैं, अब तो रिपीटीशन ही होगा।

मुझे इसका जवाब देने के लिए कम-से-कम एक घंटे का समय चाहिये, इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि जो बोलने वाले स्पीकर हैं, अगर वह बोलना चाहें तो आधे घंटे का समय बढ़ा सकते हैं, अगर आज नहीं बोलना चाहें, तो जैसा आप चाहें करें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या हम आधा घंटा समय बढ़ा सकते हैं ?

श्री उत्तम राठौड़ (हिंगोली) : हम इसे कल सुबह जारी रखें तो बेहतर होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : कल हमने गैर-सरकारी विधेयकों पर भी चर्चा करनी है। कोई बात नहीं, हम इसे कल जारी रखेंगे।

सभा कल 11 बजे म०पू० पर पुन: समवेत होने तक के लिये स्थगित होती है।

6.04 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 18 नवम्बर, 1988/27 कार्तिक, 1910 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : विन्ध्यवासिनी पैकेजिंग्स, दिल्ली-1100[illegible] द्वारा मुद्रित